राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] चौदहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का बाइसवां दिवस [संख्या : 17

शुक्रवार,

1 अगस्त, 2014

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार; नमस्कार; राम राम सा; और सबको प्रणाम।

अनेक माननीय सदस्य: राम राम सा। राम राम सा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल। श्रीमती कमसा।

जोधपुर जिले में खराब ट्यूबवैलों को ठीक कराने पर व्यय राशि

285. श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जोधपुर जिले की पंचायत समिति भोपालगढ़, मण्डोर व बावड़ी के कितने आडिट पैरे विगत पांच वर्षों में बनाये गये हैं तथा कितनों की वसूली कर ली गई है व कितने बकाया हैं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जनता जल योजना में जो ट्यूबवैल ग्राम पंचायतों को स्वीकृत किये गये हैं, वे सभी सुचारु रूप से चालू हैं? यदि नहीं, तो कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त खराब ट्यूबवैलों को सही कराने पर वर्ष 2013 से मार्च, 2014 तक कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री के स्थान पर): (1) पंचायत समिति भोपालगढ़ में विगत पांच वर्षों में कुल 151 आडिट पैराज बनाये गये, जिनमें से कुल 15 पैराज में राशि रुपए 4,82,139.60 की वसूली प्रस्तावित की गई थी। इनमें से पांच पैराज में कुल राशि रुपए 4,39,628.60/- वसूल कर ली गई है एवं 10 पैराज की वसूली राशि रुपए 42,511/- वसूल की जानी शेष है। (परिशिष्ट- 'अ')

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पंचायत समिति मंडोर में विगत पांच वर्षो में 92 पैराज बनाये गये, जिनमें 6 पैराज में राशि रुपए 2,22,210/- की वसूली प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से राशि रुपए 1,00,526/- की वसूली कर ली गई है। (परिशिष्ट- 'ब')

नवसृजित पंचायत समिति बावड़ी का वर्ष 2010-13 का स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा अंकेक्षण किया गया है किन्तु प्रतिवेदन अप्राप्त है। महालेखाकार कार्यालय से वर्ष 2010-13 तक का अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें आठ आक्षेप पंचायत समिति एवं एक आक्षेप महानरेगा का है। कुल नौ आक्षेप बनाये गये हैं जिनमें से दो आक्षेपों में वसूली राशि रुपए 98,033/- प्रस्तावित की गई है। (परिशिष्ट- 'स')

लेखा परीक्षा द्वारा चयनित वेतनमान के गलत वेतन स्थिरीकरण के कारण प्रस्तावित वसूली योग्य राशि रुपये 18,033/- के विरुद्ध संशोधित वेतन स्थिरीकरण के कारण राशि रुपए 9,033/- ही वसूली योग्य है, जिसकी पूर्ण वसूली कर ली गई है।

लेखा परीक्षा द्वारा विधायक विकास योजना पर किये गये कार्य से सम्बन्धित वसूली योग्य राशि रुपए 80,000/- प्रस्तावित की गई थी। यह राशि ग्राम बोड़वीखुर्द में बस स्टैंड के निर्माण से सम्बन्धित है जिसमें उक्त कार्य हेतु राशि रुपए 1,25,000/- की स्वीकृति निरस्त किये जाने के कारण व्यय की गई राशि रुपए 45,000/- की वसूली सरपंच ग्राम पंचायत बोड़वीखुर्द से कर ली गई है तथा सम्पूर्ण राशि रुपये 1,25,000/- जिला परिषद, जोधपुर को लौटा दी गई। इस प्रकार कोई राशि वसूली योग्य नहीं है।

(2) जी हां। जोधपुर जिले की पंचायत समिति मंडोर में कोई जनता जल योजना संचालित नहीं है। पंचायत समिति बावड़ी में 115 जनता जल योजनाएं स्वीकृत हैं जो सुचारु रूप से चालू हैं।

पंचायत समिति भोपालगढ़ में कुल 84 जनता जल योजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से वर्तमान में 75 योजनाएं सुचारु रूप से चालू हैं एवं 9 योजनाएं पानी सूखने, खांगटा माणकलाव परियोजना द्वारा पानी सप्लाई होने के कारण बंद हैं।

(3) पंचायत समिति बावड़ी में वर्ष 2013 से मार्च, 2014 तक राशि रुपए 3.30 लाख ट्यूबवैलों की मरम्मत पर व्यय की गयी है।

पंचायत समिति भोपालगढ़ में वर्ष 2013 से मार्च, 2014 तक राशि रुपए 44,332/- ट्यूबवैलों की मरम्मत पर व्यय की गयी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पैरा का तो यह सारा ही लिखित रूप में आ गया, इस बात से तो मैं संतुष्ट हूं, लेकिन यह बताया गया है कि मंडोर पंचायत समिति में एक भी जनता जल योजना नहीं है और यह सही भी है कि मंडोर पंचायत समिति में एक भी जनता जल योजना नहीं है।

दूसरा, मेरा जो यह खांगटा माणकलाव परियोजना है, उसका पानी ग्राम पंचायतों, गांवों में पहुंच गया है, इसके कारण वहां पर भी जनता जल योजना नहीं हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगी कि माणकलाव पेयजल बनाड़ परियोजना जो है, 2005 में स्वीकृत हुई थी, इसमें छह पंचायतें आ रही हैं लेकिन वह योजना अभी तक पूरी नहीं हुई है। 6 एस.आर. बने हुए हैं और वे छह के छह खाली पड़े हुए हैं। वहां पर एक बूंद भी उन एस.आर. के अन्दर आज तक पानी नहीं आया।

जाजीवालकलां की जो ग्राम पंचायत है, उसके अन्दर भी एस.आर. बना हुआ है। 26 लाख से ऊपर उस पर पैसे लग गये। पास में ही सेना का आफिस भी आया हुआ है और सैन्य अधिकारियों के इंटरफीयरेंस के बावजूद वह अधूरा पड़ा है। तो कौन दोषी है? या तो उच्चाधिकारियों से बात करके उस एस.आर. को चालू करवाया जाए; नहीं तो फिर उन गांव वालों का क्या दोष है? जो पांच साल से वह एस.आर. अधूरी पड़ी है, वह कब पूरी होगी? उन गांव वालों का क्या दोष है? आप मुझे यह बताइये, वह एस.आर. कब शुरू होगी? अगर वह शुरू नहीं हो सकती है, किसी कारण से भी, तो दूसरी जगह पर उक्त एस.आर., जाजीवालकलां की जगह दूसरी जगह पर स्वीकृत करके चालू करवाई जाए। आप मुझे यह बताइये।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी सारा तो मैंने इतना डिटेल दिया कि वे स्वयं ही इस बारे में जान गईं कि बिलकुल सही सूचना है। केवल यह जो आपका खांगटा माणकलाव परियोजना का जो काम है, वह सीधा हमारे पास नहीं है और इसके कारण से उसके बारे में हम कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं हैं कि वह कब तक पूरी होगी, कैसे होगी और कौन करेगा। पंचायती राज के पास, या हमारे पास जो है, वहां की पंचायत के पास इसका डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

नहीं है। वह सिस्टम हमारे पास आएगा, तब तो हम उसके बारे में कुछ जवाब देने की स्थिति में होंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): मेरा प्रश्न तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी के द्वारा ही लगा हुआ था, वे उपस्थित नहीं हैं, तो आप बता भी नहीं सकेंगे। फिर भोपालगढ़ का तो पूछने से भी कोई मतलब नहीं है। यह भी इसी से सम्बन्धित है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह योजना पी.एच.ई.डी. की है और पी.एच.ई.डी. के पास ही है आज।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): वह तो जनता जल की है लेकिन जनता जल की इसमें भी बताई गई है, यह जो बता दी कि 115 जनता जल योजनाएं सुचारु रूप से चल रही हैं, ऐसा तो अपन सब मानते हैं कि कोई राम राज नहीं है जो 115 की 115 ही चालू पड़ी हैं। मेरे पास पूरी डिटेल है कि कहां-कहां पर खराब पड़ी हैं। अधिकारियों ने जो आपको सूचना दी है न, 84, भोपालगढ़ की, उसके अन्दर मेरे को पता है, मैं हर दिन, हर घड़ी और हर पल उन गांवों के बीच में ही रहती हूं। अभी वर्तमान के अन्दर भी 10-15 ट्यूबवेल्स बंद पड़े हुए हैं और हैण्डपम्प्स भी खराब पड़े हैं लेकिन इस उत्तर में यह बताया गया है कि सारे सुचारु रूप से चल रहे हैं। मैं आपको कापी उपलब्ध करवा दूंगी। जिन्होंने यह गलत जवाब दिया, उन अधिकारियों के खिलाफ आप कार्यवाही भी करें। जो मेरे जनता जल ट्यूबवेल्स और हैंडपम्प्स खराब हैं, उनको भी आप सही करायें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि प्रत्यक्ष मैंने तो जाकर एक-एक योजना को देखा नहीं है, मेरे विभाग ने मुझे जो योजना की जानकारी दी है, उसी को मैं पूरे विश्वास के साथ सदन में रख रहा हूं। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई खराब है और मुझे गलत सूचना दी है, जिसके कारण से मैं यहां पर, सारी योजनाएं चल रही हैं, यह बता दिया, तो मैं उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करूंगा, और अगर कोई योजना बंद है, आपके कहने के अनुसार, तो मैं उसको चालू करवाने के लिए बिलकुल, निश्चित रूप से प्रयास करके चालू करवाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: श्रीचन्द कृपलानी। पूरक प्रश्न।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पी.एच.ई.डी. का कौन बताएगा?

श्री अध्यक्ष: आप अब अलग से इनसे सारी चर्चा कर लीजिए।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): ठीक, साहब।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि जनता जल योजना राजस्थान के गांवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और मैं राजस्थान की हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि बजट में भी उन्होंने टी.एफ.सी. और एस.एफ.सी. के माध्यम से पैसा देने की घोषणा की है। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जितनी भी जनता जल योजनाएं हैं, 80 परसेंट जनता जल योजनाएं बंद पड़ी हैं।

सरकार का ध्यान, एक तरफ तो अकाल की स्थिति है, हम इस बात को मानकर चल रहे हैं कि गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था हमको करनी हैं; मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाह रहा हूं कि जनता जल योजनाओं को विधिवत रूप से चलाने के लिए सरकार की कोई योजना है क्या? नम्बर एक।

नम्बर दो। इसमें मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजस्थान में कई ऐसी योजनाएं हैं, गांवों में, किसी में एम.एल.ए. कोटे का पैसा लगा है, किसी में एम.पी. कोटे का पैसा लगा है, एक सेकण्ड, माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न भोपालगढ़, मंडोर, बावड़ी तक का सीमित है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूछ रहा हूं, साहब।

श्री अध्यक्ष: है तो महत्वपूर्ण, मैं आपको मना नहीं करता।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): किसी में, माननीय अध्यक्ष महोदय, जन सहयोग से पैसा लगा हुआ है और सिर्फ 25 हजार रुपए की वजह से वह योजना बंद पड़ी है। बिजली के बिल की वजह से वह योजना बंद पड़ी है। कहीं पर दस हजार के पाइप चाहिए, कहीं पर मोटर जली हुई है। तो ऐसी योजनाओं को चलाने के लिए, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सरकार की कोई योजना है क्या?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से राजस्थान में इस समय, जो हमारे पास हैं, वे 6,523 जनता जल योजनाएं पंचायतों के द्वारा संचालित हो रही हैं। उनमें से कई बंद हैं। इसमें भी कोई दो-राय नहीं है। कितनी हैं, उतनी एग्जेक्ट तो मैं सारे प्रांत की नहीं बता सकता, लेकिन यह विषय बार-बार आता है कि जनता जल योजना, पंचायतें इसको ठीक प्रकार से संचालित नहीं कर सकतीं। अभी मंत्रिमण्डल में यह निर्णय लिया है कि अब जनता जल योजना पंचायती राज को ही देखनी है। इसके लिए जो एक्स्ट्रा पैसा और एक्स्ट्रा स्टाफ की जो आवश्यकता होगी, वह हर ब्लाक पर सरकार, मुख्य मंत्रीजी ने देने की, दोनों को देने की बात की है। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आप तो बिजली का बिल ही जमा करवा दो तो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): बिजली के बिल के बारे में मैं आज सदन को आश्वस्त करता हूं कि अब मैं बिजली के बिल का पैसा पंचायतों को नहीं दूंगा, क्योंकि सरपंच समय पर बिजली का बिल जमा नहीं कराते हैं। मैं यह सारा पैसा पंचायत समिति में रखूंगा और बिजली के बिल का पेमेंट पंचायत समिति से सीधा ही होगा। उसके कारण से कोई तकलीफ नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष: श्री धीरज गुर्जर, पूरक प्रश्न, लेकिन इस परिधि में रहिए आप। (व्यवधान) विषय भोपालगढ़, मंडोर और बावड़ी का है। जनरल, मैंने उनको भी टोक दिया। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सरकार की कोई योजना है क्या?

श्री अध्यक्ष: बैठिये। आप विराजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): दूसरी योजना है, जो मैंने पूछा था सवाल।

श्री अध्यक्ष: बता दिया इन्होंने।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): जवाब नहीं आया। मैं निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान में अभी कई योजनाएं ऐसी हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): ऐसी कई योजनाएं पड़ी हैं अभी, जो थोड़े पैसों से चल सकती हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए। आप भी स्थान ग्रहण कीजिए। हां, पूरक प्रश्न।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): क्या ग्राम पंचायत स्तर पर ट्यूबवेल खुदवाने से पूर्व जिला कलक्टर व भू-जल बोर्ड की स्वीकृति व एन ओ सी लेना अनिवार्य है? अगर हां, तो ग्राम पंचायत में बिना जिला कलक्टर की अनुमति के ऐसे बोर करवा लिए हों, तो क्या यह अनियमितता की श्रेणी में आता है? अगर यह अनियमितता की श्रेणी में आता है तो क्या जहाजपुर तहसील के अन्दर ग्राम पंचायत सिरसिया, लुहारी, अमरवासी ...(व्यवधान) जांच करवाकर खिलाफ कार्यवाही करेंगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जहाजपुर का है। (व्यवधान) मैंने इसीलिए आपसे निवेदन किया। अब आपने जहाजपुर जोड़ दिया। इनके पास कोई जवाब नहीं है। जनरल सवाल जो इन्होंने किया है, उसका आप जवाब दे दो।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): हां, जनरल का। अनियमितता की है, उसकी जांच होनी चाहिए, इस पर जवाब आ जाये।

श्री अध्यक्ष: अनियमितता का जवाब दे रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत सूचना तो मेरे पास हर स्थान की नहीं है लेकिन यह जरूर है कि ट्यूबवेल लगाने से पहले पी एच ई डी से यह जरूर कन्फर्म कर लें कि यहां पानी की उपलब्धता है कि नहीं है। नहीं तो क्या है कि ट्यूबवेल लगाये जा रहे हैं। हैंड पम्प के बारे में और विधायक फंड के बारे में भी अगर इसकी कहीं अनिवार्यता की होगी तो वह नहीं होगी, वह आप लगा सकेंगे हैंडपम्प तो, लेकिन ट्यूबवेल जब खोदना है तो निश्चित रूप से पानी की उपलब्धता के बारे में पूर्व जानकारी, जितनी सम्भव हो सकती है, वह करके करें, ताकि पैसे का वेस्टेज न हो।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): जिला कलक्टर से एन ओ सी लेना अनिवार्य कर रखा है सरकार ने।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पी एच ई डी से किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल। जोगारामजी पटेल, आपका मंडोर से सम्बन्धित है? (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अध्यक्ष महोदय, आपका आभारी हूं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न है। (व्यवधान) इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं होगा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पंचायत समिति मंडोर में जन-प्रतिनिधियों के विरुद्ध, विशेष रूप से सरपंचों के विरुद्ध कितने प्रकरण विचाराधीन हैं जिनकी जांच चल रही है? कब तक उनका निस्तारण होने की सम्भावना है? नम्बर एक। क्या सरकार पंचायत समिति मंडोर की सभी 25 पंचायतों का स्पेशल आडिट करवाने का विचार रखती है? दूसरा, मंडोर पंचायत समिति में कितने हैंडपम्प हैं और कितने खराब पड़े हैं? बस यही प्रश्न हैं।

श्री अध्यक्ष: हो गया। हो गया। पूरक प्रश्न हो गया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि मंडोर में जितनी पंचायतें आती हैं, उनके सरपंचों के खिलाफ, किसके खिलाफ क्या कार्यवाही है, उसका इस समय तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन यह आश्वस्त जरूर करता हूं कि अब मैंने शिकायत कागज पर लेना बंद करके, एफिडेविट पर लेना प्रारम्भ किया है। अगर कोई भी एफिडेविट पर शिकायत करेगा तो निश्चित रूप से जांच करूंगा और जांच करके उसका परिणाम भी उसे बताऊंगा। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उसको स्वयं को बुलाकर एविडेंस भी लेनी पड़ी तो लूंगा। लेकिन यूं ही कोई कागज टपका जाए और मेरा सारा स्टाफ जांच ही जांच में रोज लगा रहे। अन्ततोगत्वा आधे लोग ऐसे मिलते हैं कि हमने तो यह शिकायत की ही नहीं। इससे मेरा जितना वेस्टेज होता है मैनपावर का, उसको बचाने के लिए एफिडेविट के आधार पर कोई भी शिकायत करेगा, उसकी निश्चित रूप से जांच होगी, उसका परिणाम भी उसको बताया जायेगा।

यहां पर इतनी शिकायतें हुई, एकदम से मेरे सामने नहीं है कि कितने सरपंचों के खिलाफ जांच हुई।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र गोयल।

जैतारण में जीवन वृत्ति पेंशन योजना के प्राप्त आवेदन

286. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगरपालिका क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा जीवन वृत्ति, वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजना में प्रति व्यक्ति प्रति माह कितनी राशि से कितने व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में जीवन वृत्ति पेंशन योजना के तहत कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं, इनका निस्तारण कब तक कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा सभी पात्र वृद्धा, विधवा एवं अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों को जीवन वृत्ति पेंशन का लाभ दिलवाने एवं नये आवेदन प्राप्त करने के सम्बन्ध में क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सभी लाभान्वित व्यक्तियों को जीवन वृत्ति पेंशन का भुगतान प्रति माह किया जा रहा है? यदि हां, तो प्रत्येक पंचायत एवं पालिका में वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में प्रत्येक माह में देय जीवन वृत्ति पेंशन का भुगतान कब-कब एवं कितना-कितना किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (श्री अरुण चतुर्वेदी): (1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरपालिका क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन के 16,913, विधवा पेंशन के 2,548 एवं विशेष योग्य जन पेंशन के 1,125 पेंशनरों को लाभान्वित किया जा रहा है, जिनका ग्राम पंचायत/नगरपालिका वार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

पेंशन की मासिक दर निम्नानुसार है:-

1. 75 वर्ष एवं अधिक आयु के सभी श्रेणियों के पेंशनरों को रुपये 750 प्रति माह।
2. 75 वर्ष से कम आयु के सभी श्रेणियों के पेंशनरों को रुपये 500 प्रति माह।
3. 8 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्य जन पेंशनरों को रुपये 250 प्रति माह।

(2) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में वर्तमान में विभिन्न पेंशन योजनाओं में लम्बित आवेदन पत्रों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

(3) पेंशन स्वीकृति सतत् प्रक्रिया है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र का आवेदक जिस तहसील/उप तहसील में निवास कर रहा है, उस तहसील/उप तहसील के तहसीलदार/नायब तहसीलदार या विकास अधिकारी को तथा शहरी क्षेत्र के आवेदक सम्बन्धित नगर निकाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशासी अधिकारी या उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

(4) वर्ष 2012-13 में पेंशनरों को मनीआर्डर के माध्यम से प्रति दो माह से पेंशन का भुगतान किया गया है। वर्ष 2013-14 में माह जून, 2013 से पेंशनरों को पेंशन के मनीआर्डर सामान्यत: प्रति माह भिजवाये जा रहे हैं। विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

पेंशन का बिल भुगतान ग्राम पंचायत/नगरपालिका वार नहीं किया जाता है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन सोफ्टवेयर RAJSSP के तहत श्रेणीवार पेंशन के बिल बनाये जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है, आपने प्रश्न के खण्ड 2 में यह बताया है कि वृद्धावस्था पेंशन के 1,232 आवेदन, विधवा के 272 और नि:शक्तजन के 21 आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में लम्बित हैं व शहरी क्षेत्र में वृद्धावस्था के 17, विधवा के 10 और नि:शक्तजन के 3 आवेदन पत्र लम्बित होना बताया है। इनका निस्तारण भी आपने बताया है कि 30 दिन में ग्रामीण क्षेत्र में और 15 दिन में शहरी क्षेत्र में कर दिया जाएगा। मेरा, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि ये जो 1,555 प्रकरण हैं, ये कितने समय पहले से लम्बित हैं और इनके लम्बित रहने के क्या कारण रहे हैं? अब इन प्रकरणों का कब तक निस्तारण कर दिया जाएगा? निस्तारण में भी, कब तक पी पी ओ जारी कर दिया जाएगा? एक क्वेश्चन तो यह है।

श्री अध्यक्ष: एक प्रश्न का जवाब आ जाने दीजिए। फिर दूसरा।

श्री अरुण चतुर्वेदी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने जो स्पेसिफिक प्रश्न किया है, इसमें अभी तक जो मामले हमारे पास हैं, वैसे तो

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

धरोहर में हमें काफी पेंडेंसी मिली है और काफी अव्यवस्थाएं मिली हैं। सारे सदन को पता है, जिस प्रकार से पिछली बार पेंशन के विषयों को सरकार ने लिया, केवल चुनावी लाभ के लिए, उस कारण से बहुत सारी चीजें छोड़ते हुए किया और बड़ी दिक्कतें उस समय आयीं। पेंशन समय पर नहीं मिलती थी; दो महीने में नहीं मिलती, मनीआर्डर नहीं मिलता; मनीआर्डर के बीच में कमीशन लेने की बात होती थी।

अब सरकार ने उसको स्ट्रीमलाइन किया है। हमने एक तो यह किया है कि हम मनीआर्डर की जगह भामाशाह योजना का एक अभियान शुरू कर रहे हैं इस 16 तारीख से, उसमें इन सबके बैंक अकाउंट खोलने और उसके माध्यम से भुगतान किया जाएगा। इसको सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी प्रकार, बाकी भी इन चीजों को दूर करते हुए, हम जल्दी से जल्दी करेंगे।

जहां तक आपके जैतारण की पेंडेंसी का विषय है, जो जवाब दिया, उस समय यह 1,525 की पेंडेंसी थी, अब केवल 324 की पेंडेंसी रह गयी है और इसको भी 10-15 दिन में हम सब की स्वीकृति जारी कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): बहुत-बहुत धन्यवाद, मंत्री महोदय, आपने पेंडेंसी को खतम कर दिया। मेरा निवेदन एक और है। यह जो मैंने पूछा था कि ये प्रकरण कितने समय से लम्बित हैं, साल-डेढ़ साल से ये लम्बित थे और deliberately और mala fide intention से उन अधिकारियों ने आसरलाई, निमाज, बलूंदा, सांगावास, इन गांवों के लोगों का, गरीब आदमियों का निस्तारण नहीं किया, जान-बूझकर के। तो क्या उन अधिकारियों के खिलाफ, जिनकी शिकायतें हो चुकी हैं, और जिनका निस्तारण समय पर नहीं किया, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखते हैं? एक तो यह है।

श्री अध्यक्ष: हो गया बस। विराजिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): एक सेकण्ड। दूसरा मेरा निवेदन है कि इसमें डाक विभाग द्वारा पेंशन का भुगतान किया जाता है, मनीआर्डर से। मनीआर्डर जो लेकर जाते हैं, वे व्यक्ति गरीबों के साथ में अन्याय करते हैं। तीन-तीन, चार-चार महीनों तक उनको पेंशन का भुगतान नहीं करते हैं। वे क्या करते हैं कि तीन-चार महीनों के बाद एक बार उनको भुगतान कर देते हैं और उनके हस्ताक्षर करवा लेते हैं और कह देते हैं कि दो-तीन महीनों की

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

तुम्हारी पेंशन आई ही नहीं। इस प्रकार के हजारों प्रकरण मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं। विशेष तौर से आप यह जो टालकिया है, पीपल्या कलां है, निमाज है, आसरलाई है, इन गांवों में जो डाकिए लगे हुए हैं, वे मनीआर्डर का भुगतान समय पर नहीं करते हैं। उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही करने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): जो भामाशाह योजना है, उसमें बैंक खाते खुलवाकर क्या इन सभी पेंशनरों का पैसा सीधे बैंक खाते में जमा करने का विचार रखते हैं या नहीं? यह बता दें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अरुण चतुर्वेदी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने पूछा है कि कब से पेंडिंग हैं, मार्च तक के सब मामले थे। मार्च में चुनाव की आचार संहिता लग गई थी और उसमें वेरिफिकेशन का काम पूरा नहीं हुआ। सामान्यत: होता क्या है कि वेरिफिकेशन नहीं होता तो हम पेंशन नहीं देते। यह रूल्स में प्रोविजन है। तो तुरन्त हमने लेते हुए, उसको उसमें दो महीने का एक्सटेंशन दिया, जून तक का एक्सटेंशन देकर जून तक इनकी निकाली। मई तक के सारे प्रकरण, जितने भी हैं, जो मैंने बताया, 324 मामले हैं, वे वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण रुके हैं। इनकी भी प्रक्रिया जारी है और 10-15 दिन में निकाल देंगे। बाकी प्रकरण जो हैं, मई तक के इस पंचायत समिति के जितने भी मामले थे, उन सब की स्वीकृति जारी की जा चुकी है, सारा का सारा मामला निकल चुका है।

दूसरा आपने कहा भामाशाह योजना का, यह बात आपकी सही है, मैंने भी पहले अपने जवाब में कहा है कि जिस प्रकार के हैफेजर्ड वे में इस पूरी स्कीम को जारी किया गया, कैसे भी कर के अधिकतम लोगों को दो, सब करो, चाहे नियम हैं या नहीं हैं, खुद का वेरिफिकेशन करना है करते रहो, कल चुनाव में वोट मिल जाएं, इस प्रक्रिया के आधार पर। इसके कारण से एक तो बहुत सारी चीजें थीं जो स्ट्रीमलाइन नहीं हो रही थीं।

यह बात सही है कि डाकिया जाता है, वह दो महीने के जो मनीआर्डर हैं, वे भी तीन-तीन, चार-चार महीने में देता है। उसमें भी बहुत शिकायतें मिलती

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

थीं। कहीं न कहीं पैसे के लेन-देन की शिकायतें मिल रही थीं, 125 करोड़ रुपये मनीआर्डर के कमीशन के पेटे विभाग को देने पड़ते थे। इन सब को देखते हुए इसको भामाशाह योजना में जोड़ा है और जोड़ कर, 16 तारीख से शुरू होगी, यह भामाशाह योजना दिसम्बर तक चलेगी। इन सब का वेरिफिकेशन होगा, बैंक अकाउंट खुलवायेंगे और आगे से आन-लाइन बैंक के माध्यम से इन सब के भुगतान की व्यवस्था को सरकार सुनिश्चित कर रही है।

श्री अध्यक्ष: नारायण सिंहजी, प्रश्न स्पेसिफिक जैतारण के बारे में है, इस बारे में आपका कोई पूरक प्रश्न हो तो कीजिए। बाकी जवाब नहीं आयेगा। (व्यवधान) विराजिये। माननीय डूंगरगढ़ के विधायक, विराजिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली सरकार में वृद्घावस्था, विधवा पेंशन के आवेदन ले लिये गये परन्तु जालौर जिले में ऐसी सारी पंचायत समितियों में वे आवेदन पत्र वैसे ही पड़े हैं। इन फार्म का कब तक निस्तारण कर दिया जायेगा? मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। जालौर का जवाब अभी नहीं दे सकते ये। देंगे क्या?

श्री अरुण चतुर्वेदी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): नहीं, साहब, जालौर की डिटेल मेरे पास नहीं है। माननीय सदस्य मुझे बतायेंगे तो मैं मंगा कर इनको उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: और कोई पूरक प्रश्न? नहीं, स्पेसिफिक जैतारण के बारे में कर रहे हैं? नहीं।

अगला प्रश्न। श्री सुरेन्द्र पाल सिंह।

ज्ञान ज्योति महाविद्यालय, श्रीकरणपुर का अधिग्रहण

287. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र श्रीकरणपुर में कितने राजकीय महाविद्यालय संचालित हैं? क्या सरकार द्वारा श्रीकरणपुर स्थित ज्ञान ज्योति महाविद्यालय का सरकारीकरण किया गया है? यदि हां, तो इसमें शैक्षणिक एवं प्रशासनिक स्टाफ के स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण सराफ): विधान सभा क्षेत्र श्रीकरणपुर में राजकीय महाविद्यालय संचालित नहीं है किन्तु आदेश दिनांक 26.07.2013 द्वारा श्रीकरणपुर के ज्ञान ज्योति महाविद्यालय को राज्याधीन करने के आदेश जारी किये गये थे, जिस पर वर्तमान सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि आज अखबारों में जो यह छपा है कि 8 कालेज डि-नोटिफाई कर दिये हैं और पूर्व की भांति ये कालेज निजी रूप से, पूर्व में जैसे चल रहे हैं, वैसे चलेंगे। एक तो मेरा प्रश्न है कि क्या इनको डि-नोटिफाई किया गया है?

दूसरा, मान्यवर, इसमें जो बात आपने कही है कि अभी इस पर विचार चल रहा है, उसमें कहना चाहूंगा कि पूर्व में 27 साल से इस कालेज में प्रशासक लगा हुआ है और प्रशासक एस.डी.एम. लगा हुआ है। यह निजी संस्था है, इसको कोई नहीं चला रहा। इसकी जो जमीन अलाटमेंट हुई, वह कलक्टर ने की। इसके अन्दर 19 बीघा 7 बिस्वा जमीन है जो लगभग 20 करोड़ रुपये की, कम से कम करोड़ रुपये बीघा की तो जमीन है, 45 कमरे इसके अन्दर यू.जी.सी., यूनिवर्सिटी ग्रांटस कमीशन ने बनाये हैं और एक पैसा भी निजी संस्था से नहीं लगा। इसकी लेबोरेटरी और लाइब्रेरी जिसमें 15 हजार किताबें हैं, ये बी.आई.डी.पी. में इसके अन्दर लगी हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न कीजिए।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर): तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि निजी रूप से तो इसमें किसी का कोई योगदान ही नहीं।

जो चार हमारी नगरपालिकाएं हैं, पदमपुर, केसरीसिंहपुर, गजसिंहपुर, और 74 ग्राम पंचायतें हैं, इनमें दो उप-खण्ड हैं और दोनों उप-खण्डों में एक भी कालेज नहीं। मेरा निवेदन है, अपनी सरकार भी चाह रही है कि उप-खण्ड पर कालेज खोलेंगे और आपने भी अनेक बार अखबारों में घोषणा की है कि एक सब-डिविजन में एक कालेज सरकारी खोलेंगे, तो हमारे तो दो उप-खण्ड हैं और इनमें भी कोई कालेज नहीं।

इसके अन्दर आपने प्रिंसिपल लगा दिया, पिछली सरकार का फैसला बिलकुल गलत है, हम मानते हैं कि बिना पैसे के उनको नहीं करना चाहिए था,

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

पर आपने प्रिंसिपल लगा दिया और बच्चों का एडमिशन कर दिया। सात महीने से प्रिंसिपल है; मान्यवर, 750 बच्चे हैं, और करणपुर से गवर्नमेंट कालेज 100 किलोमीटर पर है, बार्डर एरिया से कोई नजदीक नहीं; 750 बच्चे हैं जिनमें 85 परसेंट शिड्यूल्ड कास्ट के हैं ...

श्री अध्यक्ष: आप सवाल कीजिए।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर): और इनमें ज्यादातर बच्चे ओ.बी.सी. के हैं।

तो मेरा निवेदन है कि यह निजी संस्था से संचालित नहीं है, लगभग 1986 से इसको एस.डी.एम. चला रहा है। यह तो वैसे ही सरकार के भरोसे चल रहा है, सरकार के पैसे से चल रहा है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इस पर सहानुभूति से विचार करें। बोर्डर एरिये के अन्दर सरकार जो स्कीमें बना रही है, इसके अन्दर अगर आप मेहरबानी करें, नहीं तो ये 800 बच्चे घर बैठ जायेंगे। कालेज बंद हो जायेगा। मेरी हाथ जोड़ कर विनती है कि आप इस पर जरूर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, जवाब दीजिए।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा, जो पिछली सरकार थी उसने जाते-जाते आनन-फानन में जो निर्णय किये, ऐसे सब निर्णयों की ...(व्यवधान) सुनिये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप भी जा रहे हो पांच-दस दिन में। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अच्छा, आनन-फानन से आपको परहेज है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपका नम्बर है दो-पांच दिन में जाने का।

श्री अध्यक्ष: आप आसन को संबोधित कीजिए। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): वर्तमान सरकार ने निर्णय किया है कि जो इन्होंने जाते-जाते छह महीनों में निर्णय किये, उन सब की समीक्षा की जायेगी और समीक्षा भी प्रक्रियाधीन है, जैसे ही इस पर निर्णय होगा, आपको अवगत करा दिया जायेगा। आपने जो बातें कहीं, इन सब बातों का ध्यान रख कर के ही इस पर कोई निर्णय लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न दूसरा।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर): मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करूं, बिलकुल सही बात है, बिना पैसे सरकार को नहीं करना चाहिए था और इन्होंने हमारे गले के अन्दर मरा हुआ सांप डाल दिया। आपने इनके बड़े-बड़े पाप धो दिये, मेट्रो का पाप धो रहे हों, आप इनका रिफाइनरी का पाप धो रहे हों, अपने पांच साल तक इनके पाप ही धोने हैं, इसलिए एक पाप हमारी तरफ से आप धो दो। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कालेज खोली, इसमें पाप किस बात का है? (व्यवधान) एक तरफ निवेदन कर रहे हों, एक तरफ पाप की बात कर रहे हों। पाप की बात है तो कालेज बंद कराओ। पाप काहे का हुआ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर): हम आपकी सरकार के गलत कामों के, आपने जो जनता को बेवकूफ बनाया है,...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): खूब काम किया है। काहे का पाप किया है? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर): आपने जो जनता को बेवकूफ बनाया और वोट लेने के लिए निर्णय किये, न बजट में व्यवस्था की, लोगों को बेवकूफ बनाया। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आपने कहा, कालेज खोल कर आ गये। आप बेवकूफ बना रहे हों। आपको चाहिए था, उस कालेज को कंटिन्यू करते। लोगों के साथ आपने धोखा किया है। बात कर रहे हों। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): वह हमको भुगतना पड़ रहा है, हमारी सरकार को भुगतना पड़ रहा है। (व्यवधान) आपने गलत निर्णय किये, वह सरकार को भुगतना पड़ रहा है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर): आपने वोट लेने के लिए किये सारे काम। आपको वोट लेने थे, इसलिए किये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहिये। कृपया शांत रहिये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर): लोगों को बेवकूफ बनाया, लोगों को धोखा दिया, लोगों के साथ छल-कपट किया, वोट लेने के लिए किया। (व्यवधान) आपने पाप किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए। हां, मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कालेज जो बंद की गयी है, उस बंद होने से पाप हुआ है। खोलने से पाप नहीं हुआ है। (व्यवधान) माननीय शिक्षा मंत्रीजी, कालेज को बंद करने से पाप हुआ है, खोलने से पाप नहीं हुआ है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): राजस्थान के बच्चों का भविष्य अंधकार में है ...(व्यवधान) सिर्फ आपके पाप की वजह से। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर): झूठी वाहवाही लेने के लिए उस समय विज्ञापन आपने छपवाये, स्वागत वहां करवाये। हमने सरकारीकरण कर दिया। पैसा नहीं था। (व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): अध्यक्ष महोदय, जब पुरवाई पवन चलती है तो मरा हुआ सांप भी जिंदा हो जाता है। (व्यवधान) ऐसा मत करो आप। मरा सांप डाल दिया हमारे।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर): पैसा नहीं था, क्यों किया? आपने लोगों को बेवकूफ बनाया, आपने लोगों के साथ छल-कपट किया, आपने लोगों के वोट लेने के लिए असत्य बोला और वह सब हम भुगत रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठ जाइये। स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): आप यह कह रहे हों, मरा हुआ सांप डाल दिया; पुरवाई पवन चलती है तब मरे हुए सांप भी जिंदा हो जाते हैं। (व्यवधान) समय बाकी नहीं है। (व्यवधान) मर गया, वह जिंदा हो जाता है पुरवाई पवन चलने से। (व्यवधान) नहीं, हो जाता है।

श्री हीरालाल (निवाई): नहीं होता है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): पुरवाई पवन चलती है तो वे भी जिंदा होते हैं।

श्री हीरालाल (निवाई): मरने के बाद सांप जिंदा नहीं होता।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): हां, होते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार पांच साल इनकी सरकार रही, चार साल इन्होंने ...(व्यवधान) क्या हो रहा है, भाई? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इनका तो हटने में नाम आ रहा है। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आठ महीने पूरे हुए हैं, नौवां महीना लगा है और आप हमारी बात कह रहे हों, पिछली सरकार की।

श्री अध्यक्ष: बाधा मत डालिये। बाधा मत डालिये। एक जवाब तो पूरा आने दीजिए।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच साल में साढ़े चार साल तक इन्होंने एक भी नया कालेज नहीं खोला और जाते -जाते 42 कालेज बिना बजटीय प्रावधान के खोल कर के चले गये। उनमें से भी हमने 27 कालेज में, क्योंकि बच्चों ने प्रवेश ले लिया था, इसलिए उनको तो हमने चालू रखा, पर आपने बिना बजटीय प्रावधान के जो बाकी कालेज खोलें जिनमें बच्चे भी नहीं, टीचर्स भी नहीं, प्रिंसिपल्स भी नहीं, कोई बजट का प्रावधान नहीं, इस प्रकार से चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए जो आपने पाप किया, उसको हम वहन नहीं करेंगे। यह मैं कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष:निवाई से आने वाले माननीय विधायक।

श्री हीरालाल (निवाई): हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे।

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न करणपुर विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित है। इसी सम्बन्ध में पूछ रहे हैं आप?

श्री कृष्णा कड़वा (संगरिया): एक दूसरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, दूसरा नहीं।

श्री कृष्णा कड़वा (संगरिया): मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी यही समस्या है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: करणपुर विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित है।

एक माननीय सदस्य: गंगानगर जिले का मामला है।

श्री कृष्णा कड़वा (संगरिया): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र संगरिया में मीरा कालेज, जो कन्या महाविद्यालय है, पूरे एरिये में वह एक ही कन्या महाविद्यालय है। मेरा आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से

(श्री कृष्णा कडवा)

अनुरोध है कि इसका सरकारीकरण पिछली सरकार ने कर दिया था, उसको यथावत रखा जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिये । मंत्री महोदय, जवाब देंगे इनके सवाल का?

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): मैंने जैसा कहा कि आपके कालेज के बारे में अभी यह मामला प्रक्रियाधीन है। इस पर क्या किया जाए, निर्णय करने के बाद मैं आपको सूचित कर दूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: करणपुर विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित है। करणपुर विधान सभा क्षेत्र के बारे में पूछेंगे? हां, पूछिये।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाह रहा हूं, अभी सब विपक्ष वाले भी यह कह रहे हैं कि हमने यह कर दिया, उन्होंने वह कर दिया; जो भी हो गया वह तो हो गया, मेरा यह निवेदन है कि जो 2 महाविद्यालय मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब नहीं आएगा।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): मुझे जवाब नहीं चाहिये, मेरा सुन तो लो।

श्री अध्यक्ष: श्री भीमा भाई।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): अध्यक्ष महोदय, एक बार सुन तो लो। मुझे जवाब नहीं चाहिये।

श्री अध्यक्ष: श्री भीमा भाई। नहीं, विराजिये । भीमा भाई के प्रश्न का जवाब दीजिये।

कुशलगढ़ की सहकारी समितियों से वंचित ग्राम पंचायतें

288. श्री भीमा भाई (कुशलगढ़): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में वर्तमान में कुल कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यरत हैं? पंचायत समितिवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं जिनमें ग्राम पंचायतवार ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं हैं?

(श्री भीमा भाई)

(3) क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री अजय सिंह): (1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में कुल 23 वृहत् कृषि बहूद्देशीय सहकारी साख समितियां (लैम्प्स) कार्यरत हैं। कुशलगढ़ पंचायत समिति में 12 एवं सज्जनगढ़ पंचायत समिति में 11 लैम्प्स हैं। कुशलगढ़ लैम्प्स नगरपालिका क्षेत्र में हैं।

(2) कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 37 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्प्स नहीं हैं, किन्तु उक्त सभी ग्राम पंचायतें अपने समीपवर्ती लैम्प्स के कार्य क्षेत्र में आती हैं। ग्राम पंचायत वार लैम्प्स का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) सहकारिता विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्प्स खोले जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूरे होने की अवस्था में सहकारी समिति का गठन किया जा सकेगा। गठन हेतु मापदण्ड परिशिष्ट-2 पर संलग्न हैं।

(विवरण व प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। भीमा भाई।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कुशलगढ़ का बांसवाड़ा दक्षिणी क्षेत्र पूरा जनजाति क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण जनजाति क्षेत्र है। इस कारण एक लैम्प्स दो-तीन पंचायतों को कवर करती है। इसलिए वहां के काश्तकारों को खाद, बीज, दवाइयां, यानी नरेगा का सारा भुगतान लैम्प्स के माध्यम से किया जा रहा है। बड़ी कठिनाई पैदा हो रही है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन यही था कि कम से कम हर पंचायत स्तर पर लैम्प्स, सहकारी संस्था खोलने का प्रावधान करें।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि आपके कुशलगढ़ के अन्दर भी 37 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहां पर लैम्प्स का गठन नहीं हुआ। उनमें से 6 के गठन की सरकार ने अनुमति दे दी है। बाकी 31 बची हैं। वह

(श्री अजय सिंह)

भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सहकारिता विभाग की जब मांग थी, उसमें मैंने यह आश्वासन दिया था कि सरकार अपने कार्यकाल में सभी ग्राम पंचायतों पर ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन करना चाहती है, उनमें मिनी बैंक स्थापित करना चाहती है और उनको कम्प्यूटरीकृत करना चाहती है, लेकिन इसके मापदण्ड हैं। मेरा पूरे सदन के माननीय सदस्यों से आग्रह है कि इसके मापदण्ड हैं, वे अगर पूरे होंगे, तभी आगे गठन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। वह आप अपने-अपने क्षेत्र में इसको करायें तो निश्चित रूप से जो हमने लक्ष्य ले रखा है, पूरे राजस्थान की ग्राम पंचायतों पर इनका गठन किया जाना...

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न दूसरा।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़): मंत्री महोदय, आपके जवाब से मैं संतुष्ट हूं, लेकिन जनजाति क्षेत्र में जो आपकी गाइडलाइंस हैं, उसको जनजाति क्षेत्र के लिए थोड़ा-सा रियायती दर पर, आपको कुछ ढील देनी पड़ेगी। मंत्री महोदय, क्षेत्र फैला हुआ है, दूरदराज का इलाका है, जनजाति के सारे के सारे काश्तकार संस्थाओं से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए कुछ रियायत, ढील देनी पड़ेगी, जो आपने नोर्म्स बना रखे हैं, उन नोर्म्स में।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि बांसवाड़ा के अन्दर बांसवाड़ा जिले में पूर्ववर्ती सरकार ने 56 लैम्प्स के लिए सरकारी स्वीकृति प्रदान की, लेकिन उनका किसी का भी गठन नहीं हो सका। इस सरकार ने आते ही आपके 13 एक प्रतापगढ़ में और 12 बांसवाड़ा के अन्दर, उनका रजिस्ट्रेशन भी करा दिया और वे कार्य भी चालू करने लग गये। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सभी जगह, जो इसके मापदण्ड पूरे करेंगे, जल्दी से जल्दी सभी ग्राम पंचायतों पर खोल दिया जाएगा।

जो आपने जनजाति क्षेत्र में बताया है और रिलेक्सेशन देने की बात कही है, तो इसके लिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में और जनजाति क्षेत्रों में इसको देख लेंगे, इसकी वायबिलिटी किस तरह से है, और उसके ऊपर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करके यह प्रयास किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: श्री सुशील कटारा और जीतमलजी। (व्यवधान) नहीं, आप बैठिये पहले। कुशलगढ़ से सम्बन्धित है आपका पूरक प्रश्न?

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष: आपका कुशलगढ़ क्षेत्र से सम्बन्धित है?

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश से सम्बन्धित है। पूरे प्रदेश से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष: पूरे प्रदेश का नहीं, कुशलगढ़ का सवाल है। (व्यवधान) कुशलगढ़ से सम्बन्धित नहीं है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): इतना-सा बता दो, वे मापदण्ड क्या हैं? इतना सा बता दो कि मापदण्ड क्या-क्या हैं?

श्री जीतमल खांट (गढ़ी): कुशलगढ़ से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष: नो। राव राजेन्द्र सिंह। विराजिये आप।

श्री जीतमल खांट (गढ़ी): कुशलगढ़ से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, विराजिये आप। आप विराजिये । कुशलगढ़ का सवाल है और सारे राजस्थान का जवाब कहां से आएगा? नो, नो, नो। बैठिये। राव राजेन्द्र सिंहजी। आप सब विराजिये । यह सहकारिता का नहीं, कुशलगढ़ का सवाल है। सारे सहकारिता पर बहस नहीं करा सकता। विराजिये । राव राजेन्द्र सिंहजी। विराजिये ।

प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्रों का चयन

289. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में गत पांच वर्षों में खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आबादी से अधिक लोगों का चयन कर लिया गया है? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी हैं एवं सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस योजना में अपात्र लोगों का भी चयन कर लिया गया है? यदि हां, तो अपात्र लोगों का नाम सूची से हटाकर योजना की खामियों को कब तक दूर कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (श्री हेमसिंह भड़ाना): (1) जी

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

नहीं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सितम्बर, 2013 में किये गये चयन अनुसार राज्य में कुल 5.31 करोड़ यूनिट पात्र हैं, जबकि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ है। चयनित यूनिट कुल जनसंख्या की 77.51 प्रतिशत है। चयनित सूची से अपात्र लोगों को हटाने एवं पात्र लोगों के समावेशन हेतु समीक्षा किया जाना विचाराधीन है।

फिलहाल इसमें कोई दोषी नहीं पाया गया है, अत: कार्यवाही की सूचना शून्य है।

(2) जी हां। चयनित सूची से अपात्र लोगों को हटाने एवं पात्र परिवारों के समावेशन हेतु सूची को अद्यतन किया जाकर आगामी छह माह में कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष: एक पूरक प्रश्न।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या राजस्थान की वाकई में खाद्य सुरक्षा के मामले में यह परिस्थिति है कि 6 करोड़ 85 लाख की जनसंख्या के इस प्रदेश में 5 करोड़ 31 व्यक्ति खाद्य सुरक्षा के लिए पात्रता रखते हैं? और क्या यह सही है कि पात्रता में चयन करने से पहले सक्षम अधिकारी और विभागों को केन्द्र सरकार का एक परिपत्र जारी हुआ था, जिसका क्रमांक एफ.13/2013 है? जिस परिपत्र के माध्यम से आपको पात्र व्यक्तियों का संकलन करना था या सूची बनानी थी, क्या इस परिपत्र के माध्यम से यह सूची बनी है? क्या यह भी सही है कि आपके ऐसे कई जिले हैं जहां पात्र व्यक्तियों की संख्या जिले की समस्त जनसंख्या से भी ज्यादा है? मैं आपको उदाहरण दे दूं, आपकी जानकारी के लिए, बारां की जनसंख्या 9,68,541 है, वहां चयनित पात्र व्यक्ति नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से 11,45,763 हैं, यानी 118.3 प्रतिशत; दौसा में 14,32,616, वहां पर व्यक्ति हो गये 14,88,595, 103.91 प्रतिशत; धौलपुर में 9,59,066 पात्र व्यक्ति 10,11,743, 105.49 प्रतिशत; डूंगरपुर में 12,99,809 और पात्र व्यक्ति 14,45,140, यानी 111 परसेंट; सवाई माधोपुर में 10,69,084 और पात्र व्यक्ति 10,92,491 यानी 102.19 परसेंट। (व्यवधान)

अब मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा, क्या यह भी सही है कि आपने इस प्रकार की शिकायत आने के उपरान्त, मुख्य मंत्रीजी के आदेश से

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

अपात्र व्यक्तियों को, जिनका चयन हो गया है, इसका मतलब यह हुआ कि जो अपात्र व्यक्ति हैं वे, आज तक अमीरों के घरों पर तो चोरी होते देखा है लेकिन विगत सरकार ने गरीब के निवाले तक की चोरी कर ली। यह इस बात को प्रमाणित करता है। (व्यवधान)

आज हम आपसे यह पूछना चाहते हैं, सर्वेक्षण से यह पता लगा है कि 30 परसेंट व्यक्ति जो अभी भी पात्रता रखते हैं, उनको इसका फायदा नहीं मिल रहा। सबसे पहले तो आपके परिपत्र के आधार पर जिन्होंने चयन नहीं किया, उन अधिकारियों और उन विभागों पर आप क्या कार्यवाही करेंगे, यह सुनिश्चित करें। और जो अपात्र व्यक्ति इसमें आकर गरीब का निवाला खा रहे हैं, उन लोगों को इसमें शामिल करके एक संवेदनशील सरकार का उदाहरण प्रस्तुत करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत विद्वान और हमारे शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बिलकुल सही कहा है और मैंने सदन को पूर्व में भी अवगत कराया है कि पूर्ववर्ती सरकार ने, कालीचरणजी जैसा बता रहे थे, शिक्षा मंत्रीजी, इन्होंने जाते-जाते रेवड़ी बांटने का काम किया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2 अक्टूबर, 2013 को लागू किया जबकि उसकी समय सीमा 5 जुलाई, ... (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपके किए हुए पापों का भंडा फूट रहा है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): क्या कर्म किए हैं, उनको सुनो आप। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपने कुकर्म किया है, कुकर्म। (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): कुकर्मों को आगे झेलकर नहीं बढ़ रहे। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलकुल सही कहा है, ये जिले जो बताये हैं, बारां में, दौसा में, धौलपुर में, डूंगरपुर में, झालावाड़, करौली, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, उदयपुर, यहां सौ परसेंट से अधिक हुआ है। इसके पीछे मंशा यह थी, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी, इन्होंने

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

अपने कार्यकर्ताओं को लाभ देने के लिए और जैसा माननीय सदस्य बता रहे थे ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने किसके खिलाफ कार्यवाही की? वह तो बताओ। (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आप सुन लो। विराजो आप। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको बने हुए आठ महीने हो गये, नौ महीने हो गये, किनके खिलाफ कार्यवाही की? कौन अधिकारी दोषी हैं? आप कार्यवाही करके तो बताओ। (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आप विराजो। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अब कार्यवाही भी हो जायेगी। आपके कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नाम हट जायेंगे। आप चिंता मत करो। (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आपके जितने भी कुकृत्य किये हुए हैं, सब विभागों में, सबकी जांच हो जायेगी। सबकी हो जायेगी, आप निश्चित रहें। आप विराजो। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): आप एक डी एस ओ को तो नहीं हटा सके आठ महीने में। आप किसकी बात कर रहे हो। एक करौली का डी एस ओ नहीं हटा पाये हैं। चोरी कर रहे हैं वे और आप पैसे खा रहे हो।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आप बैठ जाओ। आप विराजो। क्यों हटाऊं? आपके कहने से हटाऊंगा डी एस ओ? आप कौन होते हो कहने वाले? (व्यवधान) आपके कहने से हटाऊंगा डी एस ओ? (व्यवधान) आप कौन होते हो लगाने और हटाने वाले? (व्यवधान)आपके कहने से नहीं हटाऊंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत रहिये। (व्यवधान) शांत रहिये। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): यह अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। किस अधिकारी को कहां लगाना है, क्या करना है, यह सरकार का काम है। इनका काम थोड़े ही है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, यह हम जानते हैं। (व्यवधान)

श्री सुखाराम (मेड़ता): 9 महीने में एक भी डी एस ओ के खिलाफ ... (व्यवधान) एक भी जांच नहीं की। माननीय शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आंकड़े पेश किये, एक भी जांच होती....

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री सुखाराम (मेड़ता): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: आराम से। हां, अब अंकित करो। (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इनको कहो कि व्यवधान नहीं डालें। मेरे में बहुत माद्दा है बोलने का, कहने का भी है। इसकी हमारी सरकार जो कर रही है, इनकी राय से नहीं चलती। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, हमने इस बात पर चिंता जाहिर की कि बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जो पात्र नहीं थे और वे राजनीतिक कारणों से, मैंने फिर दोहराया, वे आ गये। लेकिन हम सही व्यक्ति को, वह अपात्र व्यक्ति, जो मानदण्डों से बाहर रह गया, उसके लिए हमने टास्क फोर्स कमेटी गठित की है। वह टास्क फोर्स की बैठक 4 अगस्त ...(व्यवधान) मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूं। (व्यवधान) पुन: 4 अगस्त को उसकी बैठक प्रस्तावित है। मैं बताना चाहूंगा कि पुनर्गठित टास्क फोर्स खाद्य सुरक्षा योजना में अंत्योदय के अलावा, अन्य पात्र परिवारों के चयन हेतु मानदण्डों की समीक्षा करेगी; अनावश्यक, अव्यावहारिक मानदण्डों को हटाने तथा पात्र एवं छूटी श्रेणियों को शामिल करने पर विचार करेगी, जैसे कुष्ठ रोगी बहुत से रह गये, कुष्ठ रोगी, घुमन्तु, भेड़ पालक, गाड़िया लुहार, आदि। यह टास्क फोर्स जिला स्तर पर कार्य पूर्ण करने के लिए दिशा-निर्देश एवं समय-सीमा निर्धारित करेगी। टास्क फोर्स के निर्देशों के अनुसार जिलों में कार्यरत जिला कलक्टर एवं डी एस ओ, राजस्व विभाग, पंचायत राज विभाग, स्थानीय निकाय विभाग के कर्मचारियों से उपरोक्त कार्य करवाना सुनिश्चित करेगी।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मैं भी पूछना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न। फिर आप पूछ लीजिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): क्या यह सही है कि इस प्रकार के कृत्य के उपरान्त राजस्थान की जनता पर 750 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ है, इनके इस कृत्य से? और यह अतिरिक्त व्यय करके, गरीब के पैसों को अमीर के घर पर ले जाने का जिन्होंने कृत्य किया है, उसको पारदर्शी तरीके से पुन: आप निरीक्षण करवाकर, ऐसे लोगों ने जिन्होंने यह कृत्य किया है, उनका नाम उजागर कर श्वेत पत्र जारी करेंगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब आने दीजिये, फिर आप पूछिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया है। पिछली बार जो कुछ सूचियां बनी थीं, उनका सत्यापन नहीं किया गया। अब उनका सत्यापन करेंगे और जो भी इसमें, जहां भी किसी व्यक्ति ने निजी स्वार्थ देखते हुए, सरकारी दबाव को देखते हुए गलत काम किया है, तो उसकी जांच करवाई जायेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राजाखेड़ा के माननीय विधायक, पूरक प्रश्न।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरक प्रश्न बार-बार सदन में आया है, किसी न किसी रूप में प्रश्न आता रहा है। मंत्री महोदय का एक ही उत्तर आता रहा कि टास्क फोर्स का गठन कर दिया। सदन को चलते-चलते भी करीब-करीब 20 दिन से ऊपर हो गये। जिलों में अभी तक टास्क फोर्स बनी ही नहीं। कमेटी की कितनी बैठकें हुईं?

मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी, क्या यह बात सही है, जो बात कह रहे हैं, शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि नीचे के स्तर पर ग्राम पंचायत, सेक्रेटरी लेवल, पटवारी लेवल पर ये कार्ड बनें? पहले तो आप यह बता दीजिये कि किस स्तर पर बनें? इसमें खाली यह कह देने से कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस के लोगों के नाम जुड़ गये, अगर कांग्रेस के सारे लोगों के नाम जुड़ जाते तो हम आज यहां 21 बैठते? (व्यवधान) सुन लीजिये एक बार। एक समस्या है, आज आठ माह होने जा रहे हैं, एक समस्या है, इसका निदान तो आप कीजिये। खाली यह कह देने से कि आनन-फानन, जल्दी में कर दिया...

तो मेरा आपसे कहना है कि जिलों तक की टास्क फोर्स आपने, आठ महीने हो गये, बनाई ही नहीं। आप कब तक करेंगे गठन टास्क फोर्स का, यह मैं आपसे पूछना चाहूंगा। और किस स्तर पर ये कार्ड बनें? इसके लिए

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कौन-कौन, ग्राम पंचायत स्तर पर बने हैं, पटवारी स्तर पर बने हैं, शहरों में किसके स्तर पर बने हैं? आप इन सारी चीजों को साफ करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, जवाब दीजिये। (व्यवधान) बाधा मत डालिये। निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, बाधा मत डालिये। (व्यवधान) बाधा मत डालिये। आप स्थान ग्रहण कीजिये। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, आप बाधा मत डालिये। (व्यवधान) निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने जो भी काम किये, वे निश्चित रूप से उजागर तो होंगे ही। वे कहां तक छुपेंगे? मैं रिकार्डली बोल रहा हूं, कोई गलत नहीं बोल रहा। कल हमारे मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य ने ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। (व्यवधान) आप जवाब सुनिये शांति से।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आप जवाब सुनिये शांति से। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये, जवाब आ रहा है। (व्यवधान) आप चाहें वैसा जवाब तो नहीं आ सकता।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): 17.7.2014 को टास्क फोर्स गठित हुई, सुनने में अंतर होगा, जिसकी 4 अगस्त, 2014 को बैठक प्रस्तावित है। टास्क फोर्स के सदस्य, टास्क फोर्स सुनिश्चित करेगी मापदण्डों की समयसीमा और वह रिपोर्ट सरकार को देगी। फिर हम जिला कलक्टर और जिला रसद अधिकारी को वहां पर, पात्र व्यक्तियों का चयन करने के लिए प्रत्येक पंचायत समिति और नगरपालिका, नगर निगम पर कैम्प लगाने की व्यवस्था कराएंगे।

श्री अध्यक्ष: विजय बंसल। पूरक प्रश्न।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से जानकारी करना चाहता हूं कि जनसंख्या से ज्यादा जो कार्ड बने हैं, वह राशन जब उठाया गया, तो राशन का जो घोटाला

(श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा)

हुआ, उसके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं? कौन-कौन अधिकारी दोषी थे, कहां वह ब्लैक में बेचा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): कौन-कौन से नेता दोषी थे?

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): इसमें कौन-कौन दोषी थे? मेरे जानकारी में जहां तक आया है कि जिले के जो एम एल ए थे, वे उसमें लिप्त थे और घोटाले का पैसा उनके पास जाता था। इसके बारे में आप कहें। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): एम एल ए तो आप भी थे।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): सरकारी। सरकारी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप भी भरतपुर से एम एल ए थे।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): सरकार के जो थे। हमारी तो जानकारी में ही नहीं आया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): कांग्रेस के एम एल ए थे।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): यही कारण है कि वे घोटाले जनता ने देखकर आपको 20 सीट पर बैठा दिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ऐसे आरोप लगाने से कोई मंत्री नहीं बना रहा आपको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान) विराजिए। स्थान ग्रहण कीजिए। नो।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बिलकुल सही बताया है... (व्यवधान) आप बात सुनो। बात सुनो। आप बात सुनो। (व्यवधान) मैं बता रहा हूं। आप मुझे बोलने से नहीं रोक सकते।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने मंत्री पद की गरिमा गिरा दी।

श्री अध्यक्ष: इनका अंकित न करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आपने थोड़े ही भेजा है मुझे यहां। (व्यवधान) आपके कहने से नहीं होगा। आप विराजो।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता से आग्रह करूंगा...(व्यवधान) बाधा डाल रहे हैं। अंकित नहीं होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैं जो कह रहा हूं, वह सही कह रहा हूं। मेरे को रोक नहीं सकते आप। बिलकुल सही कह रहा हूं। सही कह रहा हूं जो कह रहा हूं। (व्यवधान) नाम बताओ एक-आधे का।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आपके पास तो क्वेश्चन लगाने का समय नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आप विराजो, मैं बताता हूं। (व्यवधान) विराजो आप। (व्यवधान) आपसे पूछकर नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैं बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): विराजो आप। मैं बता रहा हूं। (व्यवधान) मैं बता रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैं उनको बताऊंगा, आपको नहीं। सवाल उनका है। या तो आप सवाल लगाकर आइए।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो इधर का। अंकित नहीं हो।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी जोर से बोल रहे हैं। प्रतिपक्ष एक भी प्रश्न आज तक लगाने की स्थिति में इसलिए नहीं है कि इनकी सरकार थी। एक भी क्वेश्चन नहीं लगाया प्रतिपक्ष ने। वह तो प्रश्न लगाकर आओ ना, मैं जवाब दूंगा। मैं दूंगा जवाब।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। (व्यवधान) ये आज कसम खाकर आये हैं बाधा डालने के लिए। प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपको कहता हूं... (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैं दूंगा जवाब। जाइए, आप क्वेश्चन लगाइए। (व्यवधान) मैं कह रहा हूं ना। जवाब दे रहा हूं उनका। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। प्रतिपक्ष के सदस्य हा-हुल्लड़ करके मंत्रीजी को दबाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: आसन पैरों पर है। आसन पैरों पर है। प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह सदन ठीक ढंग से चले, सबकी जिम्मेदारी है। इंटरप्शन न हो, यह सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूं, इस पक्ष से हर विषय पर बाधा डाली जा रही है, हर प्रश्न पर। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए, आप बोल चुके। आप खड़ी करते हैं कंट्रोवर्सी। (व्यवधान) आप विराजिए। नहीं बोलने दूंगा। मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। मेरी बिना इजाजत के बोल रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: आपकी वरिष्ठता का जितना ध्यान रखता हूं, उतना ही आप हावी हो रहे हैं। (व्यवधान) इनको रोकिये पहले। इनको रोकिये पहले। पहले इनको रोकिये आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: बाधा डालते हैं। आप खड़े कर लो। हां, खड़े कर लो। हो जाओ। नहीं होगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं चलाऊंगा हाउस। (व्यवधान) नियमों से चलाऊंगा हाउस। (व्यवधान) आप नाजायज फायदा उठा रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: आप विराजें। आप हाउस को पहले आर्डर में लाने में मदद कीजिए। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आपके यहां से धमकियां दी जा रही हैं। आपके यहां से धमकियां दी जा रही हैं, यह मैं देख रहा हूं। आप हावी होना चाहते हैं, वह मैं देख रहा हूं। (व्यवधान) पहले हाउस को आर्डर में लाने की आप कोशिश कीजिए। कितनी बार डिस्टर्ब किया आपने? 10 बार। बार-बार डिस्टर्ब। (व्यवधान) सुनने की तैयारी रखिए। यह सदन इसलिए है कि आपस में एक-दूसरे से विचार करें, विचार आयें। जहां देखो, थोड़ी-सी बात आयी और डिस्टर्ब। (व्यवधान) आप हाउस को आर्डर में लाने की कोशिश कीजिए। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: पहले जवाब सुनिए, फिर मैं आपको बोलने दूंगा। (व्यवधान) पहले जवाब सुनिए। मंत्री महोदय (व्यवधान) पहले वह जवाब सुनिए, फिर मैं आपको दूंगा। मंत्रीजी के जवाब के बाद आपको। उसके बाद आप करें। आप जवाब दीजिए।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य का यह क्वेश्चन था कि पात्र लोगों का अधिक चयन होने पर सब लोगों को पूर्ण रूप से गेहूं नहीं मिला और वह कहां चला गया। मैं बिलकुल इस बात पर सहमत हूं, यह बात मैं कह रहा था। अभी कह रहा हूं इस बात को कि सही कह रहे हैं लेकिन 85 लाख लोगों का चयन होने के बावजूद उनको आनुपातिक रूप से दे रहे हैं। उतना नहीं मिल पाया जितना एन एफ एस ए के अन्दर मिलना चाहिए। यह मैं कहना चाह रहा था।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो व्यवधान हुआ, माननीय मंत्रीजी जो जवाब दे रहे थे, मैं निवेदन करूं कि माननीय मंत्रीजी का जो जवाब है, उस जवाब से पहले पूर्ववर्ती सरकार का नाम लेना, माननीय एम एल ए का उस पर एलीगेशन लगाना...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत, शांत रहिए, प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मेरी बात तो सुनो आप। आप एम एल ए नहीं हो? आप नहीं थे पहले? आज आपने सीधा एलीगेशन लगा दिया कि इसमें एम एल ए का इन्वाल्वमेंट है। आप व्यक्तिगत... (व्यवधान) मदन राठौड़ साहब, आप विराज जाओ। आप, प्लीज, विराज जाओ।

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

मैं निवेदन यह करना चाह रहा हूं कि सदन की गरिमा होनी चाहिए। माननीय मंत्रीजी जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं, टास्क फोर्स का कहा, आज एक महीना हो गया सदन चलते हुए, जब भी आपका क्वेश्चन आया उस क्वेश्चन पर आपने कहा कि हमने टास्क फोर्स बना दी, हमने यह कर दिया। अध्यक्ष महोदय, हम मांग करते हैं कि जो भी आपका घोटाला हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, उसकी आप एकदम अच्छी कमेटी और मजबूत कमेटी, किसी से जांच कराओ, दूध का दूध और पानी का पानी करो। इस वजह से व्यवधान पड़ रहा है। हमारी तरफ से, आज जब कोई भी मंत्री जवाब देता है, उसमें यह कहता है, पूर्ववर्ती सरकार ने यह कर दिया। अब आपकी सरकार आयी है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत रहिए। निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय विधायक, आप स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान) निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय विधायक, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): सुनने का माद्दा रखो। आप जब बोल रहे थे तो हम नहीं बोल रहे थे।

मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारी सरकार थी, हमने 5 साल जनता की सेवा के लिए किया। हमारी तरफ से...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत रहिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आपको ज्यादा बोलना आ रहा है क्या? आपको सुनने का माद्दा नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप इधर, आप आसन को सम्बोधित कीजिए। प्रतिपक्ष के नेता, आप आसन को सम्बोधित कीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता प्रतिपक्ष): आपकी तरफ से व्यक्तिगत एलीगेशन लगाने की आदत है।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता, आप आसन को संबोधित कीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): यह सदन की गरिमा नहीं है। यदि ये व्यक्तिगत एलीगेशन लगाते हैं तो ये नाम बताएं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि आज एम एल ए का जिस तरीके से नाम आया है, उसमें आप कमेटी से जांच करवाकर उसका नाम बताएं। हम आपसे यह मांग करते हैं। आगे मंत्री महोदय कोई भी जवाब दें तो सोच-समझकर, तैयारी करके आएं। हम जो पूछते हैं, सदन का कोई भी माननीय सदस्य पूछता है,

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

उसमें बिलकुल तैयारी करके, उसका स्पष्ट जवाब आना चाहिए। तब जाकर यह व्यवधान नहीं होगा। मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठो। नवनीत लालजी, आप बैठिए। स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी गुस्से में और भावावेश में राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने आसन को इंगित करके कुछ बातें कह दीं, जो रिकार्ड पर आ गयीं। मेरा निवेदन है कि आसन सर्वोपरि है, हमारे सबके लिए सम्माननीय है।

श्री अध्यक्ष: लीं ही नहीं। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय विधायक ने जिस तरीके से गाली-गलौज की भाषा की, वह रिकार्ड पर नहीं ली जाए। नहीं लिया जाय रिकार्ड पर।

(12.00 बजे)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: एक शब्द भी नहीं लिया जाए। (व्यवधान) आपको अधिकार नहीं है। (व्यवधान) मैं आपकी वरिष्ठता का ख्याल रखता हूं, मैं आपकी वरिष्ठता का ध्यान रखता हूं, आप हर बार खड़े हो जाते हों। (व्यवधान) आपकी वरिष्ठता का ध्यान रखता हूं मैं। हावी नहीं होने दूंगा आपको। आप बैठिये। (व्यवधान) आप बैठिये। एक शब्द नहीं। आप बैठिये। आसन पर इस प्रकार गलत मत कीजिये। (व्यवधान) मैं आपसे भी कह रहा हूं। (व्यवधान) इसीलिए कह रहा हूं कि आपकी वरिष्ठ्ता का ख्याल रखता हूं। विराजिये। स्थान ग्रहण कीजिये। स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: एक शब्द रिकार्ड पर मत लीजिये। (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण कीजिये।

प्रश्नकाल समाप्त।

अनुपस्थिति अनुमति

बी.एल. कुशवाह, श्री, सदस्य, को सदन से अनुपस्थिति का आवेदन अस्वीकृत

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री बी. एल. कुशवाह, सदस्य,

(श्री अध्यक्ष)

विधान सभा ने व्यावसायिक कारणों से दिनांक 20 जुलाई, 2014 से 01 अगस्त, 2014 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, कारण क्या है? एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, कारण क्या है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: व्यावसायिक कारणों से लिखा है इसमें, व्यावसायिक कारणों से।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): व्यावसायिक कारणों से छूट थोड़े ही देते हैं।

श्री अध्यक्ष: मेरे पास जो निवेदन आया है। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की पुलिस, यू.पी. की पुलिस उसको ढूंढ रही है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को आप सदन में बुलाइये और अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो उसको अरेस्ट होने दो, जांच होनी चाहिए। इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि ऐसे व्यक्ति को अनुमति नहीं देनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, इनको किसी भी प्रकार की अनुपस्थित रहने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या माननीय सदस्य को अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाए?

(अस्वीकृत)

माननीय सदस्य को अनुपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी जाती है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। इनको जरा ध्यान से सुनिये। मैंने बार-बार कहा है कि साधारण विषयों को स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बनाया जाए, केवल बोलने के लिए। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप इनको सुनिये।

1. श्री धीरज गुर्जर, सदस्य की ओर से जहाजपुर पंचायत समिति की सरसिया ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा कर्मचारियों की मिलीभगत से,

(श्री अध्यक्ष)

पैसा लेकर बी.पी.एल. कार्ड जारी करने के सम्बन्ध में। स्थगन प्रस्ताव, यह स्थगन का विषय दिया है।

2. श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से वर्ष 2012-13 में बीकानेर जिले की 42 पंचायतों में हुई अतिवृष्टि से प्रभावित 300 बेघर परिवारों को राजस्थान विशेष आवास योजना के तहत स्वीकृत व लम्बित आवेदनों पर आवास सुविधा उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में। 2012-13 का है।

3. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से आनलाइन स्मार्ट कार्ड तथा उच्च सुरक्षा नम्बर प्लेटों के नाम पर परिवहन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार व दलालों के माध्यम से वाहन स्वामियों से पांच गुना अधिक राशि वसूलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

4. श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से राष्ट्रीय राजमार्गों का डि-नेशनलाइजेशन तथा रोडवेज डिपो से निजी बसों का संचालन आरम्भ करने से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों के 30.7.2014 की रात्रि से हड़ताल पर चले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। रिसेंट का है।

5. श्री रमेश, सदस्य की ओर से राज्य सरकार की बनाई गई नीति के कारण राजस्थान पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों के दो दिन से हड़ताल पर होने तथा राज्य की परिवहन व्यवस्था ठप होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री सुखराम विश्नोई एवं श्री रमेश को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी। जो माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि 4-4 मिनट, आपकी राय से।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री देवेन्द्र कटारा, सदस्य की ओर से जिला उदयपुर में एन.एच. 8 पर

(श्री अध्यक्ष)

वाहन शुल्क संग्रहण केन्द्र को मोतली से बिछीवाड़ा के मध्य स्थापित करने के सम्बन्ध में;

2. श्री मान सिंह, सदस्य की ओर से गंगापुरसिटी पी.जी. कालेज में कामर्स संकाय एवं भूगोल विषय खोलने के सम्बन्ध में;

3. श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू में चुनाई पत्थर के खनन पर लगी रोक को हटाने के सम्बन्ध में;

4. श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन संचालित नवजीवन योजना में आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से बहुत पिछड़ी कतिपय जातियों को शामिल करने के सम्बन्ध में;

5. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या', सदस्य की ओर से चित्तौड़गढ़ नगर परिषद की अनियमितताओं की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से निष्पक्ष जांच करवाकर सभापति एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में;

6. श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कपासन की पेयजल समस्या का समाधान करने एवं उपखण्ड मुख्यालय राशमी में सहायक अभियंता कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में;

7. श्री अमृतलाल, सदस्य की ओर से मेडिकल प्रवेश परीक्षा, 2014 में जनजाति उपयोजना क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ देने के सम्बन्ध में;

8. श्री अर्जुन लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की समस्त ग्राम सहकारी समितियों के सदस्यों को ओवरड्यू से बचाने हेतु तीन किश्तों में भुगतान अदायगी के आदेश करवाने के सम्बन्ध में;

9. श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, राजसमन्द के अधिकारियों को देवगढ़ में कैम्प लगाकर कल्याण मण्डल के हिताधिकार श्रमिकों को प्रदान करने के सम्बन्ध में;

(श्री अध्यक्ष)

10. श्री कैलाश वर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बगरू के वार्ड नं. 36 की आवासीय कालोनियों का नियमन करने के सम्बन्ध में;

11. श्री बाबूलाल वर्मा, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत करवर, पंचायत समिति नैनवा, जिला बूंदी के तालाब की पाल गैर-मुमकिन तालाब की भूमि पर नियम-विरुद्ध पंचायत के पट्टे जारी करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;

12. श्री दलीचन्द डांगी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मावली स्थित उदयसागर बांध से बागोलिया तालाब को भरने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

1. श्री शत्रुघ्न गौतम, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत पीपला, पंचायत समिति केकड़ी के वर्ष 2006 से आडिट के सम्बन्ध में;

2. श्री मदन राठौड़, सदस्य की ओर से सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र की अनेक ग्राम पंचायतों को फालना नगरपालिका, रानी नगरपालिका या पाली नगर परिषद के पेरिफेरियल एरिया में लेने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;

3. श्री सुरेश सिंह रावत, सदस्य की ओर से कृषि विपणन बोर्ड, वृत्त अजमेर का विघटन रोकने के सम्बन्ध में; एवं

4. श्री श्रीराम भींचर, सदस्य की ओर से मकराना में हुए गोलीकाण्ड के सम्बन्ध में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं करने के सम्बन्ध में।

श्री सुखराम विश्नोई। (व्यवधान) मैंने सुखराम विश्नोई का नाम पुकारा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरी एक प्रार्थना है। आज इस सत्र का अंतिम दिन है और आज माननीया मुख्य मंत्रीजी की तरफ से हम सभी माननीय विधायकों को खाने पर भी आमंत्रित किया गया है और एक वह फिल्म 'भाग कांग्रेस', नहीं, 'भाग मिल्खा भाग', सारी, 'भाग कांग्रेस भाग' नहीं, 'भाग मिल्खा भाग', वह भी है। इसलिए मेरी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रार्थना है कि 295 को पढ़ा हुआ मान लिया जाए ताकि पांच बजे के लगभग हो जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाकर सदन की मेज पर रखा जाता है।

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष को विशेष तौर पर माननीया मुख्य मंत्रीजी ने आमंत्रित किया है। आपके लिए कार्ड भी 'ना पक्ष' की लाबी में हैं और आप सादर आमंत्रित भी हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मेरी 119 के अन्तर्गत नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ एक सूचना दी हुई है। उसको भी आप ले लो न, अध्यक्ष महोदय।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हां, दिखाओ राठौड़ साहब को। यह माननीय कटारिया साहब ने कह दिया था, मैंने यह मांग की थी। मैंने मांग की थी कि इसकी जांच करवाई जाए और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। पिक्चर भी दिखाओगे क्या साथ में?

श्री अध्यक्ष: दोनों की जांच होगी।

सुखरामजी विश्नोई। आप नहीं बोल रहे तो अगला नाम पुकारूं? (व्यवधान) आप बैठ जाइये। आप सुखरामजी को बोलने दीजिये। (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

राष्ट्रीय राज मार्गों का अराष्ट्रीयकरण तथा रोडवेज डिपो से निजी बस संचालन को लेकर राज परिवहन निगम में हड़ताल

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 30 तारीख की रात्रि को 4,779 बसें राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की, जो उनके 21,000 कर्मचारियों के साथ रोजाना 7 लाख किलोमीटर का सफर तय करती हैं, उन्होनें 30 और 31 जुलाई की दो दिन हड़ताल रखी। हड़ताल इसलिए रखी,

(श्री सुखराम विश्नोई)

उनका दोष नहीं था, यह सरकार अपने आपको पारदर्शी, संवेदनशील और गरीबों की हितैषी होने का नाटक रच रही है, उन कर्मचारियों के खिलाफ है। राष्ट्रीय राजमार्गों का डि-नेशनलाइजेशन करने से प्राइवेट बसें रोडवेज बसों के समानान्तर चलेंगी। पिछले 40 साल से जो बसें चल रही हैं, उन्हीं बस डिपो से प्राइवेट बसें जब चलेंगी, तो धीरे-धीरे जाकर, आज से 10 साल पहले एम.पी. में जो व्यवस्था हुई थी वहां राजकीय बसों के पैरेलल प्राइवेट बसों को चलाया, वहां एम.पी. की रोडवेज बसें अपने आप मारी गईं; इसी तरह के यहां के हालात करना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्षजी, मेरा सादर आपके मार्फत रोडवेज मंत्रीजी से निवेदन है, यह जो राष्ट्रीय राजमार्गों का डि-नेशनलाइजेशन किया गया है, उसे रद्द किया जाये और राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ बस डिपो से प्राइवेट बसों का जो संचालन किया जा रहा है, उसको रोका जाये, ताकि यह लोगों को सुलभ सुविधा हो सके, आने-जाने की सुविधा हो सके, लोगों को तकलीफ नहीं हो। वरना प्राइवेट बस वाले लोग मनमर्जी का भाड़ा वसूल करेंगे, गाड़ी को मनमर्जी स्थान पर रोकेंगे, कहीं रोकेंगे नहीं। जहां मुनाफा मिलेगा वहां तो बसें जायेंगी; जिस गांव में मुनाफा नहीं, वहां नहीं जायेंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा, यह जो दो दिन की हड़ताल चली है, दो दिन की हड़ताल से 9.50 करोड़ रुपये का घाटा गया है। कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया है कि इस पर पुनर्विचार करेंगे। मेरा निवेदन है, इस पर पुनर्विचार किया जाये और बस की जो व्यवस्था है, उन बसों में डि-नेशनलाइजेशन नहीं करके, रोडवेज बसों के बराबर प्राइवेट बसें नहीं चलाई जायें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट बाकी है आपका, बोल सकते हैं।

श्री रमेश।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): बस, पूरी हो गई बात। आज खुश हैं, साहब। जवाब आ रहा है। जवाब आ रहा है, सर।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: आप रेस्पोंड कर रहे हैं? रमेशजी, कृपया विराजिये। वे रेस्पोंड कर रहे हैं सुखरामजी की बात पर।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, जो विषय माननीय सदस्य ने आज सदन में उठाया है, आप और हम सबको ज्ञान है, जब 14 जुलाई, 2014 को माननीया मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान के इस सदन में अपना बजट रखा था, उस समय विशेष रूप से ये घोषणाएं की थीं। उन्होंने पैरा नम्बर 19 पर कहा था, ''राज्य में लगभग 16,388 किलोमीटर सड़कों का राष्ट्रीयकरण किया हुआ है'', उसको डि-नेशनलाइज करने की बात कही थी। उन्होंने अपने स्पीच में आगे यह भी कहा, ''आर एस आर टी सी यथासम्भव प्रयास करने के बाद भी, राष्ट्रीयकृत सड़कों से जुड़े सभी शहरों और गांवों को सुलभ तथा पर्याप्त बस सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाई है।''

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर सिर्फ आर एस आर टी सी की बसें ही चल सकती हैं, अन्य बसें नहीं चल सकतीं। जब इन मार्गों को राष्ट्रीयकृत किया गया था, उस समय राजस्थान की सड़कों की लम्बाई एक लाख किलोमीटर से कम थी, जबकि आज की तारीख में राजस्थान की सड़कों की लम्बाई भी 1,95,888 किलोमीटर हो गई है। मैं आपसे यह भी निवेदन करूं कि यह टोटल सड़कों की लम्बाई है और वाहन जो उपलब्ध कराते हैं, मात्र 12 प्रतिशत ही करवाते हैं।

इतना ही नहीं, अगर पिछले 10 वर्षों का देखें, तो राजस्थान रोडवेज की औसत बसों की संख्या लगभग 5,000 के करीब रही है, कभी 5,800 हुई है तो कभी 4,400 हुई है और 10 सालों का औसत निकालें तो 5,000 बसें हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मैं परमिट्स की बात करूं, मैं परमिट्स की बात इसलिए कर रहा हूं कि स्टेट कैरिज है, उसमें राजस्थान रोडवेज भी एक स्टेट कैरिज परमिट होल्डर है और जो प्राइवेट बसों वाले लोग हैं, वे भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में स्टेट कैरिज के परमिट होल्डर हैं। दोनों परमिट होल्डर हैं, दोनों ही सुविधाएं दे रहे हैं। वर्तमान के अन्दर हमारे राजस्थान भर में जो परमिट्स हैं, मात्र 6,614 परमिट आज की तारीख में रोडवेज ने ले रखे हैं, जबकि आल इण्डिया के 3,454, आल राजस्थान के 1,394, टैक्सी-मैक्सी परमिट 72,084 और बाकी परमिट 86,729, यानी कुल मिलाकर 1,41,458 परमिट हैं। उनमें से इतने से परमिट हैं राजस्थान रोडवेज के।

माननीया मुख्य मंत्रीजी ने यह भी कहा है कि यह सारा जो डि-नेशनलाइज कर रहे हैं, उनके पूरे परमिट्स की समीक्षा करेंगे; समीक्षा करके

(श्री युनुस खान)

जहां ग्रामीण जनता को सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, वहां सेवाएं देने का काम करेंगे और उसके लिए उन्होंने डि-नेशनलाइज करने की बात कही है। मैं आज कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जरूरी है। मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा समय लगेगा, मैं दो मिनट लूंगा।

मैं यह इसलिए कहना उचित समझता हूं कि यह भ्रांति फैलाई जा रही है कि राजस्थान रोडवेज का निजीकरण किया जा रहा है और धीरे-धीरे प्राइवेट लोगों को उस पर अनुमति... माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, आप और हम सब जानते हैं, आज रोडवेज कितनी ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाएं दे पा रही है। यह आपसे भी कोई छिपा हुआ नहीं है। सिर्फ नेशनलाइज्ड रूट्स पर रोडवेज बसें चल रही हैं। नेशनलाइज्ड रूट्स पर आज भी अगर हमारे बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनूं रूट पर हममें से किसी को भी रात को जाना हो तो राजस्थान रोडवेज के पास में बस नहीं है। अगर हम उनको सुविधा दे भी दें, तो भी वह सुविधा नहीं दे पाते। इसलिए जो कांट्रेक्ट कैरिज के परमिट्स हैं, वे रात्रि में चलते हैं। वे टैक्स भी देते हैं, फिर भी वे अनधिकृत कहलाते हैं। वह इसलिए कहलाते हैं, क्योंकि वे नेशनलाइज्ड रूट्स पर चल रहे हैं। स्टेट कैरिज परमिट जहां चलना चाहिए, वहां कांट्रेक्ट कैरिज के परमिट चल रहे हैं। इसलिए इन सारी विसंगतियों को, और आपको ध्यान है, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इल्लीगल फ्लाइंग कितनी होती है। जीपों के ऊपर 40-40 सवारियां बैठकर चल रही हैं, बसों पर चल रही हैं।

तो ग्रामीण क्षेत्र की जनता को सुविधाएं देने के लिए पूरी समीक्षा सरकार करेगी। लेकिन इसमें मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं और मैं मुख्य मंत्रीजी के वे सारे अंश भी पढ़कर आपको सुनाऊंगा जो बजट में रखे हैं, कि राज्य सरकार का इसका निजीकरण करने का कोई इरादा नहीं है, किसी भी तरीके से, और जो इसके 21,500 कर्मचारी इसमें नौकरी करते हैं, उनकी भी सेवाओं पर किसी भी तरीके का विपरीत असर नहीं पड़ेगा। इसलिए यह भ्रांति फैलाना कि राजस्थान के अन्दर... (व्यवधान) एक मिनट, मैं आपकी बात सुनूंगा, फिर जवाब भी दूंगा, प्लीज। इसलिए यह भ्रांति फैलाना कि इन लोगों की नौकरी का क्या होगा, इसका निजीकरण हो जायेगा, दोनों बातें मिथ्या हैं।

(श्री युनुस खान)

अध्यक्ष महोदय, यह जो कांट्रेक्ट कैरिज की बसें हैं, वह प्लस स्टेट कैरिज की प्राइवेट परमिट होल्डर्स हैं। वह आपको भी पता है। कुछ वनस्थली मार्ग से, कुछ अजमेर पुलिया के नीचे से और जगह-जगह से सवारियों को इकट्ठा करते हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में बात पूरी कर देता हूं। जो इनकी भ्रांति है, वह भी दूर कर दूंगा।

उसके लिए मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में घोषणा की थी कि रोडवेज के बस स्टैंड्स हैं, उनको डवलप करेंगे। उसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं, अब सरकार का यह मानस बना है कि राजस्थान में चाहे वह नगर निकायों के बस स्टैंड हों, चाहे रोडवेज के बस स्टैंड हों, चाहे पंचायतों के बस स्टैंड हों, उनको सारे को एक अथोरिटी बनाकर उसमें रेग्यूलेट करने का काम सरकार करेगी। उसके बाद में, 6-8 महीने में प्रक्रिया पूरी होने के बाद में, जो विधि तय होगी, वह अनाउंस कर दी जायेगी। इसलिए कोई भी तरीके की भ्रांति फैलाना कि निजीकरण होगा, प्राइवेट लोग लूटेंगे, लोगों के साथ यह होगा... इतना भी मैं हाउस को आश्वस्त करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो किराया है, वह भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, रोडवेज का भी प्रति किलोमीटर और प्राइवेट सेक्टर का भी प्रति किलोमीटर, तय करेगा। इसलिए यह भ्रांति भी गलत है कि किराया अलग-अलग लेंगे। यह सबका समान होगा। किसी भी तरह से राजस्थान की जनता को असुविधा नहीं होगी।

ये जो माननीया मुख्य मंत्रीजी ने प्रगतिशील घोषणाएं की हैं, वे राजस्थान की जनता के हित की हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि सब इस बात को समझें। चाहे एटक हो, भामस, सीटू, इंटक ने जो दो दिन की हड़ताल की थी, महासंघ ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी आपके ध्यान में लाना जरूरी है कि उनसे भी सरकार ने दो दौर की वार्ता की है, वे हमारी बातों से संतुष्ट थे। चूंकि उन्होंने काल दे दी और चूंकि वह एक कर्मचारी यूनियन है, कर्मचारी यूनियन का, आपको भी पता है, उनको अपने कर्मचारियों को या अपने श्रमिकों को संगठित रखना जरूरी है, उन्होंने अपना काम किया। सरकार अपना काम कर रही है, सदन अपना काम करेगा। इसलिए उनकी हड़ताल पर हमने बात की है, शांतिपूर्वक सब हुआ है।

(श्री युनुस खान)

दो दिन थोड़ा-सा, जहां रोडवेज बसें चल रही थीं, वहां जनता को असुविधा हुई। उसके लिए तो सरकार खेद व्यक्त करती है, लेकिन हम आगे से असुविधा नहीं हो, लगातार श्रमिक संगठनों के सम्पर्क में रहकर वार्ता करेंगे और सबकी राय के साथ में नई योजना को लागू करेंगे।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें।

श्री रमेश, बोलिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय मंत्री महोदय, नई भर्ती करेंगे क्या रोडवेज में? नई भर्ती वाला जवाब दे रहे हैं, साहब। जवाब दे रहे हैं। जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। श्री रमेश।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नई भर्ती वाला जवाब दे रहे हैं। नई भर्ती करेंगे क्या?

श्री अध्यक्ष: श्री रमेश। आप विराजिए।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कार्मिकों की हड़ताल व ठप्प परिवहन व्यवस्था

श्री रमेश (सपोटरा): राजस्थान रोडवेज दो दिन हड़ताल पर रहा और इसमें 21 हजार 400 कर्मचारी हड़ताल पर रहे, पांच हजार बसें बंद रहीं और इस राजस्थान सरकार की रोडवेज को 9 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। आम पब्लिक को तीन गुणा किराया इन दो दिन में ज्यादा देना पड़ा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो बताया कि हमारी मंशा है कि लोगों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाएंगे और राजस्थान रोडवेज को सशक्त बनाएंगे, इसलिए मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप किस प्रकार सशक्त बनाएंगे? जब आपने 86 हजार के आसपास प्राइवेट परमिट दे रखे हैं, गांवों में मेन रोड पर वे प्राइवेट बसें नहीं चलती हैं, उनके लिए आपने लाइसेंस दे रखे हैं, तो वहां स्थिति यह है कि रोडवेज की जो मेन रोड पर बसें चलती हैं, वे खाली जाती हैं। प्राइवेट वालों की दादागीरी की वजह से रोडवेज में कोई नहीं बैठता। इसके कारण से हमको बहुत हानि हो रही है।

(श्री रमेश)

एक तरफ से आप पांच हजार बसों की बात कर रहे हैं और प्राइवेट वाले आपके रोडवेज़ बस स्टैंडों पर आ जाएंगे तो आपकी बसें खाली घूमेंगी। इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में स्थिति यह है कि जब हमारी राजस्थान की रोडवेज बसें मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करती हैं तो वहां प्राइवेट के लोग, जो एसोसिएशन बना रखी है, इसके कारण से हमारी बसों के दरवाजे तक नहीं खुलते हैं वहां पर और बसें खाली आती हैं। यह आप पता कर लेना आपके समय और पांच साल पिछले पुराने समय का। जबकि सरकार का 1999 का एक सर्कुलर है, उसमें रोडवेज़ बस स्टैंडों के दो किलोमीटर के एरिया में कोई भी प्राइवेट बस स्टैंड नहीं होगा। लेकिन फिर भी उनकी दादागीरी रहती है और हमारी रोडवेज़ बसें खाली रहती हैं।

तो मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि यह सरकार का दायित्व है कि आम पब्लिक को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराये। आपने जो सार्वजनिक उपक्रम की बात कही है कि इसके माध्यम से हम इसका विकास करेंगे, तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जब उनके एग्रीमेंट में इस तरह की बातें आ जाएंगी। अभी तक जो आपके रोडवेज़ में, चूंकि आप मंत्री रह चुके हैं, जब किराया बढ़ाया जाता है तो साल दो साल लग जाते हैं सिस्टम में, वहां तक पहुंचने में, आपके निर्णय होने में। ये तुरन्त हाथों-हाथ किराया बढ़ाएंगे और उसका भार जनता पर पड़ेगा।

मेरा आपसे निवेदन है कि समयबद्ध भी नहीं चल पाएंगी ये बसें। जब तक उसकी बस नहीं भरेगी, प्राइवेट वाले की तब तक वह आगे नहीं बढ़ेगा और आम आदमी को सुविधा की जगह असुविधा हो जाएगी।

एक बात आपने और कही कि 21 हजार 400 कर्मचारियों का जाब बना रहेगा। यह तो बिलकुल ठीक है, उसको नौकरी दी आपने तो नौकरी से तो निकाल नहीं सकते, लेकिन स्थिति एक दिन ऐसी आएगी कि आपको अन्य विभागों में उन कर्मचारियों को सरप्लस या मर्ज करना पड़ेगा। इस प्रकार की जो व्यवस्था है, आप कह रहे हैं कि हमारी पांच हजार बसें हैं और 21 हजार 400 कर्मचारियों का, इसके लिए भी हम एड देते रहेंगे, ये भी चलती रहेंगी। ऐसा सम्भव नहीं है कि आप इस व्यवस्था को कायम कर पाएंगे। जो रोडवेज़ का घाटा है उसको आप आगे बढ़ाना चाहते हो। घाटा आपका बढ़ेगा। दूसरी बात, आपने नई भर्ती की बात की है, तो आप जब प्राइवेट को इसमें ला रहे हैं तो फिर कैसे कर पाएंगे आप भर्ती?

(श्री रमेश)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि पब्लिक को, गरीब को, आम आदमी को जो सेवा मिल रही थी, अभी हमारी सरकार ने ग्रामीण परिवहन सेवा लागू की थी उससे आम फायदा मिला, आप अगर प्राइवेट में निजीकरण कर देंगे तो आम आदमी तो उसमें बैठ ही नहीं पाएगा। उसके लिए सुविधा नहीं, दुविधा हो जाएगी। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ऐसा निर्णय लें, जो आम आदमी को सुविधा मिले और परिवहन का जो आपका दायित्व है और हमारा भी दायित्व है। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, माननीय सपोटरा से आने वाले सदस्य ने जो विषय उठाया, वैसे तो काफी कुछ मैंने बोल दिया लेकिन उसके बावजूद भी आपने कहा कि किस तरीके से सुदृढ़ करेंगे। मैं हाउस में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो अपना बजट भाषण कहा, उसके कुछ अंश पढ़कर के सुना रहा हूं। उन्होंने यह कहा कि जो आज की तारीख रोडवेज़ का संचित घाटा है, वह 1 हजार 974 करोड़ रुपये है। रोडवेज़, राज्य सरकार से सहायता और ऋण लेकर, कर्मचारियों के पेंशन फण्ड से उधार लेकर और बैंकों से ऋण लेकर, किसी तरह से बसों का संचालन कर रहा है। इस स्थिति को सुधारना आवश्यक है। राज्य सरकार ने RSRTC के साथ एक Reform Linked Assistance कार्यक्रम तैयार किया है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से RSRTC के कर्मचारियों के Jobs पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने commitments की पूर्ति करने पर राज्य सरकार RSRTC को 10 करोड़ रुपये देगी। इसके साथ-साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि राजस्थान स्टेट बस-पोर्ट सर्विसेज कारपोरेशन (RSBSC) बनाएंगे और उसमें 360 करोड़ का प्रावधान भी किया है।

माननीय सदस्य ने यह कहा कि मनमाना किराया लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि अब जो प्रक्रिया राज्य सरकार लागू कर रही है और वर्तमान में जो है, वह प्राइवेट बसों को खुद का किराया निर्धारण करने का अधिकार नहीं होगा। वह ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो अधिकारी है और जो प्राधिकार बना हुआ है, वह ही दोनों का किराया निर्धारित करेगा, नई प्रक्रिया में।

(श्री युनुस खान)

उनको रेग्यूलेट करने का, इन सारे टर्मिनल्स के माध्यम से, चाहे वह निजी हो, चाहे रोडवेज हो और पूरे राजस्थान की समीक्षा करके, ग्रामीण क्षेत्र तक सारे परमिट, चाहे वह स्टेट फिफ्थ के भी परमिट दिए हुए पुराने, हमारे स्टेट कैरिज के सारे परमिट्स का और कान्ट्रेक्ट कैरिज के सारे परमिट्स की हम समीक्षा करेंगे। राजस्थान की जनता को कोई दिक्कत नहीं हो, उसका करेंगे।

लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि किस तरीके से आप भर्ती करेंगे, या नहीं करेंगे। यह रोडवेज का मैनेजमेंट है, इंडिपेंडेंट बाडी है, वह अपने संसाधन जुटाये, भर्ती करे, बसें खरीदे, राज्य सरकार की उस पर कोई रोक नहीं है। अगर उनके पास इस बात की गारंटी है कि हमें और बसें खरीदनी हैं, और कर्मचारी चाहिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में हम भर्ती पर जोर तो दे रहे हैं लेकिन जो पांच हजार बसें हैं उन पर साढ़े 21 हजार कर्मचारी हैं। आप देखिए, एक कर्मचारी की लगभग 60-70 हजार सैलेरी है। रोडवेज पर कितना संचयी घाटा, जब हम थे, हमारा पूरा पांच साल का जोडकर के 45 करोड़ रुपये का घाटा था, जब हम छोड़कर गये थे उस स्थिति में, उसमें, और आज लगभग साढ़े 1900 करोड़ का संचयी घाटा हो गया।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार बिलकुल फिर आश्वस्त करती है कि किसी भी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है और माननीय सदस्य कोई भी राज्य सरकार को इस विषय में राय देंगे बसों के संचालन में, मध्य प्रदेश का आपने जिक्र किया, माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां तो पूरी की पूरी निजी बसें चलती हैं। इसलिए हम मध्य प्रदेश का भी अध्ययन कर रहे हैं; हम हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब जिसमें 60:40 का रेशो है उसका भी अध्ययन कर रहे हैं। जो माडल स्टेट हैं, तमिलनाडु है, उसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं। इन सबका अध्ययन करके बिलकुल पूरे इस तरीके का माडल लेकर आएंगे जिससे राजस्थान की जनता को असुविधा न हो।

यही बात कहते हुए, आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री शत्रुघ्न गौतम।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

पीपला ग्राम पंचायत (केकड़ी) की वर्ष 2006 से लेखा परीक्षा

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत पीपलाज जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में है और आपके विधान सभा क्षेत्र से भी सटी हुई है, वहां का जो सरपंच, 2005 से 2010 का जो उसका कार्यकाल रहा, सूचना के अधिकार के नियम-कानून की यदि कोई धज्जियां उड़ाईं तो उस व्यक्ति के द्वारा उड़ाई गई हैं। वह कांग्रेस पार्टी का ब्लाक का महामंत्री है और 2005 से 2010 तक जो उसके द्वारा कार्य कराये गये, उन कार्यों की पंचायत समिति के अन्दर ग्राम पंचायत की कभी आडिट नहीं हुई। वहां से आने वाले पूर्व मुख्य सचेतक थे वे उनके मित्र हैं, समय के चलते 2010 में प्रधान उनकी मां बन गईं और उसके बाद पंचायत की आडिट नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप नाम ले रहे हैं ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी सदस्य का नाम नहीं ले सकते जो सदन का सदस्य नहीं हो। (व्यवधान) पूर्व मुख्य सचेतक और क्या होता है नाम?

श्री अध्यक्ष: नाम लिया है तो उसको ड्राप कर दें। नाम अंकित नहीं होगा।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): ...(व्यवधान) नाम नहीं लिया है मैंने।

उस प्रधानजी की सूचना के अधिकार में नकल मांगी गई, सूचना के अधिकार में नकल उपलब्ध नहीं हुई। ग्राम सेवक को मानसिक रूप से इतनी वेदना सहन करनी पड़ी। एक बार उसने 15 हजार रुपये इसके लिए जुर्माना भुगता। दुबारा उसने 30 हजार रुपये जुर्माना भुगता और 13.3.2013 को उसने जुर्माना जमा कराया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जुलाई, 13 में उसने सुसाइड कर लिया, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु का रफा-दफा करके, उसको यह कहा गया कि आपके बेटे की नौकरी नहीं लगेगी, आपकी जगह सेवा में आपका बेटा नहीं आ पाएगा और मानसिक रूप से उस पूरे परिवार को दबाया गया।

यह सदन में सवाल के माध्यम से जब मैंने मांगा कि आडिट हुई है या नहीं हुई है, तो वहां से पंचायत ने कहा कि आडिट नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कानून की, जब एक तरफ सरकार की गरीब की सोच रहती है कि अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचे, लेकिन इस तरह नियम-कानूनों की धज्जियां उड़ाई गईं।

(श्री शत्रुघ्न गौतम)

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें एक पांच जनों की कमेटी बनाकर निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, भौतिक सत्यापन होना चाहिए कि कितने ग्राम पंचायत में हुए और उसकी लायबिलिटी क्या है? क्यों नहीं पंचायत की आडिट हुई? और जो भी अधिकारी उस समय ग्राम पंचायत में, चाहे बी डी ओ रहे, पंचायत समिति में बी डी ओ, जिला परिषद का सी ई ओ हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो। समय रहते समयावधि के अन्दर, पन्द्रह दिन, बीस दिन, एक महीने में इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मैं मंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पीपलाज पंचायत का विषय उठाया है, 2005-06 का आडिट तो हुआ है, 2006 से लेकर 2010 तक का आडिट नहीं हुआ है। जो सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगने का प्रयास किया, वह सूचना समय पर नहीं दी, इसलिए वहां के ग्राम सेवक पर राज्य सूचना आयोग ने पच्चीस हजार का जुर्माना लगाया और वह उसने मार्च, 2013 में जमा करा दिया। उसके बाद माणकलाल जो ग्रामसेवक था, उसकी इस जुलाई में मृत्यु हो गई।

मैं सदन के माध्यम से माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि जो 2006 से लेकर 2010 तक की आडिट नहीं हुई है, वहां के सारे रिकार्ड को लेकर के, मैं अपने यहां से टीम भेज कर के, उसके सारे के सारे रिकार्ड की निश्चित रूप से उसकी आडिट होगी और आडिट में जो भी, जहां भी, जिसका दोष मिलेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन राठौड़।

सुमेरपुर की कतिपय ग्राम पंचायतों को विभिन्न नगरपालिका/नगर परिषद में लिया जाना

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में नगरपरिषद, नगरपालिका, इनके साथ में कई गांवों को पेरिफेरी एरिये में जोड़ दिया गया। ये पेरिफेरल कहें, पेरिफेरी कहें, या मास्टर प्लान में जिनका ले लिया गया है, ये नगरपालिका की सीमा, जो परिधि होती है, राउंड एरिया,

(श्री मदन राठौड़)

उससे कई किलोमीटर दूर तक उन गांवों को उसमें जोड़ दिया गया। उनमें इन गांवों में कोई भी विकास का काम करें तो विकास शुल्क ये नगरपालिकाएं लेती हैं। वहां कोई प्रतिष्ठान है तो उसके अन्दर, इनर सर्किल के अन्दर भी डवलपमेंट का चार्जेज नगरपालिकाएं वसूलती हैं; वहां बिजली पहुंचाने का ये नगरपलिकाएं पैसा वसूलती हैं और वहां पर सड़क बनाने का भी नगरपालिकाएं पैसा वसूलती हैं। नगरपालिकाएं उसमें करती कुछ भी नहीं हैं, वहां कोई विकास नहीं करतीं। वहां पर यदि कोई कालोनी बसाएं, गांव में ग्रामीण क्षेत्र में तो पट्टे भी नगरपालिका जारी करेगी, जबकि नगरपालिका को कोई अधिकार वहां नहीं होना चाहिए। उस ग्राम पंचायत को यदि वह पैसा मिले तो वह ग्राम पंचायत वहां पर विकास करेगी, अथवा उस ग्राम को ही कह दिया जाए, या प्रतिष्ठान को कहा जाए तो वह अधिक विकास कर सकेगा।

मैं सोचता हूं कि यह बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उन ग्रामों के साथ में। तो इस विषय पर सरकार को पुन: कोई न कोई संशोधन करना चाहिए, अपनी स्थिति भी स्पष्ट करनी चाहिए कि कहां पर मास्टर प्लान लगेगा, पेरिफेरी एरिया कितना होगा। यह भी अभी तय नहीं है। नगरपालिका के लिए कहते हैं कि उसकी परिधि से बाहर एक किलोमीटर तक होना चाहिए; नगरपरिषद में कहते हैं कि तीन किलोमीटर, लेकिन दस-दस किलोमीटर दूर तक गांवों को उसमें ले लिया गया है। वहां पर किसी भी प्रकार का जो विकास है, वे नगरपालिकाएं करती नहीं हैं, पैसा नगरपालिकाएं वसूलती हैं।

तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस विषय पर कैसे, अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि अब आखिर किस प्रकार से उन गांवों का विकास हो सकेगा, किस प्रकार से वहां पर कोई निवेशक आकर के निवेश करना चाहे, तो भी एक समस्या में हो जाएगा। जबकि एन ओ सी उस पंचायत से लेते हैं, एन ओ सी ग्राम पंचायत से लेनी पड़ती है, फिर नगरपालिका से और लेनी पड़ती है। ये दो-दो जगह से एन ओ सी लें। कन्वर्सन का पैसा जिला कलक्टर ले नहीं सकता, जिला कलक्टर के पास में पैसा जमा कर नहीं सकते, वह पैसा नगरपालिका में या नगर परिषद में जमा करायें। मैं सोचता हूं कि ये उन ग्रामों के साथ अन्याय है।

इसका स्पष्टीकरण दें, कृपया, मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से माननीय सदस्य ने जो समस्या उठाई है, विभाग भी इस बारे में निरन्तर विचार कर रहा है। कारण यह है, सोचा तो यह गया था कि नगर का विकास होगा, उसका पेरिफेरी एरिया बढ़ेगा और उसका मास्टर प्लान आगे का, बीस साल का प्रोजेक्ट ध्यान में रख कर के, कहीं अव्यवस्थित विकास न हो, इस बात को ध्यान में रख कर पेरिफेरी एरिया को मिलाया। लेकिन उसके कारण से उन पंचायतों का विकास जरूर रुका है, उनका काम रुका है।

मैं सदन के माध्यम से माननीय सदस्य को विश्वास दिला रहा हूं कि इस समग्र नीति बनाने के बारे में विभाग विचार कर रहा है कि इन दोनों समस्याओं को कैसे सामने रख कर के, गांव का विकास भी नहीं रुके और आने वाले विकास में अवरुद्धता न आये, इसको ध्यान में रख कर के विभाग ने समग्र नीति बनाने का काम प्रारम्भ कर दिया है। बहुत जल्दी इसके बारे में हल निकाल लेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेश सिंह रावत।

कृषि विपणन बोर्ड, वृत्त अजमेर के विघटन पर रोक

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर मुख्यालय पर राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड वृत्त कार्यालय वर्ष 1993 से स्थापित है। जब अजमेर वृत्त मुख्यालय की स्थापना की गई थी, तब यह चार खण्डों में विभक्त था। खण्ड सीकर में जिला सीकर, झुंझुनूं, चूरू; खण्ड चित्तौड़गढ़ में जिला चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़; खण्ड उदयपुर में जिला उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमन्द, डूंगरपुर; खण्ड अजमेर में जिला अजमेर और नागौर; लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगस्त, 2008 में बोर्ड मुख्यालय, जयपुर के आदेश क्रमांक 9834/86, दिनांक 7 अगस्त, 2008 द्वारा अजमेर वृत्त के अधीन खण्ड से सीकर खण्ड को बिना किसी कारण के अलग करते हुए, तीन जिले, सीकर, झुंझुनूं, चूरू को हटा कर वृत्त जयपुर के अधीन कर दिया गया था, जो आज दिनांक तक भी यथावत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर सम्भाग की मंडियों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच के उद्देश्य से अजमेर मुख्यालय पर गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी, जहां पर एक पद सहायक

(श्री सुरेश सिंह रावत)

अभियंता, गुण नियंत्रण एवं एक पद कनिष्ठ अभियंता, गुण नियंत्रण का पदस्थापन किया गया था, परन्तु इन दोनों ही पदों को दिनांक 11.7.2014 को जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि अजमेर सम्भाग की मंडियों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच किस प्रकार होगी एवं लाखों की लागत से स्थापित प्रयोगशाला का किस प्रकार उपयोग होगा, इस बात का भी ध्यान नहीं रखा गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद भी विघटन की कार्यवाही लगातार जारी रखते हुए, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक 2017/53 दिनांक 18.7.2014 द्वारा अब खण्ड चित्तौड़गढ़ को, इसके अन्तर्गत जिला भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ की मंडियों के कार्यक्षेत्र आते हैं, इसको भी अजमेर वृत्त से हटा कर जयपुर वृत्त के अधीन कर दिया गया है, जिसका कोई कारण कार्यालय के आदेश में नहीं लिखा गया है।

इस प्रकार, अजमेर वृत्त में केवल दो ही खण्ड, अजमेर और उदयपुर का कार्यक्षेत्र ही शेष बचा है, जबकि भौगोलिक दृष्टि से भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ उदयपुर के रास्ते में होने के कारण इस क्षेत्र को जयपुर के अधीन किया जाना किसी भी दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, वृत्त अजमेर के दिनांक 14.7.2014 व 18.7.2014 द्वारा जारी किये गये, आदेश से किये गये विखण्ड निरस्त कराने का कष्ट करावें। क्योंकि यदि यह विघटन नहीं रोका गया तो आने वाले समय में, जिस प्रकार कई अन्य विभागों में अजमेर सम्भाग मुख्यालय से कार्यभार कम किया जा रहा है, इसी प्रकार की पुनरावृत्ति इस विभाग में भी की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी उल्लेखनीय है कि अजमेर कृषि विपणन बोर्ड के अन्य मुख्यालयों पर स्थित सभी वृत्त कार्यालयों के अधीन तीन या इससे अधिक खण्ड कार्यालय कार्यरत हैं, जबकि अजमेर वृत्त के अधीन अब केवल दो ही खण्ड, अजमेर व उदयपुर रह गये हैं। यही नहीं, इस वृत्त का कार्यभार भी बोर्ड के अन्य वृत्त कार्यालयों के कार्यभार से अब बहुत कम कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिर अजमेर सम्भाग मुख्यालय के साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार कब तक किया जाता रहेगा? यह सोचनीय विषय

(श्री सुरेश सिंह रावत)

है। उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि येन-केन-प्रकारेण राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, अजमेर को खुर्द-बुर्द किये जाने की कार्यवाही वर्ष 2008 से लगातार जारी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि कृषि विपणन बोर्ड, अजमेर के तहत वर्ष 2008 की स्थिति के अनुसार ही बहाल करने की घोषणा माननीय मंत्री महोदय आज सदन में करें।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने पर्ची के माध्यम से जो चिन्ता व्यक्त की है, वास्तविक स्थिति यह है कि अभी अजमेर में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर का हैडक्वार्टर बना हुआ है और उसके अण्डर में उदयपुर, चित्तौड़ और अजमेर, तीनों खण्ड उसमें सम्मिलित किये हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, वहां एस ई पदस्थापित है, उसने पिछले 6 माह से बीमारी के कारण से छुट्टी ले रखी है। उसके बाद तीन महीने की और उसने छुट्टी मांगी है। इसी कारण से, उसका चार्ज था, वह एक्स ईएन अजमेर हैडक्वार्टर को दिया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हाल ही में चित्तौड़ में जो एक्स ईएन पद-स्थापित था, उसको ए सी बी ने ट्रैप किया। उसके कारण से वह सीट भी वहां पर खाली हो गई। सीट खाली होने पर चित्तौड़ के एक्स ईएन का चार्ज टोंक डिविजन को दिया गया टोंक वर्तमान में जयपुर डिविजन में पड़ता है। जब उसको चित्तौड़ का भी दिया, तो अभी एक तात्कालिक व्यवस्था के लिए, सिर्फ इसको दोनों को चार्ज एक स्थान पर करने से, एक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए किया गया है।

मेरा इतना आपसे निवेदन होगा, एस ई जब आएंगे, तो निश्चित रूप से एस ई का कार्यालय, अजमेर खण्ड वृहद बना हुआ है, किसी भी प्रकार की उसमें छेड़छाड़ नहीं की गई है, उसको तोड़ा नहीं जाएगा। कार्यकारी व्यवस्था के रूप में इसको किया गया है।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): मंत्री महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीराम भींचर।

मकराना गोलीकाण्ड के नामजद मुलजिमान की गिरफ्तारी का अभाव

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि घटना दिनांक 1.6.2014 की है। श्री भंवरलाल करोड़लिया, जो हनुमानजी की ढाणी मकराना का निवासी है, शाम को करीब साढ़े सात-आठ बजे अपने घर जा रहा था, कि छोटूराम मेमोरियल अस्पताल के पास असामाजिक तत्व, तीन जनों ने मोटर साइकिल पर सवार होकर उसका पीछा किया और उसके पीछे से गोली मारी। गोली लगते ही वह आदमी घायल हो गया और घायल होने के बाद, जो पड़ोस में लोग बैठे थे, उन्होंने घायल भंवरलाल को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने के बाद डाक्टर ने पुलिस थाने को सूचना दी। आधे घण्टे बाद पुलिस वहां पहुंची और भंवरलाल के बयान लिये। बयान में भंवरलाल ने तीन आदमियों के, नामजद नाम बताए। उसके बाद एफ आई आर नं. 202/14 दर्ज की गई। उसके बाद, पुलिस वालों ने तीनों व्यक्ति जो नामजद हैं, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की।

तीन व्यक्ति जो नामजद हैं, उनकी काल डिटेल निकलवाकर, दिन भर जिन लोगों से उनकी बात हुई, एक-एक आदमी को पुलिस थाने बुलाकर उनको यह धमकियां दी गईं कि आपका काल डिटेल के अन्दर नाम है, आपने इससे बात की है, आप इस मुक़दमे में शामिल हो, इसलिए आप अगर निकलना चाहते हों, पैसे दो और निकलो। इस तरह थानाधिकारी ने सैकड़ों आदमियों से 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार रुपये लूटे। मकराना के अन्दर पूरे लोगों में इतनी दहशत फैला दी कि किसका नाम आएगा कि नहीं आएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आज दो महीने हो गये और तीन आदमी नामजद हैं, उनके खिलाफ आज तक कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि जो यह लूटपाट की जा रही है, वह कब बंद होगी; जो नामजद मुलजिम हैं उनको कब तक गिरफ्तार किया जाएगा, यह आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, उसमें कई चीजें सच हैं। 1.6 की यह घटना थी। उस घटना में जो एफ आई आर उन्होंने लिखाई थी,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

उसमें इन मुलजिमों के नाम उन्होंने पहली एफ आई आर में लिखें। पुलिस तफ्तीश तो कर रही है लेकिन जो कुछ जवाब मेरे पास भेजा, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। निश्चित रूप से मैं यहां से किसी अधिकारी को भेजकर इस प्रकरण में, दो महीने हो गए, चलती गाड़ी पर पीछे से गोली मारी और उसके बाद भी अगर दो महीने तक मुलजिम ट्रेस-आउट नहीं होता है, तो हमारी वर्किंग पर निश्चित रूप से लोगों का विश्वास उठेगा।

मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं, मेरे पास यहां जो भी अच्छा व्यक्ति है, उसको भेजकर इस प्रकरण को दिखाएंगे और वहां से तफ्तीश हटाएंगे। उसमें जो भी मुलजिम होगा, क्योंकि लोकेशन के आधार पर तो जो भी टेलीफोन काल निकालें, उस समय किसी का काल जोधपुर आ रहा था, किसी का और कहीं आ रहा था। काल डिटेल से तो अभी तक वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। कई बार जो चतुर लोग होते हैं, वे अपना टेलीफोन कहीं और जगह रखकर भी वारदात कर डालते हैं। इसीलिए इस प्रकरण में यहां से कोई अधिकारी भेजकर इस प्रकरण की जांच कराएंगे; जो दोषी होंगे, उनको हम किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। इतना आपको भरोसा दिलाता हूं।

श्री अध्यक्ष: बेनीवाल साहब, आपको सूखे के वक्त इजाजत चाहिए ना?

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): अध्यक्ष महोदय, एक विशेषाधिकार हनन की सूचना आपके समक्ष..

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, मैं आज की कार्यवाही कर दूं, फिर आप।

मिस्टर धीरज गुर्जर, आपने चिट भेजी है, बोल लीजिए। आपको सूखे पर दूंगा बोलने का।

सूचना

सरस्या ग्राम पंचायत में फर्जी स्टेट BPL कार्ड बनाने बाबत

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सम्मानीय अध्यक्ष महोदय का मैं मौका देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अपनी बात बोलो, धन्यवाद नहीं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): एक गम्भीर विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ग्रामीण विकास मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, फर्जी बी पी एल कार्ड बनाने का एक मामला मेरे सामने आया है जिसमें ग्राम पंचायत सचिव ने 50

(श्री धीरज गुर्जर)

के लगभग स्टेट बी पी एल और बी पी एल कार्ड जब्त किये हैं जो सरपंच ने खुद ही जारी कर दिये, जबकि बी पी एल कार्ड जारी करने के लिए अपील होती है, उस अपील पर उप खण्ड अधिकारी निर्णय करता है, जिला सी ई ओ कार्यालय के अन्दर वे भेजे जाते हैं और वहां से बी पी एल कार्ड के नम्बर आते हैं। मेरे पास वह जब्त करने की सूची भी है, मैं सदन पटल पर रखूंगा।

मैं आपसे बताना चाहता हूं, तहसील जहाजपुर की ग्राम पंचायत सरस्या के सरपंच द्वारा अपने चहेतों को लाभ देने के लिए, जो कि वर्तमान में ए पी एल हैं, उनको बी पी एल और स्टेट बी पी एल के कार्ड जारी कर दिये और उसके आधार पर विगत कई समय से वे लोग राशन डीलर के यहां से राशन उठा रहे हैं। एकाध के मकान भी, उन्होंने सैंक्शन करने के लिए पांच हजार रुपये ले लिये लेकिन जब उन्होंने एप्लाई किया, जिला कार्यालय में उनका फार्म गया तो उसमें पता लगा कि ये नम्बर तो बी पी एल कार्ड के हैं नहीं, ये तो किसी और व्यक्ति के बी पी एल कार्ड हैं।

इस तरह फर्जी बी पी एल कार्ड जारी करने का मामला है। उसमें विगत दिनों सचिव ने डीलर के यहां पर, राशन कार्ड का दिया हुआ कागज भी मैं यहां सदन पटल पर टेबल करूंगा ताकि वह ग्रामीण विकास मंत्री तक पहुंचे, फर्जी बी पी एल कार्ड। अब इस मामले को राजनैतिक संरक्षण देकर बचाने का प्रयास किया जा रहा है।

मैं ग्रामीण विकास व पंचायत मंत्रीजी से मांग करना चाहता हूं कि जो फर्जी बी पी. एल असत्य कार्ड जारी किये गये हैं, जिनको ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी ने 7.10.2013 को जब्त कर लिया, जो वर्तमान में ग्राम पंचायत के अन्दर पड़े हुए हैं, जिनकी शिकायत हो चुकी है, लेकिन अधिकारी इस मामले में कार्यवाही नहीं कर रहे। यह सरस्या ग्राम पंचायत, वही ग्राम पंचायत जिस ग्राम पंचायत के अन्दर नरेगा में सप्लाई का ठेका बी पी एल व्यक्ति को दे दिया; जो आदमी बी पी एल है, वह नरेगा के अन्दर करोड़ों रुपये की सप्लाई कैसे कर सकता है? बी पी एल आदमी के नाम पर लाखों-करोड़ों का नरेगा सप्लाई के अन्दर बिल लगाकर उसका भुगतान उठा दिया। इन सब मामलों की जांच करवाना चाहता हूं।

इसी ग्राम पंचायत के अन्दर राज्य सभा मेम्बर ने दो लाख रुपये

(श्री धीरज गुर्जर)

सामुदायिक भवन निर्माण के लिए दिये। उससे ग्राम पंचायत के सरपंच ने अपने स्तर पर तीन दुकानें बना दीं और उन दुकानों का किराया वह उठा रहा था। शिकायत होने पर तत्कालीन विकास अधिकारी ने जांच की और जांच के बाद में उसको दोषी माना।

इन प्रकरणों में आज तक कार्यवाही नहीं हो पा रही है। मैं ग्रामीण विकास मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप इसके ऊपर कार्यवाही करावें। ये जो जब्ती के हैं, यह अगर आप कहें तो मैं सदन की टेबल पर कर दूं, या व्यक्तिगत रूप से आपको देने को तैयार हूं। मैं अपने कागज टेबल करना चाहता हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया, उसके सारे कागज मुझे दें। मैं निश्चित रूप से जांच कराऊंगा। सदन के सभी सदस्यों को भी अपनी तरफ से आमंत्रित कर रहा हूं कि जहां भी मेरी पंचायत में कहीं भी आपको कोई गड़बड़ी लगे, आप निश्चित रूप से मुझे पत्र के द्वारा सूचित करें। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि इस डिपार्टमेंट को जितना साफ किया जा सकता है, उतना साफ करूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री बनवारी लाल। आप बोलना चाहते हैं ?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: नहीं, उस समय, जब चर्चा चले।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मेरा गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष: सूखे की चर्चा चले, तब। विराजिए आप।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: आप दोनों में से तय कर लो, कौन पहले बोलेगा।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): दैनिक अख़बार में विधायकों की छवि धूमिल करने का प्रयास किया है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम...

श्री अध्यक्ष: आप बाद में बोल लेना।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): ठीक है।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

'दैनिक भास्कर' द्वारा विधायकों की छवि धूमिल करने के सम्बन्ध में

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 157 के अन्तर्गत मैंने एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आज आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। मेरा यह निवेदन है, इस सदन के सदस्य के नाते जो अधिकार हम लोगों को, विधायकों को सदन के द्वारा प्रदत्त हैं, उन अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए 'दैनिक भास्कर' समाचार पत्र ने मेरे एक प्रश्न को इंगित करते हुए, उसको निशाना बनाते हुए, जो मैंने इस बाबत पूछा है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में बसी हुई जो कालोनी है, वहां जलदाय विभाग पेयजल कनेक्शन उपलब्ध नहीं करवा रहा है। यह केवल मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला नहीं है, यह पूरे राजस्थान का मामला है। एक किसी नियम का बहाना लेकर जलदाय विभाग कृषि क्षेत्र में बसी कालोनियों को कोई कनेक्शन नहीं दे रहा है।

चाहे वह नगर परिषद और नगर विकास न्यास के द्वारा नियमित हो गई हैं, या अनियमित कालोनी है, पेयजल लोगों की एक मूलभूत आवश्यकता है जिसे उपलब्ध कराना हम सब लोगों की जिम्मेदारी भी है। राज्य सरकार ने जो बहाना लिया है, उसके खिलाफ मैंने प्रश्न लगाकर उस समस्या को इंगित करने का प्रयास किया।

'दैनिक भास्कर' ने मुझको इस तरह से प्रस्तुत करके, मेरी छवि अपने क्षेत्र में और अपने साथी सदस्यों के बीच खराब करने का काम किया है, जो कि 'दैनिक भास्कर' का मेरे अधिकारों पर अतिक्रमण और इस सदन के द्वारा मुझको प्रदत्त अधिकारों का हनन करने की प्रक्रिया है। मेरी मांग है, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव जो मैंने आपके समक्ष रखा है, दैनिक भास्कर के खिलाफ लाया जाए। मेरी अधिकारों की सुरक्षा की जाए।

श्री अध्यक्ष: अलका सिंह।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): अध्यक्ष महोदय, यही विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव मैंने भी आपके सामने लगाया है। यह कहा गया है कि मैं यहां पर रहती हूं, इसलिए मैंने इस तरह का सवाल उठाया है। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहती हूं कि किसानों के हित से जुड़ी हुई बात अगर हम

(श्रीमती अलका सिंह)

उठा देते हैं और हम किसान हैं तो क्या यह हमारा अधिकार नहीं है? हम चुने हुए जन-प्रतिनिधि हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाने का सदन में हमारा अधिकार है। इन अधिकारों का, अब क्या हम इस 'दैनिक भास्कर' से पूछकर मुद्दे उठाएंगे कि हमें कौन से सदन में उठाने हैं और कौन से नहीं उठाने हैं?

यह जो कोचिंग संस्थानों का मामला था, ये लोग जे.डी.ए. में मिल चुके थे, नगर निगम के अधिकारियों से मिल चुके थे, ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों से मिल चुके थे। चूंकि मैं भी यहीं आस-पास रहती हूं तो मुझसे भी जन-प्रतिनिधि होने के नाते ये लोग मिले थे। जन हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अभी थोड़े दिनों पहले यह पब्लिक हैजार्ड हो गया था, क्योंकि यहां पर अग्नि -शमन यंत्र नहीं थे। आग लग जाए तो बहुत मुश्किल स्थिति हो सकती है। इसके अतिरिक्त, पानी और बिजली के डोमेस्टिक कनेक्शंस ये लोग यूज में ले रहे हैं। तो यह निश्चित रूप से प्रदेश के लिए रेवेन्यू लास का मामला है। यह जनता की गाढी कमाई है, उसके दुरुपयोग का मामला है। हाई-कोर्ट ने कहा है, 40 फीट से कम रोड्स पर ये कोचिंग संस्थान नहीं चल सकते। तो क्या हाई कोर्ट भी, मैं इस अख़बार से पूछना चाहूंगी, 'भास्कर' से कि क्या हाई-कोर्ट का भी कोई निजी हित है।

निश्चित रूप से सदन के द्वारा जो मुझे विशेषाधिकार दिया गया है जन हित के मुद्दों को उठाने का, उसका यह हनन है। मैं आपका संरक्षण चाहूंगी, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप बोलेंगे?

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): अध्यक्ष महोदय, इसी सम्बन्ध में। मेरा भी इन्होंने आज गलत छापा था। उसमें न तो मेरा कोई मुहाना मण्डी के अन्दर या कृष्णा सागर में कोई प्लाट है, न कोई ऐसी बात है। लेकिन उसके बावजूद, हमें डिफेम करने की नीयत से इन्होंने मेरा भी इसमें हवाला दिया था कि अर्जुन लाल गर्ग ने अपने बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र के क्वेश्चन नहीं पूछे, जबकि इस विधान सभा में 11 तारीख से निरन्तर आज तक प्रत्येक प्रश्न-पत्र में मेरा क्वेश्चन आ रहा है। बिलाड़ा विधान सभा के लिए। लेकिन उन्होंने ऐसा गलत गुमराह किया जनता को इसलिए मैं भी विशेषाधिकार हनन के तहत मामला दर्ज करवाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अमरारामजी।

श्री अमराराम (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जब मैंने 'भास्कर' पढ़ा, यह जो बात थी, वह अनुदान की बात थी, कोई मेरे निजी के लिए नहीं; बल्कि आम काश्तकारों के लिए मैंने तो अपने भाषण में कृषि के समय मांग की थी और उन्होंने कोई निजी के बारे में यह कहा। यह बिलकुल ही नहीं, बल्कि आम जनता के हित की बात कही थी।

इसके अलावा, जनसंख्या के बारे में, उन्होंने यह जो दो बच्चों के बारे में पूछा, तो मैंने यही बताया कि दो बच्चों के लिए जो प्रावधान बनाया गया 1996 में, यह हमारे पंचायती राज विभाग में और अन्य विभागों के लिए यह बहुत अच्छा है। मैं 'एक या दो बच्चे, लगते घर में अच्छे, यह बात मैंने उनको कही।

उसके साथ में, यह जो अनार की बात आई, तो मैंने कहा, यह अनुदान है, वह हमारी सरकार काश्तकारों को अनुदान देती है, हमने मांग की है। वह सबके लिए मांग की है।

उसके अलावा, सौर ऊर्जा पर 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत हमारी सब्सिडी कर दी।

तो काश्तकारों के हित की बात कही मैंने, न कि मैंने कोई व्यक्तिगत बात कही। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। घनश्यामजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, इस संवेदनशील विषय पर मैं निवेदन करते हुए, आपसे एक प्रार्थना करूंगा कि न तो मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न दिया है और आपने अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। क्योंकि मेरा भी उसमें छपा है, इसलिए मैं दो-तीन बात आपको निवेदन करना चाहूंगा।

पहली बात तो यह है, अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों के जो हमारे नियम हैं, उन नियमों में 25 इस तरह की बातें दी गई हैं कि इन 25 बिन्दुओं पर अगर कोई बात होगी तो प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न को स्वीकार करता है सचिवालय, जिस पर यहां चर्चा नहीं होती। अब जब प्रश्न आ गया और प्रश्न का जवाब आ गया, उसके बाद में एक रूलिंग सिर्फ अपने राजस्थान विधान सभा के जो माननीय अध्यक्ष हैं, निरंजन नाथजी आचार्य, उनका 406 नम्बर पर, प्रश्नों के बारे में एक रूलिंग दी गई है। उस रूलिंग में साफ कहा है कि यहां कई तरह के प्रश्न माननीय सदस्य उठाते हैं, कई सार्वजनिक महत्व के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

होते हैं, जिनको पूछने का उनको अधिकार है। प्रश्न यह उठा था कि किराये के मकान में स्कूल चलता है। एक माननीय सदस्य का भी किराये का मकान था, तो उन्होंने जनरल स्कूलों के बारे में प्रश्न पूछा। उन्होंने एक व्यवस्था दी कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

मैं इस बात को मानता हूं कि सदन के पटल का उपयोग व्यक्तिगत हित में बिलकुल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन सदन के पटल का सार्वजनिक हित के लिए उपयोग करने वाले माननीय सदस्यों को इंगित भी नहीं किया जाना चाहिए।

अब, अध्यक्ष महोदय, कल यहां मैं मामला उठाता हूं कि प्रदूषण फैल रहा है, प्रदूषण को रोका जाए। एक कोई भी लिखेगा, घनश्याम तिवाड़ी का बच्चा हवा में सांस लेता है, इसलिए प्रदूषण का मामला उठा रहे हैं। यहां पर ओले पड़ते हैं कई बार, अपने क्षेत्र में ओले पड़ते हैं, अपने क्षेत्र की मांग उठाते हैं; उसके क्षेत्र में भी ओले पड़ गये, तो लिखेगा कि उसके खेत में भी ओले पड़ गये, इसलिए मांग उठा रहा है। महंगाई बढ़ती है, महंगाई पर सब माननीय सदस्य चर्चा करते हैं और चर्चा करते समय यह कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है; वे कहेंगे, महंगाई में इनका बच्चा बिस्कुट लेने जाता है, बिस्कुट महंगा मिलता है, इसलिए विधान सभा के पटल का दुरुपयोग करते हैं। यह हम दुरुपयोग नहीं करते हैं। यह उनके समझ के ऊपर है।

आज का जो यह प्रश्न है, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, सदन हमेशा उदार रहता है और माननीय सदस्यों को भी उदार होना चाहिए। आपकी अपनी बात आ गई है, हमको विशेषाधिकार के लिए प्रेस नहीं करना चाहिए। उन्होंने उठा लिया, हमने हमारी बात कह दी।

अध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। इन्होंने एक बात लिख दी कि घनश्याम तिवाड़ी का बच्चा जैविक खेती करता है। इनको इतना पता नहीं है कि मेरा बच्चा, जिस आशीष तिवाड़ी का नाम लिखा है, वह मोनाश यूनिवर्सिटी, आस्ट्रेलिया में बिजनेस इंफार्मेशन टेक्नोलोजी में डिग्री करके आया हुआ है। एक। दूसरा, जैविक खेती के लिए आठ हजार, तीन हजार और दो हजार, इतना प्रति हैक्टेयर मिलता है। इस अनुदान को लेने के लिए मैं विधान सभा में प्रश्न उठाऊंगा? यह तो उनकी बुद्धि पर ही ओले पड़े हैं। दूसरा, इसके लिए यहां उठाने की जरूरत क्या है? जो सारे, इंटरनेट और इनको जानते हैं, वे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

एक क्लिक करेंगे और सरकार की क्या-क्या योजनाएं हैं, उसमें आ जाएंगी। यह पहले कोई जमाना था जब विधान सभा के प्रश्न का, यहां हम विधान सभा में प्रश्न इसलिए उठाते हैं कि वह जैविक खेती, जो किसानों के लिये लाभ की है, यहां उठाएंगे तो समाचार-पत्रों में छपेगी, तो जो इंटरनेट का प्रयोग नहीं करने वाले और वेबसाइट पर नहीं जाने वाले किसान हैं, वे इसको नहीं देख पाएंगे, वे किसान इसको देखेंगे।

हम यहां पर सार्वजनिक हित के मुद्दे उठाते हैं और सार्वजनिक हित के मुद्दे उठाते रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इसमें निहित स्वार्थ है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, एक छोटा-सा शेर करके बात खतम करूंगा, रकीबों ने, यह खबर इस प्रकार की है, रकीबों ने रपट की है, जा-जाकर थाने में, रकीब कहते हैं जो मजबूत आदमी हों, जो पहुंच वाले आदमी हों, जिनके हाथ में कलम हो, तगड़ी, उनको रकीब कहते हैं, सरकारी आदमी। (व्यवधान) संभ्रांत नहीं, रकीब।

रकीबों ने रपट की है, जा-जाकर थाने में,
कि अकबर नाम लेता है, खुदा का इस जमाने में।

इस जमाने में सार्वजनिक हित की बात करते हो! व्यक्तिगत हित की बात करो, नहीं तो हम छाप देंगे। यह इस प्रकार का है।

अंत में, मैं यह कहूंगा कि न तो उनके प्रति हमारी कोई दुर्भावना है। इतना-सा मेरा आग्रह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि अगर शुचितापूर्ण पत्रकारिता है तो जिस स्थान पर आज माननीय सदस्यों के फोटो देकर वह छापी है, उसी स्थान पर माननीय सदस्यों के फोटो देकर, विधान सभा में उनके किये हुए खंडन को छापेंगे, तब तो पता लगेगा कि यह शुचितापूर्ण है और नहीं छापेंगे तो पता लगेगा कि निहित स्वार्थों से परिपूर्ण है।

इसलिए माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि इतना होने के बाद में, उनको विशेषाधिकार के प्रश्न पर जोर नहीं देना चाहिए, उदारता का प्रकटीकरण करना चाहिए। उनका स्पष्टीकरण हो गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा और एक बात कहकर समाप्त करता हूं, न्यायार्थ पथ प्रविचलन्ति, पदम न धीरा; हम न्याय के पथ पर हैं, समाज के लिए और समाज की सेवा के लिए, कोई कुछ भी लिखे, हम न्याय के पथ पर चलते रहेंगे। धन्यवाद।

व्यवस्था

'दैनिक भास्कर' द्वारा विधायकों की छवि धूमिल करने के सम्बन्ध में प्राप्त विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द

श्री अध्यक्ष: इस विषय में मेरी अध्यक्षीय व्यवस्था इस प्रकार है। श्री बनवारीलाल सिंघल एवं श्रीमती अलकासिंह, सदस्य विधान सभा से प्रक्रिया के नियम 157 के अन्तर्गत 'दैनिक भास्कर' में आज दिनांक 01 अगस्त, 2014 के जयपुर संस्करण के मुख पृष्ठ पर उनके द्वारा सदन में उठाये गये जन हित के मुद्दों को लेकर प्रकाशित समाचार से सम्बन्धित दो पृथक-पृथक विशेषाधिकार हनन मुझे प्राप्त हुए हैं। इन विशेषाधिकार हनन के प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया जांच करवा रहा हूं। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण और गम्भीर विषय है, मीडिया से भी है और विधान सभा से भी है, तत्पश्चात् ही मैं गुणावगुण के आधार पर इन विशेषाधिकार हनन के प्रस्तावों पर आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दूंगा।

(13.00 बजे)

आधे घंटे की चर्चा

घरेलू विद्युत कनेक्शन से वंचित ढाणियां

(तारांकित प्रश्न संख्या 168, दिनांक 24 जुलाई, 2014)

माननीय सदस्यगण, हमारी कार्य सूची में आज आधे घंटे की चर्चा लगी हुई है। हमारे ऊर्जा मंत्रीजी को, केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रीजी आने वाले हैं, उनकी व्यवस्था में और उनसे बातचीत करने में शामिल होना है। यह चर्चा आखिर में लगी है लेकिन मैं चाहता हूं कि उसको अभी ले लिया जाए तो ऊर्जा मंत्रीजी को हम यहां से स्पेयर कर सकेंगे।

ऊर्जा मंत्रीजी। नहीं, नहीं, आधा घंटे की चर्चा है।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): मैं तो जवाब दूंगा न।

श्री अध्यक्ष: यह विषय है ज्ञानचन्दजी पारख का। प्रश्न का था और उन्हीं के प्रश्न से ही यह आधा घंटे की चर्चा उठी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले प्रार्थना मैंने की थी आपसे। आपने मेरी प्रार्थना पर यह लगाया था।

श्री अध्यक्ष: आपकी प्रार्थना पर किया तो आप बोल लीजिए। आधा घंटे से ज्यादा समय नहीं मिलेगा इसमें। बिलकुल आधा घंटे में यह चर्चा होगी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): नहीं, नहीं, आधा घंटा नहीं, पांच मिनट ही। पांच मिनट ही। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नाम-नाम इसमें नहीं, आधे घंटे में खतम कर दूंगा मैं। रमेशजी भी हैं। ठीक है?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य के प्रश्न पर हमारे ऊर्जावान ऊर्जा मंत्रीजी इसका जवाब दे रहे थे, पर सभी माननीय सदस्यों की यह एक मंशा रही है कि इस पर, चूंकि यह मुद्दा हमारे पूरे राजस्थान प्रदेश से जुड़ा हुआ है और वर्तमान में बिजली की व्यवस्था-आपूर्ति अत्यन्त ही आवश्यक हो गयी है, जीवन से जुड़ा हुआ है। किसी भी क्षण बिजली की आवश्यकता रहती है। जिस तरह से हवा और पानी की आज वर्तमान में आवश्यकता हो गयी है, उसी तरह से बिजली की भी आवश्यकता हो गयी है।

बिजली की व्यवस्था पूर्ववर्ती समय में कैसी रही, पूर्ववर्ती सरकार के दौरान कैसी रही, यह विषय अलग है लेकिन मेरा माननीय मंत्री महोदय से अब यह निवेदन है कि वर्तमान में आप ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री हैं और राजस्थान की आपसे बहुत ही बड़ी अपेक्षा है। राजस्थान की जनता यह अपेक्षा करती है कि मेरे गांव और ढाणी में रहने वाले हर व्यक्ति को बिजली मिले, समय पर बिजली मिले, यथा-सम्भव 24 घंटे घर की बिजली मिले। इस लिहाज से वर्तमान में जो बिजली की आपूर्ति में अव्यवस्था हो रही है, किसी भी कारण से हो रही हो, पूर्व के समय में कम उत्पादन की वजह से, व्यवस्था नहीं करने की वजह से, नियमित रूप से व्यवस्था नहीं करने की वजह से रही हो, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि जो गांव में ढाणियां हैं, उन ढाणियों में बिजली के कनेक्शन मिलें, क्योंकि 70 से 75 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में और ढाणियों में रहते हैं।

ढाणियों में रहने की वजह से, वर्तमान में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा पट्टा बताने की वजह से, या और किसी वजह से नहीं मिल रही है, उसके लिए तो आपका धन्यवाद है कि आपने उस पर व्यवस्था की है कि ढाणियों में, अगर पांच की ढाणियों का ग्रुप है तो पट्टे की आवश्यकता नहीं है, या शहर में आबादी क्षेत्र में रहते हैं और वह पटवारी या ग्राम सेवक से यह लिखवा देते हैं कि आबादी है, तो भी पट्टे की आवश्यकता नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक मिनट। परन्तु मेरा यह निवेदन है कि जो आपकी योजनाएं हैं, चाहे मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना हो, या राष्ट्रीय हैबिटेशन सर्वे के आधार पर हो, या छितराई हुई ढाणियों में 500 मीटर की परिधि में हो, इनका सरलीकरण करके आम जनता के हितार्थ, ग्राम में, ढाणी में जो रहते हैं, उनके लिए आप ऐसी कार्य योजना दें, उसके लिए जो भी व्यवस्था करें, उनके लिए हमारी आपसे मांग है कि ढाणी में रहने वाले व्यक्ति को बिजली मिले। अनेकों-अनेकों फार्म विभिन्न क्षेत्रों में जमा हैं, एक तो वह और एक ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक एग्रीकल्चर, आधा मिनट, एक एग्रीकल्चर फीडर के साथ डोमेस्टिक फीडर हैं कई क्षेत्रों में। इसलिए उस एग्रीकल्चर फीडर को अलग करें और डोमेस्टिक फीडर को अलग करें ताकि उसको टाइम पर बिजली मिल सके।

आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख।

व्यवस्था का प्रश्न

आधे घंटे की चर्चा में जिस माननीय सदस्य ने सूचना दी हो, वह ही संक्षिप्त वक्तव्य दे सकता है

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

वैसे तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था सर्वोपरि है परन्तु मैं आपका ध्यान राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियम 49 के, जिसमें आधे घंटे की चर्चा के विषय में, खण्ड-5 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। खण्ड-5 में - ''(5) सदन के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा। जिस सदस्य ने सूचना दी हो, वह संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा और सम्बन्धित मंत्री संक्षेप में उत्तर देगा।'

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कह दिया, अब उत्तर दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष: ले लिया मैंने। अब ज्ञानचन्दजी पारख। इसीलिए मैं रास्ते पर आ रहा हूं। मैंने यह पढ़ा नहीं था। क्षमा करेंगे आप। श्री ज्ञानचन्दजी पारख।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, चर्चा वह ही माननीय सदस्य उठा सकता है, जिसने सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष: यस, यस। वह जरा मैं पटरी से उतर गया तो क्षमा चाहता हूं। हां, श्री रमेश। श्री रमेश। नहीं, और कोई नहीं बोलेगा।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): मैंने भी सूचना दी है। सूचना दी है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं, इसमें नहीं। सूचना का नहीं, वे ही बोल सकेंगे, यह इसमें है। आप पढ़ लीजिए इसको।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): मैंने सूचना दी हुई है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, सूचना से सवाल नहीं है। सवाल यह है कि रूल्स में यह है।

श्री रमेश। (अनुपस्थित) श्री ज्ञानचन्द पारख। (अनुपस्थित)

आप जवाब दे दीजिए।

आधे घंटे की चर्चा

घरेलू विद्युत कनेक्शन से वंचित ढाणियां

(तारांकित प्रश्न संख्या 108 दिनांक 24 जुलाई, 2014)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): दो-दो मिनट बुलवा दीजिए। दो मिनट। हमने इस हमारे बटन से आपको सूचित कर दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ये दो-दो मिनट तो बोलेंगे नहीं। मुझे कोई एतराज नहीं है। हां, माननीय मंत्रीजी।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि आधे घंटे की चर्चा है, हमारे कई माननीय सदस्य कुछ बिजली के मुद्दे उठाना चाहते हैं। हर विधान सभा में आखिरी दिन, पूरा दिन विद्युत के ऊपर चर्चा होती है, तो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अलाउ किया जाए, यह आप चाहते हों?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपको जो पूछा गया, वह बता दो।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तलाजी रावत। आप बोलिए इधर से। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने अलाउ किया है तो पांच-सात मिनट में दो-तीन माननीय सदस्य बोल लेंगे।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): ठीक है। सुझाव आ जाएंगे, साहब।

श्री अध्यक्ष: मैं भी जरा पटरी से उतर गया था। पांच मिनट। पांच से ज्यादा नहीं दूंगा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से, जो विषय बिजली है, यह वर्तमान में जीवन पर आधारित ही नहीं, बल्कि जीवन बिजली पर आधारित बनता जा रहा है। घर से चल कर, चाहे खेती से सम्बधित हो, चाहे अपना मशीनी तंत्र हो, आफिस का काम हो, सभी कार्य बिजली पर निर्भर रहते हैं। इसकी व्यवस्था के लिए ग्रामीण क्षेत्र प्रथम पर आता है। जैसा कि, अध्यक्ष महोदय, सभी लोग, अगर कोई भी क्वेश्चन करें तो वही बात दोहरा दी जाती है कि पिछली सरकार, पिछली सरकार; वह कर गये; मंत्रीजी कर गये। वह कर गये जो कर गये, पर आप कितने परसेंट कर रहे हैं? वह तो करें। जो आपने वादे किये कि 8 घंटे किसानों को बिजली दी जाएगी।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): मुद्दे पर आओ।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मुद्दे पर ही, बिजली पर ही बोल रहे हैं, साहब। 20 घंटे सिंगल फेज बिजली दी जाएगी लेकिन वह नहीं मिल रही है। सूखा भी जो आज डिपेंड हो रहा है, वह बिजली पर ही ज्यादा हो रहा है। कम से कम सिंगल फेज बिजली आठ घंटे दी जानी चाहिए। जो ट्रांसफार्मर सिंगल फेज के जल जाते हैं, उनको देने में आफिसर्स इतना टाइम लगा देते हैं। कम से कम एक-एक महीना हो गया है, जहां ट्रांसफार्मर्स नहीं मिल रहे हैं और थ्री फेज का तो मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। दो-दो महीने लग जाते हैं। सारी फसल उनकी चौपट हो जाती है, बिजली के अभाव में।

जो तार लूज हैं, मेरे यहां पर अभी इसी महीने की घटना है कि माची में 11 हजार की लाइन सिंगल फेज को टच कर गयी और पूरे गांव में करंट आ गया और एक व्यक्ति की मौत हो गयी। तो जितनी भी 11 हजार की जो लाइनें हैं, जो लूज हैं, उन्हें टाइट करवायें और जहां पर पोल की दूरी काफी है तो उसमें बीच में पोल भी लगाया जाना चाहिए।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

साल भर की तीन-चार घटनाएं प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में लगातार होती रहती हैं। मैं ही अगर गिनाऊं तो अभी पिछले दिनों रामपुर में मेरे यहां पर हुई थी, चतरपुरा में हुई थी, मेनपुर में हुई थी और अब माची में हुई है। तो ऐसी दुर्घटनाएं जो तार पुराने हो चुके हैं, उनके कारण से होती हैं। जो पुराने तार है, उन्हें तुरन्त बदलवाया जाना चाहिए। मैंने खुद ने भी, लिखित रूप में बिजली डिपार्टमेंट को दे चुकी हूं कि कहां-कहां के तार लूज हैं। तो उन्हें टाइट करवाया जाए।

जो डी.पी. दी जा रही हैं, कई डी.पी. ऐसी हैं कि रिपेयर करके दी गईं, गुडा-भागरवाला के पास, आसा-का-बास में, तो वहां पर जो डी.पी. रिपेयर करके दी गईं, वे डी.पी. फुंक गयीं और फुंकने के साथ-साथ उसमें विस्फोट हुआ और दो लोगों की मृत्यु हो गयी। तो इस तरह की जब डी.पी. दी जाती है, ट्रांसफार्मर्स, उनको चैक करके देना चाहिए जिससे कि गांवों में दुर्घटना नहीं हो और गांव भी सुरक्षित रह सकें और सुचारु रूप से उन्हें बिजली दी जा सके।

एक लाइनमैन जो होते हैं, जैसे छोटी सी खराबी के कारण उनको ट्रांसफार्मर को उतारकर आफिस में ले जाया जाता है, फिर वापस लाया जाता है, एक बोल्ट कसने के लिए। तो कृपया आप निर्देशित करें लाइनमैन को कि वह वहां जाकर थ्री फेज के ट्रांसफार्मर को ठीक करे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री सुरेन्द्र गोयल, पांच मिनट। डोटासराजी, पांच मिनट। पिलानियाजी, पांच मिनट। उसके बाद मंत्रीजी का जवाब होगा। (व्यवधान) नहीं, इस पर ज्यादा नहीं। आधा घंटे की चर्चा है। आधे घंटे की चर्चा है, माननीय विधायक। आधा घंटे की चर्चा है। सुरेन्द्र गोयलजी। (व्यवधान) नो-नो-नो, यह जनरल डिबेट नहीं, आधा घंटे की चर्चा है।

श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): लूणी से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने जो अभी बिजली के बारे में विस्तार से बताया, मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि आपकी जो व्यवस्था है बिजली देने की, वह बिलकुल ठीक है, परन्तु, अध्यक्ष महोदय, जो ढाणियों की व्यवस्था है, देश को आजाद हुए 65 साल से ज्यादा हो गये हैं और ढाणियों में जो कनेक्शन नहीं होने के कारण हैं, आज एक तरफ तो शहरों में लोग ए.सी. में सोते हैं, वे एक लट्टू

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

लगाने के लिए मोहताज हैं; ढाणियों को कनेक्शन देने के लिए आप लोगों ने यह नियम बना रखा है कि आबादी का प्रमाण पत्र सरपंच से या ग्राम सचिव से लाकर दोगे तो आपके वहां कनेक्शन के लिए फाइल ली जाएगी। इस प्रकार शब्द लिखकर आपने ढाणियों को मोहताज कर रखा है।

मेरा मंत्री महोदय से इतना ही निवेदन है कि जो पांच कनेक्शन लेने वाले हों, चाहे दस कनेक्शन लेने वाले हों, जो 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल से ढाणियां बसी हुई हैं, 65 साल की आजादी के बाद भी उन ढाणियों में बिजली नहीं पहुंचा सके, तो यह बहुत भारी अन्याय उन लोगों के साथ होगा। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन ढाणियों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए, कम से कम विधायक कोष से वह पैसा दें तो उन ढाणियों तक बिजली पहुंचाई जा सकती है और फिर बाद में उनसे एप्लिकेशन लेकर उनको कनेक्शन दे दिया जाए।

यह व्यवस्था करने के लिए कुछ न कुछ सदन में व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छे। ठीक बोले हैं। डोटासराजी, पांच मिनट से ज्यादा नहीं। (व्यवधान) आप बैठिये ना। आधा घंटे से ज्यादा नहीं होगा यह। दो घंटे के लिए मैं अलाउ नहीं कर सकता। मैं नहीं अलाउ कर सकता। आप बोलिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आज के समय में जो ढाणियों में लोग बसे हुए हैं, उनमें विद्युत कनेक्शन देने का मामला था। उस पर इस चर्चा को आपने अनुमति फरमाई थी कि मैं व्यवस्था देता हूं कि यह होगा।

पूरे प्रदेश में ऐसी लाखों ढाणियां हैं, किसान लोग गांव में रहते हैं, खेत में रहते हैं और उनके पास कनेक्शन नहीं हैं। हमारी सरकार ने यह व्यवस्था की थी कि पांच-पांच के समूह में जो ढाणियों में लोग रहते हैं, उनको कनेक्शन दिये जाएं, और काफी हद तक दिये भी थे। लेकिन आपकी सरकार आने के बाद में इन पांच के समूहों में ढाणियों में जो एक लाख 65 हजार पूरे प्रदेश में कनेक्शन पेंडिंग हैं, उनके डिमांड नोटिस जारी करने का कोई आदेश नहीं दिया है।

दूसरा इसमें एक निवेदन करना चाहूंगा कि पांच के समूह में किसी की ढाणी में कनेक्शन दे रहे हो, लेकिन अगर वहां दो आदमी या एक आदमी या तीन आदमी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। नो डिस्टर्बेंस। दुबारा खड़े हो गये। यह क्या आदत पड़ गयी है बाधा डालने की? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक या दो व्यक्ति वहां रह जाते हैं। मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं, उन पांच को अगर कनेक्शन मिल गया तो उन दो के लिए भी, या एक के लिए भी कोई व्यवस्था करो। पांच होंगे नहीं और अन्यथा कोई लेगा नहीं। तो पांच व्यक्तियों को तो मिल गया और दो व्यक्ति या एक व्यक्ति रह गया। उसके लिए भी आपकी तरफ से कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिये, क्योंकि उसने भी कोई अन्याय नहीं किया। उसके किसी न किसी कारण से नाराजगी होती है। पड़ोसी होते हैं तो पांच का अपना ग्रुप बना लेते हैं, दो आदमी उसमें वंचित रह जाते हैं। जब दो आदमी वंचित रह गये तो उसके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिये। चाहे आप किस तरीके से व्यवस्था करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरह से करें, लेकिन यह बहुत ही अति-आवश्यक है। जो ढाणियों में किसान रहते हैं, उनका बेटा पढ़ नहीं सकता। लालटेन, चिमनी या मोमबत्ती से पढ़ता है। आज 60-65 साल हो गये और अगर ढाणी का किसान अपने बेटे को पढ़ाने के लिए कनेक्शन नहीं ले पाता तो इससे बड़ी शर्म की बात हमारे सबके लिए प्रजातंत्र में हो नहीं सकती।

इसलिए मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय, पांच-पांच की ढाणियों में हमारे सीकर जिले में भी 25-30 हजार के लगभग आवेदन आपके नवम्बर, 2013 के पेंडिंग पड़े हैं। उनके ऊपर जल्दी से जल्दी डिमांड नोट जारी कराने की कृपा करें। जो पांच के अलावा, उस एरिये में, दो किलोमीटर के एरिये में एक या दो व्यक्ति अगर कोई रह गया हो, तो उसके लिए भी नई व्यवस्था करके, ढाणियों में बचे हुए किसान को घरेलू कृषि कनेक्शन दिलाने की व्यवस्था करें।

एक सबसे बड़ा मुद्दा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको कनेक्शन जारी किये, डिमांड नोटिस किये भी 12-12 महीने, डेढ़-डेढ़ साल हो गये, लेकिन आपका विद्युत विभाग ठेकदारों पर निर्भर है, वह ठेकेदार कनेक्शन कर नहीं रहे हैं। 3,700 रुपये किसान ने जमा करा दिये और उसके बावजूद भी आज की तारीख तक उनको कनेक्शन नहीं मिला है। तो उनको शीघ्र से शीघ्र घरेलू विद्युत कनेक्शन दिलाने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री पिलानिया।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कृषि नीति बनी हुई है 2003 वाली, उसमें जहां तक मेरी जानकारी है, उसमें यह प्रावधान है कि अगर कुआं सूख जाता है, बोरिंग सूख जाती है, उसे ...(व्यवधान)

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय सदस्य, यह चर्चा डोमेस्टिक कनेक्शन के ऊपर है, यह एग्रीकल्चर के ऊपर नहीं है। डोमेस्टिक कनेक्शन के ऊपर आपको कुछ भी पूछना हो, यह चर्चा डोमेस्टिक कनेक्शन पर है। यह रूरल एरिया के लिए है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विषय तो जो प्रश्न उठा था, जिस प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री महोदय ने सदन में पहले दिया, उसमें से कुछ चीजें शेष रह गयी हों, कोई और इनको पूछना हो, कुछ मन में कोई शंका हो, उनका सवाल वहां तक ही रहता है। यह तो पूरा पिटारा, बाक्स खोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप उत्तर कराओ, साहब।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। आप बोल चुके हैं। आप बोल चुके हैं। नवीनजी, आप बोल लीजिये। बोलिये, बोलिये, यह विषय है।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): अध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन था, मेरे बिन्दु तो एग्रीकल्चर से सम्बन्धित थे, लेकिन जैसा मंत्रीजी ने पाबन्द किया और आपने पाबन्द किया है कि केवल घरेलू कनेक्शन पर ही बात हो, तो एक निवेदन यह जरूर करना चाहता हूं, कई जगह ऐसी दिक्कत आ जाती है, जहां कहीं अकेली एक ढाणी फंस जाती है, जो आपकी नीति में नहीं आएगी। उसके लिए यह निवेदन करना चाहता हूं, कम से कम एम एल ए लैड से यह प्रावधान हो कि इस तरह की कोई बची हुई ढाणी हो तो वह एम एल ए लैड से कराएं।

अनेक माननीय सदस्य: एम एल ए लैड से पहले से ही है।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): तो इसको स्पष्ट करें, इस तरीके का प्रावधान कहीं हो, क्योंकि ऐसी दिक्कतें बहुत जगह फंस जाती हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रावधान

(श्री कालू लाल गुर्जर)

है, माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है। ऐसा प्रावधान है, विधायक कोटे का है।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): चीफ व्हिप साहब, आप उसकी जानकारी बताएं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको नालेज नहीं है। पांच के समूह में है, अकेले को नहीं है। पांच के समूह में है, अकेले को नहीं है।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा प्रावधान है तो उसकी जानकारी, खुलासा, मंत्रीजी बताएं और इसके साथ-साथ ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: किरण माहेश्वरीजी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से, क्योंकि जो चर्चा चल रही थी, उस समय हम लोगों ने सबने नाम लिखकर दिये थे। जो मूल प्रश्न था, जिसके बारे में ज्ञानजी ने बात उठाई थी, वह यही था कि जो ढाणियां पेरिफेरी एरियाज के अन्दर, जो आबादी के आस-पास के क्षेत्र के अन्दर, क्योंकि खेत अगर दूर है तो खेत में वहीं पर जाकर रहना शुरू कर दिया उन्होंने। अब चूंकि खेत पर रहना शुरू कर दिया, इसलिए वह कृषि कनेक्शन के रूप में आ जाते हैं। जबकि रह रहे हैं वहां रेजिडेंशल, उनकी फैमिलीज वहां रह रही हैं। पहले दो फैमिलीज थीं, चार हो गईं, दस हो गयीं। अब वहां पर ग्रुप हो गया। वह जो फैमिलीज वहां रहने लग गयी हैं, वह अब आबादी क्षेत्र तो नहीं है कहने को, लेकिन सरकार उसमें जब कनेक्शन देती है तो वह यह कहती है कि यह कृषि कनेक्शन है, जबकि वह आबादी का कनेक्शन है क्योंकि वह रेजिडेंशल कनेक्शन है। हम माननीय मंत्रीजी को आपके माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि यह सरकार इसमें एक संशोधन करे कि ऐसे जो घर, जो शहर से थोड़े दूर होकर और वहां खेत पर रहने लग गये, उन्हें वह आबादी के रूप में कनेक्शन था।

मुझसे पूर्व माननीय सदस्य ने जो कहा था कि कृषि के अन्दर हम लोग ढाणियों के अन्दर कनेक्शन एम एल ए फण्ड से दे सकते हैं क्या, हम हण्ड्रेड परसेंट एम एल ए फण्ड से दे सकते हैं, लेकिन जो एम एल ए फण्ड से हमसे पैसा लिया जाता है, वह पैसा कनेक्शन के लिए जो दिया जाता है, वहां पहुंचाने के लिए, वह बहुत ज्यादा होता है। उसको अगर आबादी के लिए लिया

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

जाएगा तो अपने आप में कम होगा, क्योंकि वहां तक लाइन पहुंचाने का काम इनका है। कनेक्शन हम दिलवा दें, लेकिन लाइन तो कम से कम ये पहुंचा दें। अब वहां लाइन पहुंचाने में चार खम्भे लगते हैं, छह खम्भे लगते हैं, तो उतना तो यह कर दें कि वह वहां तक पहुंचा दें और उसमें कोई लिमिटेड फैमिलीज कर दें पांच फैमिलीज हैं, दस फैमिलीज तक होगी। तो खम्भों का पैसा राज्य सरकार द्वारा देने के लिए हमारा आपके माध्यम से निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: श्री भिण्डाजी।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दो-तीन बातें ध्यान में लाना चाहता हूं मंत्रीजी के। एक तो राजस्व गांव विद्युतीकृत ऐसी घोषणा हम 60 साल से कर रहे हैं। गांव अगर विद्युतीकृत है तो ढाणियां कहां से रह गयीं? लेकुना जो अधिकारी मनमाने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, उसको रोका जाए। एक बात।

दूसरा, हमारी सरकार ने सिटी लाइन की व्यवस्था की थी, पांच हजार की आबादी पर। उस पांच हजार की आबादी में ढाणी की आबादी भी जुड़ गयी और कनेक्शन करते समय कहा कि ढाणी को हम सिटी लाइन नहीं देंगे। इसको भी करेक्ट किया जाए।

तीसरा निवेदन है कि आबादी भूमि की परिभाषा राजस्व डिपार्टमेंट करता है, बिजली विभाग वालों ने यह अलग बना दी।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा किया, सूत्रों की बात की आपने।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): जब 84 से, उस सेटलमेंट में जो ढाणी है, उसका खसरा नम्बर कटा हुआ है, फिर भी विद्युत वाले कहते हैं, मूल आबादी। यह नया शब्द ले आये। पहले 'आबादी' शब्द लाये, फिर 'मूल आबादी'।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। अब विराजिये। भायल साहब, इसके बाद आपका।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मेरा एक निवेदन और है छोटा सा कि अभी अकाल की स्थिति भी बन गयी और अच्छी विद्युत देना चाहते हैं, इसके लिए वर्तमान सरकार धन्यवाद की पात्र है लेकिन जो ट्रांसफार्मर प्रस्तावित हैं 11, 33 के, वे दीपावली के पहले बन जाएं तो अच्छी बिजली मिल सकती है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। भायल साहब, बस दो मिनट।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: हां, दो मिनट के बाद आपको एक मिनट।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्षजी, बाड़मेर जिले की स्थिति दूसरे जिलों से भिन्न है। छितराई हुई ढाणियां हैं, 100 से कम आबादी वाली, 100 से ज्यादा आबादी वाली। हमारे वहां जितने भी किसान रह रहे हैं, कुओं पर और ढाणियों पर रह रहे हैं और ढाणियों में 20 से लगा कर 50 तक भी हैं, 20 भी हैं। पूर्व में 2003 में अपने आदरणीय मुख्य मंत्रीजी, वसुन्धराजी विराज रहे थे, उस समय में जो स्कीम लागू की थी, तीन, पांच और ग्रुप में, वह ग्रुप, लाइन जाकर ढाणियों में, छितराई हुई ढाणियां हैं, बाड़मेर में 40 हजार कनेक्शन हो सकते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दस से बारह हजार वंचित हैं, वह घरेलू कनेक्शन के लिए चालू किया जाए। यही निवेदन और प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। अब आप एक मिनट इनको अपनी बात कहने दें। आप में सिर्फ एक मिनट में कोई बोलेगा?

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि विद्युत विभाग ने एक नियम बनाया है कि आबादी के पट्टे की भूमि पर कनेक्शन जारी किया जाए। तो इसमें मेरा एक ही सुझाव है कि आबादी ओब्लिक राजस्व की भूमि के पट्टे ओब्लिक जमाबंदी पर कनेक्शन दिया जाए, तो इससे पूरी यह समस्या खतम हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। हां, इधर से। नहीं, आप बोल चुके। हां, सुखराम जी।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, मेरा आपके मार्फत मंत्रीजी से निवेदन है कि मूल गांव में से ही रेवेन्यू विलेज बना; मूल गांव को इलेक्ट्रिफाइड कर दिया, वह गांव अभी तक पीछे पड़ा है, उसको भी इलेक्ट्रिफाई किया जाए। एक बात तो यह है।

दूसरा, माननीय अध्यक्षजी, निवेदन है कि जो किसानों की कनेक्शन डिमाण्ड निकलती हैं, डिमाण्ड निकलने के बाद ठेकेदार डिले करता है। किसान अपने आप पोल ले जाते हैं, अपने आप ट्रांसफार्मर ले जाते हैं। इस व्यवस्था को थोड़ा रोका जाए।

तीसरा, माननीय अध्यक्षजी, मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र

(श्री सुखराम विश्नोई)

में तीन हजार पांच-पांच ग्रुप की फाइलें जमा हैं। तीन हजार में से सिर्फ 300 ग्रुप इलेक्ट्रिफाइड हुए हैं, बाकी अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताया जाए।

चौथी और अंतिम मेरी बात है कि पिछली सरकार ने जी.एस.एस. मंजूर किये थे, पांच-सात जी.एस.एस. मंजूर किये थे, उनका कोई काम चालू नहीं हुआ। वह काम चालू किया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सिर्फ एक बात।

श्री अध्यक्ष: नो, नो।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): बस एक ही।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य गण, वैसे तो यह चर्चा होनी ही नहीं चाहिए थी ...

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): नहीं, चर्चा नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बैठिये। चर्चा उठाने वाले दोनों सदस्य आज अनुपस्थित हैं, फिर भी मंत्रीजी ने कहा कि कुछ लोग बोल लें। अब आप जवाब दे दीजिए। (व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब नहीं। हो गया, सब आ गया।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): एक बात, एक बात। मंत्री जी, एक बात।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। मंत्रीजी को पुकार लिया मैंने। नहीं, अनुशासन टूटता है। मंत्रीजी को पुकार लिया। मंत्रीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपकी यह आज की जो व्यवस्था है न, अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष: नहीं, मंत्री जी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, मंत्रीजी को ही बुला रहे हैं। आज की व्यवस्था के लिए यह कहा जा सकता है होती है दिलबरों की इनायत कभी-कभी।

श्री अध्यक्ष: आप भी कृपा करो अब। हर लाइन पर आपके तो रहस्य हैं। मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी की निगाहें दर्शक दीर्घा की तरफ बार-बार उठ रही हैं और जब वहां देखते हैं तो इनका चेहरा भी उतर जाता है। मैं समझ नहीं पाया। यहां आप संरक्षित हों, यहां संरक्षित हों। अध्यक्ष महोदय, आप इन्हें विश्वास दिला दें। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी की जो चील की आंख है, मेरे में वह कैपेसिटी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, मंत्री महोदय, अगर आपके कोई रिश्तेदार इधर बैठे हो तो आप जम के बोलिये। कोई दिक्कत नहीं, पांच मिनट ज्यादा बोलिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसीलिए कहा था, होती है दिलबरों की इनायत कभी-कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी-कभी।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कई विधायक महोदयों ने अभी बिजली के ऊपर चर्चा की। करीबन पचास प्रतिशत जो आप लोगों ने विषय उठाये हैं, मैं बताना चाहता हूं आपको थोड़ा सा, ग्रामीण विद्युतीकरण की जो स्कीम्स आयी हैं और जो लागू हो रही हैं, उससे आपके मन में जो भ्रम हैं और जो डाउट्स हैं वे क्लीयर हो जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी विद्युतीकरण की जो स्कीम है, 2005 में शुरू हुई थी और उसका जो आब्जेक्टिव था कि 2013 तक भारत के अन्दर कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहां उसको बिजली का एक्सेस नहीं मिलेगा, यह उसका उद्देश्य था और वह अब उस टारगेट से बहुत-बहुत पीछे, पिछड़ गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए अभी 1,852 करोड़ रुपये हमें अभी स्वीकृत हुए हैं बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत और 100 तक की आबादी की जो ढाणियां हैं, जो 2003 में नेशनल हैबिटेट सर्वे हुआ था पी.एच.ई.डी. का, उसके तहत जो ढाणियां आइडेंटिफाइड हुई थीं, 100 तक की जो ढाणियां हैं, उनको कनेक्शन दे दिया जायेगा। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत 1,850 करोड़ रुपये का यूज इसमें होगा।

इसके अलावा, जो मुख्यमंत्री सब के लिए योजना, 300 से 100 तक ...

श्री भंवरसिंह (कोलायत): 100 से कम की ढाणियां हैं, 100 से ज्यादा की? 100 से कम वाली नहीं हैं?

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): 100 से कम वाली नहीं। उस पर भी मैं आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, 100 तक की ढाणियां, पिछला जो टारगेट था, जो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना थी, उसके अन्दर जो टारगेट था वह था 300 तक का। 300 से वह आ गया है 100 तक का। 100 से कम की आप लोगों की सब की चिंता है, उसके अन्दर जो माननीया वसुन्धराजी ने मुख्यमंत्री-सब-के-लिए, योजना शुरू की थी 2008 के अन्दर, वह इसी को नीचे से टेकल करने में योजना चालू की थी।

(13.26 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

यह दु:ख की बात है, अभी लक्ष्मणगढ़ से पधारने वाले माननीय विधायक ने यह इश्यू रेज किया था कि ढाणियों को क्यों रोका हुआ है, लोगों के आवेदन भरे हुए हैं, मैं आपके माध्यम से यहां पर सब माननीय सदस्यों को यह सूचना देना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने मुख्यमंत्री-सब-के-लिए-योजना को बंद कर दिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बंद नहीं किया था। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। आप विराजें। एक मिनट रुकिये। देखिये, सदन व्यवस्थाओं से चलता है। आधे घंटे की चर्चा है। माननीय मंत्रीजी को जवाब देने दीजिए। उनके बीच में डिस्टर्ब मत करिये आप। हां, बोलिये।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, ये कह रहे हैं, हमने बंद नहीं की। आपने चालू की चुनाव के वर्ष में। जब दिसम्बर में चुनाव हो रहे थे, उससे तीन-चार महीने पहले आवेदन लेने शुरू कर दिये, चार महीने पहले। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हो जायेगी, आप चर्चा करने दीजिए। हां।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): मैं फैक्ट्स के साथ बोल रहा हूं, माननीय सदस्य, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं। आप आवेदन देख लीजिए, ढाई लाख आवेदन इन्होंने लेकर, कई इन्होंने एडवर्टाइजमेंट लगाये थे बसों पर, सब-कुछ किया; यह एक पापुलर स्कीम इन्होंने चालू की और जो ढाई लाख आवेदक थे, उसका बोझ हमारे ऊपर छोड़ कर चले गये ये।

(श्री गजेन्द्रसिंह)

मानानीय सभापति महोदय, हमारी जो मुख्यमंत्री-सब-के-लिए जो योजना है, उसके तहत हम यह पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज अभी मैं तुरन्त रवाना होऊंगा उदयपुर, वहां केन्द्रीय मंत्रीजी पधार रहे हैं, उनको हम यही समझा रहे हैं कि हमारी जो टोपोग्राफी है, हमारी जो डेन्सिटी आफ पापुलेशन है, हमारा जो रेगिस्तानी एरिया है, पूरे देश से उसकी नेचर अलग से है। वह कोई समझ नहीं पाया है। उनसे यह निवेदन कर रहे हैं कि भई, ढाणियों के लिए आपको हमें अलग देना पड़ेगा।

आज सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है? अगर जयपुर डिस्काम के अन्दर 100 लोग कनेक्शन मांग रहे हैं तो उससे डबल अजमेर में है 200 और जोधपुर डिस्काम के अन्दर हैं 400 । मतलब, जयपुर डिस्काम से चार गुना ज्यादा जोधपुर डिस्काम के, ये जो रेगिस्तानी जिले हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये ...

श्री सभापति: मंत्रीजी, प्रश्न से सम्बन्धित मुद्दों पर।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): अब, सभापति महोदय, जो मुख्यमंत्री-सब-के-लिए-योजना है, इसके तहत जहां 33 की लाइन चल रही है, वहां से आप 11 की लाइन और एल.टी. लाइन, मिनिमम पांच कनेक्शन, मिनिमम होने चाहिए पांच; मैग्जिमम में हमने कुछ नहीं कहा है। माननीय सभापति महोदय, कहीं पर भी कोई ढाणी विद्युतीकृत है, जहां पर ये कह रहे हैं कि 5 का परम्यूटेशन काम्बिनेशन होना चाहिए, उसको हमने हटा दिया है। मिनिमम 5 होने चाहिए, चाहे वे 6 हों, 7 हों, 8 हों। जो विद्युतीकृत ढाणियां हैं, उनका राइट बनता है कि वे अगर अपना लोड एक्सटेंशन करना चाहें, एयरकंडिशनर लगाना चाहें, 3, 4, 5 कनेक्शन जोड़ना चाहें, तो उस ढाणी से 300 मीटर तक के लिए फ्री होगा। उसके बाद में उनको 100 रुपये प्रति मीटर देना पड़ेगा। उस पर हमारी कोई लिमिटेशन नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आखिरी में इसके बारे में एक और बात कहूंगा, आप कहते हैं कि बच्चे पढ़ नहीं सकते, रात को अंधकार है। इसके लिए भी एक योजना शुरू कर दी है, स्टैंड-अलोन योजना, जिसके अन्दर सोलर का जो पैनल है, सब्सिडाइज्ड पैनल, आपको 7 हजार रुपये में मिलेगा। माननीय सदस्यों के मन में यह भ्रम है, पहले क्या होता था कि MNRE के जरिये या RREC के जरिये हम जो सोलर के पैनल देते थे, जब आप सदन में

(श्री गजेन्द्रसिंह)

थे 2 टर्म पहले, 3 टर्म पहले, मंत्री भी आप रहे हैं विद्युत के, उस समय क्या था, उस समय रूल था कि अगर आपने यह तंत्र लगा लिया तो आपको विद्युत कनेक्शन नहीं मिलेगा। यह नोर्म हमने हटा दिया है।

माननीय सभापति महोदय, कोई भी कह दे कि नाहरगढ़ की पहाड़ी के ऊपर एक घर है इसका विद्युतीकरण किया जाये, यह सम्भव नहीं है। अब ढाणियों में भी यही है कि कोई खेत के अन्दर एक-दो झोपड़े हैं, 5 किलोमीटर दूरदराज, जैसलमेर जैसे एरिया में वह पासिबल नहीं हैं। बिजली का तंत्र फैलता जाएगा और उससे, जैसे प्रधानमंत्री-सड़क-योजना है, राजस्थान में 250 की आबादी तक सड़कें पहुंची हैं, ऐसे हम इस जाल को धीमे-धीमे फैला रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह जो सोलर की योजना है, यह बहुत अच्छी योजना है।

श्री सभापति: अच्छी है।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): पहले सोलर के अन्दर दो चीजें होती थीं, एक तो कहते थे कि बिजली कनेक्शन नहीं मिलेगा; दूसरा, सबसे छोटा बल्ब होता था, 25 वाट, 30 वाट, 40 वाट का। टेक्नोलोजी इतनी बदल गयी है कि 2 वाट का एल ई डी बल्ब मिलता है, 4 वाट का मिलता है। अब इस तंत्र से आप 5-6 लाइटें जला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, फ्रीज, टी वी चला सकते हैं और अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। यह 7 हजार रुपये जब आप खर्च करेंगे तो एक तो आप अंधकार में नहीं रहेंगे, बच्चे पढ़-लिख सकेंगे; दूसरा, जब आपको विद्युतीकरण मिलेगा तो यही तंत्र कोई बेकार तो होगा नहीं, इसको आप स्टैंड-बाई यूज कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी योजना है पश्चिम राजस्थान के लिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों को एक-दो बातें कह दूंगा। लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया था, स्कैटर्ड ढाणी, 24 घंटे बिजली चाहिए। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि राजस्थान के हर झोंपड़े, हर घर, हर ढाणी, हर कस्बे को, हर शहर को 24 घंटे बिजली दी जाएगी और यह प्रयास हो रहा है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आज 24 घंटे बिजली मिल रही है लेकिन 20 घंटे एवरेज राजस्थान के अन्दर है।

माननीय सभापति महोदय, समस्या क्या आ रही है, बिजली हमारे पास है और 4 महीने में हम आत्मनिर्भर ही नहीं हो जायेंगे, बल्कि पास वाले

(श्री गजेन्द्रसिंह)

प्रदेशों को भी बिजली देना शुरू करेंगे, लेकिन अभी जो तंत्र है बिजली का ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठे-बैठे, नो, बैठ जाइये। (व्यवधान) बाद में। (व्यवधान) पहले बैठ जायें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): 9 महीने में देंगे ...(व्यवधान)

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, अभी बिजली का जो तंत्र है, जो अपने ट्रांसफार्मर्स हैं, जी एस एस हैं, जो तार हैं, वे 24 घंटों को सहन नहीं कर पा रहे हैं। यह मैं स्वीकार करता हूं। इसके लिए हम जो फीडर सुधार कार्यक्रम कर रहे हैं, जो हम वी सी बी लगा रहे हैं, फीडर मीटर लगा रहे हैं, हम जो ट्रांसफार्मर्स की क्षमताएं बढ़ा रहे हैं, यह सब करने के बाद में आपका अक्टूबर के बाद में तंत्र मजबूत होना शुरू हो जाएगा और आपको अहसास होगा कि वह 24 घंटे बिजली की ओर हम धीमे-धीमे जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, लूणी से आने वाले माननीय जोगारामजी ने एक विशेष बात उठाई, माननीय सब एम एल एज की एक ही बात रहती है कि गैर-आबादी के अन्दर हमें पटवारी पट्टे नहीं देता है। पटवारी पट्टे नहीं देता है तो आपके पास कई आप्शन हैं, आप रजिस्ट्री का पेपर दिखाओ; अलाटमेंट लेटर बताओ, जैसे जे डी ए, रीको का है; आप बाण्ड एग्रीमेंट बता दें; आप सेल डीड बता दें; आप कोर्ट आर्डर बता दें; या आप affidavit भी दे सकते हैं। यह जो आपकी पट्टे वाली समस्या है, यह आपकी दूर हो गई है। Affidavit में अब क्या मुश्किल काम है? Affidavit दे दो, उस पर आपको दे देंगे।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): जमाबंदी को भी ले लो।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): हां, जमाबंदी को भी हम ले लेंगे। आपने जो सुझाव दिया है, बहुत अच्छा सुझाव दिया है। हम इस पर आ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सब लोगों को बिजली मिले।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी ने जो बोला है बिजली के लिए, 20 घंटे बिजली मिल रही है...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र में 12-14 घंटे बिजली मिल पा रही है।

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि जो बिजली के ट्रांसफार्मर हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। आसन पैरों पर है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, निवाई से आने वाले, विराज जाएं। (व्यवधान). बैठें, मंत्रीजी। देखिये, आज आखिरी दिन है, कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि जिन विषयों पर चर्चा उठाई गई है प्रश्न के माध्यम से, उन विषयों का स्पष्टीकरण मंत्रीजी कर रहे हैं। उनको करिये।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): बाड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बोला अभी...

श्री अध्यक्ष: आप बीच में माननीय सदस्यों के जवाब देंगे तो लम्बा होगा काम। आप अपने विषय पर सीमित रहिए।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): ठीक है, नहीं देता हूं। (व्यवधान) सबको बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देनी है, चिंता मत करो आप। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मंत्रीजी आप की तरफ देखें। आंखें कहीं और मिल रही हैं इनकी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराज जाएं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, आपके तो चंबल से बिजली पैदा होगी, तब आपके घर में आयेगी।

श्री सभापति: मंत्रीजी, हमारे यहां व्यवस्था है कि हम सदन, बैठो तो सही, आसन पैरों पर है; अपने यहां व्यवस्था है कि जब माननीय सदस्य या माननीय मंत्री बोलें तो आसन से आंख मिलाकर बोलें, इधर-उधर आंख नहीं मिलायें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इतने वर्ष तक आंख मिलाई आपने ...(व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इस पर व्यवस्था थोड़ी दूसरी दें। आज उधर आंखें करने का कारण दूसरा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): तभी कह रहा हूं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सभापति महोदय, ये इतने वर्षों से आंख मिला रहे हैं, आज थोड़ी देर के लिए आंख चुरा नहीं सकते। इतना क्या डर है इनको?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, संसदीय कार्य मंत्रीजी को यह योग्यता कहां से हासिल हुई, यह तो बतायें।

श्री सभापति: देखिये, संसदीय कार्य मंत्रीजी इस विषय में सिद्धहस्त हैं, इस विषय में।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): संसदीय कार्य मंत्रीजी को महारत हासिल है, महारत। एक्सपर्ट हैं ये तो इस चीज के। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अच्छा तो लगा ना आपको? बुरा थोड़े ही लगा?...(व्यवधान)...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं। मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सब सदस्यों ने गोपनीयता की शपथ ली हुई है, इसलिए सब बातें नहीं कहेंगे यहां पर। हां, बोलिए।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, एक चीज मैं छाती ठोककर कह सकता हूं कि माननीय मंत्रीजी के जितना रोमांटिक मैं नहीं हूं। (व्यवधान) इनके जितना रोमांटिक नहीं हूं मैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, भटके नहीं आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक चीज को स्वीकार किया है कि रोमांटिक नहीं हैं। यह बात निकली तो दूर तलक जायेगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब इतनी दूर चली गई है कि आगे जाने की गुंजाइश नहीं है। अब बात खतम करिये।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने तारों के बारे में बोला था, यह मैं स्वीकार करता हूं और हमने हमारे सब डिस्काम को निर्देश दिये हैं कि 30 सितम्बर तक पूरे राजस्थान के शहरों के और गांवों के जितने भी तार, जो ढीले हैं या जिनके बीच में पोल की कमी है, उनको टाइट किया जाये। यह मैं सदन को आश्वासन देता हूं।

माननीय सदस्य ने यह भी बोला था कि सरकार ने 8 घण्टे किसानों को बिजली देने का वादा किया है, हम स्वीकार करते हैं, हमने वादा किया,

(श्री गजेन्द्रसिंह)

हमारे घोषणा पत्र में था लेकिन यह हमने वादा नहीं किया था कि हम 15 जुलाई तक दे देंगे या 31 जुलाई तक दे देंगे। तंत्र मजबूत कर रहे हैं, अवश्य हम देंगे, हम देंगे, हम साढ़े छह सात घण्टे दे रहे हैं, इसको बढ़ाकर हम किसानों को 8 घण्टे बिजली देंगे। (व्यवधान)

जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने ढाणियों के बारे में, आबादी का प्रमाण पत्र और आपने जो बातें की थीं, मेरे ख्याल में मैंने सबका जवाब एक साथ दे दिया है, इसके बाद में...

श्री सभापति: चर्चा समाप्त। (व्यवधान) चर्चा समाप्त। माननीय मंत्रीजी, विराजें।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, इनके फायदे का सुझाव है, इनके फायदे का। माननीय मंत्रीजी, आपकी इन्टेंशन बहुत अच्छी है लेकिन जो भी आपने यहां पर मैजर्स उठाने की घोषणा की है, आपसे नम्र निवेदन है कि एक बुकलेट की फोर्म में, लेटेस्ट जो गाइडलाइन्स हैं आपकी, आप सभी विधायकों को भिजवाने की कृपा करें। क्योंकि आपकी इन्टेंशन बहुत बढ़िया है, गाइडलाइन बहुत बढ़िया है लेकिन नीचे के स्तर पर, इसका ईमानदारी से मैं आपको कहता हूं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इससे कठिनाइयां आ रही हैं। आप सबको भिजवा दें तो आपके जो आदेश हैं, वह हम उन लोगों को बता कर कह देंगे कि गवर्नमेंट का यह लैटर है, यह आर्डर है, आप इसको फोलो क्यों नहीं कर रहे हैं? इतना ही आपसे निवेदन है मेरा।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, राजखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा, आपको ध्यान में नहीं है, मैं पूरे राजस्थान के हर जिले का दौरा कर रहा हूं। मैंने 15 जिले कर लिये हैं, पूरे 33 जिले करने के बाद में, क्योंकि हर जिले के अन्दर बिजली की, जैसे नहर एरिया में डिमाण्ड है कि सिंगल फेज कनेक्शन दिया जाये क्योंकि पानी बहुत नजदीक है, ऐसे हर एरिये के अन्दर अपनी आन कैरेक्टरिस्टिक प्रोब्लम्स हैं, वे नोट की जा रही हैं, मैं जिस जिले में जा रहा हूं।

लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, मैंने उसमें यह नहीं रखा है कि विपक्ष के लोग नहीं आयेंगे और सत्ता पक्ष के लोग ही आयेंगे। सबको बुलाकर, मीटिंग्स करके, हर जिले के एक्स ईएन, जे ईएन, ए ईएन, एस ई

(श्री गजेन्द्रसिंह)

और चीफ इंजीनियर को बुलाकर, मीटिंग करके, जन प्रतिनिधियों को बुलाकर, आपकी समस्या सुनी है। यह जब मैं 33 जिले कर लूंगा, उसके बाद कृषि नीति बनेगी और उसके बाद हमारा एक मास्टर प्लान पांच साल का विद्युत विभाग का हम बनायेंगे, जो आपके लिए बिलकुल किया जायेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: चर्चा समाप्त। विराजें, माननीय सदस्य।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री अर्जुनलाल जीनगर।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले में नियम विरुद्ध खनन करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत माननीय खनिज मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। चित्तौड़, भीलवाड़ा जिले में अवैध खनन व नियम विरुद्ध खनन पर कठोर कार्यवाही करने की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री सभापति: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से, माननीय सदस्य ने नियम और प्रक्रियाओं के नियम 131 के तहत सरकार का ध्यान भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले में अवैध खनन की ओर आकर्षित किया है। बड़ा विस्तृत आपका ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव था, माननीय सभापति महोदय, इसमें 13 अलग-अलग बिन्दुओं को उठाया गया है। मैं कोशिश करूंगा कि सभी बिन्दुओं के बारे में अपने उत्तर के माध्यम से माननीय सदस्य को संतुष्ट करूं।

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने सवाल खड़ा किया है कि बिरला सीमेंट्स वर्क्स और बिरला सीमेंट वर्क्स, चंदेरिया, इसके अन्दर गरीबों की जमीन पर अवैध खनन हो रहा है। इनको जो खनन पट्टा आबंटित हुआ था, उसमें मंदिर और देवरों को हटा दिया, रास्ते हटा दिये, चरागाह की भूमि पर अवैध खनन हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, जो बिरला सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड है, इसको 1,547 हैक्टेयर में दिनांक 19.6.1964 को 20 वर्ष के लिए लीज स्वीकृत

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हुई थी, जिसको पहले 20 वर्षों तक बढ़ाया गया, 22.6.1984 तक के लिए और अब इन्होंने 599 हैक्टेयर का जो दुबारा नवीनीकरण होना चाहिए था, वह सरकार के पास अभी लम्बित है।

तो मुझे सरकार ने जो जानकारी दी है, माननीय सभापति महोदय, इतनी बड़ी लीज है यह, इसके अन्दर निश्चित तौर पर चरागाह भी हैं, इस लीज के अन्दर निश्चित तौर पर कुछ मंदिर और देवरे भी हैं। कुछ मंदिर और देवरे स्थानीय लोगों की सहमति से दूसरे सुरक्षित स्थान पर पहले कालान्तर में हटा दिये गये थे और चरागाह में जहां भी खनन हो रहा है, नियमानुसार प्रशासन ने अनुमति दे रखी है। जहां भी सार्वजनिक महत्व का स्थान है, मंदिर, देवरे, नियमानुसार इनके 50 मीटर के अन्दर खनन नहीं हो सकता, अभी यह दूरी छोड़कर खनन किया जा रहा है।

इसके अलावा भी, माननीय सभापति महोदय, ऐसी कोई स्पेसिफिक कम्प्लेंट आपके पास होगी कि फलां जगह, फलां सार्वजनिक स्थल के पास में खनन हो रहा है, या फलां जगह पर, उस जगह पर चरागाह में बिना अनुमति खनन हो रहा है, तो निश्चित तौर पर सरकार इस पर जांच करायेगी।

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने दूसरे बिन्दु में चित्तौड़गढ़ जिले के 14 गांवों का जिक्र किया है, ये 14 गांव हैं, सेनवास, सावा, निनोद, फलासिया, पढ़ूंगा तो लम्बा समय लगेगा, इन 14 गांवों में मिनरल कन्सेशन रूल्स, 1960 के तहत खनन पट्टे स्वीकृत हुए थे और खनन पट्टे की स्वीकृति के अन्दर खनन हो रहा है। पूर्व में एक शिकायत आई थी और उस शिकायत के आधार पर ए सी बी ने, एन्टी करप्शन ब्यूरो ने प्राथमिक जांच, जिसको 'पी ई' कहते हैं, दर्ज की थी और फिर उसमें यह तय हुआ कि सम्बन्धित एस डी एम अलग-अलग तहसीलदारों को निर्देश दे; तहसीलदार, माइन्स विभाग का एम ई, इनका एक संयुक्त दल बने और भौतिक सत्यापन हो। अब यह भौतिक सत्यापन हो रहा है, पर इसकी समय सीमा नहीं थी। मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि 3 महीने के अन्दर, यह जो 14 गांवों में मिनरल्स कन्सेशन रूल्स के तहत जो पट्टे दिये गये हैं, माननीय सदस्य, इनका तीन माह में भौतिक सत्यापन हो जायेगा और भौतिक सत्यापन के बाद जो लोग दोषी पाये जायेंगे, उनके खिलाफ निश्चित तौर पर, माननीय सभापति महोदय, कार्यवाही होगी।

अगले बिन्दु में इन्होंने भीलवाड़ा जिले के कुछ गांवों का जिक्र किया

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है, उनमें भोती गांव है, उदयपुरिया गांव है, आंटी है, कासिया है, तिलसोवा है, पांचनपुरा है और उसमें इन्होंने कहा है कि इन गांवों में सिंचित भूमि है, या जो नहरी भूमि है, उसमें खनन का कार्य हो रहा है। निश्चित तौर पर मैं मान रहा हूं कि हमारे जो मिनरल कन्सेशन रूल्स हैं, उसमें सिंचित भूमि और नहरी भूमि पर खनन पट्टा नहीं दिया जा सकता। जिन गांवों का उल्लेख इन्होंने किया है और मुझे जो विभाग ने बताया है, वह सारी बंजर किस्म की जमीन है। हां, एक गांव है इसमें आंटी, उसमें दो प्रकरण हैं, वह सिंचित भूमि थी, पर उस सिंचित भूमि में इन्होंने एक शर्त के साथ, विभाग ने, उस वक्त खनन पट्टा जारी किया था कि भूमि की किस्म का परिवर्तन हो और वह भूमि का परिवर्तन हुआ नहीं, इसलिए वह खनन पट्टा आज तक दिया नहीं गया। उसमें अगर खनन अब हो रहा है, मुझे जो बताया गया कि चूंकि भूमि का किस्म परिवर्तन नहीं हुआ इसलिए खनन पट्टा वहां जारी नहीं किया, खनन कार्य हो नहीं रहा है।

इसी प्रकार, माननीय सदस्य, आपने भीलवाड़ा जिले के गांवों का जिक्र किया, वह भी 14 गांव, केरखेड़ा, महपुरा, लक्ष्मी निवास, सुखपुरा, सतकुण्डिया, खड़ीपुर, लक्ष्मीपुरा, ये 14 गांव पूरे आपने लिखे हैं, इसमें आपने लिखा कि अवैध खनन यहां हो रहा है; नदी-नालों का अस्तित्व खतम कर दिया; स्वीकृत खनन पट्टे जारी किये, उनकी आड़ में खनन हो रहा है। मैं निवेदन करूं कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान चला, 38 एफ आई आर दर्ज हुई हैं और 332 प्रकरण दर्ज हुए हैं। सरकार इन सारे 14 गांवों में दुबारा विशेष अभियान चलायेगी और, माननीय सदस्य, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि आने वाले एक महीने में हम यह विशेष अभियान चलाकर, अगर आपके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्दर जो आपने लिखा है, उसी आधार पर एक बार सत्यापन करवा लेंगे। अवैध खनन के खिलाफ निश्चित तौर पर मुस्तैदी से कार्य करेंगे।

आपने एक कम्पनी का जिक्र किया है, स्टोन-आन-नेट, माननीय सभापति महोदय, इस कम्पनी को 2003 में तत्कालीन सरकार ने अपनी आखिरी दिनों के अन्दर 290 बीघा में खनन पट्टा जारी किया, बहुत बड़ा। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि यहां एम एम सी आर रूल्स, 1968 हैं, इसके रूल 65 के अन्दर सरकार को डिस्क्रीशन का अधिकार है। यानी, सरकार चाहे तो सब चीजों को रिलेक्स करके चाहे जिसको पट्टा दे सकते हैं, उसका उपयोग हुआ। उसमें, माननीय सदस्य, आप कह रहे हो कि नदी-नाले सारे पाट दिये

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

गये; अरू नदी है, उसका स्वरूप ही खतम कर दिया। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, मुझे जो कहा गया है कि सुरक्षित दूरी जो 45 मीटर है, उसमें खनन कार्य किया जा रहा है। अभी 24.1.2013 से क्योंकि इसको पुन: पर्यावरण से अनुमति नहीं मिली थी नवीनीकरण के समय, इसलिए यह खनन पट्टा बंद है। इस पर अभी खनन कार्य नहीं हो रहा है।

आपने कुछ गांवों का जिक्र करते हुए कहा कि हाईटेंशन वायर के नीचे खनन हो रहा है, हाईटेंशन खंभे के पास खनन हो रहा है, जिसमें आपने नयापुरा, नया नगर, बिरजापुरा, उदयपुरिया, इन गांवों की बात की और 10 खनन पट्टे जारी करने की बात की। मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय,

(13.51 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

बिरजापुरा और उदयपुरिया, ये दो गांव ऐसे हैं जिन गांवों में खनन पट्टा जारी किया गया, उसके बाद हाईटेंशन वायर खींचे गये। यानी, हाईटेंशन वायर खनन पट्टा जारी होने के बाद आने से, निश्चित तौर पर वहां खनन हो रहा है, परन्तु वहां भी इस हाईटेंशन के नियमानुसार 45 मीटर को छोड़कर खनन काम किया जा रहा है।

सभापति महोदय, इन्होंने आगे अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में लिखा कि यह जो स्ट्रिप आफ लैण्ड है, इस स्ट्रिप आफ लैण्ड के आबंटन में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जो एम एम सी आर का नियम 25 है, इसमें स्ट्रिप आफ लैण्ड को आबंटित करने का प्रावधान है। हालांकि अभी खनन विभाग की डिमाण्ड थी, उसमें सरकार ने एलान किया, इसमें लोकल बाडीज से एन ओ सी लेने की बात थी, ग्राम पंचायत और स्थानीय निकाय से, वह शर्त हटा दी। इसके अन्दर भी यदि कोई स्पेसिफिक शिकायत है, इसके अन्दर कुछ शिकायतें मिली थीं, डाइरेक्टर माइन्स ने एस एम ई, अजमेर और एम ई, नागौर की बनायी थी, जांच हो रही है। इसमें स्ट्रिप आफ लैण्ड में आपने कहा कि इन-इन पट्टों के आबंटन में भ्रष्टाचार हुआ है, उनकी जांच, हम एस एम ई, अजमेर और एम ई नागौर का एक संयुक्त दल बनाकर जांच कर लेंगे और जांच के अन्दर जो दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

आपने अपने प्रस्ताव के अन्दर एक विधवा महिला की भूमि पर अवैध कब्जा करके खनन करने की बात उठायी। निश्चित तौर पर मैंने विभाग को

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

निर्देशित किया है कि आपने जो कहा है, उस भूमि पर, निजी भूमि पर पहले कब्जा और उसके बाद खनन; गम्भीर आपत्ति है, उसकी जांच करवाएंगे। ऐसे खननकर्ता के खिलाफ निश्चित तौर पर कानूनसम्मत कार्यवाही करेंगे।

आपने अपने प्रस्ताव के अंतिम में लिखा है कि ग्रामदानी गांव, ग्रामदानी एक्ट बना हुआ है, उसके विरुद्ध खनन की स्वीकृतियां जारी कर दीं। ये गांव कटवाड़ा है, हेमनिवास है, मकरेड़ी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 1 अप्रैल, 1997 में कोई नियम बने हुए थे, ग्रामदानी गांव के अध्यक्ष की सहमति मिल जाय या अनापत्ति प्रमाण-पत्र मिल जाय, उसके आधार पर ये खनन पट्टे स्वीकृत किये गये थे। मुझे जो जानकारी दी है, उसके अनुसार इन खनन पट्टों में कोई अनियमितता नहीं हुई। 1 अप्रैल, 1997 में सैण्ड स्टोन के लिए खातेदारी भूमि में खनन पट्टे जारी करने का नीतिगत निर्णय सरकार ने पहले कर लिया था।

इसलिए, माननीय सदस्य, कुल मिलाकर जो-जो आपने 14 बिन्दु उठाये और, सभापति महोदय, इतना विस्तृत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था, फिर भी मैंने कोशिश की कि अलग-अलग बिन्दुओं में बांटकर इनका जवाब दूं। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि नियम विरुद्ध कोई बात होगी तो उस पर जांच करवायेंगे और जो खनन पट्टे जारी किये हैं, इनमें कुछ के बारे में बताया कि नियमानुकूल हैं, जो नियमानुकूल नहीं हैं उनमें जांच चल रही है। मेरा इस संदर्भ में इतना ही निवेदन करना था।

श्री सभापति: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी ने मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से जवाब दिया। कई बिन्दुओं पर तो आपने कठोर कदम उठाने की बात कही है और कई में नियमानुसार कार्यवाही करने की बात कही है। मेरा आग्रह है कि जो जवाब दिया है, यह सिर्फ अधिकारियों का बनाया हुआ जवाब है और इस जवाब से न तो मैं संतुष्ट हूं और न सदन संतुष्ट होगा। आज की तारीख में सम्पूर्ण राजस्थान में खनन माफियाओं द्वारा एक ग्रुप बनाकर खनन का कारोबार हो रहा है और ये अरबपति-खरबपति बन गये हैं। शायद इसमें विभाग की भी मिलीभगत हो सकती है क्योंकि अवैध कारोबार वैसे ही नहीं होता है। अवैध कारोबार हो रहा है, इस पर रोक लगाने की जरूरत है।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

अभी मंत्रीजी ने कहा, बी सी डब्ल्यू और सी सी डब्ल्यू के द्वारा... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लीजिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): आपने जो कहा है, उसी के बारे में पूछूंगा।

श्री सभापति: आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए। इसमें वाद-विवाद नहीं हो सकता। आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): प्रश्न यह है कि इसमें नदी, नालों और रास्ते व देवरे जितने भी थे बी सी डब्ल्यू व सी सी डब्ल्यू की खानों में, मौके पर जाकर देखो, इतनी बड़ी लीज हो गई, वहां कम से कम 300-300 फीट गहरी खदान हो गयी। वहां पर कहां तो रास्ते मिलेंगे, कहां चरागाह जमीन मिलेगी, कहां देवरे मिलेंगे? सबको अपनी दादागीरी के बलबूते पर हटा दिया गया है। मैं चाहता हूं, इसकी निष्पक्ष जांच कराएं।

एक और निवेदन करना चाहूंगा। आपने कहा था कि सेकण्ड बार उसने नवीनीकरण के लिए एप्लाई किया है, लेकिन वहां पर आज नवीनीकरण नहीं होने के बाद भी हैवी मशीनों के द्वारा खनन हो रहा है। इसकी भी जांच करायी जाय। हैवी ब्लास्टिंग होती है। वहां के मकान, वहां की स्कूलों में दरारें पड़ गई। इसके बारे में आपने कोई जिक्र नहीं किया। यह भी आपको देखना पड़ेगा।

विश्व प्रसिद्ध धरोहर चित्तौड़ दुर्ग, जो उस लीज की 10 किलोमीटर की सीमा में आता है। हैवी ब्लास्टिंग के कारण वहां पर विजय स्तम्भ और कीर्ति स्तम्भ, दुर्ग पर स्थित हैं, बहुत बड़ा दुर्ग है, वहां पर कीर्ति स्तम्भ को पर्यटकों के लिए बिलकुल बंद करना पड़ा, क्योंकि उसमें काफी दरारें पड़ गई हैं। उसके बारे में आपने कोई जवाब नहीं दिया।

हमारे ही वहां के कुछ जन-प्रतिनिधियों ने न्यायालय में एक वाद दर्ज कराया, जन हित याचिका दर्ज करायी कि दुर्ग के चारों तरफ 10 किलोमीटर के एरिया में किसी प्रकार की माइन्स चालू नहीं हों, लेकिन वहां भी मिलीभगत के कारण हैवी मशीनों द्वारा, ब्लास्टिंग तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन उनमें मशीनों से पत्थर तोड़े जा रहे हैं। इसलिए मेरा मंत्रीजी से आग्रह है कि स्थायी रूप से इन माइन्स को, 10 किलोमीटर की रेडियस की माइन्स को बंद करने से ये धरोहर बचेंगी।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

मेरा अगला प्रश्न यह है कि बिजौलिया में जितनी भी खानें हैं, उनका भौतिक सत्यापन कराने की बात कही है। मैं इस बात का स्वागत करता हूं। आपने एक बात बतायी, स्टोन-आन-नेट प्राइवेट लिमिटेड, जो 24.1.13 से बंद बतायी गयी है, जबकि उन्होंने पड़ोस में कुछ माइन्स अलाट कराकर, चोरी-छिपे, जो बंद माइन्स हैं, उनको भी आज की तारीख में चालू करा रखी हैं। मैंने पर्सनल रूप से अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि सीमा ज्ञान नहीं होने के कारण इस प्रकार का खनन हो सकता है।

मेरा अगला प्रश्न है, क्योंकि सब बिन्दुवार जो आपने जवाब दिया है उसके बारे में मेरा बताना जरूरी है, आपने कहा कि विधवा महिला की खातेदारी जमीन पर कब्जा नहीं किया गया है, जबकि वहां आज भी वह महिला दर-दर की ठोकरें खा रही है। विधवा है, अनुसूचित जाति की महिला है। इस प्रकार का उत्पीड़न उसके साथ हो रहा है।

ग्रामदानी गांवों के बारे में आपने बता दिया कि ग्रामदानी गांवों में किसी प्रकार का नहीं है, नियमानुसार उनको खनन की स्वीकृति दी गयी है। मेरा आपसे निवेदन है कि उस एक्ट को उठाकर देखिए। विनोबा भावे की जो मंशा थी, उन्होंने कहा कि ग्रामदानी गांवों के अन्दर दूसरे गांव का कोई भी व्यक्ति न तो जमीन खरीद सकता है, न वहां उनकी परमिशन के बिना रह सकता है, लेकिन आप कह रहे हो। उस एक्ट में ऐसा कौनसा प्रावधान किया? उस एक्ट के माध्यम से अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष का मतलब होता है गांव के सब लोगों का चुना हुआ व्यक्ति है, वह भी यदि परमिशन देना चाहे तो खनन के लिए परमिशन नहीं दे सकता है। यह अनियमितता हुई है।

मंत्री महोदय, मेरा आपसे यही निवेदन है, हाइटेंशन लाइनें यदि बाद में निकली हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है।

मैं सदन के माध्यम से, अंत में, यह निवेदन करना चाहूंगा, जितना भी अवैध कारोबार हो रहा है, उस पर सख्ती से कोई न कोई ऐसा कठोर कदम उठाकर ऐसा कानून लाया जाय कि अवैध कारोबार बंद हो जाय, और जितने भी खनन माफिया हैं उन पर कैसे रोक लग सकती है, आप जवाब दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे जवाब चाहता हूं। धन्यवाद।

(14.00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

ऐतिहासिक दुर्ग चित्तौड़गढ़, यह सही है, राजस्थान उच्च न्यायालय में भंवर सिंह बनाम यूनियन आफ इण्डिया, इस प्रकरण में 9.8.2011 को चित्तौड़गढ़ गढ़ की 10 किलोमीटर की परिधि में खनन कार्य पर प्रतिबन्ध करने का काम किया था। यह अंतरिम आर्डर था, 25.5.2012 को इसको स्थायी कर दिया गया। तत्कालीन सरकार एस एल पी में गई, सर्वोच्च न्यायालय ने 18.1.2013 को मैन्यूअली खनन करने की अनुमति दी। उसके बाद, सभापति महोदय, 8.3.2013 को जब यह भारी मशीन से खनन करने की अनुमति के लिए वापस सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए सेण्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट, रूड़की को आदेश दिया कि आप जाकर इसका अध्ययन करें। उसके बाद 29 जुलाई को सी बी आर आई ने अध्ययन करके रिपोर्ट में यह कहा, पहले तो उन्होंने कहा कि दुर्ग से एक किलोमीटर तक खनन कार्य पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध, एक से दो किलोमीटर तक मैन्यूअल माइनिंग और 2 से 10 किलोमीटर के बीच में बिना ब्लास्टिंग के भारी मशीन से खनन की अनुमति दी।

सभापति महोदय, यह सही है कि इसी बीच में आर्केलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया, ये चित्तौड़गढ़ गये और उन्होंने पाया कि उसमें दरारें हैं....

श्री सभापति: उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट के लिए समय भी तो मांगा है सितम्बर तक का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि आपसे ज्यादा इस प्रकरण में किसी को ज्ञान नहीं है। अब अगली तारीख इसमें 13.10.2014 की है।

मैं माननीय सदस्य और सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि चित्तौड़गढ़ हमारी धरोहर है। खनन के माध्यम से चित्तौड़गढ़ दुर्ग को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, यह सुनिश्चित करेंगे।

आपने कहा कि बिरला सीमेंट में और इनका द्वितीय नवीनीकरण बकाया है और बिना नवीनीकरण के वहां खनन हो रहा है, इसकी भी जांच करेंगे। निश्चित तौर पर मैं अधिकारियों को निर्देश दे रहा हूं कि बिना नवीनीकरण के वहां किसी प्रकार का खनन नहीं होना चाहिए।

स्टोन-आन-नेट के लिए आपने कहा कि बन्द तो हो गई, पर्यावरण ने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अनुमति नहीं दी, पर दूसरी लीज के बहाने से वे अपनी पुरानी लीज में खनन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उसमें भी मैं विभाग को निर्देश दूंगा कि इस पर भी पूरी जांच करें और जो उनके पास लीज है उसी में खनन करें, जो बन्द हो गई उसमें नहीं करें।

श्री सभापति: सवाल हो गया। I will not allow that. (व्यवधान) माननीय सदस्य, इस 131 में स्पष्टीकरण आने के उपरांत, आसन नियमों से बंधा हुआ है, चाहते हुए भी आसन आपको स्वीकृति नहीं दे सकता। आसन भी नियम से बंधा है।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री राजेन्द्र राठौड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, वित्त विभाग की 16 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्न 16 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-76 दिनांक 30.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-1 में संशोधन किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-77 दिनांक 30.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-2 में संशोधन किया गया है;
3. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-78 दिनांक 30.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-4 में संशोधन किया गया है;
4. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-79 दिनांक 30.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-5 में संशोधन किया गया है;
5. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-80 दिनांक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

30.7.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-18 दिनांक 14.7.2014 में संशोधन किया गया है;

6. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-81 दिनांक 30.7.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)वित्त/कर/2007/145 दिनांक 9.3.2007 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

7. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-82 दिनांक 30.7.2014 जिसके द्वारा मार्बल पर संदेय कर की दर निर्धारित की गई है;

8. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-83 दिनांक 30.7.2014 जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों को उनके द्वारा फ्लैटों, वासगृहों या भवनों या अन्य परिसरों के संनिर्माण के लिए उनके द्वारा किये गये करार के सम्बन्ध में 31.3.2014 तक प्राप्त प्रतिफल की रकम पर संदेय कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

9. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-84 दिनांक 30.7.2014 जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत टैन्ट व्यवहारियों को प्रशमन स्कीम, 2011 के अन्तर्गत संदेय कर पर सशर्त छूट प्रदान की गई है;

10. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-85 दिनांक 30.7.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-32 दिनांक 14.7.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

11. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-86 दिनांक 30.7.2014 जिसके द्वारा स्टेनलैस स्टील शीट्स, सर्किल और बर्तनों के विनिर्माताओं को संदेय कर पर सशर्त छूट प्रदान की गई है।

12. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-87 दिनांक 30.7.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-33 दिनांक 14.7.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

13. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-88 दिनांक 30.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थानी भाषा की फिल्मों के प्रदर्शन पर संदेय कर का परिहार किया गया है;

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

14. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-89 दिनांक 30.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर नियम, 1957 में संशोधन किया गया है;

15. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-90 दिनांक 30.7.2014 जिसके द्वारा संगम या स्टाक एक्सचेंज के माध्यम से किसी व्यापारिक सदस्य द्वारा कार्यान्वित संव्यवहार के अभिलेख के प्रवर्गों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दरें निर्धारित की गई हैं; एवं

16. अधिसूचना संख्या: एफ.24(1)वित्त/कर/2014-91 दिनांक 31.7.2014 जिसके द्वारा गोलछा थियेटर, जयपुर में विद्यालय के छात्रों के लिए कतिपय फिल्मों को उद्ग्रहणीय मनोरंजन कर से परिहार किया गया है।

श्री सभापति: विधायी कार्य। विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 । प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैंने राजस्थान सिविल न्यायालय विधेयक के संशोधन बाबत यह प्रस्ताव किया है कि इसको जन मत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, ये दो जो प्रस्ताव आये हैं, एक तो धन सम्बन्धी अधिकारिता के विषय में और एक आया है नाम परिवर्तन के लिए। माननीय सभापति महोदय, कोई भी सरकार, जो जनता के द्वारा चुनी जाती है, उसका उद्देश्य होता है कि हम जनता को किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दें। माननीय सभापति महोदय, आज जो स्थिति बनी हुई है, कोर्टों में, चाहे सिविल कोर्ट हों, चाहे राजस्व कोर्ट हों, सब में मुकदमों का अम्बार लगा

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

हुआ है और चाहते हुए भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है। जबकि हमारा सबका एक ही उद्देश्य है, सरकार का भी एक ही उद्देश्य होता है कि हम न्याय सुलभ करायें और त्वरित न्याय भी प्रदान करें। इसमें हमें आज आवश्यकता इस बात की है, केवल ये दो संशोधन ही पर्याप्त नहीं हैं, माननीय सभापति महोदय; आज जिस प्रकार से ग्रामीण न्यायालय गांवों में खोलकर हम गांव के लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में जाकर न्याय प्रदान करने की बात कर रहे हैं, उनको भी और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है और एक टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए। इसमें एक यह भी संशोधन होना चाहिए कि किस तरह का मुकदमा कितने दिन में वह निस्तारित होगा। आज हम देख रहे हैं कि एक सिविल मुकदमा दो साल, पांच साल, सात साल, दस साल तक लोग अपनी जूतियां तोड़ लेते हैं उस न्याय के लिए और फिर भी उसको न्याय नहीं मिलता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप पूरे प्रदेश में केवल जयपुर हाई कोर्ट बेंच और जोधपुर हाई कोर्ट हैं। आज हमें आवश्यकता है कि हाई कोर्ट की एक बेंच शेखावाटी क्षेत्र में और खोलनी चाहिए और प्रदेश में हाई कोर्ट की तीसरी बेंच भी होनी चाहिए। इस बात की भी आवश्यकता है। इस बात पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। माननीय राठौड़ साहब हमारी मेडिकल कालेज तो, सीकर का हक चूरू ले गये, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट की बेंच सीकर में खोलने की कृपा करेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था करें तो मैं समझता हूं कि उसकी थोड़ी-बहुत, दो पैसे की पूर्ति हमें हो सकेगी।

तीसरा मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि एक मूर्ति-मंदिर का बहुत बड़ा प्रकरण है। हजारों-लाखों बीघा जमीन, जिसमें किसान आबाद है, मकान बनाकर रह रहा है, सैकड़ों सालों से रह रहा है, लेकिन कोई न कोई अधिकारी आता है और किसी न किसी बहाने, चाहे रेफरेंस का बहाना लो, चाहे और किसी का बहाना लो, चाहे 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के संशोधन के बहाने, किसानों की भूमि को, जो आबाद है, उसकी खातेदारी में है, उसको मूर्ति-मंदिर में कर जाता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में आज से 4-5 साल पहले लार्जर बेंच को, मूर्ति-मंदिर कौनसी मानी जाएगी, और कौनसी किसान की मानी जाएगी, इस जमीन के बाबत लार्जर बेंच को यह मामला रेफर हुआ था। लार्जर बेंच गठित भी हुई और उसकी 2-3 सीटिंग होने के बाद में, आज पांच-छह साल के

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

लगभग का समय हो गया, पर दुबारा वह लार्जर बेंच नहीं बनी। किसी भी कोर्ट में कोई भी मुकदमा मूर्ति-मंदिर का चला जाए तो सारे के सारे कोर्टों, छोटे से लेकर बड़े तक, ऊपर तक, एक ही रहता है कि इसमें लार्जर बैंच में मामला चल रहा है। इसलिए किसान का जो मामला है, उसको लटका दिया जाता है। एक छोटा-सा अधिकारी यह कर गया कि मूर्ति-मंदिर के नाम की जाती है और किसान का नाम हटाया जाता है; गलत कर गया, हमारा जो रेवेन्यू बोर्ड है उसके परिपत्र के खिलाफ कर गया, हमारा जो कानून है उसके खिलाफ कर गया, लेकिन न्यायालय का निर्णय मानकर, न तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही होती है और लार्जर बेंच में मामला पेंडिंग है, यह कहकर करीब 7-8 साल से ये मामले पेंडिंग हैं। हमारे सीकर में पिछले 12 महीने, डेढ़ साल पहले एक उप खण्ड अधिकारी आया और 60 साल से काबिज और खातेदारी की करीब 3 हजार बीघा जमीन को मूर्ति-मंदिर के नाम कर गया। कोई रेवेन्यू कोर्ट में जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई सम्भागीय आयुक्त के जा रहा है और अपनी जेब कटाकर के, कोई आदमी सक्षम है, दो रुपये दे सकता है तो वह वहां से वापस निर्णय ला रहा है। वहां पर उसका इंडिविजुअल निर्णय कर रहे हैं। एक आर्डर से 3 हजार बीघा जमीन का फैसला किया गया और जब कोर्टों में जाता है तो हजार किसान हैं तो पर्टिकुलर एक-एक के लिए उसका फैसला आता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार सदन के माध्यम से यह बात हाई कोर्ट के ध्यान में लाये कि जब आपने लार्जर बेंच गठित कर दी तो उसकी सुनवाई करके, जो किसानों के लाखों प्रकरण उच्च न्यायालय में या नीचे के लोअर कोर्टस में पेण्डिंग हैं, उनका भी समाधान हो।

तीसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, सरकार की यह मंशा होती है कि सुलभ न्याय मिले, इसके लिए मेरे लक्ष्मणगढ़ में ए.डी.जे. कोर्ट स्वीकृत कराई जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ में, यह जो विधेयक है, इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये। कोई जल्दी नहीं है, केवल मात्र दो संशोधन लाकर हम सदन का समय लगायें। इन सब बातों पर विचार करके जन मत जानने हेतु परिचालित करने के लिए जाये और पूरे सारे के सारे प्रकरण सम्मिलित करते हुए, जो आज सदन के माध्यम से उठे हैं, उनके माध्यम से, वे सारे प्रकरण आयें, फिर संशोधन आये, तो मैं समझता हूं, ठीक रहेगा। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जोगारामजी पटेल

(अनुपस्थित)

श्री प्रहलादजी गुंजल।

(अनुपस्थित)

श्रीमती अनिता भदेल

(अनुपस्थित)

श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, जिस प्रकार से आज राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014, जिसके द्वारा सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 को संशोधित किया जा रहा है, इस पर मैं मेरे विचार व्यक्त करूंगा।

सभापति महोदय, मेरे से पूर्व लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी बात रखी। धारा 19 को जो संशोधित किया जा रहा है, सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्तमान में 25,000 रुपये है, उसकी सीमा बढ़ाकर दो लाख और वरिष्ठ सिविल जज का क्षेत्राधिकार बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया जा रहा है। सभापति महोदय, अगर यह संशोधन हो जाता है तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास और सीनियर जज हैं, उनके पास जितने भी मामले हैं, वे कोर्ट खाली हो जायेंगे।

मैं आपके माध्यम से इस विधेयक के संशोधन को पारित होने से पहले जन मत जानने हेतु भेजने के लिए निवेदन करना चाहूंगा।

मुंसिफ कोर्ट के अन्दर जो सिविल न्यायालय और वरिष्ठ सिविल न्यायालय बने हुए हैं, वहां 6-6 महीने तो स्टे के लिए अपीलें पेंडिंग हैं। मुझे नहीं लगता कि इनका क्षेत्राधिकार अगर सीधा ही दो लाख और पांच लाख रुपये कर दिया गया तो यह बहुत ज्यादा ठीक होगा। अगर सरकार इसमें बढ़ाना ही चाहती है तो एक बार इस संशोधन विधेयक को जन मत जानने हेतु परिचालित किया जाना आवश्यक है। 1992 के अन्दर पहले यह राशि 5,000 और 10,000 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 25,000 और 50,000 रुपया किया गया था। मेरी इसमें यह राय है, निवेदन है कि अगर बढ़ाना हो सरकार को तो एक लाख रुपये और दो लाख रुपये किया जाये, जो ज्यादा विधिमान्य होगा और इसे जन मत जानने हेतु एक बार अगर परिचालित किया जाये तो ज्यादा ठीक रहेगा।

श्री सभापति: मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, सदन के सम्मुख राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 विचारार्थ है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दो उन माननीय सदस्यों को, जिन्होंने इस ओर सारगर्भित बात कहकर मेरा मार्गदर्शन किया।

सभापति महोदय, मूलत: सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों के वेतन, पेंशन और परिलाभ के लिए एक शेट्टी कमीशन बनाया था जस्टिस शेट्टी की अध्यक्षता में। उस शेट्टी कमीशन की अभिशंसाओं के अन्दर यह अभिशंसा भी थी कि वर्तमान के अन्दर जो सिविल न्यायाधीश और अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ) और उसके साथ ही सिविल न्यायाधीश और अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ), इन दोनों का पदनाम बदलकर सिविल न्यायाधीश और सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ) रखा जाये। यही संशोधन इस प्रस्तुत विधेयक के सेक्शन-5 में हम लेकर आये हैं।

इसके अलावा, 5-4-2014 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की फुल बेंच की एक बैठक हुई। राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने भी यह अभिशंसा की थी कि सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक के माध्यम से हम इन पदों के नाम को बदलें।

सभापति महोदय, हिन्दुस्तान के संविधान के अन्दर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों स्तम्भों के बारे में, इनके कार्य कैसे होंगे, इनकी कार्यप्रणाली क्या होगी, इनका गठन कैसे होगा, इनके अधिकार क्या हैं, इनके बारे में विस्तृत विवेचना की गई है और अगर उन विस्तृत विवेचनाओं को हम कुछ शब्दों में बांधें तो हम यह कह सकते हैं कि इन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की लक्ष्मण रेखा भी है। निरंकुश अधिकार किसी को नहीं दिया गया।

सभापति महोदय, हमारा जो संविधान है, उसके चैप्टर-V के अन्दर आर्टिकल 214 से 231 के बीच में माननीय उच्च न्यायालयों के गठन और उनकी कार्यप्रणाली का उल्लेख किया गया है। इसके बाद चैप्टर-VI को अगर हम देखें तो उसमें आर्टिकल 233 से 237 के बीच में अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यप्रणाली और गठन की बात कही गई है। आर्टिकल 233 के अनुसार, जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति और पदोन्नति उच्च न्यायालय के परामर्श से महामहिम राज्यपाल करते हैं। वहीं, सभापति महोदय,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आर्टिकल 234 है, उसमें उल्लेख किया गया है कि जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) और अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड), इनकी नियुक्ति महामहिम राज्यपाल महोदय, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है, माननीय उच्च न्यायालय के परामर्श से।

सभापति महोदय, इस सन्दर्भ में विधान सभा को कानून बनाने का अधिकार, हमारे संविधान की शिड्यूल-VII में जो सूची-III है, उसमें एन्ट्री-11 (A) है, उसमें लिखा है कि न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों के गठन का अधिकार सरकार और सदन को है।

सभापति महोदय, मूल रूप से यह जो संशोधन आया है, यह राजस्थान सिविल कोर्ट आर्डिनेंस, 1950 का संशोधन है। हमारा संविधान लागू होने से पहले जो तत्कालीन राज्य सरकारों ने आर्डिनेंस जारी किये थे, वे आर्डिनेंस आज भी आर्डिनेंस के रूप में परिचालित हैं।

अगर देखा जाये तो धारा 5 के अन्दर संशोधन सरकार लेकर आई है। दीवानी मामलों में सिविल न्यायाधीश और अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ), ये मुंसिफ मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी होते हैं और सिविल न्यायाधीश और सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ), ये सी जे एम और ए सी जे एम स्तर के अधिकारी होते हैं। अब इनमें पदनाम बदलने का प्रस्ताव सरकार का है।

इसके साथ ही, सेक्शन 6 और 7 के अन्दर, जब ये पदनाम बदले जायेंगे, तो उसके साथ-साथ न्यायालयों के नाम भी बदलने पड़ेंगे, इसलिए न्यायालयों के नाम बदलने के प्रस्ताव सेक्शन 6 और 7 में हैं। इसी प्रकार का संशोधन, पदनाम बदले जाने के कारण, सेक्शन 5 में हम पदनाम बदल रहे हैं, तो इसी प्रकार का संशोधन हमें सेक्शन 11, 12, 12(क), 13 और 14 में लाना पड़ रहा है।

अब, सभापति महोदय, इन संशोधन के पीछे हेतु क्या है, इसका विवरण हमने विधेयक की धारा 19 में किया है। इस संशोधन के माध्यम से सरकार वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश को पांच लाख रुपये तक की सम्पत्ति के प्रकरणों को सुनने का अधिकार देना चाहती है। दो ही कैटेगरी रखी हैं, सिविल न्यायाधीश और वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश; सिविल न्यायाधीश को 2 लाख रुपये तक के सम्पत्ति के प्रकरण को सुनने का अधिकार सरकार देना चाहती है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसके साथ ही, सभापति महोदय, जो सेक्शन 19(2) है, उसके अन्दर इस बात को स्पष्ट किया गया है कि यह संशोधन जब लागू हो जाएगा तो उससे पूर्व में जो प्रकरण चल रहे हैं, उनका क्या होगा। तो धारा 19(2) के माध्यम से सरकार ने यह प्रावधान किया है कि जो पूर्व प्रकरण जहां चल रहे हैं, जिस न्यायालय में चल रहे हैं, जो वर्तमान मुक़दमे चल रहे हैं, उनका निस्तारण उसी न्यायालय में होगा।

सभापति महोदय, इसी कारण से, पदनाम के सेक्शन 5 के संशोधन के कारण से हमें सेक्शन 21, 22, 23 और 24 में भी संशोधन लेकर आना पड़ा।

सभापति महोदय, सिविल न्यायालय और इसका कनिष्ठ खण्ड, जो इस जुडिशियल सर्विस में सबसे छोटी इकाई है, दो दशक पहले सिर्फ पांच हजार रुपये तक के दीवानी वाद को सुनने का अधिकार इनको था और इसी सिविल न्यायाधीश में वरिष्ठ खण्ड को दस हजार रुपये तक दीवानी प्रकरण सुनने का अधिकार था। बाद में इसमें संशोधन हुआ और सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) को पच्चीस हजार रुपये और सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) को पचास हजार रुपये तक का प्रकरण सुनने का अधिकार दिया। सभापति महोदय, इन वर्षों के अन्दर सम्पत्ति की कीमत जिस तेजी से बढ़ी है, उदारीकरण के इस समय के अन्दर जो सम्पत्ति, इस जयपुर महानगर में भी आप देख लें, जो पांच वर्ष पहले दस लाख की सम्पत्ति थी आज वह बढ़कर उसकी कीमत दो करोड़ हो गई। अब सम्पत्ति की कीमत बढ़ने लगी, दीवानी न्यायालयों में वाद की संख्या बढ़ने लगी।

सभापति महोदय, यह सही बात है, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने सही चिंता की कि न्यायालयों के अन्दर लगातार मुकदमों का अंबार बढ़ता जा रहा है। अभी संसद के अन्दर देश के कानून मंत्री का वक्तव्य मैं सुन रहा था, उन्होंने यह कहा कि देश के विभिन्न न्यायालयों में 2 करोड़ 86 लाख मुक़दमे लम्बित हैं इस समय और, सभापति महोदय, जब यह विधेयक रखा जा रहा था, तब मैंने इस चीज का मालूम किया कि राजस्थान की क्या स्थिति है। विभाग के लोगों ने जो मुझे सूचना दी, सभापति महोदय, अभी वर्तमान में 977 विभिन्न श्रेणियों के न्यायालय पूरे राजस्थान में चल रहे हैं, मुंसिफ़ मजिस्ट्रेट से लेकर डिस्ट्रिक्ट जज तक के हैं, इनमें जो मुक़दमे लम्बित हैं 31 मार्च, 2014 तक, उनकी संख्या 14 लाख 85 हजार 245 है और

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्थान उच्च न्यायालय की दोनों पीठों में जो मुक़दमे लम्बित हैं, उनकी संख्या 3 लाख 2 हजार 741 है। अब ये लम्बित मुक़दमे और कैसे हम त्वरित न्याय दें, सस्ता न्याय दें, इसी को नजर रखते हुए राज्य सरकार ने इन दीवानी अदालतों को सुनने के अधिकार में, इनकी जो राशि है, उसमें वृद्धि करने का काम किया है, कि 2 लाख से सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ) सुनेगा और पांच लाख से सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) इसको सुनेगा।

सभापति महोदय, इसके साथ ही, चूंकि इनकी अपील करने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, एक तरह से एक स्तर पर अपील करने का अतिरिक्त अधिकार और राज्य सरकार दे रही है। पांच लाख के बाद सी.जे.एम. स्तर का अधिकारी सुनेगा, ए सी जे एम स्तर का अधिकारी सुनेगा; दो लाख के दीवानी मामलों का वाद हमारे मुंसिफ़ मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी सुनेंगे और इनकी अपील निश्चित तौर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी, तो एक तो अपील का अधिकार मिल गया उसको उसी जिले में और एक दीवानी जो प्रकरण हैं, इनके निस्तारण में निश्चित तौर पर गति आएगी।

इसलिए, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि यह जो प्रोग्रेसिव लॉ हम लेकर आ रहे हैं, इस कानून में संशोधन के माध्यम से हम जनता को सस्ता, सुलभ और उसी स्थान पर हम न्याय दिलाना चाहते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस प्रस्तावित विधेयक के बारे में सदन उदारतापूर्वक विचार करे और आपसे निवेदन करूंगा, आप आज्ञा देंगे तो इसका पारण निश्चित तौर पर हो जाएगा, ताकि राजस्थान के लोगों को राहत मिल सके।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

मैं पुन: इस चीज को पढ़ रहा हूं प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 14 ।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, मैं पाइन्ट आफ आर्डर पेश कर रहा हूं।

श्री सभापति: In the middle of the proceedings?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ...(व्यवधान) बीच में नहीं कर सकते आप।

श्री सभापति: जब तक आसन अनुमति न दे, अंकित नहीं होगा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ×××

श्री सभापति: मैं इसके बारे में आपको निवेदन कर दूंगा, पहले मैं यह प्रोसीडिंग्स पूरी कर लूं।

खण्ड 2 से 14 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 14 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 14 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ हैं। लूणकरणसर से आने वाले सदस्य को कोई बात कहनी है, आप फरमायें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014, जिसको अपन पारित करने जा रहे हैं, मेरा निवेदन है, जैसा माननीय मंत्रीजी ने कहा, इस बिल में सिवाय खण्ड 10 के, जिसके द्वारा हम धारा 19 को संशोधित कर रहे हैं, उसके अलावा सिर्फ पदनाम बदले गये हैं। जिसको हम पहले सिविल जज (जूनियर डिविजन) कहते थे, उनको अब सिविल जज कहेंगे और जिनको सिविल जज (सीनियर डिविजन) कहते थे, उनको अब हम सीनियर सिविल जज कहेंगे। एक धारा ही है जो कि इस संशोधन की जान है।

सभापति महोदय, इसके आब्जेक्ट्स में क्या कहा गया, आप गौर फरमायें। आब्जेक्ट्स में कहा गया, ''माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 5.4.2014 को आयोजित अपनी पूर्ण न्यायालय बैठक में उपर्युक्त दोनों विषयों अर्थात सिविल न्यायालयों की धन सम्बन्धी अधिकारिता का पुनरीक्षण और न्यायालयों/पदों की नाम पद्धति में परिवर्तन किए जाने पर विचार किया था। इसलिए राज्य सरकार ने पूर्ण न्यायालय की बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश-1950 के सुसंगत उपबंधों को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित किया है।''

माननीय सभापति महोदय, क्या यह उचित नहीं होता कि जिस आधार पर आप संशोधन कर रहे हैं, सदन को नहीं मालूम कि हाई कोर्ट की फुल बेंच ने क्या कहा है। यानी, हम अंधेरे में हैं कि हाई कोर्ट क्या कह रहा है और हाई कोर्ट ने मिनिट्स में क्या कहा है। क्या हाई कोर्ट ने स्पेशली यह कह दिया है कि यह दो लाख करो सिविल जज के लिए; जिसको अब हम सिविल जज कह रहे हैं, उनके लिए दो लाख का कहा है और सीनियर सिविल जज के लिए पांच लाख का कहा है? और यदि नहीं कहा है तो फिर ये तो आपकी ही व्याख्या है, उनके द्वारा फुल बेंच की जो मीटिंग की गई है। मेरा निवेदन यह है कि जब सदन के सामने आपने आब्जेक्ट्स में यह लिखा है कि 5.4.14 के आधार पर यह संशोधन लाया गया है, तो 5.4.14 में क्या है, हमको बताइये तो सही। आखिर तो वह कोई गुप्त चीज नहीं है। जब उसके आधार पर संशोधन विधान सभा में ला रहे हैं तो वह ट्रांसपेरेंट तो होना चाहिए। पारदर्शिता के सिद्धांत से भी हमको बताया जाए।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

खैर, हमें बताया जाए या नहीं बताया जाए, सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जो इसकी आत्मा है, विधेयक के खण्ड-10 की, जिसके द्वारा 19 का संशोधन है, जिनकी अधिकारिता, सभापति महोदय, आज 25 हजार की है, उनकी अधिकारिता को 2 लाख ले जा रहे हैं और जिनकी अधिकारिता 50 हजार की है, उनकी अधिकारिता को हम 5 लाख तक ले जा रहे हैं; अब गौर करें कि ये 25 हजार और 50 हजार, ये संशोधन भी, सभापति महोदय, 12.8.92 का है, उसको 21 साल हो गये हैं। पहले तो मुन्सिफ, जो अब सिविल जज कहला रहा है, वह 5 हजार के दावे सुनता था और सिविल जज साहब दस हजार के दावे सुनते थे। तो पांच हजार से पच्चीस हुआ, दस हजार से पचास हुआ। अब आज आपको बढ़ाना भी है तो ये आप ध्यान करें कि पचास हजार से ऊपर के मैटर सारे डिस्ट्रिक्ट जज के यहां हैं और डिस्ट्रिक्ट जज के यहां जो मैटर्स हैं पांच लाख से ऊपर के, कितने मैटर्स बच जाएंगे डिस्ट्रिक्ट जजेज के पास में? मेरे ध्यान में है कि इस धारा में आपने लिख दिया कि जो मुकदमा जहां हुआ है, वहीं सुनवाई होगी। हो जाएगी, खैर, चार-छह महीने, साल-दो साल, तीन साल-ढाई साल और तब डिस्ट्रिक्ट जजेज भी डिस्पोजल कर देंगे और नया दावा ये सिविल जज साहब के यहां ही करना पड़ेगा दो लाख का और पांच लाख का सीनियर सिविल जज साहब के यहां करना पड़ेगा।

जिन मुन्सिफों के यहां, आपने अभी बताया, मैंने यदि गलत नहीं सुना, तो तीन लाख से ऊपर मुकदमे मुन्सिफों के यहां पेंडिंग हैं। सभापति महोदय, मैंने संशोधन दिया था कि दो लाख को एक लाख पढ़िये। (व्यवधान) मैं निवेदन करता हूं, सभापति महोदय, मैंने संशोधन हिन्दी में दे दिया। मैंने संविधान की धारा में, जो आफिशियल लैंग्वेज एक्ट है, आज भी उसमें लिखा हुआ है कि आफिशियल लैंग्वेज हिन्दी होगी। +++ कि राजस्थान में आज हमने संशोधन दिया, सभापति महोदय, सब चीज को प्रशासन देखता है, सब चीजों की व्याख्या प्रशासन करता है और कह दिया कि चूंकि यह अंग्रेजी में विधेयक है तो हिन्दी में कैसे दे दिया?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मोदीजी तो अमेरिका में भी हिन्दी में बात करेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मोदीजी अलग स्थितियों में हैं। अभी तो अपन इस कानून की स्थितियों की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी में यह

(श्री मानिक चन्द सुराना)

विधेयक आप लाये तो मेरा दोष है क्या कि आप अंग्रेजी में विधेयक लाये? आप हिन्दी में क्यों नहीं लाये? आखिर मूल कानून हिन्दी में बनाने में आपको क्या आपत्ति है? मैं अर्ज करना चाहता हूं, सभापति महोदय, +++ सभापतिजी? आज भी यदि आप यह मानते हैं कि राजस्थान विधान सभा में अंग्रेजी में मूल एक्ट है तो अंग्रेजी में ही संशोधन आएगा, +++ लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये प्रक्रिया क्या है? देश का संविधान कहता है कि आफिशियल लैंग्वेज हिन्दी है और मैं कोट करके आपको बताता हूं...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): पढ़ कर सुना दीजिये। इनका ज्ञानवर्द्धन हो जाएगा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं, नहीं, ज्ञानवर्द्धन तो है ही।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): इन लोगों का होगा, साहब।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, आर्टिकल 343, ''Official language of the Union. The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script" अब नीचे और है, ''The form of numerals...'' जो अब ये आवश्यकता नहीं ''(2) Notwithstanding anything in clause (1)…"

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह भी अंग्रेजी में लिखा है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): यह संविधान मेरे पास अंग्रेजी का है और इसका मूल भारत सरकार ने हिन्दी में भी छापा है। चूंकि, माननीय पंचायत राज मंत्रीजी, मैं अभिभाषक रहा हूं, अधिकतर अंग्रेजी में कानून पढ़ने का अवसर मिला है और मैं यदि अंग्रेजी को कोट कर रहा हूं तो इसलिए नहीं कि +++ क्योंकि मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, या अंग्रेजी को कोट कर रहा हूं। ''(2)Notwithstanding anything .." कि वो पन्द्रह साल तक ये अंग्रेजी चलेगी। चलेगी तो चलेगी लेकिन 343 (1) को राजस्थान, जो हिन्दी स्पीकिंग स्टेट है, आप उस हिन्दी स्पीकिंग स्टेट में राजस्थान विधान सभा में संशोधन, मूल एक्ट आपका अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी में ही आएगा और +++ ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, आखिर वह संशोधन मैंने इसीलिए दिया था कि कितने प्रकरण, आज जो तीन लाख मुक़दमे हैं, यदि मैंने सही सुना है, सभापति महोदय, मुन्सिफों के यहां तीन लाख पांच हजार और आल इंडिया का

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आंकड़ा तो डेढ़ करोड़ है। डेढ़ करोड़ मुक़दमे पेंडिंग हैं। मुझे विधि मंत्रीजी यह बतायें, उनका क्षेत्राधिकार 25 हजार से 2 लाख करने पर क्या इन मुकदमों का डिस्पोजल हो जाएगा, जो उनके यहां पेंडिंग हैं? या मुक़दमों का अम्बार बढ़ेगा? आप डिस्पोजल की बात विवेकपूर्ण तरीके से करिये। जिसका क्षेत्राधिकार बढ़ गया, उसके पास अधिक मुकदमे और आ गये। आज पच्चीस हजार का आ रहा है, कल दो लाख का आएगा और जब दो लाख का मुकदमा आएगा मुन्सिफ जी के यहां, तो हो सकता है कि दो लाख वाले, एक लाख वाले, डेढ़ लाख वालों की प्राथमिकता बने और छोटी राशियों की प्राथमिकताएं धीरे-धीरे कम हो जाएं।

खैर, वह जो भी प्रक्रिया होगी, मेरा निवेदन है कि इसका असर जो होना है, सभापति जी, डिस्ट्रिक्ट जज के यहां और ए डी जेज के यहां जो क्षेत्राधिकार है, आज उस क्षेत्राधिकार में अपने आप मुकदमे वहां कम होंगे, क्योंकि आज जो पचास हजार से पांच लाख तक का मुकदमा डिस्ट्रिक्ट जज और ए डी जे में जाता है, वह वापस सिविल जज साहब के यहां आ जाएगा और दो लाख से नीचे का मुकदमा उनके यहां आ जाएगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): पेंडेंसी थोड़ी कम हो जाएगी। टोटल पेंडेंसी कम कहां होगी?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): वहां पेंडेंसी ए डी जे में कम होगी, डिस्ट्रिक्ट जज में कम होगी, नीचे बढ़ जाएगी और आज भी बढ़ी हुई है।

मेरा निवेदन यह है, हो सकता है, सरकार ज्यादा सिविल जज अपाइंट कर दे, ज्यादा सीनियर सिविल जज अपाइंट कर दे, पर जिनको आप ये अधिकार दे रहे हैं, आखिर कुछ तो योग्यता में, सभापति महोदय, फर्क होगा; सिविल जज, सीनियर सिविल जज और डिस्ट्रिक्ट जज की कैपेबिलिटी में।

डिस्ट्रिक्ट जज तो दस साल, मैं अर्ज करना चाहता हूं, यह धारा जो इस आर्डिनेंस की है, मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको, यह धारा 19 को तो आपने संशोधित किया है, मेरी इस पुस्तक में धारा 19 जो पुरानी है वह अभी भी कायम है; यह आपने जो दो संशोधन किये हैं, इसके अलावा, आज भी यह लिखा है कि राज्य सरकार हाई कोर्ट की रिकमंडेशन पर किसी भी मुंसिफ को जिसकी 10 साल की स्टैंडिग है, यह 19(ए) से ऊपर का सारा प्रोविजो, माननीय मंत्री महोदय, जो लोकल एक्ट्स में है, 19(ए) स्पेशल सिविल कोर्ट के प्रोविजो

(श्री मानिक चन्द सुराना)

के ऊपर, कि हाई कोर्ट की रिकमंडेशन पर राज्य सरकार किसी भी मुंसिफ को 10 हजार तक की पावर दे सकेगी, और यह संशोधन उस वक्त का है जब उनके क्षेत्राधिकार में कमी थी। सिविल जज 10 हजार के मुकदमे सुना करता था, तो दस साल की योग्यता के आधार पर मुंसिफ को सिविल जज के क्षेत्राधिकार दिये गये। आखिर तो राज्य सरकार, इसमें है हाई कोर्ट की रिकमंडेशन पर ही जारी होगा, तब जारी होगा जब कि 10 साल की स्टैंडिग है। अब क्या 10 साल की स्टैंडिग वाले मुंसिफ ही सुनेगे क्या हमारे 2 लाख के मुकदमे? क्या 10 साल का सिविल जज ही सुनेगा क्या 5 लाख के मुकदमे?

जजों की हालत पर ज्यादा विश्वास मत करिए। यह बीकानेर का एक ए डी जे ही था, जिस दिन वकील हड़ताल पर थे। राजस्व अपील अधिकारी का पद समाप्त होगा, ऐसी कुछ घोषणाएं, जब राज्य सरकार बीकानेर में थी, कुछ अखबारों में छपी थीं। वकीलों ने भी पढ़ा। उसका विरोध जयपुर में हुआ कि राजस्व अपील अधिकारी का पद समाप्त नहीं होना चाहिए। 7 जुलाई को इसी मुद्दे पर वकील हड़ताल पर थे और 7 जुलाई को ही बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष गोपेश कुम्भट और उसके मंत्री और पदाधिकारी अदालत में गये, ए डी जे-13 की अदालत में, उनको रिकवेस्ट की कि साहब, आज आप निर्णय नहीं करें, आज हमारी हड़ताल है, कोई वकील नहीं आएगा। जो गये, उनके खिलाफ कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स उन्होंने ड्रा कर लीं। ड्रा ही नहीं कीं, हाई कोर्ट के जज को भेज दी, चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस साहब ने कुछ नहीं किया।

माननीय पंचायत मंत्रीजी, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, उन्होंने कुछ नहीं किया और एक +++ जज ने, एडिशनल जो भी जज है वहां, अपने आप उसका स्वयं स्वप्रेरणा से संज्ञान ले लिया।

साहब, कंटेम्प्ट के मैटर में हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ही मैटर को इनिशिएट करता है, यह सब कानून में लिखा हुआ है पर उसका अतिरेक हो जाए और हाई कोर्ट का जज करे, कौन है रोकने वाला? आप तो इसलिए नहीं रोक सकते कि यह हाई कोर्ट का है; हाई कोर्ट इसलिए नहीं रोक रही, चीफ जस्टिस साहब का।

सभापति महोदय, जो हमारे चीफ जस्टिस थे +++ उनका ट्रांसफर हो

(श्री मानिक चन्द सुराना)

गया था राजस्थान से उड़ीसा। ट्रांसफर हो गया, उस दौरान दुर्भाग्य से राजस्थान में वकीलों की हड़ताल हो गई। उन्होंने यह एटिट्यूड लिया कि अपन तो उड़ीसा जा ही रहे हैं, अपना क्या लेना देना है। धीरे-धीरे चलने दो हड़ताल को, अपन तो अल्टिमेटली उड़ीसा जाएंगे। मुझे विनम्रता के साथ कहना पड़ता है कि चीफ जस्टिस साहब ने +++ और यह ले लिया कि हड़ताल चल रही है, नहीं चल रही है, जैसे उनको कुछ मालूम ही नहीं है। मैं +++ शब्द का उपयोग जान-बुझकर कर रहा हूं। मैं दूसरे शब्द का उपयोग इसलिए नहीं कर रहा हूं कि हाई कोर्ट की प्रतिष्ठा, मेरे जैसा आदमी चाहता है कि उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे व और ऊंची जाए। उन्होंने +++ लिया।

सभापति महोदय, कोई सक्रियता सरकार की उस हड़ताल को तुड़वाने में मुझे तो नहीं लग रही।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक ए डी जे गलत प्रोसीडिंग्स कन्टेम्प्ट की ड्रा कर ले, मनमानी प्रोसीडिंग्स ड्रा कर ले और सारा सदन मजबूर है, सारा राजस्थान मजबूर है। 70 हजार वकील हड़ताल पर। आप किनके हाथ में +++ दे रहे हैं? किनके हाथ में यह अधिकार दे रहे हैं? जिन्होंने पहले से ही +++ कर रखा है सारी जुडिशियरी का।

मैं अर्ज करना चाहता हूं, यह ए डी जे-13 की बात क्या है, मैं अर्ज करता हूं कि बहुत सम्माननीय लोग हैं। सरकार जब विद्यार्थी मित्रों को नियुक्तियां देती हैं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी खड़े होकर कहते हैं, हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि ये नियुक्तियां संविधान के प्रावधानों के खिलाफ हैं और इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। आप ध्यान करें, यह सदन ध्यान करे, हाई कोर्ट क्या-क्या करता है इसको आप देखें। हाई कोर्ट का, हम जिस ऊंचाई में, उनको रोज पूजनीय मान रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, इसको जरा समझिये।

माननीय सभापति जी, 30.7.2008 को एक विज्ञापन हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के द्वारा, उसमें कहा कि हम 98 आदमियों की भर्ती करेंगे, बैकलाग वेकेन्सीज को लेंगे और करंट वैकेंसीज में भरेंगे। बहुत अच्छा है, हाई कोर्ट को अधिकार है, 30.7.2008 को विज्ञापन जारी हुआ। इस ढाई साल तक नियुक्तियां नहीं हुई सभापति महोदय, ध्यान करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप अलग-अलग आर्टिकल्स पर कह रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आपकी आपत्ति क्या है, माननीय मंत्रीजी ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कांस्टिट्यूशन का आर्टिकल 211, विधान मण्डल में चर्चा पर निर्बंधन।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): 211 ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां, 211 । उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय पर राज्य विधान मण्डल में कोई चर्चा नहीं होगी।''

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): 211 ही पढ़ रहे हैं ना ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): एक मिनट, मानिक चन्दजी। हमको यहां प्रोटेक्शन कांस्टिट्यूशन में ही दिया गया है। इस सदन के अन्दर जुडिशियरी के ऊपर चर्चा हुई थी, आप ध्यान रखें, माननीय सभापति महोदय, हमें प्रोटेक्शन है। चूंकि आपके बिल का स्कोप बहुत वाइड है, हम पूरे जुडिशियल सिस्टम को, इस पर चर्चा कर सकते हैं। अगर कोई भी सदस्य चाहे तो चर्चा कर सकता है। आप एक अमेंडमेंट लेकर आयें, और पास्ट में हुई है यहां पर। मेरा यहां लंबा अनुभव है। सभापतिजी, इस सदन में चर्चा हुई है और कुछ सदस्यों को, किन्हीं वकील साहब ने वहां पर कन्टेम्प्ट का नोटिस लगाया था कि हाई कोर्ट का कन्टेम्प्ट हुआ है, यहां नोटिस आये थे। लेकिन जब चर्चा हुई तत्कालीन अध्यक्ष महोदय से, मैं भी बोला था उस पर, हम सिर्फ दो आदमी ही बचे थे। आप भी सदस्य थे, श्रीमान, आप भी उस हाउस में थे। यहां चर्चा हुई थी और कुछ नहीं हुआ।

हमको प्रोटेक्शन है, हम यहां कह सकते हैं। सांसद और विधायकों को, इस प्रेमिसेज के अन्दर we can discuss anything. लेकिन बार-बार वह सम्मान की बात कर रहे हैं, उन्होंने कोई डेरोगेटरी बात नहीं कही है।

अगर आप यहां पर इस तरह से रोकेंगे, जो आज जुडिशियरी का हुआ है, सरकारों को पंगु बनाकर रख दिया है। उनका काम ला का एन्टरप्रिटेशन है; एग्जीक्यूटिव डिसिजन और पालिसी बनाने का हाई कोर्ट का डिसिजन नहीं है, श्रीमान। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पालिसी बनाने का काम सरकार का है, कानून बनाने का काम सरकार का है। अगर कोई कानून असंवैधानिक

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

है तो उसके ऊपर वे रोक लगा सकते हैं, ना कि हमारी वाणी पर यहां सदन के अन्दर रोक लगा सकते हैं।

जिस प्रकार से, पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर जिस प्रकार के जजमेंट आ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव को पंगु बनाकर रख दिया है। आप बताइये, आज हजारों नौकरियां राजस्थान की, कहीं जयपुर की सिंगल बेंच रोक लगा रही है, कहीं जोधपुर की लगा रही है। सिस्टम क्या है आखिर? आपको भी फेस करना पड़ेगा, आप धोखे में मत रहिये। हमने फेस किया है। इतनी सारी नौकरियां निकली थीं, सब हाई कोर्ट ने रोक दीं। आप क्या बात कर रहे हैं।

आप यहां कांस्टिट्यूशन का हवाला देकर कि हम चर्चा नहीं, प्रोटेक्शन है हमको, हम यहां चर्चा कर सकते हैं। चूंकि यह बड़ा लिमिटेड स्कोप था, लेकिन इसमें भी डिस्कशन को आप यहां नहीं रोक सकते । बाकी आप उनसे निवेदन कर दें कि यहीं तक सीमित रखें, लेकिन आप किसी की वाणी को इसके अन्दर देकर अवरुद्ध नहीं कर सकते, श्रीमान।

आप पढ़िये 203 या 204, ऐसा कुछ है, 204 है, उसके अन्दर मुझे याद है, हम बोले थे यहां पर मैं यहां पर उन बातों को उद्धृत नहीं करना चाहता हूं जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी। तब बहुत वरिष्ठ लोगों ने कहा था कि इस जुडिशियरी पर चर्चा की जाए। उसके उपरांत ही सदन के अन्दर चर्चा हुई थी। मैं पुरानी बातों को, कटारियाजी को याद होगा, मैं याद दिलाना चाहता हूं। इसलिये मैं उन बातों को यहां नहीं दोहराना चाहता हूं।

माननीय मंत्री महोदय, आप इतने वरिष्ठ वकील हैं, जिन्हें कानून का ज्ञान है, थोड़ा-बहुत ज्ञान मुझको भी है। तो आप इस प्रकार से अवरुद्ध करने की कोशिश न करें। आपको समय की जल्दी हो रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बिल आप आनन-फानन में पास कराना चाहते हैं।

इसलिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, आप रिक्वेस्ट कर लें, वह बात दूसरी है कि वे आपकी बात मान जाएं लेकिन आप रोक नहीं सकते इस वक्त इनको। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक मिनट, मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं, नहीं, मैं रुक भी नहीं रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप रुक भी नहीं रहे, पर मैं इसमें, 211 में जो...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): 211 का जवाब मेरा तो सुनिये। 211 में मैं क्या कह रहा हूं, वह तो सुनिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक मिनट। एक मिनट।

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य, मंत्री महोदय कोई बात कह रहे हैं, शायद ज्ञानवर्द्धन हो जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 211 के अन्दर सिर्फ इतनी सी बात है, सभापति महोदय, न्यायाधीश के कर्तव्य के निर्वहन में किये गये आचरण, मैं जुडिशिरी पर चर्चा हो, इस पर नहीं कह रहा और मैं इस बात से सहमत हूं कि आजकल जुडिशल इंटरवेंशन के कारण से एक तरह यूं लगता है कि पालिसी-मेकर भी वे बन गये हैं। पर पर्टिकूलरली एक जज, जिसने कंटेम्प्ट नोटिस दिया, उसके बारे में यह कहना कि +++।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उस पर तो बात खतम हो गई। बात आगे चली गई, हाईकोर्ट तक।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उनके बारे में आपके मुख से यह शब्द निकला +++ । (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति: जब आसन ने मंत्री महोदय को समय दिया है, इजाजत दी है, let him finish his deliberations, Sir. Then I will ask you and request you to actually put in your points of view. मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मुझे तो सिर्फ इतना सा कहना था कि किसी जज के कंडक्ट पर हम चर्चा नहीं करें। आपके मुख से निकल गया कि जिसने कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चालू कीं, एक अदने से जज ने यह कर दिया। मैं नहीं चाहता कि फिर कोई उस तरह की बात हो, जो पहले हुई। हालांकि हमें प्रिविलेज है, हम प्रोटेक्टेड हैं, इसी संविधान के अनुसार हैं। इसमें यह बात भी सही है कि जुडिशल इंटरवेंशन के कारण से ऐसा लगने लगा है कि सरकार भी वह चलाए और पॉलिसी भी वह बनाये, मैं इससे सहमत हूं पर आप पर्टिकुलर किसी जज का नाम लेकर नहीं कहें। इतनी सी मेरी प्रार्थना है। बाकी आप विद्वान व्यक्ति हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, धारा 211

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आपके और हमारे सामने है। मैं धारा 211 का उल्लंघन कर ही नहीं रहा हूं। धारा 211 में, सभापति महोदय, मैं वर्डस को पढ़ रहा हूं...

श्री सभापति: I have also got that thing right…

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ''In discharge of his duties,'' मैं किसी भी जज ने ड्यूटी का डिस्चार्ज किया, उस पर अंगुली नहीं रख रहा हूं। मैं उनके एक्जीक्यूटिव साइड में, उनके कार्यकारी साइड में, उन्होंने जो नियुक्तियां गैर-कानूनी की हैं, व्यापक नियुक्तियां की हैं, हाई कोर्ट ने अपनी मुहर से की हैं, मैं उस पर इस सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हां, याद है, सबको याद है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं, नहीं, माननीय राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, माननीय विधि मंत्रीजी को आर्टिकल 211 ध्यान है। यह भी ध्यान होगा कि लेजिस्लेचर के मेम्बर का पूरा अधिकार अपनी बात कहने का है और मैं जो कुछ कहूंगा, वह डिफेमेशन नहीं बनने वाला है वह मुझे संविधान ने प्रोटेक्शन किया है कि मेरे भाषण पर डिफेमेशन नहीं लाया जा सकता। कोई लाएगा तो मैं निपटूंगा। आपको क्या दिक्कत है?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप काग्निजेंस ही मत लेना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं, नहीं, कोई काग्निजेंस कोई आयेगा तो ले लूंगा, साहब। काग्निजेंस और उसका जवाब संविधान की परिधि में दे दूंगा।

श्री सभापति: आसन आपस में बातों की इजाजत नहीं देता।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि 30.07.2008 को 98 लोगों की भर्ती का नोटिस जारी किया गया, विज्ञापन किया गया। इस विज्ञापन, यह 2008 का विज्ञापन है, सभापतिजी,

श्री सभापति: नहीं, बट अल्टीमेटली आसन आपसे यह जानना चाहता है कि where will all this lead to? Where will all this deliberation lead to? What is the point where you will end? What is your destination? The destination is, the Subordinate Courts Amendment Bill 2014. Let us bring it down to that end. Otherwise, if we start discussing the entire system of judiciary and their behaviour, or other code of conduct, then probably it's too short a time for me to actually allow you to keep on deliberating on it. …(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): किनको अधिकार दिया जाए, उनके शीर्ष पर जो बैठे हैं, उनके व्यवहार जो एक्जीक्यूटिव साइड में हैं; मैं जुडिशल व्यवहार पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं उनके एक्जीक्यूटिव साइड में, भर्तियां करने का जो उनका, नियमों की अवहेलना हाई कोर्ट भी नहीं कर सकता, माननीय सभापतिजी, और विज्ञापन जारी करने के बाद इस विज्ञापन को इग्नोर करके 98 नियुक्तियां या 94 नियुक्तियां, हाई कोर्ट ने 10.08.09 को कीं। उसकी लिस्ट मेरे पास है जिसमें न तो कोई क्वालिफिकेशन और उसमें, माननीय सभापतिजी, हाई कोर्ट के जो जजेज हैं और उनके जो निकट के रिश्तेदार हैं...। आप एक्जीक्यूटिव की बात, अपन, कई बार सरकारों पर आपत्ति आती है, मैं कहता हूं, सरकारें तो फिर भी कानून से चलती हैं, रूल आफ लॉ का रेस्पेक्ट करती हैं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने जो बयान दिया, वह यह कि हाई कोर्ट ने कह दिया कि असंवैधानिक है नियुक्ति, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते, पर जो हमारी नियुक्तियों को असंवैधानिक बताने की क्षमता रखते हैं, उनकी क्षमता यह है कि उन्होंने बिना अर्हताएं जारी किये, बिना क्वालिफिकेशन जारी किये, और मेरे पास में, मैं रिकार्ड से बोल रहा हूं, सभापतिजी, जो नियुक्तियां की गईं, उनके मूल में कोई चीफ जस्टिस थे जो चले गये; जो दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव जज थे, उनकी नियुक्ति, +++ हस्ताक्षरों से नियुक्तियां जारी हो गयीं और पीठ के पीछे दूसरे जज साहब थे। जो नियुक्तियां हुईं, वह सुनिये आप, कान खोलने वाली बात है, जिनकी नियुक्तियां हुईं, उनके बारे में बता रहा हूं,...

श्री सभापति: मैं, माननीय सदस्य, आपसे यह पूछना चाहता हूं, how does it refer to the present amendment?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): यह रेलेवेंट इसीलिए है, सभापतिजी,...

श्री सभापति: I don't think so, that it falls within the parameters or scope of this Bill. In fact, if the House would want to discuss such an issue, there should a separate time and proper sanction. We can't keep on discussing like this. It's an endless discussion. I will not allow this on the 'third reading'. In case, if you want to bring a deliberation it should be restricted to a specific point. Let's do that. Otherwise I will be forced to call for the next member. (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापतिजी, मैं अर्ज कर रहा

(श्री मानिक चन्द सुराना)

हूं कि अपने नियमों के विपरीत जाकर हाई कोर्ट को भी अधिकार नहीं है कि वह नियुक्तियां करे। हमको सीख देने से पहले, संविधान पढ़ने से पहले, उनको भी संविधान में जो प्रतिबंध हैं, आर्टिकल 309 के नीचे जो नियम बनाने के अधिकार हैं, हाई कोर्ट में नियम बने हुए हैं नियुक्तियों के, और उन्हीं की अवहेलना करके हाई कोर्ट में 2009 में नियुक्तियां की हैं, जिसमें बीसों लोग हाई कोर्ट जजेज के निकट के, निकट के रिश्तेदार हैं। यह रिट पिटिशन, आज भी पेंडिंग है। दूसरा पक्ष सुनिये, हाई-कोर्ट इस रिट पिटिशन का जवाब नहीं दे रहा है, दो साल से। हाई कोर्ट के कृत्यों को चुनौती दी गई है हाई कोर्ट में। उस पर दो साल तक हाई-कोर्ट का जवाब नहीं है।

यह हाई कोर्ट की प्रतिष्ठाओं को उनके असल कामों से देखिये। जजेज भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनकी भी कमजोरियां हैं। जब कमजोरियां हैं मनुष्यों में तो आप उनको अतिरिक्त अधिकार, असीमित अधिकार क्यों दे रहे हैं? मेरा मुद्दा यह है, माननीय सभापति जी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने एक ए.डी.जे.-13 का हवाला दिया कि एक जज ने कंटेम्प्ट नोटिस करके सारे वकीलों को हड़ताल पर भिजवा दिया। दूसरे जज ने कर्मचारियों को सब वकीलों से लड़ा दिया। आज जुडिशरी और वकील कंफंटेशन में हैं। क्यों नहीं चीफ जस्टिस साहब इंटरवीन करते? इसलिये नहीं कर रहे हैं, सदन भी सुन ले, क्योंकि वे चीफ जस्टिस जो जाने वाले हैं, वे अभी राजस्थान में हैं, वे 4 या 5 तारीख को उड़ीसा जोइन करेंगे।

श्री सभापति: Are you trying to lead the judiciary?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): साहब, कौन करेगा? वकीलों की हड़ताल में इंटरवीन कौन करेगा?

श्री सभापति: Are we trying to lead the judiciary?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): क्या फरमा रहे हैं?

श्री सभापति: आसन आपसे यह पूछना चाहता है, are we trying to lead the judiciary? आसन इस बात को परमिट नहीं कर सकता।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): बात यह है, सभापतिजी,...

श्री सभापति: Let's come back to the subordinate courts. Let's conclude this discussion.

(15.00 बजे)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मेरा निवेदन यह है कि असीमित अधिकार आप किसी को भी देंगे तो उन असीमित अधिकारों का दुरुपयोग होगा। 25 हजार वाले को दो लाख का अधिकार और जिसका पचास हजार है उसको पांच लाख, ये असीमित अधिकार हैं। मैंने निवेदन किया था माननीय मंत्रीजी को कि आप सरकार की तरफ से संशोधन लाएं कि दो लाख को एक लाख किया जाता है, पांच लाख को ढ़ाई लाख किया जाता है, पर सरकारें, माफ करेंगे, माननीय सभापति महोदय, जब कोई व्यक्ति या कोई एक सरकार बन जाती है तो फिर किसी रीजनेबल बात को सुनना जरूरी नहीं। कुछ भी जरूरी नहीं है। सरकार ने लिख दिया, पांच लाख तो पांच लाख, दो लाख तो दो लाख। यह जिद नहीं तो और क्या है?

हम कानून बनाते हैं, माननीय सभापति महोदय, हिन्दुस्तान में सही कानून तब बनेगा जब कि यह व्हिप जो है न, पार्टी व्हिप, यह सदस्यों पर से खतम होगा, कानून बनाने के लिए। आखिर अमरीका में रि-पब्लिकं और डेमोक्रेट्स जब कानून बनाते हैं तो कोई व्हिप नहीं है। वे अपनी मर्जी से कुछ कह सकते हैं। यहां तो माननीय सदस्य बात भी कहते हैं और उसके बाद तत्काल कहना पड़ता है और मुझे भी कल कहना पड़ा कि मैं प्रवर समिति का प्रस्ताव वापस लेता हूं। तो हम बात भी कहें और फिर वापस भी लें, क्योंकि व्हिप है, और व्हिप जो है, मैं कहता हूं कि चिंतन-मनन तो करिये।

श्री सभापति: कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): हां, यही मतलब है। तो मेरा निवेदन यह है कि इस पर गम्भीरता से विचार कर ले सरकार और गम्भीरता से विचार करके, यह राजस्थान में परिस्थितियां हैं, माननीय सभापति महोदय, वकील हड़ताल पर, शिक्षण संस्थाएं हड़ताल पर, रोडवेज हड़ताल पर, विद्यार्थी मित्र हड़ताल पर; आखिर कोई तो सुने, कोई तो कुछ करे। नहीं तो कौन करेगा?

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, मैं इसका सख्त विरोध, धारा 19 में 2 लाख और पांच लाख का अधिकार सिविल जज और सीनियर सिविल जज को देने का कड़ा विरोध करता हूं और मेरा निवेदन है कि इसको रि-कंसिडर, इस धारा 19 को रि-कंसिडर किया जाए। बाकी तो इस एक्ट में विरोध करने की कोई बात है ही नहीं। माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: रिकार्ड के लिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह डिस्कशन थर्ड रीडिंग पर हुआ है, पाइंट आफ आर्डर पर नहीं हुआ। यह स्पष्ट है।

श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014, इस पर काफी व्यापक चर्चा हो गयी है और इसमें ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): गुंजल साहब, बहुत जल्दी है सरकार को जाने की। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पिक्चर देखने की।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): आपकी इजाजत से बोल लूं मैं?

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य, आसन इधर है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, यह निर्देश पहले उधर मिलना चाहिए था।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं निर्देश नहीं दे रहा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कभी वरिष्ठता का भी ध्यान रखा जाता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं; नहीं, मैं निर्देश देने वाला कौन हूं? निर्देश देने वाले तो आप हैं, श्रीमान। Who am I?

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक में धारा 19 के अतिरिक्त कोई इतने बड़े व्यापक संशोधन नहीं हैं, जिन पर चर्चा की जाए। विधेयक के खण्ड 2 से लेकर खण्ड 9 तक मूल अधिनियम की धारा 5, धारा 6, 7, 11, 12, 12-क, 13, 14 यह केवल न्यायालयों के नाम परिवर्तन की धारा के कारण संशोधन रखा गया है। न्यायालयों के नाम परिवर्तन की आवश्यकता और धन के सम्बन्ध में न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाने की जो आवश्यकता है, यह उद्देश्य और कारणों में सरकार ने लिखा है, माननीय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने, जो 5.4.2014 को हुई, उपरोक्त दोनों विषयों पर, अर्थात् सिविल न्यायाधीशों की धन सम्बन्धी अधिकारिता का पुनरीक्षण और न्यायालयों/पदों की नाम पद्धति में परिवर्तन किये जाने का विचार रखा। सरकार ने उद्देश्य और कारणों में लिखा है कि

(श्री प्रहलाद गुंजल)

'राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 की धन सम्बन्धी अधिकारिता के विषय में, अंतिम संशोधन के पश्चात् दो दशक से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। सिविल न्यायालयों को सौंपी गयी धन सम्बन्धी अधिकारिता में पुनरीक्षण की आवश्यकता है।'

माननीय सभापति महोदय, अभी लूणकरणसर से आने वाले वरिष्ठ माननीय सदस्य इस पर काफी गम्भीरता से अपनी राय व्यक्त कर रहे थे। मेरा तो केवल इतना कहना है कि यह जो संशोधन है, हम इसको किस रूप में देखते हैं? अभी जवाब देते समय माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे, माननीय सभापति महोदय, जयपुर में जाइये, आज से चार साल पहले जितनी जमीनों की कीमत थी, आज उससे दस गुणा हो गई। यह बूम केवल प्रोपर्टी में ही नहीं, पिछले बीस सालों में राजस्थान के आम आदमी के व्यापार में वृद्धि हुई है और यह वृद्धि केवल महानगरों तक, शहरों तक ही नहीं, पंचायत समितियों के, तहसीलों के मुख्यालयों तक भी हुई है। पंचायत समिति और तहसील के मुख्यालय पर जो लोगों की आय बढ़ी है, जो कीमतें बढ़ी हैं और व्यापार बढ़ा है, धन-सम्बन्धी विवाद उसी मात्रा में ज्यादा बढ़े हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक तहसील के मुख्यालय पर मुंसिफ़ मजिस्ट्रेट और ए.सी.जे.एम., अतिरिक्त सिविल मजिस्ट्रेट जो पुराना नाम था, अधिकतम दो न्यायालय काम करते हैं और उन दोनों न्यायालयों का क्षेत्राधिकार मिलाकर 50 हजार रुपए से ज्यादा के धन के मामलों को सुनने का नहीं था। मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि जो मुंसिफ़ मजिस्ट्रेट की जगह आपने सिविल न्यायाधीश तय किया है और ए.सी.जे.एम. की जगह पर आपने जो वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नाम रखा है और उनके धन-सम्बन्धी क्षेत्राधिकार को बढ़ाया है, दो लाख और पांच लाख, जो डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय से 100-100, 200-200 किलोमीटर दूर चलकर 50 हजार से ऊपर के वाद दायर करने के लिए, जहां केवल मुंसिफ़ मजिस्ट्रेट है, वह 25 हजार से ऊपर का वाद दायर होगा, आज सामान्य दुकान पर ही 25 हजार का लेन-देन हो जाता है। सामान्य व्यवसाय में लाख-दो लाख मामूली सी बात है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की किसी तहसील के कोने पर इन 20 सालों में व्यापारिक समृद्धि, जमीन, प्रोपर्टी, लोगों के पास जो आर्थिक संसाधन बढ़े हैं, तो बहुत छोटी सी बात है, 50 हजार से ऊपर का विवाद आना। उसके लिए लोगों को चलकर डिस्ट्रिक्ट न्यायालय तक आना पड़ता था।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सदैव इस सदन, सरकार और न्यायपालिका, सबकी यह भावना रही है कि देरी से, विलम्ब से, दूरी से, यह भी उल्लेख है कि दूरी के कारण, सफर के कारण भी न्याय में विलम्ब नहीं होना चाहिए। यह भावना सदन की, सरकार की जुडिशरी की, सबकी रही है। इसीलिए मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के बाद हजारों लोग जो अपने छोटे-छोटे मामलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक आते थे, निश्चित रूप से उनको अपने अधिकार का एक प्रिविलेज, अपील के पहले; डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो वह सेकण्ड प्रिविलेज में आएंगे; हमने न केवल उसके धन-सम्बन्धी जुडिशल नीचे की कोर्ट का क्षेत्राधिकार बढ़ाया है, हमने वह उपभोक्ता जो धन-सम्बन्धी वाद सीधा पचास हजार से ऊपर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेकर आता था, उसका एक अपील का प्रिविलेज और बढ़ाया है। इस तरीके की धन की अधिकारिता का पुनरीक्षण करके आम व्यक्ति का एक अपील का अधिकार बढ़ाया है। इसीलिए यह विधेयक न्याय हित में, पब्लिक हित में है।

मैं इसके साथ माननीय विधि और न्याय मंत्रीजी का, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मैं इस बात को दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहता, व्यापक संदर्भों में चर्चा में नहीं जाना चाहता; मैंने जब इस सदन में बजट पर बहस हो रही थी तो राजस्थान के कोटा और उदयपुर सम्भाग के वकीलों की हड़ताल का मुद्दा उठाया था। सौ दिनों तक कोटा में न्यायिक कार्य ठप रहा और महीनों तक राजस्थान का न्यायिक कार्य ठप रहा। लाखों मुकदमे जो हाई कोर्ट में हैं, उनका 40 प्रतिशत मुकदमा कोटा डिविजन से आता है और मनोहरथाना, इकलेरा, छबड़ा, छीपाबड़ौद, कस्बा थाना से जो 500 किलोमीटर चलकर एक व्यक्ति आता है, उसके लिए न्याय बहुत महंगा पड़ता है। कोटा में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, विधि एवं न्याय मंत्रीजी ने उस समय जवाब देते हुए कहा था कि यह राज्यपाल और हाई कोर्ट के अधिकार में आता है। मैं आपके माध्यम से माननीय विधि मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि राज्यपाल किसके बिहाफ पर काम करते हैं? सरकार के फैसलों पर राज्यपाल का हस्ताक्षर करने का काम है। राज्यपाल के बिहाफ पर भले ही कानूनन

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सरकार काम करती हो, लेकिन फैसला सरकार करेगी और उस पर हस्ताक्षर राज्यपाल करेंगे।

अभी आज इसी सदन में बहस का जवाब देते हुए माननीय विधि एवं न्याय मंत्रीजी ने कहा कि किसी भी न्यायालय का पुनर्गठन करना राजस्थान में सरकार की अधिकारिता में आता है। तो निश्चित रूप से राजस्थान में कोटा में हाई कोर्ट खोले जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा महामहिम राज्यपाल के माध्यम से भारत सरकार और सर्वोच्च न्यायालय को भिजवाया जाना चाहिए।

एक और विषय आपके माध्यम से विधि एवं न्याय मंत्रीजी के प्रसंज्ञान में लाना चाहता हूं। विधि मंत्री महोदय, जहां-जहां भी जिलों में लेबर कोर्ट हैं, यह गम्भीर विषय है, माननीय सभापति महोदय, लेबर कोर्ट में हाई कोर्ट से प्रतिनियुक्ति पर जज लगाये जाते हैं और जब हाई कोर्ट से प्रतिनियुक्ति पर लेबर कोर्ट में जज लगा दिये जाते हैं, वह जज जोइनिंग करने के बाद भी काम नहीं कर पाता। जब तक उसके जोइनिंग के बाद उसको शक्ति निहित करने की अधिसूचना राज्य सरकार जारी नहीं कर देती, तब तक लेबर कोर्ट के जज काम नहीं कर सकते। इस अधिसूचना के अभाव में जोइन करने के बाद चार-चार, पांच-पांच महीने तक लेबर कोर्ट के न्यायाधीश कोई जुडिशल वर्क नहीं कर सकते। क्या यह संशोधन नहीं कर सकते कि जब जुडिशल जज, जो लेबर कोर्ट में जोइनिंग करेगा, उसकी जोइनिंग की तारीख से ही वह अपना काम प्रारम्भ कर देगा? क्या आवश्यकता है कि एक अधिसूचना जारी करके उसको शक्तियां निहित की जाएं और सरकार के प्रसंज्ञान में जब तक उसमें शक्तियां निहित करने का विषय नहीं आता, कई बार चार-चार, पांच-पांच, छह-छह महीने लग जाते हैं। मुझे याद है, कोटा में शायद मई में लेबर कोर्ट में जज की नियुक्ति हुई थी और शायद अभी तक उसको शक्तियां निहित करने की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं की गयी। हम किस प्रकार की व्यवस्था दे रहे हैं? क्यों नहीं, हम जुडिशरी का प्रोसेस है, उसको बिलकुल, बिना लिंगर-ओन किये, इस प्रकार की व्यवस्था कायम कर दें कि उसमें अपने आप ही इस प्रकार की शक्तियां समाहित हो जाएं? इस प्रकार का बेसिक अमेंडमेंट भी हमको लेकर आने की सदन में जरूरत है जिससे न्याय में विलम्ब न हो, जो लेबर के फैसले हों, उनमें देरी नहीं हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं विधि एवं न्याय मंत्रीजी का ध्यान

(श्री प्रहलाद गुंजल)

आकर्षित करना चाहता हूं, जो लेबर कोर्ट के अन्दर वकील, जो आपकी पैरवी करते हैं, सरकार के पैरोकार बनकर खड़े होते हैं, माननीय सभापति महोदय, आज अन-स्किल्ड लेबर का मिनिमम वेजेज कितना है, मैं समझता हूं, 150 रुपये होगा; लेकिन आज 1985 के बाद से आपने अपने आदेशों में संशोधन नहीं किया। 1985 के आदेश से आज तक, लेबर कोर्ट में जो सरकार का पैनल लायर है, वह केवल 250 रुपये महीने में सरकार की पैरवी कर रहा है। 250 रुपये महीना!

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, जो लेबर के इंटरेस्ट में सरकार की तरफ से वकील पैरोकार खड़ा होता है, 250 रुपये महीना सरकार उसको मानदेय देती है। किस तरीके से ईमानदारी से 250 रुपये महीने में सरकार की पैरवी करेगा, सरकार का पक्ष रखेगा और ईमानदारी से न्यायसंगत तरीके से लेबर को न्याय दिला पाएगा? मैं नहीं समझता 250 रुपये में कोई काम करेगा। उसका काम का इंटरेस्ट कहां होगा? एक मुकदमा जब वकील लड़ता है तो उसकी हजारों फीस तय होती है और सरकार का मुकदमा, में 250 रुपये पर-मुकदमा है; माननीय सभापति महोदय, मैं संशोधित कर रहा हूं, 250 रुपये पर-मुकदमा; अब वह 10 साल चलेगा तो उसी मुकदमे को 250 रुपये में लड़ेगा। इसमें संशोधन करने की निश्चित रूप से आवश्यकता है ताकि अधिवक्ता सरकार का पक्ष लेबर कोर्ट में बहुत ईमानदारी और गम्भीरता के साथ रख सके।

मैं इतना कहते हुए, जन मत जानने का प्रस्ताव तो आपने सदन की अनुमति से वापस कर दिया है, मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जोगारामजी पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, आपका आभार।

द राजस्थान सिविल कोर्ट (अमेंडमेंट) बिल, 2014 पर काफी गम्भीर चिन्तन सुबह से ही इस सदन में चल रहा है, परोक्ष और अपरोक्ष रूप से आक्षेप लगाने का प्रयास भी हुआ है, न्यायालय की अधिकारिता और न्यायालय के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित विवाद भी उठे हैं। माननीय सभापति महोदय, हमको इसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा कि यह अमेंडमेंट क्यों आया

(श्री जोगाराम पटेल)

और अमेंडमेंट की आवश्यकता क्यों महसूस की गयी? ऐसा क्यों हुआ कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपनी फुल कोर्ट की मीटिंग में ऐसा निर्णय लिया और सरकार को सुझाव दिया कि ऐसा अमेंडमेंट करना उचित है? याद करें, आज से 30 साल पुराना एक हमारा मुंसिफ हुआ करता था, उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होता था और फिर भी वह 5 हजार तक के क्षेत्राधिकार तक का मामला सुनता था, 5 हजार तक की वेल्यू वाली प्रोपर्टी का डिस्प्यूट सुनता था। उस प्रोपर्टी की वेल्यू से उसको कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन उसकी अधिकारिता तय करने का एक पैमाना था कि इस प्रोपर्टी का डिस्प्यूट किसके पास लेकर जावें। तब 5 हजार तक की प्रोपर्टी का डिस्प्यूट कई वर्षों तक चलता रहा। बार कौंसिल की ओर से भी बार-बार एतराज किया गया, हाई कोर्ट से भी किया गया, इस अधिकारिता को बढ़ाया जाये और कितने साल उपरान्त उसको 10 हजार किया गया और 10 हजार को आज से कई वर्ष पूर्व 25 हजार किया गया।

मैं दो-चार उदाहरण आपके सामने रखूंगा और फिर माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि इसमें अपने आपको तौलकर देखें कि यह जो संशोधन लाया गया है, सरकार की कितनी वाजिब मांग, या माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने फुल कोर्ट में अगर निर्णय लिया है तो कितना वाजिब निर्णय है। आप अनुमान लगावें, हमारा एक आर.ए.एस. आफिसर, जो एस.डी.ओ. के रूप में बैठता है, ए.सी.एम. के रूप में बैठता है और वह आपकी 10 करोड़ की प्रोपर्टी है, 20 करोड़ की प्रोपर्टी है, अरब की प्रोपर्टी है, वह आर.ए.एस. की परीक्षा पास करके, सीधा अपाइंटमेंट होकर एस.डी.ओ. कोर्ट में बैठता है और वह आपकी एक अरब की प्रोपर्टी का फैसला करता है। एक ए.सी.एम. है, आपकी दस करोड़ की, बीस करोड़ की प्रोपर्टी का वह फैसला करता है। आपका तहसीलदार रैंक का एक अधिकारी है, वह तहसीलदार आपकी प्रोपर्टी के म्यूटेशन, चाहे कितनी भी उसकी वेल्यूएशन है, अरबों की क्यों नहीं हो जाओ, वह आपकी वेल्यूएशन का फैसला करता है। इतना ही नहीं, हमारा एक कंज्यूमर फोरम बनाया है और कंज्यूमर फोरम में कितनी ही प्रोपर्टी का डिस्प्यूट हो, हम वहां लेकर जाते हैं, उसका भी वह फैसला करता है। हम हमारे सिविल जज, जो पहले बी.ए. करते हैं, फिर एल.एल.बी. करते हैं, फिर जज की परीक्षा देते हैं और उसके पास एक्सपीरियंस है और उसके सीनियर जजेज

(श्री जोगाराम पटेल)

उसके साथ बैठते हैं, वह एक लाख या दो लाख रुपये की प्रोपर्टी का डिस्प्यूट नहीं सुन सके, इसका हम डिस्प्यूट कर रहे हैं।

मेरा निवेदन है, मेरा 35 साल का अनुभव है कि उसको 2 लाख किया, वह भी कम है। आज जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से प्रोपर्टी की वेल्यू बढ़ रही है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो सम्पत्ति के डिस्प्यूट कोर्टों में आ रहे हैं, वर्तमान में जो ऊपर के न्यायालय, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, उनके पास अदर एक्ट के जो मुकदमे हैं, अगर उनको दिन भर देखा जाए तो सुबह से शाम हो जाती है।

इसीलिए आब्जेक्ट जो है इस एक्ट को लाने का, वह मात्र इतना ही नहीं है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की फुल कोर्ट ने यह कहा है और सरकार को सुझाव दिया है कि इस तरह से अमेंडमेंट लाया जावे, लेकिन आपने महाराष्ट्र में नहीं देखा, इलाहाबाद में नहीं देखा। अदर्स किसी भी स्टेट में जावें तो सभी स्टेट ने बहुत पहले ही अमेंडमेंट कर दिया है और उनको अपन 2 लाख का जुरिस्डिक्शन दे रहे हैं, वहां 5 लाख का जुरिस्डिक्शन दिया गया है। बोम्बे में जाकर देख लें, कलकत्ता में जाकर देख लें, इलाहाबाद में जाकर देख लें, दिल्ली में जाकर देख लें, इन सारे स्टेट्स ने बहुत पहले ही 5-5 लाख के, जिसको मुंसिफ कहते हैं, सिविल जज कहते हैं, उनको 5-5 लाख के जुरिस्डिक्शन दिये गये हैं।

इसलिए इस सम्बन्ध में जो भी शंका जाहिर की गयी है कि साहब, इसको तो 25 हजार से सीधा आप 2 लाख पर ले गये, मेरा निवेदन है, यह बहुत इंडिया-वाइज असेसमेंट करने के बाद, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने तो अपनी फुल कोर्ट में इसको विचार करने के बाद सरकार को सुझाव दिया है। इसीलिए यह जो अधिकारिता चाहे 2 लाख ही है, या 5 लाख ही है, यह बिलकुल वाजिब है। इसमें कोई शंका नहीं है।

इसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा, यह कहा गया है कि यहां मुकदमेबाजी बढ़ जाएगी और मुकदमेबाजी बढ़ जाएगी तो अधिक पेंडेंसी हो जाएगी; मैं इतना तो निवेदन आपके सामने करूंगा कि वर्तमान में जो मुकदमों की पेंडेंसी है, अगर उसको तौला जाए तो जितनी भी हिन्दुस्तान की लोअर जुडिशरी है, उसमें करीब 3,13,65,409 मुकदमें पेंडिंग हैं। पूरे हिन्दुस्तान की लोअर जुडिशरी में 3,13,65,409 मुकदमे पेंडिंग हैं। तो यह पेंडेंसी इसीलिए

(श्री जोगाराम पटेल)

हुई है कि हर छोटा मुकदमा, हर कोई बात, छोटी हो या बड़ी हो, मुंसिफ कोर्ट में लायी जाती है, जिसको वर्तमान में सिविल जज कहते हैं। इसके अंगेस्ट में सर्वोच्च न्यायालय में मात्र 65,843 मुकदमें पेंडिंग हैं और हाई कोर्ट में 4,62,705 मुकदमें पेंडिंग हैं। यह रिकार्ड है।

मुझे तो कहते हुए धन्यवाद है, मुझे जुडिशरी पर गर्व है कि हमारे राजस्थान हाई कोर्ट के जजेज ने इंडिया में नाम, रिकार्ड कायम किया है। अभी जो आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, एक साल में एक माननीय न्यायाधिपति ने 11,135 मुकदमों का फैसला किया है। जो राजस्थान हाई कोर्ट में मुकदमें पेंडिंग हैं, 7,02,265, उनमें से एक दिन में 11,135 मुकदमों का हो रहा है। एवरेज जो है, किसी जज ने 16 हजार, किसी ने 17 हजार, किसी ने 7 हजार, किसी ने 12 हजार और जो एवरेज है, वह 7 हजार से ऊपर है और मैक्सिमम 20 हजार है।

तो इतने मुकदमों का निर्णय करना, उसको लिखना, माइंड एप्लाई करना, डिक्टेशन देना, जजमेंट देना, जजमेंट को चैक करना, इतना आसान नहीं है। कहना बहुत आसान है कि जजेज के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप अनुमान लगावें कि एक दिन में एक जज के पास 100 मुकदमे लगते हैं, एक लाइन लिखे तो 100 लाइन होती हैं और उस लाइन में भी दिमाग एप्लाई करना पड़ता है, उसके डिस्प्यूट को देखना पड़ता है, दोनों वकीलों को सुनना पड़ता है, पक्षकारों को अपोर्चुनिटी आफ हीयरिंग देनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि साहब, यह अधिकारिता जो दी गई है, इससे अपीलेंट कोर्ट में या अपर जुडिशरी में मुकदमों का लिटिगेशन बढ़ जायेगा, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं।

इतना ही नहीं है, पिछले साल 8,663 मुकदमे राजस्थान हाई कोर्ट में निपटाये गये हैं, लेकिन एक साल में तीन हजार के करीब मुकदमे पेंडिंग हो जाते हैं। इसलिए पेंडेंसी वाला जो डिस्प्यूट किया गया है, मेरा सब्मिशन है, वह किसी भी रूप में सही नहीं है।

इतना ही नहीं, ये जो लम्बित मामले हैं, इसके पीछे और रीजन भी है, उस रीजन को हमने देखा ही नहीं है, हिन्दुस्तान में टोटल 4,655 पद जजेज के खाली हैं और जब 4,655 पद खाली हैं तो नेचुरली उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इतना ही नहीं, 270 पद हाई कोर्ट के खाली पड़े हैं और जब 270 पद हाई कोर्ट के खाली पड़े हैं, 4,655 लोअर जुडिशरी में पद खाली पड़े हैं तो

(श्री जोगाराम पटेल)

उसका पेंडेंसी पर असर पड़ेगा और उसके मुकदमेबाजी बढ़ेगी। इस बारे में भी अपन को विचार करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा यह भी निवेदन है कि इस न्याय व्यवस्था में हमको अपनी आस्था रखनी पड़ेगी और जहां कहीं भी इसमें ह्रास हो रहा है, उसकी ओर ध्यान भी दिलाना पड़ेगा।

आप अनुमान लगावें कि हम कितने कानून रोज पास करते हैं और जब कानून पास करते हैं तो हम उस कानून के प्रति कितने सीरियस हैं। कितने कानून आज तक बने हुए हैं, हम जो यहां बैठे हैं, शायद कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता, कोई भी नहीं कह सकता कि राजस्थान के कुल कितने कानून हमने बना दिये हैं। शायद कितने ही वर्ष हो गये, उस कानून को हमने सम्भाला भी नहीं होगा। आप अनुमान लगावें, राजस्थान में ऐसे कम से कम 500 एक्ट हैं जिन एक्ट की आज तक कोई किसी तरह की सार सम्भाल भी नहीं हो रही है। 15-20 एक्ट हैं जिनको हम रोज देखते हैं, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट देख लिया, टीनेन्सी एक्ट देख लिया, म्यूनिसिपेलिटी एक्ट देख लिया, पंचायती एक्ट देख लिया, यह देख लिया, वह देख लिया, लेकिन किसी ने आज तक विचार ही नहीं किया कि इतने एक्ट हम रोज पास करते जा रहे हैं, इस एक्ट की उपयोगिता क्या है और क्यों बात कर रहे हैं। आप अनुमान लगावें, अभी एक जुडिशल सर्वे हुआ था तो तमिलनाडू में 534, पश्चिम बंगाल में 357, हरियाणा में 280, यू.पी. में 174, एम.पी. में 111, दिल्ली में 63, ये सारे एक्ट बने हुए पड़े हैं जो अनुपयोगी हो गये हैं और केन्द्र सरकार जो कानून पास करती है, एक हजार ऐसे एक्ट हैं जो अनुपयोगी पड़े हैं, उनकी कोई उपयोगिता नहीं रही है। लेकिन हमने कभी भी आज दिन तक इस बारे में विचार नहीं किया, विधान सभा में लाकर, कि साहब, ये अनुपयोगी हैं, इसको हमको काम में लिया जाए।

इतना ही नहीं, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब की (व्यवधान) क्या हुआ? कम करें? कम कर देंगे। यह विषय ही नहीं लेना चाहते हैं, जिसके लिए सदन बना हुआ है। मैं काफी समय से देख रहा हूं, जिस दिन भी यह वर्क आयेगा, उस दिन सब निष्क्रिय हो जायेंगे। भई, कौनसा कानून पास होना चाहिए, कानून के प्रति कितना सीरियस होना चाहिए, कानून सही हो रहा है या गलत हो रहा है, इसके प्रति हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा निवेदन यह है, यह अपने-अपने विचार हैं।

श्री सभापति: ऐसा लगता है, कुछ की सक्रियता से, हो सकता है, भविष्य में काफी लोगबाग सक्रिय हो जाएं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हां, यह बात भी सही है।

हमारा यह भी निवेदन है कि इस पवित्र न्याय मन्दिर को कायम रखने के लिए जो वर्तमान में ह्रास आ रहा है, पारदर्शिता का हो, राजनीतिक दखल का हो, जजेज की नियुक्ति का मामला हो, आन्तरिक शुद्धिकरण का मामला हो, इस ओर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। धीरे-धीरे इसमें ह्रास हो रहा है, जिसकी ओर आपने इंगित किया है। परन्तु शीघ्र निपटारे के लिए जरूरी है कि हम हमारी जितनी भी पेंडेंसी आफ केसेज है, उनका शीघ्र निपटारा करें। पदों की नियुक्ति करें, हाई कोर्ट में जजेज के खाली हैं उनकी नियुक्ति करें, काम-काज का प्रभाव उनके ऊपर घटावें।

इतना ही नहीं, बार और बेंच का वर्तमान में काफी समय से असंतुलन हो रहा है। किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है, वह विषय अलग हो सकता है लेकिन ...

श्री सभापति: मुख्य सचेतक महोदय, आप व्यवधान नहीं डालें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेरे व्यवधान होता ही नहीं है। मेरे तो ध्यान होता ही नहीं है कभी भी, हम तो जब आर्ग्यू करते हैं तो आर्ग्यू करते हैं।

श्री सभापति: मुख्य सचेतक महोदय, आप व्यवधान नहीं डालें। सम्माननीय सदस्य के कब्जे में है सदन। सदन का फ्लोर सम्माननीय सदस्य के कब्जे में है।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): इनको सर्दी लग रही है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह कह रहे हैं कि चीफ व्हिप साहब को सर्दी लग रही है।

मेरा निवेदन यह है, मैं विशेषकर सरकार का ध्यान भी दिलाना चाहूंगा कि वर्तमान में ...

श्री सभापति: मंत्री महोदय, आप भी विस्तृत जवाब दीजियेगा।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): यह इतना लम्बा दे देंगे कि शाम को वहां कोई सिनेमा देखने और खाना खाने जा ही नहीं सकेंगे।

श्री सभापति: जितना ज्ञानवर्धन आज हो रहा है, शायद आपको कभी ऐसा मौका ना मिले, इतने ज्ञानवर्धन का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, वैसे तो आसन की आज्ञा सर्वोपरि है, पर, सभापति महोदय, आज आखिरी दिन है सत्र का और सारे माननीय सदस्य जाना चाहते हैं 'भाग मिल्खा भाग' देखने।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप जरा...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): तो मेरा निवेदन यह था कि वर्तमान में बार और बेंच का किसी भी कारण से जो विवाद है, उस विवाद का निर्णय होना चाहिए। वह निर्णय इसीलिए भी जरूरी है, आरोप यह लगाये जा रहे हैं कि बार की ओर से गलती है; आरोप यह लगाया जा रहा है कि बेंच की ओर से गलती है। बार की गलती है। या बेंच की गलती है, उसमें नहीं जा करके, चाहे किधर भी जावे, जो कहावत है कि कहीं पर भी छुरी को रखो, ऊपर रखो या नीचे, कटना तो खरबूजा ही है, तो लिटिगेशन को सफर होना है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इसमें इन्टरवेन्शन करे, बार के मेम्बरान को भी समझावे, जहां तक बेंच का मामला है, उनको भी यथा-योग्य, जितना हो सकता है, उसमें रिक्वेस्ट की जावे और यह जो हड़ताल राजस्थान में चल रही है, इस हड़ताल को निपटाने का पूरा प्रयास किया जावे।

मैं यह भी निवेदन करूंगा, सरकार का एक विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहूंगा, यह पद नाम जो अभी हुए हैं, जिसके लिए अमेंडमेंट लाया गया है, यह नाम पद कोई एक नहीं है, एक जुडिशल रिव्यू की पालिसी आयी थी कि आल इंडिया लेवल पर पद नाम एक ही होने चाहिए। पहले अलग-अलग नाम हुआ करते थे, फिर सन् 1994 में जाकर के एक पद नाम हुए। ऑल इंडिया में एक ही नाम हो गये, सिविल जज (सीनियर डिविजन) सिविल जज (जूनियर डिविजन) और अब उसका पद नाम, जब ऑल इंडिया लेवल पर कांफ्रेंस में तय हुआ कि नहीं, इसका पद नाम जूनियर डिविजन, यह ठीक नहीं है, सीनियर डिविजन नहीं है, तो उसका यह पद नाम चेंज किया गया है। इसलिए इसमें भी कोई विशेष विवाद नहीं है।

दो विषय का और दो मिनट का ध्यान लेकर आपको निवेदन करना चाहूंगा। एक आज की तारीख में नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के केसेज आते हैं और हजारों-हजारों केसेज एक साथ आते हैं और इसकी वजह से पेंडेंसी बढ़ रही है। उसमें 50 परसेंट केसेज नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के केसेज हैं। कोई बैंक लेकर आती है, कोई हजारों के चैक डिस्आनर के केस लेकर आते हैं और कोई लाख का, कोई दस लाख का, बीस लाख का केस लेकर आते हैं। न इसकी

(श्री जोगाराम पटेल)

स्टेट को कोई एक पैसे की रेवेन्यू मिल रही है और कोर्टों में रेवेन्यू और बढ़ रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि विभिन्न राज्यों ने इसमें अमेंडमेंट किये हैं और राज्यों को करोड़ों रुपयों का रेवेन्यू मिल रहा है। क्योंकि बैंक लेकर आया या और कोई इंडिविजुअल लेकर आया, वह आपसे एक डिस्प्यूट का फैसला करवा रहा है कि मेरा इतना हजार, इतना लाख, करोड़ रुपया बाकी है, उसका निर्णय किया जावे, और उसका वह सिर्फ एक रुपया देता है। बाकी हमारे एक आदमी के पांच हजार के लिए आवे तो उसकी पांच परसेंट आप कोर्ट फीस लेते हैं। इसलिए इस बारे में भी विचार किया जावे। नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के जितने भी केसेज हैं, उनके, जैसे दूसरे स्टेट ने अमेंडमेंट किये हैं, हम उसमें अमेंडमेंट करें। उसकी रेवेन्यू स्टेट को होगी।

आखिर में, मेरा यह भी निवेदन है कि इस हड़ताल के सम्बन्ध में सरकार सीरियस हो। किसी की भी गलती हो, उस पर नहीं जावें। आरोप यह भी लगाये गये हैं कि जजेज मीटिंग में लाये तो वकील नहीं माने, वकीलों ने आरोप लगाया है कि जजेज ने हमारे ऊपर कंटेम्प्ट लगा दिये, लेकिन इन सब बात को बंद करें। बार और बेंच का संतुलन जरूरी है, परस्पर सौहार्दपूर्ण वातावरण भी बहुत जरूरी है। इस सम्बन्ध में विचार करें।

आखिर में, कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं घोर विरोध करता हूं। राजस्थान के फोरमेशन के समय यह तय हुआ था कि राजधानी जयपुर में रहेगी, हाई कोर्ट जोधपुर में रहेगा, माइनिंग डिपार्टमेंट उदयपुर में रहेगा, बोर्ड आफ रेवेन्यू अजमेर में रहेगा। जब से फोरमेशन हुआ है तब से हमारा यह अधिकार है। इसको कोई नहीं ले सकता और किसी भी सूरत में नहीं ले सकता। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): ×××

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): राजस्थान का हाई कोर्ट सिर्फ जोधपुर में रहेगा, इसको कोई खण्डित नहीं कर सकता। (व्यवधान)

श्री सभापति: आसन की बगैर अनुमति के जो बोला है, वह अंकित नहीं होगा।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): ×××

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): किसी भी सूरत में राजस्थान हाई कोर्ट का खण्डन मंजूर नहीं करेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: आसन किसी प्रकार के वाद-विवाद की इजाजत नहीं देता है। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): ×××

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट का खण्डन नहीं हो सकता। (व्यवधान) प्रस्ताव रखा है, इसका मैं विरोध करता हूं।

श्री सभापति: आसन पांव पर है, दोनों सदस्य बैठ जाएं। आसन पांवों पर है, दोनों सदस्य विराज जाएं।

आसन की अनुमति के बगैर जो-जो माननीय सदस्य बोलें हैं, वह अंकित नहीं होगा।

लूणी से आने वाले माननीय सदस्य, आप अपनी अभिव्यक्ति को कन्क्लूड करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कर दिया, सभापति महोदय।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बस एक मिनट का। ओनली वन मिनट।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): ×××

श्री सभापति: सम्माननीय, विराजें। आप इनको कन्क्लूड तो करने दें। आपके सम्माननीय साथी सदस्य हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इसीलिए आपका यह जो कहना है कि हड़ताल में थे, इमरजेंसी के दौरान हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारे साथ घोर अन्याय हुआ, उस अन्याय को हम सहन कर रहे हैं। पिछले 1977 से लगाकर के आज तक, राजस्थान हाई कोर्ट के वकील हर लास्ट वर्किंग डे हड़ताल पर गये। इसका एतराज है।

इसलिए कोई भी प्रस्ताव, कैसा भी प्रस्ताव, सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। इस मामले में सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और ना ही प्रस्ताव होने की कोई आवश्यकता है। सरकार इस बारे में कोई निर्णय ले ही नहीं सकती। इस हाउस का उपयोग करके, यह बात रखना कि राजस्थान हाई कोर्ट की बेंच खंडित होनी चाहिए, कोटा या और कहीं स्थापना होनी चाहिए, यह ना तो यहां discussion का विषय है, ना discuss किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में राजस्थान के कोई भी वकील की कभी भी सहमति

(श्री जोगाराम पटेल)

नहीं है। जोधपुर सम्भाग, पूरा राजस्थान हाई कोर्ट कभी भी अलाउ नहीं करेगा। इसमें हम सब हैं।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री।

एक मिनट, माननीय सदस्य, आप विराजें। मैं माननीय सदस्यों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में क्या चीज कही जाएगी, कैसे कही जाएगी और कौन कहेगा, यह निर्णय कोई सदस्य नहीं करेगा। यह निर्णय नियम से आसन करेगा। इसलिए, सम्माननीय सदस्य, आप लोग इस बात को गम्भीरता से ग्रहण करें। आसन को निर्देश देने का सदन के किसी सदस्य को अधिकार नहीं है। कृपया करके इसको विद्वतापूर्वक ग्रहण कर लें।

माननीय मंत्रीजी, आप अपना उत्तर दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 के माध्यम से आज इस सदन के अन्दर कई विषय जो न्यायपालिका से सम्बन्धित हैं, कई विषय जो हमारे संविधान-प्रदत अधिकारों से सम्बन्धित हैं, उनके बारे में माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये।

माननीय सभापति महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने माननीय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के लिए सवाल खड़ा किया। पूर्ण पीठ की बैठक हुई और बैठक के बाद उनकी अभिशंसा पर राज्य सरकार जो कानून लेकर आई है, उस मिनिट्स के बारे में आपने जानकारी चाही। माननीय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ की बैठक की मिनिट्स आज तक कभी राज्य सरकारों को भेजी नहीं गई। उनके द्वारा माननीय रजिस्ट्रार जनरल, हाई कोर्ट का एक पत्र जो राजस्थान सरकार को भेजा गया, दिनांक 8.05.2014 को, उस पत्र, के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ की जो अभिशंसा थी, उसका प्रकटीकरण किया गया।

माननीय सभापति महोदय, यह संशोधन इसलिए लेकर आया गया कि धन सीमा बढ़ाने से जिला और सत्र न्यायालय और अपर सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट जज और ए डी जे, इनमें जो सेशन केसेज हैं, वे सेशन केसेज गम्भीर प्रकृति के हैं। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिकट कोर्ट पर दबाव कम होगा तो निश्चित तौर पर उन लोगों को जो गम्भीर प्रकृति के केसेज का निपटारा शीघ्र चाहते हैं, उनको राहत मिलेगी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, 31.05.2014 तक जो राजस्थान में 37,612 सिर्फ सेशन कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, इन 37,612 में 6,292 लोग जेल में बैठे इंतजार कर रहे हैं कि मैंने गुनाह किया या नहीं किया, इसका फैसला हो जाये। इनके अन्दर 5,420 केसेज ओफेंस अगेंस्ट वूमन हैं। मैं इन सारे केसेज की व्याख्या करूं तो लंबा समय लग जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, सरकार की मंशा स्पष्ट है, अभी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य का कोटा के अन्दर उच्च न्यायालय की पीठ खोलने के लिए सवाल सदन के अन्दर आया, तो माननीय मंत्रीजी ने यह कह दिया कि यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से सम्बन्धित है। माननीय सभापति महोदय, हमारे संविधान के आर्टिकल 214 से 231 तक में यह स्पष्ट कहा गया है कि उच्च न्यायालयों का गठन कैसे होगा, किस प्रणाली से होगा। इसके अन्दर राज्य सरकार की दखलंदाजी नहीं है। हां, यह सही है कि मैंने मेरे उत्तर के अन्दर भी constitution की शिडयूल VII उसकी सूची III एंट्री 11(1) के बारे में कहा था, जिसका उल्लेख आर्टिकल 233 से 235 में है, माननीय उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार को उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालयों के गठन के लिए अधिकार है।

माननीय सभापति महोदय, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बड़ा वैलिड सवाल उठाया, श्रम न्यायालय में न्यायिक अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर चले जाते हैं, श्रम विभाग द्वारा शक्तियां नहीं दी जातीं, पीठासीन अधिकारी अपने काम को विलम्ब से प्रारम्भ करते हैं। यह प्रक्रियात्मक पूरी कार्यवाही है। निश्चित तौर पर आपने अच्छा सुझाव दिया, अच्छा मार्ग प्रदर्शित किया। राज्य सरकार इस पर गम्भीर होगी और आइंदा श्रम न्यायालय के अन्दर जब भी जिला न्यायाधीश संवर्ग के किसी अधिकारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जायेगी, तत्काल उसे अधिकार मिलें, इसके लिए भी सरकार कोशिश करेगी।

माननीय सभापति महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह तो सिर्फ सिविल जज के नाम परिवर्तन का संशोधन है, निश्चित तौर पर है। मैंने मेरे उत्तर के अन्दर सेक्शन 5 का उल्लेख किया, सेक्शन 19 का उल्लेख किया जिसके प्रदत्त हमने इनकी धन सम्बन्धी शक्तियों का अभिवर्धन किया है। मैंने 19(2) की भी आपके सामने बात रखी, एक तरह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

से सेमी क्लाज है उसका। अधिकांश राज्यों में यह जो पदनाम हैं, ये पूर्व में बदले जा चुके हैं।

माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि न्यायालयों में वाद लगातार लम्बित होते जा रहे हैं। अब राजस्थान में अधीनस्थ न्यायालयों में 14 लाख 85 हजार और उच्च न्यायालय में 3 लाख 2 हजार वाद लम्बित हैं। यह चिंता की बात है।

माननीय सभापति महोदय, यहां एक और प्रकरण की बात चली और वह समसामयिक भी थी, जब राजस्थान की विधान सभा में judiciary पर बात चले, न्याय सम्बन्धी कोई प्रकरण चर्चा में आए, तो आज के हालात पर माननीय सदस्यों का चिंतित होना बड़ा वाजिब है। जिसकी चिंता लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने की, बार और बेच का झगड़ा। माननीय सभापति महोदय, आज 24वां दिन है, राज्य भर के वकील हड़ताल पर हैं।

9 जुलाई की छोटी सी घटना, जयपुर महानगर के एडीजे 13 के साथ स्थानीय बार काउंसिल के अध्यक्ष का कुछ विवाद हुआ। उन्होंने contempt petition proceedings चालू कर दीं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने सुओमोटू ही contempt proceedings को प्रारम्भ करके टिप्पणी की, ''क्या वकील देश की न्यायिक व्यवस्था से ऊपर हैं? ''क्या वकीलों को न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अधिकार है?' एक तरफ तो इस तरह की टिप्पणी हो रही है। राजस्थान का वकील सड़क पर आ रहा है।

चिंता की बात यह है कि इसी 3 जुलाई को पहली बार, judicial officers association मीटिंग करती है, यहां एक और वकील कहता है कि जज वाला क्या मामला है? यह आप लीगल एड के बारे में किस तरह बात कर रहे हो? वकील आरोप लगा रहा है कि जिस तरह से भर्तियां हुईं, उसके अन्दर कई संदेह पैदा हुए; वकील आरोप लगाता है कि अजमेर के अन्दर शारदा जैसे जज जो न्याय किया करते थे, वे आज जेल की सलाखों के पीछे क्यों हैं? न्यायाधीश अधिकारी इकट्ठे होकर कह रहे हैं कि अब इन वकीलों की दादागीरी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। निश्चित रूप से यह चिंता की बात है।

मैं निवेदन करूं, माननीय सभापति महोदय, अधिवक्ताओं की हड़ताल कोई श्रम संघों की हड़ताल नहीं है। एडवोकेट एक्ट बना हुआ है और एडवोकेट एक्ट की धारा 34 कहती है कि वह अधिवक्ता अपने पक्षकार का, अपनी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

निष्ठा से, अपनी जिम्मेदारी से, अपने ज्ञान से पक्ष रखेगा। उत्तरदायित्व भी है उसका।

आज हो क्या रहा है? माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में विभिन्न श्रेणियों के 977 न्यायालय हैं, प्रत्येक न्यायालय के अन्दर 80 से 90 प्रकरण प्रतिदिन लग रहे हैं। इस प्रकार अगर देखें तो पूरे राजस्थान में 75 से 80 हजार मुकदमे प्रतिदिन लग रहे हैं। इन मुकदमों में पक्षकार, गवाह और वकील की अगर बात करें, वकील को छोड़ो, पक्षकार और गवाह की बात करें तो प्रतिदिन दो से सवा दो लाख लोग अदालतों में आकर खड़े होते हैं। नतीजा यह निकलता है कि आज हड़ताल पर हैं, वकील साहब आज हड़ताल पर हैं, न्यायिक अधिकारी सामने खड़े हैं। निश्चित तौर पर यह चिंता की बात है।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा, सदन की भावनाओं को लेकर जिस प्रकार की चिंता व्यक्त की है, हड़ताल को लेकर, सरकार प्रयास करेगी, मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन करेंगे, मुख्य न्यायाधीश नये आये हैं, वे सहृदयता का परिचय दें। सरकार मध्यस्थ की भूमिका निभायेगी और कोशिश करेंगे कि यह हड़ताल समाप्त हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहना चाहता, इस कानून के पीछे जो मंशा है, जो हेतु है, वह त्वरित न्याय मिले, सस्ता न्याय मिले, सुलभ न्याय मिले। मैंने पहले ही मेरी बात के प्रारम्भ में कहा था कि सम्पत्तियों की कीमत जिस तेजी से बढ़ती जा रही है और सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद दरकते सामाजिक मूल्यों में जिस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और जिस प्रकार के गम्भीर प्रकृति के विवाद आज डिस्ट्रिक्ट कोर्टस और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्टस में हैं, उन पर दबाव कम करने के लिए, क्योंकि जो संशोधन सरकार लेकर आई है, इन संशोधनों के अनुसार मुंसिफ मजिस्ट्रेट, सी जे एम और ए सी जे एम इनको सुनेंगे। मुंसिफ मजिस्ट्रेट की संख्या में, हो सकता है कमी हो, तो सरकार भर्ती कर सकती है, परन्तु डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सब पद जो पदोन्नति से भरे जाने वाले पद हैं, इनके अन्दर सरकार की भूमिका भी और सरकार की भूमिका भी, उच्च न्यायालय की भूमिका है, इन पदों को भरने में थोड़ी कठिनाई है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आग्रह है कि माननीय सदस्यों ने जो शंकाएं व्यक्त की थीं, उन शंकाओं को निर्मूल साबित करने की मैंने कोशिश

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

की है। आपसे मेरी यह प्रार्थना है कि इन सब चीजों को देखते हुए, यह जो विचारार्थ विधेयक लिया गया है, जन मत जानने के लिए प्रस्ताव आपने खारिज करवा दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, अब इसको पारण की कृपा करें, माननीय सभापति महोदय।

माननीय सदस्यों को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सब लोग बड़े सुरुचिपूर्ण, नाना प्रकार के व्यंजन हैं, भोजन पर सब आमंत्रित हैं। मैं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में यह बात कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, मैं केवल एक मिनट, आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं। अपनी बात ...

श्री सभापति: मंत्री के उत्तर के बाद में ...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): मैं मंत्रीजी से जवाब नहीं चाह रहा हूं। मैं अपनी बात केवल रिकार्ड पर लाना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: बात तो रिकार्ड पर तब आयेगी, जब आसन अनुमति देगा।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री सभापति: आप घड़ी की तरफ देख कर बोलें। (व्यवधान) आसन जब इजाजत देगा तो वह अंकित होगा और अगर ऐसी कोई बात कही जाये, जो आसन के हिसाब से ठीक नहीं होगी, तो फिर वह अंकित हुआ हुआ भी विलोपित। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): अब एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, मैंने आसन की आज्ञा से ही कई बार हाई कोर्ट का मामला इस सदन में उठाया है। लूणी से आने वाले माननीय सदस्य का मैं बहुत सम्मान करता हूं, उन्होंने अपनी जोधपुर की बात को प्रोटेक्ट किया है, यह उनका हक है और अधिकार है। वे जोधपुर पीठ का विघटन हुआ, उसकी पीड़ा अभी भी लेकर चल रहे हैं। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि जिस हाड़ौती के पास स्टेट टाइम में हाई कोर्ट थी, क्या वह लोकतंत्र आने के बाद अपने हक और अधिकार की बहाली इस सदन से नहीं मांग सकती? इस सदन से नहीं मांग सकती? यह

(श्री प्रहलाद गुंजल)

गम्भीर चिंता का विषय है। इस पर सदन को चिंता करनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि किसी के विरोध की चिंता के बगैर, न्याय हित में, कोटा को हाई कोर्ट मिलनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, मैं विधि मंत्री को धन्यवाद तो देता ही हूं कि उन्होंने कहा है कि सरकार मध्यस्थ का रोल करेगी और यह बयान आज पहली बार इस सदन में सरकार का आया है कि जुडिशरी और वकीलों के बीच में जो कंफ्रंटेशन है, उसमें सरकार मध्यस्थ का रोल करेगी।

माननीय सभापति महोदय, हाई कोर्ट की खण्ड पीठ कहां हो, कहां न हो वह आज विषय नहीं है पर माननीय कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है, उदयपुर की भी मांग है, बीकानेर डिविजन की भी मांग है और चूंकि आज चर्चा का मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं बीकानेर जिले से, संभाग से आने के नाते यह कहूंगा कि बेंचेज को कंसिडर करना भी न्याय की प्रक्रिया को और आगे ले जाना है। ठीक है, वह आज सम्भव नहीं है, वह अलग मुद्दा है, लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि कोटा, उदयपुर, बीकानेर संभाग और आज सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि हमें भी हाई कोर्ट चाहिए, तो यह कंसिडर करने का मुद्दा है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया गया।

राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014 । श्री युनुस खान, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाये।

विधेयक पर विचार

राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति: श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, पहले का जो विधेयक था, उस पर भी बोलने की इच्छा तो थी लेकिन आपका जो रौद्र रूप देखा ...(व्यवधान) राव/राठौड़ तो मैं हूं नहीं, दूसरे प्रकार का राठौड़ हूं, किसान। तो जब आप इस प्रकार से रौद्र रूप दिखायेंगे तो ...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ये राठौड़ हैं या नहीं पर राठौड़ी जरूर करते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इस पर मुझे एतराज है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि राठौड़ नाना प्रकार के होते हैं, हम कोई जीव-जन्तु हैं? इसको एक्सपंज करवाओ, सभापति महोदय।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान राजमार्ग विधेयक, 2014 इसमें त्रुटियां तो बहुत हैं और इतनी त्रुटियां हैं कि ...(व्यवधान) मिस्टेक्स तो त्रुटियां ही होती हैं। इसको आप मिस्टेक कह दो, त्रुटि कह दो। यानी शब्दों की त्रुटियां, केवल लेखन की ही नहीं है। जैसे 'अधिग्रहण' का या इस प्रकार से शब्द हैं, हालांकि ये दे रहे हैं संशोधन समय-समय पर लाकर। मुझे लगता है कि यह जल्दबाजी में बनाया गया है। इसलिए मैंने जन मत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव रखा था।

माननीय सभापति महोदय, इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जिनके बारे में थोड़ा गम्भीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। हमारे इलाके में भी फोर-लेन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण हुआ था, नेशनल हाइवे अथोरिटी आफ इण्डिया ने किया था, एन एच 14 पर उस में भी कई समस्याएं सामने आई थीं। मैं सोचता हूं कि इसमें भी इसी प्रकार की समस्याएं आएंगी। उसके बारे में थोड़ा-सा प्रावधान पहले से कर लेते तो आगे जाकर वे समस्याएं नहीं आयेंगी।

इसमें धारा 10 पर इन्होंने जो प्रावधान दिया है कि भूमि अधिग्रहण करने पर डी एल सी दर के बराबर की राशि किसी किसान को या जिसकी भूमि अधिग्रहित की जाती है उसको देने का प्रावधान इन्होंने रखा है। अब, माननीय सभापति महोदय, विचार करें, कोई व्यक्ति वर्षो से वहां बैठा है, उसकी आजीविका उसी पर निर्भर कर रही है। आप भूमि उसकी अधिग्रहित करेंगे,

(श्री मदन राठौड़)

उसका अधिग्रहण करेंगे, उसको वहां से बेदखल कर देंगे और केवल डी एल सी दर से उसको देंगे। वह देना चाहे कि नहीं देना चाहे, आप तो कर ही लेंगे क्योंकि आपको यह अधिकार प्राप्त हो जायेगा। मैं सोचता हूं कि यह ठीक नहीं है। अभी लैण्ड एक्विजिशन एक्ट, 2013 सर्वोच्च सदन हिन्दुस्तान का, उसमें पारित हुआ था। उसमें भी यह प्रावधान था और उस प्रावधान में एक आर्टिकल था 26, इन्होंने आर्टिकल 29 के तहत यह प्रावधान कर दिया कि हम केवल डी एल सी दर देंगे और उसका एक रुपया 25 पैसा प्रति सैकड़ा ब्याज और दे देंगे। मैं सोचता हूं, यह ठीक नहीं है। उसको डी एल सी से डबल, कम से कम; मिलना चाहिए, क्योंकि आप उसको बेदखल कर रहे हैं। अनायास ही आप उसे हटा रहे हैं, यह ठीक बात नहीं है। इस प्रावधान पर आप थोड़ा विचार करें। अब वह किसान कहां जाएगा? उसके बच्चे कहां जाएंगे? डी एल सी दर कौन तय करता है, कितनी दूरी पर है, इसके हिसाब से यह निर्धारण हो रहा है। मैं सोचता हूं, इसमें सोचने की जरूरत है। इसमें संशोधन करना चाहिए।

ठीक इसी प्रकार से, धारा 12 में इन्होंने दिया है, पुनर्वास, रिसेटलमेंट एण्ड रिहैबिलिटेशन अवार्ड। मैं सोचता हूं, इसमें भी आप देखिए, रिसेटलमेंट की बात ये कर रहे हैं, ये क्या करेंगे उसका रिसेटलमेंट? कोई व्यक्ति वर्षों से वहां बैठा है और वह चाय की दुकान लगाकर बैठा है, आप उसको हटा रहे हैं। वह ईंटों से केवल निर्माण करके अपनी आजीविका चलाने का साधन बनाकर अपना काम कर रहा है। आप अनायास ही उसे हटा देंगे। हटाने के बाद उसकी वेल्यूएशन क्या होगी, उसकी वेल्यूएशन आप आंकेंगे जो कई वर्षों पहले की है। आज इतना कम पैसा उसको मिलने वाला है कि उसके बदले में वह कुछ भी निर्माण वहां नहीं कर पाएगा।

इसी प्रकार आर्टिकल 14 में भी दिया है। मैं सोचता हूं, इसमें फिर से विचार करने की जरूरत है। उसको यदि आप हटाएं तो फिर से वैसा, या उससे थोड़ा निर्माण करके, उसको दिलाने की व्यवस्था करवा सकें, या इतना पैसा तो उसको दें जो फिर से निर्माण कर सके। यह थोड़ा-सा प्रावधान इसमें करना चाहिए।

कई बार यह भी देखने में आया है कि किसी के पास में पट्टा नहीं है, बिना पट्टे के वहां बैठा हुआ है और सैकड़ों वर्षों से वहां बैठा हुआ है। पट्टा नहीं बनाया। पंचायत की जमीन होगी या पंचायत से एन्क्रोचमेंट कर रखा

(श्री मदन राठौड़)

होगा, या किसी भी प्रकार से वह बैठा है। एक प्रावधान है कि यदि 99 से पहले वह बैठा है तो उसको पट्टा मिलना चाहिए, लेकिन पंचायतों के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में पट्टा दिया नहीं जाता। यदि उसके पास पट्टा नहीं है तो आप उसे मुआवजा नहीं देंगे। यह बात भी ठीक नहीं है। इसमें भी थोड़ा विचार करने की जरूरत है। यदि पट्टा नहीं है तो भी उसको मुआवजा निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए।

इसी प्रकार से, आप भवन, पेड़, पौधे हटाएंगे तो उसका भी प्रावधान रखा है, वह बहुत कम है। इसके बारे में आप विचार करें कि कोई पेड़ उसने लगाया है, बच्चे की तरह पाल-पोसकर उसने तैयार किया है और वह पेड़ आप एकदम से हटा देंगे, उसको काट देंगे। वह उसका निजी पेड़ है। उसमें भी आप थोड़ा-सा विचार करें कि उसकी पर्याप्त कीमत मिल जाय। जो कीमत उसकी है, वह पूरी मिलनी चाहिए। यदि आप उसकी कीमत नहीं देंगे तो उसके साथ में आप अन्याय करने जा रहे हैं। इसके बारे में विचार करना चाहिए।

आप वहां भूमि अधिग्रहण तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद में जो शेष भूमि उसकी बचती है, उस भूमि पर यदि वह निर्माण करना चाहे तो आप उसको अनुमति नहीं देते हैं। उसकी अनुमति प्रदेश स्तर की कमेटी ही देगी, नेशनल हाइवे अथोरिटी उसकी अनुमति देगी। मैं सोचता हूं कि यह भी ठीक नहीं है। यदि उसको अनुमति स्थानीय स्तर पर मिल जाय; पहले तो वह प्रयास करेगा कि वह पंचायत से एन ओ सी ले, पंचायत से एन ओ सी लेकर फिर आपके यहां आवेदन करेगा। आपके यहां पर जिला स्तर पर उसकी अनुमति देने में कोई सक्षम नहीं है, राज्य स्तर पर उसकी अनुमति देंगे। उसको कितनी परेशानी हो जाएगी। यह थोड़ा-सा विचार करना चाहिए। उसको आसानी से अनुमति मिल जाय, यह जरूरी है।

एक आपने यह कहा, इसमें प्रावधान है, यदि किसी का मकान कम टूटा है और कम टूटा है तो उसको आप मुआवजा जितना टूटा है, उतना ही देंगे। क्या उसका मकान पूरा खराब नहीं हो गया? पूरा क्षतिग्रस्त नहीं हो गया? कई ऐसे प्रावधान भी देखे हैं, हाइवे अथोरिटी ने जो कब्जे किये हैं, आधा मकान टूट गया, आधे से अधिक टूटा है उसको तो पूरा माना है, आधे से कम टूटा है उसको कम माना है। अब उसका मकान तोड़ रहे हैं और जे सी बी से तोड़ रहे हैं, फोर्सली तोड़ रहे हैं तो वह पूरा ही क्षतिग्रस्त हो गया, हिल गया।

(श्री मदन राठौड़)

वह किसी काम का नहीं है। वह वहां जाकर काम कर नहीं सकता, वह वहां निवास कर नहीं सकता। उसका निर्माण कर नहीं पाएगा। मैं सोचता हूं, यदि किसी का मकान वहां पर आए तो आप वेल्यूअर को भेजते हैं, वह आज की स्थिति को देखकर वेल्यूएशन करता है। आज की स्थिति देखकर, उसका आकलन करके दे देंगे तो वह तो बेघर हो गया। मैं सोचता हूं, उसके साथ में बहुत बड़ा अन्याय है।

सभापति महोदय, आप जो एक्ट ला रहे हैं, इसमें जो रोड्स बनाना चाहते हैं, फोर-लेन रोड या बड़ी रोड बना रहे हैं, मैं सोचता हूं, स्थानीय व्यक्ति के लिए तो कोई लाभप्रद नहीं है। उसके लिए तो जो रोड बना हुआ है, वह जैसा-तैसा भी साधन है उस साधन से अपना आना-जाना, आवागमन कर रहा है। अब आप जो रोड बना रहे हैं, ये बड़े-बड़े दूरगामी यात्रा करने वाले लोग हैं, उनके लिए आप ये रोड बना रहे हैं। आप उनके लिए ये रोड बना रहे हैं और वहां व्यक्ति बेघर हो रहा है, उसकी रोजी-रोटी छिन रही है, उसकी आजीविका समाप्त हो रही है। वह भूखा टुकर-टुकर केवल वाहनों को आते-जाते देखने का काम करेगा। इससे अधिक उसके पास में कोई काम नहीं रहेगा।

मैं सोचता हूं, यह उसके साथ में अन्याय है। निश्चित रूप से इसमें आपको प्रावधान करना चाहिए। यदि उसका मकान क्षतिग्रस्त हो तो पूरा मकान बनाकर दिया जा सके, यह प्रावधान उसमें करना चाहिए। निश्चित रूप से इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि वह फिर से अपना मकान बनाकर उसमें निवास कर सके। यह बहुत जरूरी है। आपके तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सरकारों को भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप टोल से सारी राशि वसूल रहे हैं। राशि तो आमजन से वसूली जा रही है। मैं सोचता हूं, इस पर वाहन आने-जाने वाला 10 रुपये की जगह 15 रुपये दे देगा, 80 रुपये की जगह 100 रुपये दे देगा, तो उसके बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसकी रोजी-रोटी छिन रही है उसकी चिन्ता करने की आवश्यकता है। मैं यही निवेदन करके अपनी बात को समाप्त करूंगा।

फिर भी आप सब मुझे समझा रहे हैं कि मैं भूल नहीं जाऊं, मुझे ध्यान में है कि मंशा साफ है, आपका मन साफ है। मैं सोचता हूं कि आप स्टाक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना चाहते हैं, इसके लिए आप लेकर आये हैं। हो सकता है, आपकी भावना का मैं भी सम्मान करूं। मैंने कुछ बातें आपके

(श्री मदन राठौड़)

सामने रखी हैं, आप इन पर जरूर विचार करें और मंत्रीजी जब जवाब दें, इसमें संशोधित जवाब दे सकें तो निश्चित रूप से उन लोगों को राहत मिलेगी जो इसमें उजड़ने वाले हैं, बेघर होने वाले हैं। उनको राहत मिलेगी। इसकी आप जरूर चिन्ता करें।

मैंने जन मत जाने के लिए प्रस्ताव दिया था, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा कि मैं इसको विथड्रा करूं। धन्यवाद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अनुमति सदन देता है।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014 जो सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसमें जन मत जानने के लिए परिचालित करने के लिए मैंने अपना प्रस्ताव दिया है और उसके ऊपर मैं बोलना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, सड़क बनाने का काम पी डब्ल्यू डी करता है। उसके साथ-साथ दो संस्थाएं और भी हैं जो सड़क बनाने का काम करती हैं, आर एस आर डी सी और रिडकोर कम्पनी। इसमें लगभग 1,800-2,000 के लगभग इंजीनियर सेवाएं दे रहे हैं और कुछ ठेकेदार सिस्टम के तहत ठेका लेकर काम करते हैं, सड़कें बनती हैं।

जो प्रावधान इस अधिनियम में किये गये हैं, इस अधिनियम को लाने की आवश्यकता क्यों हुई? आनन-फानन में, महाराष्ट्र से लिया, गुजरात से लिया; पता नहीं, पंजाब लिया, या कहां से लिया; नेट से निकाला और आनन-फानन में राज्य को राष्ट्रीय भी लिख दिया और गांवों का नाम भी बदल दिया और फटाफट एक ही दिन में लाये। न इसको पढ़ने का मौका मिला, न देखने का- समझने का मौका माननीय सदस्यों को दिया। यह परम्परा ठीक नहीं है।

(16.00 बजे)

इतना बड़ा बिल ला रहे हैं, आप प्राधिकरण बना रहे हैं, जे डी ए जितना बड़ा बना रहे हैं। जे डी ए बना था, जयपुर डवलपमेंट अथोरिटी, माननीय सभापति महोदय, उसका क्या हुआ? किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं? सांगानेर से आने वाले माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं, इन्होंने कहा; झोटवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह प्राधिकरण तो भ्रष्टाचार के अड्डे हैं, पैसे ले-लेकर काम करते हैं।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से, मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार एक भ्रष्टाचार का दूसरा अड्डा और खोलने जा रही है? कहां जरूरत पड़ गई, जब पी डब्ल्यू डी है, आर एस आर डी सी है, रिडकोर है? सड़कें बन रही हैं, क्या मेगा हाइवे नहीं बनीं? आप उन इंजीनियरों पर लगाम तो कस नहीं सकते; वे जो भ्रष्टाचार में हैं, ठेकेदार हैं, काकस बना रखा है, उनसे मिले हुए हैं, क्वालिटी का ध्यान नहीं रखते, समय पर काम नहीं करते, गवर्नमेंट उन पर तो कुछ लगाम कस नहीं सकती और केवल मात्र यह हम प्राधिकरण बना रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस प्राधिकरण में क्या करने जा रहे हैं? एक कंट्रोल जोन बनायेंगे। किसान 100 मीटर में कोई निर्माण नहीं करेगा; अगर उसने निर्माण कर लिया तो उसमें संशोधन नहीं करेगा, उसको रिपेयर भी नहीं करेगा। आप जमीन का पैसा भी नहीं दोगे और आपने पाबंद कर दिया कि न तो इसका कन्वर्जन करा सकते हो, न मकान बना सकते हो, न दुकान बना सकते हो। अगर वह रह रहा है और छत टपक रही है तो आप उस पर रिपेयर भी नहीं कर सकते हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये प्रावधान पहले भी थे। क्या सड़कें हिन्दुस्तान में, राजस्थान में बनी नहीं? जब किसान की जमीन की आवश्यकता हुई तो किसान ने जमीन दी है न? उसको तो बिलकुल शून्य के बराबर पैसा देकर ली है। आज तो हमारी यू पी ए सरकार ने एक्ट भी पारित किया कि किसान का अगर आप भूमि अधिग्रहण करोगे तो आपको 4 गुणा कीमत देनी पड़ेगी। उसके बावजूद आज इस तरह का एक एक्ट लाया गया है। पांच से अधिक व्यक्ति उसमें जा नहीं सकते, आप पैदल चल नहीं सकते, आप पशुओं को इधर-उधर ले जा नहीं सकते, अगर एक रिफ्लैक्टर उखड़ गया तो आपके जुर्माना भी होगा और आपको कैद भी होगी, आपको सज़ा भी होगी। किसी चलते हुए राहगीर को कह दिया कि यह तो नशे में था, ठीक नहीं चला रहा था तो उसको भी अन्दर कर दोगे।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये करना क्या चाहते हैं, वह मेरे समझ में नहीं आया। ये दिल्ली में सरकार में बैठ-बैठ कर जो बड़े माफिया हैं, टोल माफिया हैं, 6-8 महीने में उनसे यह सेटिंग ही की क्या? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार केवल मात्र, साढ़े तीन हजार किलोमीटर

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सड़कें तो पहले से ही टोल पर चल रही हैं और आठ-साढ़े आठ हजार किलोमीटर और सड़कें हैं जिनको टोल पर देंगे। उन टोल माफियाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए, उनसे शर्त तय की गई है कि हम इस प्रकार का कानून ला देंगे, तुम्हारी सड़क के ऊपर न कोई ओवरलोड चलेगा, न पांच आदमी इकट्ठे हो सकते हैं, न पशु आएंगे, न पैदल चलेगा, न कोई शराब पिया हुआ चलेगा और अगर किसी से छोटी-मोटी भी सड़क उखड़ गई तो उसको 15 प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा और उसको ठीक कराने का खर्चा भी दिया जाएगा। इतना तो मेहरबान इन टोल माफियाओं पर मत होइये, सभापति महोदय।

इतनी बड़ी क्या आवश्यकता आ गई? ऐसा कौनसा इसके अन्दर प्रावधान है कि अतिक्रमण नहीं करेगा? 91 के अधिकार दे रखे हैं न पी डब्ल्यू डी के ए.ईएन. को। पहले भी थे। फिर तहसीलदारों को दिये और दुबारा 15 साल के लगभग हो गये, ए.ईएन. को 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत, अगर कोई रोड बाउण्डरी में अतिक्रमण करता है तो उसको हटाने का अधिकार है। हटाया क्या किसी ने एक ने भी? सभापति महोदय, एक ने भी नहीं हटाया। 15 साल में एक भी बता दीजिये कि इन्होंने कहीं कोई सड़क में ए.ईएन. जिनको अधिकार था, उन्होंने कोई कार्यवाही की क्या सड़क के ऊपर? आज आप किसी भी सड़क पर चले जाइये, कितना अतिक्रमण, दुनिया भर का अतिक्रमण है और उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। तो क्या प्राधिकरण बनने से इन सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा?

सरकार एक तरफ टोल माफियाओं को बढ़ाने के लिए यह चीज ले आई और एक तरफ OPRC, क्या है? यह OPRC? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि OPRC क्या है? OPRC यह है कि बहुत बड़ा ठेकेदार आएगा, पूरे जिले का 1,000, 800, 900, 1,500 करोड़ का ठेका लेगा; 3-3, 4-4 जगह छोटे-छोटे ठेकेदारों को सब्लेट करेगा; वह रिपेयर करेगा नहीं, नवीनीकरण करेगा नहीं और केवल आपसे पैसे लेकर चला जाएगा। आज जो छोटे से छोटा गांव का ठेकेदार है, अगर वह सड़क ठीक करता है, नई सड़क बनाता है तो उसको तो हम कह सकते हैं कि आप क्या खराब सड़क बना रहे हो, लेकिन हमें नहीं, इन 200 माननीय सदस्यों को भी पता नहीं रहेगा कि कौन ठेकेदार आया और कहां, क्या डील हुई। आज सीकर जिले का 900 करोड़ का प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है, झुन्झुनूं का 1,400 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया है। 8 साल तक ये सेवा करेंगे, ये नवीनीकरण करेंगे, ये रिपेयर करेंगे।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो ठेकेदारों का और विभाग के इंजीनियरों का काकस है, उसको तोड़ने की जरूरत है। इस प्रकार के एक्ट लाकर प्राधिकरण बनाने की जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष ये होंगे, तकनीकी विशेषज्ञ इसके-इसके सदस्य होंगे। माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इसमें कहीं भी, एक भी जन-प्रतिनिधि को, न जिला स्तर के ऊपर और न स्टेट लेवल के ऊपर, किसी तरह का कोई सदस्य उसमें शामिल नहीं किया है। आपका प्रस्ताव ही नहीं है। इन सबको अलग कर दो और केवल मात्र उन चोर टेक्निशियन, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं सभापति महोदय, एक चीफ इंजीनियर ठेकेदारों से दलाली करता है, इनके आप फोन टेप कराइये, इनके फोन की काल डिटेल जमा कीजिये, संग्रहित कीजिये और इनकी बात देखिये कि एक-एक घंटे तक एक चीफ इंजीनियर लेवल का अधिकारी उन माफियाओं से बात करता रहता है, उन ठेकेदारों से बात करता है। समय पर कोई ठेकेदार काम करता है क्या? क्या करते हैं?

माननीय मंत्री महोदय, सरकार कोई भी आ जाए लेकिन इनको चैक करना पड़ेगा, इनसे क्वालिटी लेनी पड़ेगी। आपके पी डब्ल्यू डी का क्वालिटी कंट्रोल धूल फांक रहा है। जो बीमार है, डायबीटिक है, जो बिल्कुल भयभीत है, केवल मात्र वह क्वालिटी कंट्रोल में नौकरी करना चाहता है और मंत्रियों के आगे-पीछे घूमने वाला, नेताओं के आगे-पीछे घूमने वाला अधिकारी क्वालिटी कंट्रोल में नहीं जाना चाहता। वह जोन देखता है कि कौनसी फील्ड में जाऊं और कहां करूं।

आज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार इस पी डब्ल्यू डी में इतनी सीमा पार कर चुका है कि जितने अधिकारी, इंजीनियर काम कर रहे हैं, केवल दो प्रतिशत ईमानदार हो सकते हैं। यह आंकड़ा तीन प्रतिशत भी नहीं पहुंचेगा। उस पर तो सरकार लगाम लगा नहीं सकती है। केवल मात्र एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, वह आई.ए.एस. अधिकारी होता है, उसको छह महीने भेज दो, वह सिस्टम समझता नहीं है उन इंजीनियरों का और उससे पहले उसको वापस विदा कर दो। बाकी सेक्रेटरी लेवल से लेकर के जे.ईएन. लेवल तक ये जो इंजीनियर्स हैं, ये इन ठेकेदारों से मिले हुए होते हैं। एक भी सड़क समय पर नहीं होती, एक भी सड़क क्वालिटी की नहीं होती। अब तो ODR

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

और VR का तो आपने OPRC बना दिया, वैसे ही बड़े-बड़े ठेकेदारों को दे दिया और जो MDR हैं, जो स्टेट हाईवे हैं, उनके लिए आपने जे डी ए वाला सा प्राधिकरण बना दिया। करते रहो भ्रष्टाचार, चलाते रहो सरकार और बनाते रहो 20 हजार किलोमीटर।

सभापति महोदय, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्हीं अच्छे दिन के लिए जनता ने आपको वोट दिये थे क्या? ये अच्छे दिन इस तरह से आएंगे क्या? कहां से लाओगे आप बड़े-बड़े ठेकेदारों को? राजस्थान का एक भी ठेकेदार एलिजिबल नहीं है; न इस OPRC में है और न इन टोल सड़कें बनाने में है, जो साढ़े आठ हजार किलोमीटर की बाकी रह गई हैं। बिना मतलब, जहां जरूरत नहीं, वहीं टोल लगा दिया। चाहे सरकार हमारी रही हो, या सरकार इनकी 2003 से 2008 तक रही और चाहे अब, सारा का सारा, मैं तो कहता हूं कि कुएं में भांग पड़ी हुई है, सभापति महोदय, और ठीक करने की न तो मन्शा है और न इच्छा शक्ति है। सारे के सारे लोग केवल एक काम में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से इस भ्रष्टाचार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार का यह एक्ट पारित करने जा रहे हैं, इससे किसान का जीना दूभर हो जाएगा। एक व्यक्ति न सड़क पर ढंग से चल सकता है। आपने किसी के वाहन को सीज कर लिया और उसमें यहां तक कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति, चालक यह नहीं कहेगा कि साहब, मैं दुबारा यह अपराध नहीं करूंगा, तो उसको तुरन्त उस सड़क से मार्ग छोड़ने के लिए भी बाध्य होना पड़ेगा, और सज़ा का प्रावधान भी कर दिया और जुर्माने का प्रावधान भी कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि क्या करना चाहते हैं? असुरक्षित थोड़ा-सा वाहन नहीं चला लिया, छह महीने तक की सज़ा। असुरक्षित वाहन चलाता है, दारू पीकर चलाता है, एक्सिडेंट करता है तो आई पी सी में प्रावधान बने हुए नहीं हैं क्या? आपको अलग से कहां जरूरत पड़ गई इसको लाने की?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारा का सारा सिस्टम है, वह केवल मात्र जो 8,500 किलोमीटर के लोग टोल बनायेंगे, उन लोगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए यह किया गया है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आज आप देखिये, चूरू जाइये, नोहर की तरफ जाइये, भादरा की तरफ जाइये, बांसवाड़ा जाइये, भरतपुर में रूपवास, बयाना की तरफ जाइये, जालौर में भीनमाल की तरफ जाइये, गंगानगर में हनुमानगढ़ की तरफ जाइये, सड़कों की हालत देखिये। भ्रष्टाचार इस कदर हो रहा है कि कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। नौ महीने में, आठ महीने में एक किलोमीटर सड़क नहीं बनाई और केवल मात्र प्राधिकरण, जिस प्रकार से करने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं, सभापति महोदय, यह कतई ठीक नहीं है। इतनी जल्द बाजी की जरूरत नहीं है, मंत्री महोदय। इतनी क्या आफत आ गई कि साहब, ये आपके प्राधिकरण बनाते ही बस सब सड़कें बन जायेंगी, सारी ठीक हो जायेंगी, सारे इंजीनियर्स का भ्रष्टाचार खतम हो जायेगा, हम सब सारे के सारे अच्छे दिन आने वालों में हो जायेंगे? ऐसा नहीं होगा। यह गलतफहमी है आपकी। आप जिस तरीके से करना चाहते हैं, वह ठीक नहीं है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जितने भी ठेकेदार आयेंगे, ये सारे सब-लैट करेंगे। इनमें से एक भी ठेकेदार यहां रोलर और जे सी बी, क्या-क्या सिस्टम होता है सड़क बनाने के लिए, वह लेकर नहीं आयेगा। इतने बड़े ठेकेदार आते हैं क्या, जो आदमी एक पूरे जिले का ठेका लेगा, 1,500 करोड़ रुपये का ठेका लेगा? यहां सारा का सारा सिस्टम कोलेप्स हो जायेगा।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन सबको रोका जाये और यह जो एक्ट है, यह बिलकुल इस तरीके से बनाया गया है, इससे जनता के हितों पर कुठाराघात होगा। सड़क का कोई सिस्टम नहीं सुधरेगा। क्या इस एक्ट के बनाने से सिस्टम सुधर जायेगा? इसमें कहां से तो कर्मचारी आयेंगे? यही इंजीनियर्स हैं, यही इंजीनियर हैं जिन्होंने इस सिस्टम को कोलेप्स कर रखा है। एक-एक इंजीनियर, ए ईएन 10-10 साल तक जमा हुआ है। जहां मक्खन ठीक मिलता है, वहां नौकरी करेगा और दूसरी जगह नहीं करेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह इस तरह का जो विधेयक आप लाये हो, यह बिलकुल जनता के विरोध में है। निश्चित रूप से इससे किसान इतना प्रताड़ित हो जायेगा, इतने ज्यादा लिटिगेशन बढ़ेंगे और यह जो टोल माफिया है, इनसे आम जनता का जीना दूभर हो जायेगा। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। क्या रिडकोर से अच्छी सड़कें नहीं बनाईं? नहीं बनाईं? फिर कहां दिक्कत आ गई आपको?

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

ये माननीय सदस्य राठौड़ साहब कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि इस तरह से इनको कहां-कहां रजिस्ट्रेशन कराना पडेगा। पता नहीं, अब ये कहां से लाये, इनकी अंदरूनी बात हो गई हो, लेकिन जिस तरीके से इस एक्ट में प्रोविजन किये गये हैं, वे सारे के सारे जो इन्होंने चुनावों में वादे किये थे, उनके विपरीत हैं। हम क्या जनता को सुविधा देंगे, अच्छी सड़क प्रदान करेंगे, अच्छी बिजली देंगे, महंगाई भी रोक देंगे। तो महंगाई तो भड़ाना साहब रोक ही रहे हैं। 10-15-20 दिन हो गये, रोजाना एक ही रटा-रटाया जवाब है कि हमने टास्क फोर्स गठित कर दी है। भाई, बड़ा जोरदार काम किया आपने, 20 दिन में टास्क फोर्स गठित कर दी, महंगाई रुक गई, जमाखोरी भी रुक गई।

इसी प्रकार से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी, ये एक्ट लेकर आयें। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में आज 8-9 महीने में एक किलोमीटर सड़क नहीं बनी, मेरे जिले में एक किलोमीटर सड़क नहीं बनी है और हम यहां भाषण सुन रहे हैं 20 दिन से, 11 तारीख से, 14 तारीख से कि कायाकल्प हो जायेगा; माननीय सदन की नेता ने क्रांति ला दी सड़कों की और पता नहीं, क्या-क्या सड़कें बना देंगे। ये सड़कें-वड़कें तो धरी रह जायेंगी; और अगर यह विधेयक पारित हो गया और जन-प्रतिनिधियों की जिस प्रकार से अनदेखी की गई है, न पढ़ने का मौका दिया, न समझने का मौका दिया और न ही इसमें जो स्टेट लेवल पर प्राधिकरण बना रहे हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला सड़क सुरक्षा परिषद बना रहे हैं, एक भी जन-प्रतिनिधि को मेम्बर नहीं रख रहे हैं। वह इसलिए नहीं रख रहे हैं कि इनकी पोल वहां खोल देगा कि आप किस तरीके से क्या करने जा रहे हो।

तो वह सारा का सारा सिस्टम है, उसके ऊपर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सज़ा ही सजाओं का प्रावधान किया है, आम आदमी के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, कोई पशु रखता है उसके लिए, कोई गाड़ी लेकर चलता है उसके लिए, कोई पैदल चलता है उसके लिए, चाहे रोड के ऊपर किसी की जमीन आ गई। तो उनको सबको इस तरीके से बांध दिया इस विधेयक में कि न पशु इस रोड से उधर ले जा सकता है, न जमीन में मकान बना सकता है, मकान बना लिया तो उसकी रिपेयर नहीं कर सकता है और व्हिकल चलाने वाला तो सारे दिन आशंकित रहेगा कि कब मेरे ऊपर मुकदमा लग जाये कि तू तो दारू पीकर चला रहा था, तू तो ठीक नहीं चला रहा था, तेरी गति ठीक नहीं थी।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

एक किया है ओवरलोड का। ओवरलोड का क्या कोई प्रावधान नहीं है, सभापति महोदय? आज तक ओवरलोड के ऊपर कोई चालान नहीं हुआ है क्या? आज 10 प्रतिशत से ऊपर, जो निर्धारित कैपेसिटी है, उससे ऊपर ओवरलोड हो गया, तो यह किसलिए है? यह ओवरलोड कोई बड़े ठेकेदार थोड़े ही ले जाते हैं। अगर कोई किसान ले गया, अगर ट्रैक्टर में कहीं थोड़ा-बहुत ओवरलोड हो गया, ट्रक में कोई ओवरलोड हो गया, तो सड़क नहीं टूट जाये उस टोल लेने वाले की।

आज हनुमानगढ़ साइड में है, चारों तरफ से टोल से जोड़ दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सरकार कोई भी रहे, सभापति महोदय, लेकिन ये पांच-सात-आठ बड़े ठेकेदार यहां हैं, इनका काकस है। ये चीफ इंजीनियर लेवल के सभी अधिकारियों से मिले हुए होते हैं और मंत्रियों को मैनेज करने में इनको ज्यादा जोर नहीं आता है। आज इनके गले में देखो, एक-एक किलो सोने की लोकेट पहने हुए हैं। एक किलो सोने के बोझ से आदमी दबकर मर जाये और इनके कोई फर्क ही नहीं है। ये ऐसी अटैची लाते हैं, ऐसा मोबाइल लाते हैं, पता नहीं, कहां-कहां से क्या-क्या करते हैं और महीने-दो महीने, कोई भी सरकार बन जाये, चाहे हमारी बन जाये, चाहे आपकी बन जाये, किसी की भी बन जाये, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैनेज करके...(व्यवधान) आप भी अच्छे ठेकेदार से लग रहे हो। इसलिए ये मैनेज करके सिस्टम को फेल करने में लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक, ये इंजीनियर्स की कड़ी है, वह पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।

इस कानून के तहत आम व्यक्ति को प्रताड़ित करने के अलावा यह सरकार कुछ भी नहीं करने जा रही है। इसलिए मेरा निवेदन है... चीफ व्हिप साहब, सचेतक साहब, आप तो हुकम करो ना, फरमाओ ना।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): मैं तो याद दिला रहा हूं कि आपके साथी पीछे से ताली बजा रहे हैं, मेजें थपथपा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि और बोले जाओ आप। रुको मत।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप बजा दो तो आपका मंत्री में नम्बर आ जाये। यह और बता दूं आपको। यह डेस्क बोर्ड की जरूरत ही नहीं है फिर। (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं मेरी लास्ट बात कन्क्लूड करूंगा। एक यह जो

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

पी डब्ल्यू डी में सबसे बड़ी बीमारी है, एक ठेकेदार को तीन किलोमीटर नवीनीकरण करने का कार्य मिला। वह तीन जगह तो सब-लैट कर देता है और उसके बाद में जो पोर्शन पहले से ठीक-ठाक है, उसमें तो काला कलर करके चला जाता है, बाकी गांव में अगर जहां पानी भरने की दिक्कत है, उस सड़क पर पानी लगता हो, उसको छोड़कर चला जाता है। दो-दो साल, तीन-तीन साल, जब उसकी समयावधि होती है बनाकर पूरा करने की, तब तो वह काम स्टार्ट करता है। उसके ऊपर कोई पैनल्टी नहीं लगती है। उसको किसी को डिबार नहीं किया जाता है और मां जाये सगे भाई से भी ज्यादा उससे प्रेम किया जाता है।

यह सिस्टम अगर खतम नहीं होगा, अगर उसको पांच किलोमीटर सड़क मिली है बनाने के लिए, तो, सभापति महोदय, पांच किलोमीटर बनाने के बाद में ही पैसा दिया जाये। यह किश्तों में पैसा देने का जो प्रचलन है ना, पांच किलोमीटर में से तीन किलोमीटर बाहर-बाहर की बना दी और दो किलोमीटर जो गांव के अन्दर आबादी में टूटने वाली सड़क है, उसको छोड़ दिया। यह बोर्ड लगाते हैं, टेलीफोन नम्बर लिखते हैं, यह बड़े वाले ठेकेदारों के टेलीफोन नम्बर लिखना, फिर उठाकर बताना मुझे कि किसका नम्बर कौन उठाता है। ये मंत्री का भी फोन उठा लें तो इसी सदन में मैं अगले सत्र में मौजूद रहूंगा और मैं बताऊंगा कि मंत्रीजी, आपकी क्या हालत इन बड़े ठेकेदारों ने कर दी है। इसलिए इस राजस्थान को बचाइए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है इस प्राधिकरण को बनाने में। यह जे डी ए का बनाया हुआ प्राधिकरण, इसकी हालत आप देख चुके हो। जन-प्रतिनिधियों की इसमें भागीदारी होनी चाहिए; किसान के विरोध में जो-जो इसमें क्लाज रखे गए हैं, उन पर आप पुनर्विचार करें। इसलिए जन मत के लिए परिचालित करना जरूरी है। इसको आनन-फानन में पास नहीं किया जाए।

मेरा पुरज़ोर शब्दों में विरोध है कि यह जो एक्ट आप बनाने जा रहे हैं, पारित कराने जा रहे हैं, यह बहुत ही जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, टोल माफियों को संरक्षण देने के लिए, किसान और गरीब के विरोध का और केवल मात्र उन टोल माफियाओं को पनपाने के लिए यह एक्ट लाया जा रहा है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और पुरज़ोर शब्दों में निवेदन करते हैं कि इसको जन मत जानने के लिए परिचारित किया जाए।

आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हीरालाल नागर।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014 पर बोल रहा हूं। महोदय, आज प्रदेश की सड़कों की जो हालत है, वह किसी से छुपी हुई नहीं है। अभी प्रतिपक्ष के सदस्य इतना जो बोल रहे थे इस विधेयक पर, उनके राज में सड़कों की स्थिति क्या थी? मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र में, इनके मुख्य मंत्री के रहते हुए, वहां पर कोटा से सड़क मार्ग पर नहीं जाकर के रेल मार्ग से जाना पड़ा। उस 35 किलोमीटर की दूरी जब रामगंजमण्डी से सड़क पर आना था। माननीय मुख्य मंत्री को 150 किलोमीटर पहले कोटा आये, कोटा से फिर अंता गये, अंता से फिर सांगोद गये। वह क्षेत्र था पूर्ववर्ती सड़क मंत्रीजी का। ऐसी उनके विधान सभा क्षेत्र की स्थिति थी कि उनके क्षेत्र में मुख्य मंत्रीजी सड़क से नहीं जा सके।

ये बखान कर रहे थे अभी, तो सड़कों की हालत इनके राज में क्या रही है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहां पर खड्डे ज्यादा थे, सड़क कहीं मिलती नहीं थी। ऐसी इन्होंने पांच साल में सड़कों की दुर्दशा की है। स्थिति यह थी कि वाहनों के टायर छिल जाते थे और वाहन टूट करके हर जगह रिपेयर के लिए पड़े रहते थे। ऐसी स्थिति इनके राज में रही है।

आज जो विधेयक यहां ला रहे हैं, हमारा विजन है, मुख्य मंत्रीजी का जो विजन है, जो सोच है और उन्होंने इस परिवर्तन यात्रा पर पूरे प्रदेश में जाकर के इन सड़कों की दुर्दशा देखी तो उनके मन में यह आया कि किस तरह से इस राजस्थान को अग्रिम प्रदेशों में लाया जा सकता है। उसी सोच के साथ इस विधेयक को लाया गया है।

आज मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि 2012-13 में इन्होंने बी ओ टी पर जिन सड़कों के लिए बजट की घोषणा की, वह कागजों में रह गई। प्लानिंग इनकी थी नहीं, इनका विजन नहीं था और इनकी ही सरकार थी, लेकिन फंडिंग के लिए कोई पैटर्न नहीं बनाया, घोषणाएं ही घोषणाएं करते रहे और आज हालत इनकी आपके सामने है। हालत यह है कि ये पी एम जी एस वाई के काम भी पूरे नहीं कर सके। इतनी बुरी हालत तो किसी भी राज्य की शायद ही कहीं रही होगी। केन्द्र से इनको पैसा भी मिला, फंडिंग भी हुई, लेकिन वे काम भी इन्होंने पूरे नहीं किये। इनकी प्राग्रेस जीरो रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं इनको आंकड़े के साथ गिनाना चाहता हूं कि पी एम जी एस वाई में 2009-10 में 280 सड़कें मंजूर हुईं और पांच साल में इन्होंने 210 सड़कें बनाईं; 2011-12 में 1,076 सड़कें मंजूर हुईं, उनमें से 716 सड़कें बनाई

(श्री हीरालाल नागर)

पूरे पांच साल में और 2012-13 में 1,256 सड़कों की मंजूरी मिली और उनमें मात्र 143 सड़कें पूरी कर पाये। अभी चुनावी वर्ष में इनको 571 सड़कों की

(16.24 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

मंजूरी मिली, उनमें से मात्र 10 सड़कें पूरी कर पाये हैं। इनको पांच साल में 3,131 सड़कें मंजूर हुईं, उनमें से ये 1,059 सड़कें पूरी कर पाये; 35 परसेंट इनकी परफार्मेंस रही है। जिस तरह से इनकी परफार्मेंस रही है, उसी तरह से इनकी परफार्मेंस पर जनता ने भी इनको वैसा ही परिणाम दिया है, जैसी इनकी परफार्मेंस रही है। जीरो कर दिया इनको राजस्थान में, माननीय सभापति महोदय।

कहने का मतलब है कि वसुंधरा जी को जो जनता ने समर्थन दिया, उनको जिस तरह का भारी बहुमत मिला, केवल भावनाओं से ही नहीं दिया, उनकी परफार्मेंस पर वसुंधरा जी को यह बहुमत दिया है। उनके साहस के लिए और उनको इस तरह के परिवर्तन करने का जो परिणाम दिया है, एन एच ए आई की तर्ज पर स्टेट हाइवे अथोरिटी आफ राजस्थान का गठन करना, एक उनकी सोच है और वे राजस्थान को अन्य राज्यों के मुकाबले तेजी के साथ आगे ले जाएंगी।

माननीय सभापति महोदय, सरकार द्वारा प्रस्तुत राजमार्ग अधिनियम, 2014 माननीय। मुख्य मंत्रीजी की बजट घोषणाओं के अन्तर्गत राज्य के राजमार्गों की दशा सुधारने में एक अमिट छाप छोड़ेगा और उनके सुधार में नये आयाम स्थापित कर, विकसित राज्यों की श्रेणी में इस प्रदेश को खड़ा करने में निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा।

माननीय सभापति महोदय, विधेयक के अन्तर्गत अति महत्वपूर्ण बिन्दु है, राजस्थान राज्य मार्ग अधिनियम द्वारा प्राधिकरण का गठन। इसके मुख्य दायित्व भी हैं। राज्य राजमार्गों के अनुरूप सुधार, प्रबंधन, रख-रखाव और मरम्मत आदि के प्रस्ताव होने के साथ-साथ, राजस्थान के राजमार्गों की दशा सुधारने में अल्पकालीन समय में यह निश्चित रूप से प्रभावी होगा।

इसके अतिरिक्त, इस विधेयक में आम जन की सुरक्षा हेतु सुरक्षा मानकों का भी निश्चित रूप से प्रावधान किया गया है। इनकी बाधाओं की रोकथाम और राजमार्गों पर वाहनों की अवैध पार्किंग, ठहराव प्रतिबंधित करने की जो रीति-नीति, आदि हैं, महत्वपूर्ण बिन्दु हैं। राजमार्ग का दक्षतापूर्ण

(श्री हीरालाल नागर)
उपयोग और प्रचालन के लिए अवश्यंभावी हो, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, विधेयक में यह भी स्पष्ट है कि राजस्थान राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग में विकास, प्रचालन, सुख-सुविधाओं व आसपास के उप-नगरों के विकास हेतु ऐसे व्यक्ति से कोई करार कर सकेगा जो खुली प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित शर्तों पर चयनित किया जाएगा। इससे पारदर्शिता की भावना प्रकट होती है।

विधेयक के अन्तर्गत यातायात को विनियमित करने, भारी वाहनों पर प्रतिबंध, आदि शामिल होने से वर्तमान में दृष्टिगत अवरुद्ध यातायात, क्षतिग्रस्त राजमार्गों की स्थिति से भी निजात मिलेगी।

अतिक्रमण रोकने के लिए भी इस विधेयक में अत्यन्त कठोर प्रावधान किये गये हैं। अधिनियम के अन्तर्गत राजमार्ग पर अतिक्रमण की रोकथाम, सुरक्षित तरीके से वाहन चलाना, आदि के लिए विशेष न्यायालयों के गठन का जो प्रावधान रखा है, निश्चित रूप से यह स्वागत-योग्य है।

माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में सड़क सुरक्षा परिषद का जो गठन किया गया है, वह भी विधेयक का महत्वपूर्ण बिन्दु है।

हमारे विपक्ष में बैठे साथियों को समझ नहीं आ रहा है कि इसका विरोध करें तो कैसे करें। इस विधेयक के पास हो जाने से, राज्य के राजमार्ग जो अब तक उपेक्षित रहे थे, उन पर पूरा फोकस रहेगा, उनका पूर्ण विकास होगा और सारा निवेश प्राइवेट का ही नहीं होगा, बल्कि राज्य और केन्द्र मिलकर वायबिलिटी के अनुसार अपनी फंडिंग का इंतजाम करेंगे। कोई भी सोच धरातल पर आने से पहले, इसमें संकोच पैदा होना जरूरी है परन्तु इसमें प्राइवेट प्लेयर को हर सड़क का पूर्वानुमान करके ही सड़क को टेक-ओवर करने की आजादी रहेगी। सरकार भी हर कदम पर नजर रखेगी।

इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि यह बिल सड़क के विकास के सेक्टर में निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा।

कुछ लोगों को भ्रांति हो रही है कि अथोरिटी बनने के बाद 100 मीटर दोनों ओर भू-मालिकों का स्वामित्व खतम हो जाएगा, लेकिन बिल में साफ लिखा है कि सड़क के दोनों ओर खेती भी होगी, बागवानी भी होगी, चरागाह, मछली-पालन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। पहले से बने हुए मकान भी यथास्थिति में रहेंगे और मालिक अपने मकान की मरम्मत भी करा सकेगा।

कुल मिला कर, इस बिल के माध्यम से आज राजस्थान सड़क

(श्री हीरालाल नागर)

निर्माण के इतिहास में बहुत ऊंची उड़ान भरने जा रहा है। इसके लिए हमारी मुख्य मंत्रीजी को मैं मन से धन्यवाद देता हूं। यह विधेयक अत्यन्त स्वागत-योग्य है, परन्तु कुछ विचारणीय बिन्दु हैं जिन्हें सम्मिलित किए जाने से यह अति उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, विधेयक में फीस वसूली की दर निर्धारित करने हेतु कोई उल्लेख नहीं है। क्या दरें बी ओ टी दरों के अनुरूप ही होंगी? या पी पी पी माडल में चूंकि राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी लगभग 30 प्रतिशत होगी। अत: फीस दरों में रियायत देने से आम आदमी को राहत मिलेगी। राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़कों के निर्माण और मरम्मत में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु क्या व्यवस्था रहेगी, ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं है। टोल नाकों पर अवैध वसूली की घटनाएं आये दिन होती हैं। जिम्मेदारी अधिकारी की नियुक्ति व आम जनता को उसके टोल फ्री नम्बर की व्यवस्था हो, जो उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं है। राजस्थान राजमार्ग पर अतिक्रमण व अपराधों की रोकथाम, आदि के लिए विशेष न्यायालय के गठन के साथ-साथ, प्रत्येक जिले में विशेष थाने की भी स्थापना हो, तो आम जन को दुर्घटना, अपराध, आदि की स्थिति में तुरन्त कार्यवाही की सुविधा मिल सकेगी।

16.30 बजे)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

यही सुझाव मैं देता हूं और इस बिल को जन मत जानने के लिए जो मैंने अपना प्रस्ताव दिया था, उसको भी मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, वापस लेता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सुबह आप ही की आज्ञा से कार्यक्रम बनाया था। आप अनुमति नहीं देते तो आज कोई कार्यक्रम बन ही नहीं सकता था। सभी माननीय सदस्य जाना चाहते हैं, आज अंतिम दिन है सत्र का। अब आसन पर आप विराज रहे हों, अब मंत्री जी से उत्तर ही करा दें।

श्री अध्यक्ष: अभी कराते हैं। आप बोलेंगे?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अभी पारित की स्टेज आएगी, तब मैं बोलूंगा। मेरा तो इसमें कोई न जन मत जानने के लिए है, न प्रवर समिति के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि इतना इम्पोर्टेंट बिल और 110 सेक्शंस हैं, न तो आपने इसको सलेक्ट कमेटी को दिया है और आप इसको इतनी जल्दी पास कराना चाहते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): है क्या इसमें?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): देखिये, क्या है इसमें, आपको तो लगेगा; सरकार लायी है, आपको तो लगेगा, है क्या। हमें लग रहा है, हमें मालूम है, इसमें है क्या। हम बतायेंगे आपको, है क्या इसके अन्दर।

श्री अध्यक्ष: राजमार्ग प्राधिकरण का निर्माण है इसमें। इससे आगे क्या है? बताओ आप इसमें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मेरा निवेदन सुन लें आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपने अपने श्रीमुख से सही फरमाया माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: राजमार्ग प्राधिकरण का निर्माण है, निर्माण किया जाए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): निर्माण कैसे होगा, वह सब इसमें दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष: वह सब है इसमें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हां, वह है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपके जैसा विद्वान आदमी दो लाइन में समझ सकता है इसको।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): देखिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: पूरा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं आपका प्रोटेक्शन चाहूंगा। अभी तो और लोग बोलने वाले हैं। मैं इसमें अपनी बात कहना चाहता हूं। आप बुलवाइये सबको। कोई नहीं बोलेगा, तो जब आप पारित की स्टेज लेंगे, तो मैं बोलूंगा इसके ऊपर।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

(अनुपस्थित)

श्रीमती अलका सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रमेश।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य

(श्री रमेश)

राजमार्ग विधेयक, 2014 को जन मत जानने हेतु मैंने आपके पास प्रस्ताव दिया था, उस सन्दर्भ में मैं मेरे विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं।

सबसे पहले जो विधेयक लाया गया, वह बड़ी जल्दी में लाया गया, त्रुटियां रहीं और त्रुटियों के अलावा, हम कोई भी कानून बनाते हैं तो उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनको आम आदमी तो क्या, पढ़े-लिखों को भी समझ में नहीं आता। इतने कठोर हिन्दी के शब्द हैं कि आम आदमी समझ नहीं पाता। तो मेरा निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी विधेयक लाया जाए, एक सरल भाषा का प्रयोग किया जाए जिससे आम आदमी उसको जान सके और उस पर उसको पता लग सके कि मेरे खिलाफ क्या कार्यवाही होगी, या मेरे हित में क्या बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने इस बिल में पुनर्नियुक्ति की उम्र 64 साल रखी है, जबकि रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष है। हमारी सदन की नेता के निर्देश भी हैं कि रिटायर्ड व्यक्तियों को ओ एस डी या अन्य कार्यों पर नहीं रखा जाएगा, लेकिन इस बिल में जो पुनर्नियुक्ति की बात कही है वह भी चौंसठ साल है। तो इस पर विचार करने की जरूरत है और हमें योग्य युवाओं को लगाना चाहिए। जरूरत है उनको रोजगार की।

दूसरी बात, आपने राजमार्गों पर जो सीमा सौ मीटर की रखी है, किसी का भवन है या पेड़-पौधे हैं या उसकी कोई ऐसी सम्पत्ति है, तो उसका नुकसान निश्चित रूप से होगा। जैसा माननीय सदस्य, पूर्व वक्ताओं ने कहा कि मशीन लगाते हैं, थोड़ा-सा तोड़ते हैं और उसको कम मुआवजा मिलता है लेकिन उसका मकान तो पूरा हिल जाता है। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको मुआवजा आज की रेट पर, प्रचलित दर पर मिलना चाहिए और जहां आवश्यकता पड़े कि सौ मीटर ज्यादा है, क्योंकि किसानों के पास, कोई गरीब है, तो उसके पास पहले से ही भूमि कम है तो उस पर भी विचार करें कि जहां आवश्यकता हो सौ मीटर की, क्योंकि हमें भी पता है कि सौ मीटर की आवश्यकता है, एज-पर-नोर्म्स तो बनना चाहिए राजमार्ग, लेकिन कहीं ऐसी जगह आ पड़े, दस-पांच मीटर की आवश्यकता हो, उसका मकान बच सकता हो या उसकी कम जमीन है उसको फायदा मिल सकता हो, तो इस पर भी विचार करने की जरूरत है।

तीसरा बिन्दु मेरा यह है, पेज नं. 20 पर बिन्दु संख्या 2 पर

(श्री रमेश)

राजमार्ग पर 25 मीटर की दूरी पर कृषि एवं गैर-कृषि का निर्माण, आदि की अनुमति तो आप दे नहीं रहे हैं दूसरी तरफ आप सुविधाओं के लिए उसको यूज कर रहे हैं। तो नियम एक तरफ तो कह रहा है कि वहां यूज नहीं कर सकते, दूसरी तरफ आप उसको सुविधाओं के नाम पर यूज करेंगे। तो किसान के पास तो वैसे ही कम भूमि है, उस बेचारे गरीब के पास, उसकी कहीं आप सौ मीटर ले लोगे, कहीं पच्चीस मीटर ले लोगे, तो ऐसे व्यक्तियों को ज्यादा हानि होगी। इस पर भी विचार करने की जरूरत है। तीसरा मेरा बिन्दु है कि टोल जो लगेगा, यह पी पी पी माडल पर, तो वह व्यावहारिक होना चाहिए। कम से कम लगे।

जो भी राजमार्ग बनेंगे, उन पर ट्रोमा अस्पताल निश्चित दूरी पर बनने चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा इतना बड़ा विभाग पी डब्ल्यू डी जिसमें जे ईएन से लेकर चीफ इंजीनियर तक का एक ही काम है, सुपरविजन, कि हमारी अच्छी सड़क बने, उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, लेकिन आज तक हम अच्छी सड़क नहीं बना पाए और ...।

श्री अध्यक्ष: आपस में चर्चा नहीं। माननीय विधायक, स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री रमेश (सपोटरा): जब भी बात आती है, सरकार कोई सी भी हो, सरकारें आती रहती हैं और सरकारें जाती रहती हैं, एक-दूसरे पर आरोप लगा कर हम सदन में इतिश्री कर लेते हैं, लेकिन हमारा ध्यान वहां क्यों नहीं जाता? जो लोग इंजीनियर हैं, जो सड़क बनाते हैं, उन पर हम अंकुश क्यों नहीं लगा पाते? उनसे अच्छी सड़क क्यों नहीं बनवा पाते? हमारे जितने भी माननीय सदस्य हैं जिनके विधान सभा क्षेत्रों में ...।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, पी डब्ल्यू डी की आप आलोचना मत कीजिये।

श्री रमेश (सपोटरा): नहीं, नहीं, शोर्ट में। विकास के कार्य होते हैं, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शोर्ट में ही बोल रहा हूं। ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं करूंगा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि प्राइवेट पी पी पी माडल पर आप सड़क बनवा रहे हैं, बिलकुल बनवायें, इस विधेयक के माध्यम से उसका उपयोग करें लेकिन पांच सौ किलोमीटर की सड़कें विभागीय उस पर भी बनवायी जाएं, जिससे हमें पता लगे कि हमारे इंजीनियर्स ने अच्छा काम किया है या पी पी

(श्री रमेश)

पी माडल वालों ने, किसने अच्छा काम किया है। यह भी ध्यान में रखने वाली बात है और जो इम्पोर्टेंट इसमें मैटर है ओवरलोड का, इस पर भी नियंत्रण होगा। तभी हमारी रोड्स टिक पाएंगी, चाहे पी पी पी माडल पर बनवायें, चाहे आप कोई प्राधिकरण नया गठन करें।

जहां पर रोड मेगा हाइवे बने, पी पी पी माडल पर बने, बीओटी पर बने, वे रोड्स समाप्त हो चुकी हैं और आज भी उन पर टोल लिया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से कि ऐसी व्यवस्था करें, उनके पास नियम-कानून हैं पहले से ही, लेकिन सरकार की मंशा यदि ठीक होगी तो रोड ठीक नहीं करता है तो टोल भी समाप्त किया जाए, और जब तक रोड पूरी नहीं हो जाती तब तक टोल प्रारम्भ नहीं करें, ऐसी रोड, अभी कोटा से जयपुर टोल लागू कर दिया गया है और अभी रोड पूरी नहीं हुई है, न ओवरब्रिज पूरा हुआ है, न रोड। सवाई माधोपुर से कोटा के बीच में रोड बन चुकी है और कितनी बार खराब हो चुकी है, टोल चालू है। तो इस चीज पर आपको विचार करना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप पी पी पी माडल पर रोड लाना चाह रहे हैं, गरीब की जमीन जाएगी, किसान की जमीन जाएगी और आप अच्छी रोड नहीं दे सके, तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप प्राधिकरण बनायेंगे, जनता में आपका मेसेज जाएगा; अच्छा काम करेंगे तो आपको फायदा होगा और नहीं तो, यह भ्रष्टाचार वर्षों से चल रहा है, आप इसको बढ़ावा देंगे।

तो मैं यह कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को जन मत जानने के लिए परिचालित किया जाए। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल। बहुत संक्षिप्त में अपने विचार रख दीजिये, पांच मिनट में। बिलकुल इससे ज्यादा नहीं। मेरी घंटी बज जायेगी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सिर्फ पांच मिनट में ही। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री, वसुन्धरा राजे जी का आभार व्यक्त करूंगा कि एक ऐतिहासिक कदम उन्होंने इस एक्ट को लाकर उठाया है। हमें राजस्थान में वह गुणवत्ता की रोड्स बनानी हैं जिनका कंपीटिशन हम गुजरात व किसी और प्रदेश से कर सकें और गर्व के साथ कह सकें कि आइये, देखिये, हमारे राजस्थान की रोड देखिये, और वह इसी से

(श्री जोगाराम पटेल)

सम्भव है। मेरा यह भी निवेदन है कि बजट में जो भावना माननीया मुख्य मंत्रीजी ने व्यक्त की थी वही परिलक्षित हो रही है यह बिल लाकर।

मैं सिर्फ पांच मिनट में ही निवेदन करूंगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य ने पी डब्ल्यू डी के इंजीनियर्स पर जो आक्षेप लगाये हैं, सामान्यतया ऐसा नहीं; हो सकता है, कोई एक्सेप्शन हो सकता है लेकिन एज-ए-होल, जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, करने योग्य भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: राजमार्ग पर बोलिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैं पाइंट पर आता हूं।

श्री अध्यक्ष: पाइंट पर आइये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेरा निवेदन यह है कि मैंने दो संशोधन दिये थे और पी डब्ल्यू डी मंत्री महोदय ने कृपा कर इनको स्वीकार कर लिया है। मेरे दोनों संशोधन अनुसूची में थे, स्तम्भ संख्या-3 में, वे स्वीकार हो गये हैं। इसलिए मुझे उस संशोधन में अब कुछ भी नहीं कहना है। थोड़ा-बहुत है...

श्री अध्यक्ष: हो गया आपका, इतनी बड़ी मांग मंजूर हो गई, विराजिए। स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): धन्यवाद, साहब।

श्री अध्यक्ष: हनुमान बेनीवाल। पांच मिनट।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जन मत जानने हेतु जो अपना प्रस्ताव दिया था, उसे मैं विथड्रा करने की आपसे अनुमति चाहता हूं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अध्यक्ष जी, इस अधिनियम में तो लोगों के आंदोलन करने का अधिकार ही छीन लेंगे। ये पांच आदमी भी रोड पर एक साथ नहीं आने दे रहे।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। बीच में नहीं। बीच में नहीं, बैठिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): हम कल घेराव करने जहाजपुर से यहां पर आएंगे, कौनसी रोड पर होकर आएंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, बैठिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य

(श्री हनुमान बेनीवाल)

राजमार्ग विधेयक, 2014 जो सदन में लाया जा रहा है, इस विधेयक को जन मत जानने हेतु 6 माह के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव मैंने दिया था।

अध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य के विकास की धुरी, वहां मजबूत सड़क मार्ग आवश्यक रूप से होना चाहिए। बजट के अन्दर भी 20 हजार किमी. सड़कें पी पी पी मोड पर बनाने की बात कही गयी थी। अध्यक्ष महोदय, किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार के लिए, वह तब ही लोक कल्याणकारी सरकार कहलाती है जब सड़क, पानी और बिजली की व्यवस्था सरकार स्वयं करे। 20 हजार किमी. सड़कें वर्तमान सरकार ने बनाने की बात कही है, वे सारी पी पी पी मोड पर बनेंगी, जनता से सारा पैसा टोल के माध्यम से वसूला जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और निश्चित रूप से सड़क, राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा का ध्यान रखना, सड़कों की गुणवत्ता का ध्यान रखना, सरकार का कर्तव्य होता है, लेकिन आनन-फानन में सरकार इस विधेयक को लेकर आई है। अच्छा होता कि इसे एक बार जन मत जानने के लिए परिचालित किया जाता।

क्लाज 18 के अन्दर राजमार्ग पर गुजरने वाले लोगों से फीस वसूल की जाएगी। वैसे भी टोल सरकार को कम करने चाहिए। आज से दस साल पहले जो टोल लिया जाता था, उन राजमार्गों से या स्टेट हाइवे से, तब वाहनों की संख्या कम थी लेकिन आज वाहनों की बेतहाशा वृद्धि हुई है। बीस गुणा, पचास गुणा वाहन बढ़ गये। जनता को राहत देते हुए, उन राजमार्गों पर टोल को कम किया जाना चाहिए।

दूसरी, फीस लेने की बात सरकार कर रही है। अध्यक्ष महोदय, पी सी ओ, हम नेशनल हाइवे से गुजरते हैं, हमें तो एक भी पी सी ओ ठीक नजर नहीं आता। टायलेट, बगल के अन्दर ट्री प्लांटेशन की बात की जाती है। जो फीस सड़क फीस के नाम से वसूली जाती है, वह टोल के अन्दर ही, अलग से उसकी व्यवस्था होती है, लेकिन जनता को उस फीस से कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा।

क्लाज 83 के अन्दर जुर्माने की राशि को पूरी तरह इसके अन्दर लिखा नहीं गया है। जुर्माने की राशि Cr. P.C., रपी 74 के अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो ऐसे व्यक्ति को जुर्माना रखा गया है,

(श्री हनुमान बेनीवाल)

वह एक-चौथाई से बराबर होगा, लेकिन इस विधेयक में स्पष्ट नहीं है। केवल इस अधिनियम में प्राधिकारी को अधिकतम जुर्माना लगाने का पूरा अधिकार सरकार ने दिया है।

अध्यक्ष महोदय, यह पूरी तरह से जो प्राधिकरण बन रहा है, यह कुछ हाथों के अन्दर रह जाएगा।

मेरा तो यह कहना है कि यह अधिनियम किसान विरोधी है, जन-विरोधी है। राजस्थान के अन्दर हजारों किलोमीटर ऐसी सड़कें हैं जो मण्डी और पी डब्ल्यू डी के बीच घूमती हुई नजर आती हैं; पी डब्ल्यू डी वाले कहते हैं कि मण्डी की सड़क बनी हुई है इसलिए मण्डी वाले उनको ठीक कराएंगे, और मण्डी के पास कोई अलग बजट नहीं। पहले बजट होता था; किसान से मण्डी शुल्क के अन्दर सड़कों की मरम्मत के लिए और नई सड़कें बनाने के लिए अलग से मण्डी के अन्दर पैसा जमा होता था। आज मण्डी का पूरा पैसा, राजस्थान सरकार का मण्डी बोर्ड है, वह भी नहीं, सारा पी डब्ल्यू डी खर्च करती है।

अध्यक्ष महोदय, अच्छा होता कि सुराज संकल्प यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी की नेता और इनकी सरकार ने जो बात कही थी, 20 हजार किमी. जो सड़कें बना रहे हैं, उसमें 70 हजार करोड़ रुपये लगगे, जैसा कि बजट भाषण में भी बात हुई, बजट के रिप्लाई में भी हुई, पी डब्ल्यू डी मंत्रीजी ने भी बताया; दिल्ली में भी सरकार है, राजस्थान में भी सरकार है, दिल्ली से विशेष पैकेज लेकर, पी पी पी मोड पर टोल का भार है वह राजस्थान की जनता पर नहीं लगे। लोक कल्याणकारी सरकार तब ही कहलाएगी जब पूरी सड़कें राजस्थान की सरकार खुद अपने मद से और दिल्ली से विशेष इसके लिए कोई घोषित करें। सारा पैसा जनता से वसूल नहीं करके, सरकार को खुद को सड़कों के सम्बन्ध में करना चाहिए। अधिकतम टोल वसूली करते हैं, टोल नाकों पर ठेकेदार के लोग गुण्डागर्दी भी करते हैं, आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, दो-तीन साल पहले हमारे एक विधायक को टोल नाके पर रोक लिया था।

आपको ऐसा विधेयक लाना चाहिए कि जो सड़कें 20 साल, 30 साल या 40 साल पुरानी हो गई हैं, उन सड़कों को कैसे ठीक किया जाए। ऐसा कानून बनना चाहिए कि उन सड़कों को प्राथमिकता से ठीक किया जाए, उनमें

(श्री हनुमान बेनीवाल)

किसी तरह की राजनीति नहीं हो। यह नहीं हो कि कांग्रेस का जीत गया, निर्दलीय जीत गया, वहां तो सड़क नहीं बनेगी लेकिन बी जे पी का जीत गया, वहां सड़क बनेगी। पूर्ववर्ती सरकार ने भी विधायकों को 25-25 किमी. सड़के दी थीं। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को नहीं कहेंगे, यद्यपि इन्होंने सारे विधायकों ने सड़कें बनवाई थीं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि यह सरकार ऐसा करने जा रही है। अगर करने का होता, तो पहला बजट था, पूरे राजस्थान की नजरें थीं।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): राजस्थान की जनता पर करों का भार लाद दिया। पी पी पी मोड पर 70 हजार करोड़ रुपये राजस्थान की जनता को देने पड़ेंगे और उससे आप सड़क बनाओगे, वाहवाही लूटोगे, उद्घाटन कराओगे और कहोगे कि हम मजबूत राजस्थान बनाएंगे, विकासशील राजस्थान बनाएंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रभारी मंत्री जी, आप भी अपने वक्तव्य को शोर्ट में।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): यह बिल लेकर आये हैं, यह किसान विरोधी है।

श्री अध्यक्ष: बस, हो गया आपका।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इसको जन मत जानने के लिए 6 महीने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बोलता हुआ आपका धन्यवाद करूंगा ।

श्री अध्यक्ष: आप बाद में बोलेंगे कि अभी?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मेरा इसमें किसी किस्म का अमेंडमेंट नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप बोलिए ना, जब आपका अवसर आता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नियम की शिथिलता देते हुए, इकट्ठे ही जवाब आ जाएगा। नहीं, मैं पारित की स्टेज पर बोलूंगा। अगर आप अलाउ करें, तो। अगर आप मुझे अलाउ करें, नियमों में शिथिलता देते हुए।

श्री अध्यक्ष: प्रद्युम्न सिंह जी को बोलने की इजाजत देता हूं और इनका जवाब भी आप साथ दे देना। बाद में बोलने का इनका विचार नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो दिन पहले ही शायद यह बिल विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया, विधान सभा के अन्दर। करीब-करीब इसमें 100 से ऊपर सेक्शंस हैं। इसमें बहुत गहन सड़कें बनें, हर कोई चाहता है। सड़कों के बनने का किसी का विरोध नहीं है, लेकिन इसके प्रोविजंस जो हैं, उनके बारे में आम लोगों को बहुत ज्यादा असुविधा होगी, इसका इन्होंने ध्यान इसमें रखा नहीं है। यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। 111 सेक्शन हैं, बेहतर यह होता...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह नया कानून है क्या?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मेरी समझ में तो यह अथोरिटी है, जो आप बना रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह तो सबसे बड़ी समस्या है। यह बाद में बताऊंगा। यह कानून नया है ही नहीं। इसको तो एकदम पुराने, यह आप बोल देना।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बोल दें, उसके बाद मैं बोल दूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): सुन लें आप। आप सुन लें। (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे के लिये और बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: सदन का समय, आपकी राय है सबकी?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अभी तो अकाल पर चर्चा होनी है, सूखे पर चर्चा होनी है।

श्री अध्यक्ष: बढ़ाया जाता है, एक घण्टे के लिये बढ़ाया जाता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): एक घण्टा, अभी तो सूखे पर चर्चा होनी है।

श्री अध्यक्ष: करेंगे ना। आप कृपया चालू रखिये।

विधेयक पर विचार

राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): तो मैं आपसे वही निवेदन कर रहा था। अध्यक्ष महोदय, 111 सेक्शंस, बेहतर होता कि सरकार अपनी तरफ से इसको सलेक्ट कमेटी को सौंप देती। अभी इसमें रूल्स भी बनने हैं। इसमें तो काफी रूल्स बनाने पड़ेंगे इनको। दो दिन पहले यह सर्कुलेट हुआ और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर इस सदन में चर्चा हो रही थी। बहुत सारे माननीय सदस्यों के बड़े उपयोगी सुझाव आये। या तो पूरा दिन रखते आप, पूरा दिन रखते इसके ऊपर चर्चा के लिए, तो माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण सुझाव इसके ऊपर आ सकते थे।

मैं सिर्फ 2-3 चीजों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। चैप्टर-3 में कण्ट्रोल जोन का जो चैप्टर है, इसके अन्दर, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। सब इसको गौर से पढ़ लें आप, जिनके पास बिल है, इसमें सेक्शन 20, ''Restrictions on land in a control zone. Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no person shall use, and no authority shall permit the use of, any land which lies within a control zone comprising the area, the area appurtenant to a highway and situated between the boundary of such highway.." बाउण्डरी, एक तरफ सड़क का एक कोना होगा, दूसरी तरफ सड़क का दूसरा कोना होगा। 100 मीटर्स, 100 मीटर तक आपका, सड़क यह जा रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इधर से सौ मीटर, इधर से सौ मीटर।

फिर इन्होंने इसमें एक एक्सेप्शन दिया है, ''Provided that the provisions of this section shall, instead of one hundred meters referred to herein-above, apply within a distance of fifteen meters from the boundary of any part of a highway where such part of the highway is situated within the municipal limits of a town or a village abadi;'' ठीक, साहब। अध्यक्ष महोदय, म्यूनिसिपल लिमिट आ गई? लोगों ने म्यूनिसिपल लिमिट से भी बाहर आकर घर बनाये हैं, गांव की आबादी से बाहर आकर भी लोगों ने घर बनाये हैं, आबादी की तो आपकी डेफिनेशन दूसरी है।

जो बाहर घर बन गये हैं, अध्यक्ष महोदय, है क्या, सड़क के दोनों तरफ की जमीनें आज पूरे देश के अन्दर, राजस्थान के अन्दर, बहुत बेशकीमती जमीनें हो गई हैं। किसान की एक तरह की वे असेट बन गयी हैं। आज उनके

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

ऊपर सिवाय खेती कर लीजिये, बागवानी कर लीजिये, यह सब काम कर लीजिये। गांव की आबादी बढ़ रही है, अध्यक्ष महोदय, लोग निकलकर अपने खेतों में जा रहे हैं। आज कोई अपने किसी खेत पर मकान बनाना चाहेगा तो 100 meter is a long distance. सौ मीटर तक वह अपना मकान भी नहीं बना पायेगा। क्योंकि आज फ्रैग्मेंटेशन ऑफ लैण्ड होल्डिंग्स की वजह से जमीनें छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट गई हैं, खेती की जमीनें। छोटे-छोटे टुकड़े हो गये हैं। आज किसी के पास ज्यादा बड़े चक तो हैं नहीं, जमीन का। इस पर गौर से विचार करें। मैं सड़कों के खिलाफ नहीं हूं कि ये सड़कें नहीं बनें। इन सब चीजों के अन्दर आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया।

अब जो गांव की आबादी बाहर निकल गई है, मैं पंचायत राज मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, आज उदयपुर म्यूनिसिपल लिमिट के बाहर भी मकान बन गये। आज आबादी से बाहर बन गये आपके मकान, गांव की आबादी से बाहर बन गये। आबादी भूमि डिफाइन होती है कि यहां तक गांव की सीमा है। उसके बाद लोगों ने बाहर निकल-निकल कर बना लिये हैं। वहां पर सुविधाएं भी दी हैं पंचायतों ने जा-जाकर अपने हिसाब से। कहीं खरंजे बनाये हैं, कहीं नालियां बनाई हैं। ये तो सब इससे कवर हो जाएंगी, माननीय। आप 15 मीटर के बाद, उससे निकलते ही आबादी से, तो आपका सौ मीटर हो जाएगा।

फिर, अध्यक्ष महोदय, इसमें क्या दिक्कत आयेगी कि सौ मीटर हो गया, 15 मीटर तक तो आपने कह दिया, आबादी के अन्दर, बाकी तो सौ मीटर हो जाएगा, सब जगह; फिर इसके अन्दर कहीं साफ नहीं है, अगर आप, 15 मीटर वाले एडिशन/अल्ट्रेशन के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी काम्पीटेंट अथोरिटी से जा करके। इसमें बड़ी गहरी दिक्कतें आने वाली हैं। इस पर मैं आपसे कह रहा हूं।

अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरे राजाखेड़ा की सड़क बनें, बनायें, अभी 60 लाख रुपया, 55 लाख रुपया आपने साल भर पहले लगाया है उस सड़क के आधे हिस्से के अन्दर। उस सड़क के ऊपर 60 लाख रुपया, यू.पी. बार्डर तक अभी लगाया है, आपने साल भर पहले। सड़क तैयार हो गई है। अब आप इसको भी कवर करेंगे। Don’t you feel that it will be a wastage of money? आप थोड़ा चौड़ा और कर देंगे। उसमें ट्रैफिक नहीं है ज्यादा। ट्रैफिक भी नहीं है, आधी सड़क बन चुकी है आपकी, आधी सड़क बनाएंगे नई। काम लायक आज भी है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

फिर, अध्यक्ष महोदय, उनका फेट क्या होगा? उस आबादी से होकर गांव के ट्रैक्टर निकलेंगे, जीपें निकलेंगी। आज गांव-गांव ट्रैक्टर हो गये हैं। हो सकता है कि आप मोटर साइकिलों को एग्जम्प्ट कर दें। गांव-गांव मोटर साइकिलें हो गई हैं, गांव-गांव ट्रैक्टर हैं। आज कौनसा ऐसा गांव है जिस गांव में 10-20-50 ट्रैक्टर नहीं हैं? रोज अपना माल लेकर मण्डी में आते हैं। मान लीजिये, धौलपुर में, मैं धौलपुर का उदाहरण दे रहा हूं, बाकी और सड़कें भी हैं; आपकी सेफों की सड़क है इसके अन्दर, बाड़ी से वहां की सड़कें हैं; सड़कें आलरैडी एग्जस्टिंग हैं। कई जगह तो सड़कें बड़ी अच्छी कंडिशन के अन्दर हैं। उनको आप इसके अन्दर ले रहे हैं। Don't you feel that it will be a wastage of money? आपको नहीं लगता, वेस्ट होगा? आप सड़क थोड़ी चौड़ी कर देंगे।

फिर 70 हजार करोड़ रुपया जो आप इसके ऊपर खर्च करने जा रहे हैं, मैसिव प्रोग्राम, राजस्थान के छोटे ठेकेदारों, अल्टिमेटली 70 हजार करोड़ रुपया वसूल तो राजस्थान की जनता से होना है? आप कहीं न कहीं 70 हजार करोड़ रुपया तो राजस्थान की जनता से टोल के माध्यम से वसूल करेंगे ही करेंगे।

मेरा आपसे निवेदन यह है कि इसके ऊपर, सब सदस्यों के विचार आते, सलेक्ट कमेटी अगर आप 15 सदस्यों की, 20 सदस्यों की बना देते, डिफरेंट रीजंस की, तो वह आपके सामने, यहां तो आपके अनुशासन की वजह से बहुत से लोग समझते हुए भी अपनी बात को नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि आज पार्लियामेंटरी अफेयर्स मंत्री महोदय का सबको आदेश है कि सदन जल्दी समाप्त करना है।

श्री अध्यक्ष: आदेश नहीं, निवेदन।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उनका तो आदेश ही चलता है, साहब, निवेदन तो हम जैसे करते हैं। कमजोर आदमी निवेदन करते हैं, उनका तो आदेश चलता है, श्रीमान। व्हिप है फिर हाथ का। वे चीफ व्हिप साहब बैठे हुए हैं।

तो मेरा आपसे अनुरोध है ...(व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से सरकार से, जल्दबाजी में न करिये। बाद में बहुत दिक्कतें आएंगी, बार-बार आपको अमेंडमेंट लाने पड़ेंगे। जब तक सदन नहीं बैठेगा, आप अमेंडमेंट नहीं लेकर आ पाएंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर मैंने....।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अच्छा, अब आप "Prohibition of construction within control zone.'' एक चैप्टर इसके अन्दर भी है, "Prohibition of construction within control zone." that is section 21, आप देख लें, हिन्दी के तो इतने क्लिष्ट शब्द हैं कि मैं उनको पढ़ नहीं पाऊंगा, इसमें से ही आपको पढ़ कर सुना देता हूं, "No person shall, on any land situated within the control zone", आगे इन्होंने और साफ कर दिया है, "…construct, form or layout any means of access to or from a highway; erect any building; materially alter any existing building…" अब परिवार बढ़ गया, दो कमरे बनाना चाहता है; आबादी बढ़ रही है, परिवार बढ़ता है; दो कमरे बनाना चाहता है, आप नहीं बना सकते। "...make or extend any excavation…" कोई खुदाई नहीं कर सकता वहां। "construct or layout any work, save and except in accordance with a general or special permission granted under this Act." That way leads to corruption. मान लीजिये, आप किसी को आथोराइज करेंगे वहां पर, किसी को अधिकार देंगे। क्योंकि सारे लोग तो जयपुर आएंगे नहीं, मांगने के लिए। आप कलक्टर को दें, अपने एस.ई. को दें, एडिशनल चीफ इंजीनियर को दें जोन के अन्दर, एस.डी.एम. को दें, there is a possibility when discretion is there. There is always a possibility of corruption.

(17.00 बजे)

मैं यह नहीं कहता कि सब करप्ट हैं लेकिन सम्भावना से आप इन्कार नहीं कर सकते। तो इस किस्म के आप प्रोविजन काहे के लिए डालने चाहते हैं इसके अन्दर?

अब मैं आपको, राजाखेड़ा में ही कम से कम 25-30 गांव पड़ते हैं, सड़क के सहारे, बाकी तो बहुत बड़ा इलाका है। अब मुझे मकान बनाना है गांव के अन्दर। मेरे भाई से मेरा बटवारा हो गया, मकान उसके हिस्से में चला गया। मैं अपने खुले खेत में आकर मकान बनाना चाहता हूं, तो 100 मीटर तक…। तो मेरे पास खेत ही एक बीघा है, दो बीघा है। सड़क के सहारे मैं बना ही नहीं सकता क्योंकि वह आ गया आपकी परिधि में, 100 मीटर की में। तो ये कुछ आपने अव्यावहारिक इसके अन्दर डाले हैं। मैंने आपसे पूर्व में भी कहा।

अच्छा, फिर क्या होगा, टोल का क्या होगा? आपके ट्रैक्टर चलेंगे, क्या आप उन एग्रीकल्चर के ट्रैक्टर्स को या गांव की जो गाड़ियां हैं, उनको आप एग्जम्प्ट करेंगे उसमें से? उनका तो रोजमर्रा शहर के अन्दर आना-जाना है। रोजमर्रा शहर के अन्दर आना-जाना है, श्रीमान।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

फिर ऊपर से तुर्रा क्या, कि वहां पर आकर, आपने हाई-वे के ऊपर, इसके अन्दर जो पनिशेबल आफेंसेज हैं, अपना लैंड यूज ही नहीं बदल सकते। आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, चेंज आफ लैंड यूज। अब तक तो गांव के अन्दर, कृषि भूमि के अन्दर कोई अपना घर बनाना चाहता है तो कोई नहीं आता आपके पास लैंड यूज का चेंज कराने के लिए। लैंड यूज के अन्दर आप दुनिया भर के पैसे लेंगे। कामर्शियल एक्टिविटी तो गई चूल्हे-भाड़ में, आप कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, कोई टाइनी इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। कोई आप तेल का, कोल्हू का, चक्की भी नहीं लगा सकते हैं वहां पर, श्रीमान। आज हालत क्या कर रहे हैं आप।

इतने बड़े एरिया को, एक स्ट्रेट जो 50-50, 100-100 किलोमीटर के आपके ये स्टट हाइवेज जो अब आप बनाने जा रहे हैं, आपने तो लोगों को मार कर फेंक दिया। जो किसान की एक सम्पत्ति है, किसान की जो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, आज उसको भरोसा है कि कभी मेरे पास ऐसा दिन आएगा तो एकाध बीघा खेत बेच दूंगा, पचास लाख, चालीस लाख का बेच दूंगा, तो वह तो बैठा हुआ है। वह सारी जिंदगी उसका यूज ही नहीं कर सकता है। तो इस किस्म का आप कानून ला रहे हैं।

आप इसकी एक तो सीमा घटाइये। 100 meter is big. 100 मीटर का मतलब हुआ, 300 फीट से ज्यादा; 300 फीट से ज्यादा। आप कितने बड़े हाइवेज बनाएंगे? आप 100 मीटर तक तो गांव को उखाड़ेंगे, कभी भविष्य के अन्दर आप, 100 मीटर का तो आप रेस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, मेरा इसमें एक और कंटेंशन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसको गहराई से सोचा, इसकी वर्डिंग्स को देखने के बाद। अब जो सड़क के सहारे गांव हैं, आबादी है, आपने 15 मीटर कह दिया, यह कहीं नहीं खोला इसके अन्दर कि 15 मीटर के बाद जो घर बने हुए हैं उनकी क्या स्थिति बनेगी। आपने खोला नहीं है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। आप कह देंगे कि नहीं, वह नहीं, वे इससे कवर नहीं होंगे, लेकिन आबादी के बाहर जो आ रही है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, मेरा सबसे बड़ा एतराज यह है।

फिर आपने, इसके अन्दर लैंड यूज नहीं बदल सकते आप। यह आ गया तो लैंड यूज नहीं बदलेंगे आप।

फिर इसके अन्दर, आपको एक और इसके अन्दर, माननीय अध्यक्ष

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

महोदय, 75 के ऊपर, पेज 113 में मैं आपको दिखाता हूं, आफेंसेज एंड पैनल्टीज, यह चैप्टर है इसके अन्दर। आप खुद गौर कर लें, निकाल लें आप। आप देखेंगे, इतना harsh बना दिया है आपने, इतना harsh बना दिया है। आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, ओवरलोड गाड़ियों को पकड़ने के लिए। आज तो पुलिस भी चालान करती है इसके अन्दर। पुलिस भी चालान करती है, पुलिस को भी पावर है, हालांकि मिस्यूज हो रहा है इसका, पुलिस को भी पावर है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पावर है। आप ओवरलोडिंग के अन्दर उस पर पैनल्टी लगाते हों। आज आपका डिपार्टमेंट हाइवेज के ऊपर तो साढ़े दस हजार रुपया, ग्यारह हजार रुपये की एक महीने की एक रसीद काट देता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्यारह हजार रुपये की रसीद काट देता है तो एक महीने-भर की छुट्टी है, ओवर-लोड चला। फिर हमको ग्यारह हजार, आपका करोड़ों रुपया एक्सचेकर में आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? आप मना कर दें कि नहीं आ रहा है। आप तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे हुए हैं, पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब। तो मेरा आपसे केवल निवेदन यह है कि प्रैक्टिकल जो प्राब्लम्स हैं, अब आपने इसके अन्दर, टोल के ऊपर झगड़ा हो गया कि मैं अभी आया था, अभी वापस जा रहा हूं; कि ला, नहीं तो रिपोर्ट कर देगा। तो इसमें एक साल तक की सज़ा रख दी आपने इसके अन्दर, एक साल तक की। बीस हजार रुपया जुर्माना, महीने-भर की सज़ा। ऐसा कड़ा कानून आप किस आधार पर ला रहे हो? मेरी समझ में तो आता नहीं है।

यह फिर हमारे राजस्थान के ठेकेदारों की क्या स्थिति बनेगी? एक-एक ठेकेदार के पास बीस-बीस, चालीस-चालीस आदमी, तीस-तीस आदमी काम कर रहे हैं। उनका स्टाफ, they will all be unemployed. चलिये, उनके पास जो मशीनरी है, वह जंक हो जाएगी, या तो वे सब-लैट करेंगे। आपके ठेकेदार जो बड़े आज ठेकेदार आ रहे हैं, हमारे ठेकेदारों का भविष्य क्या होगा? आप इसके बारे में गौर करें। मेरा आपसे निवेदन है, आपकी मर्जी, आप जो चाहें, वह करें। आपकी क्वालिटी नहीं है, एक्सपीरिएंस नहीं है, आप सौ बात कह सकते हैं यहां पर। आपके 'ए' क्लास, 'ए-प्लस', पता ही नहीं, कितनी कैटेगरी आपने हर साइज में बना दी है। आप खुद, पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर साहब, इस महकमे के मंत्री रहे हैं, what will be their fate? उनका जो स्टाफ है, मुझे मालूम है, एक-एक आदमी ही नहीं, पांच-पांच, दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह, बीस-बीस आदमी बैठे हुए हैं, उनका क्या फेट होगा?

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

तो आप जो ला रहे हैं, और अल्टिमेटली आप टोल, 70 हजार करोड़ रुपया आपको टोल का राजस्थान की जनता से, बाहर के आदमी तो पांच-सात परसेंट ही आएंगे। सारा राजस्थान की जनता से, जो बीच में गांव पड़ेंगे, जो गांवों के लोगों में, एक-एक गांव में बीस ट्रैक्टर हैं, तीस ट्रैक्टर हैं, चालीस ट्रैक्टर हैं, पचास ट्रैक्टर है, या तो आप इसमें यह कहिये कि हम एग्रीकल्चर व्हिकल्स को एग्जम्प्ट करेंगे, मोटर-साइकल को एग्जम्प्ट करेंगे, गांव में रजिस्टर्ड पते के ऊपर गाड़ियां हैं, हम इनको एग्जम्प्ट करेंगे, तब तो काम चलेगा, अन्यथा इतने harsh प्रोविजन आप इसके अन्दर कर रहे हैं, सज़ा का प्रोविजन कर रहे हैं।

अब क्या हो रहा है, हाइवेज के ऊपर, माननीय अध्यक्ष महोदय, ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, अब तो जो बड़े ठेकेदार हैं उन्होंने टोल भी सब-लैट कर दी है और लूट हो रही है। लाइन लगी हुई है वहां पर। रेट है 50 रुपया, 100 रुपया, लाओ 200 रुपये दें। आज लूट हो रही है। मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूं। यह मेरे अनुभव के आधार पर कह रहा हूं जो मैंने देखा है, आंखों से, वह कह रहा हूं।

तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसको आप सलेक्ट कमेटी को सौंप दें, इसको आनन-फानन में नहीं लगायें। बाकी आपकी मैजोरिटी है, आप करना चाहें तो करें। ये मेरी एप्रिहेंशंस हैं, इनके ऊपर तो आप कुछ प्रकाश डाल सकें तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

बधाई एवं आभार

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) के जन्म दिवस पर बधाई

श्री अध्यक्ष: बानसूर से आने वाली माननीया विधायक ने एक मिनट बोलना चाहा है। जिस उद्देश्य से वे बोल रही हैं, उस उद्देश्य के साथ मेरा भी समर्थन है और शायद सारे सदन का भी समर्थन होगा। बोलिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, सबसे पहले मैं सम्माननीय मंत्री महोदय को आज जन्म दिन की बहुत-बहुत बधाई देती हूं, पूरे सदन की ओर से, कि आप चिरंजीवी हों, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी तरह हंसते और मुस्कराते

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

रहें। उसी के साथ-साथ, हमारे राजस्थान का जो आप बजट लाये हैं, उसी में नम्रता से किसान वर्ग को, गरीब को, सभी तबके को ध्यान में रखकर, टोल को, जमीन में, जिस तरीके से आप फायदा दे सकें, आप दें। धन्यवाद, साहब।

श्री अध्यक्ष: मैं भी ज्वाइन करता हूं और सारा सदन भी ज्वाइन करता है। माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): लड्डू तो मंगाकर खिलाते।

श्री अध्यक्ष: आप तो खिला सकते हैं। अभी आर्डर दीजिए जल्दी। यहां पर सेठ ही आप ही हैं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वह आपके खाते में जो है न, आ गये, साहब। आपकी तरफ से आ ही गये वह।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आज आपने क्या छूट दी है? माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या छूट दी है आज? पहले तो आपने छूट दे दी बिजली मंत्रीजी को, उनकी धर्मपत्नी आकर बैठ गईं। अब छूट दे दी आपने परिवहन मंत्रीजी को, उनकी धर्मपत्नी आकर बैठ गईं। तो लड्डू तो वे लेकर आई हैं और नाम इनका हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: मीठा तो आप खा रहे हो?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जी।

श्री अध्यक्ष: कहीं से भी आये, पंडित तो हमेशा, जहां से भी आये, खाने में आगे ही रहता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): परफोर्मेंस का भी असेसमेंट हो जाएगा। उसमें अगर नम्बर कम हो गये तो क्या होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय? अब परफोर्मेंस भी देखने आई हुई हैं और फिर बेगम साहिबा हैं।

श्री अध्यक्ष: होगा वही, जो होना चाहिए।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): होगा वही, जो मंजूर-ए-खुदा होगा।

युनुस खान, श्री, सार्वजनिक निर्माण मंत्री का आभार

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं सदन का धन्यवाद करता हूं और आपका भी धन्यवाद

(श्री युनुस खान)

करता हूं। जो हमारी बानसूर से आने वाली माननीय सदस्या ने बात कही, इसके लिए मैं आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

विधेयक पर विचार

राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सौभाग्य है मेरा, राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014 पर माननीय सदस्यों ने आज संशोधन के माध्यम से बातें कहीं और जो चर्चा आज सदन में हुई, मैं उसके लिए भी उनके सुझावों का और उनकी बातों का धन्यवाद करता हूं।

राजस्थान प्रदेश में राजमार्गों के विकास के लिए राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। प्रदेश के राजमार्गों के सुव्यवस्थित और समयबद्ध विकास व संचालन के लिए एक समर्पित प्राधिकरण बनाये जाने की आवश्यकता है। विकास को जारी रखने और सड़क तथा यातायात के नियंत्रण के लिए समर्थकारी उपबंध भी अपेक्षित हैं।

भूमि अधिग्रहण और सड़क सुरक्षा के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन पर ध्यान दिया जाना है। इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए यह अधिनियम लाने की आवश्यकता महसूस हुई है। इसलिए हमें राजस्थान के विकास को, राजस्थान की सड़कों की सुरक्षा को, उस पर प्रभावी नियन्त्रण में रखते हुए, और भूमि अधिग्रहण, आदि, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान राजमार्ग विधेयक इस सदन में लेकर आये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जब चर्चा चल रही थी, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य और अन्य सदस्यों ने इस विधेयक के बारे में चर्चा की। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि यह विधेयक कोई पहली बार नहीं आ रहा है। इस राजस्थान की विधान सभा में, राजस्थान आय-व्ययक 1995 पहले से ही पारित कर रखा है। यह विधेयक पहले से ही पारित है। चूंकि, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लगभग 19-20 साल पहले सदन में पास हुआ और इसे पारित किया गया, परन्तु उसे लागू करने, इसको पारित तो कर दिया गया लेकिन यह लागू नहीं हो पाया। अधिनियम, 1995 भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में जो प्रावधान हैं, वह अब नया जो केन्द्रीय अधिनियम आया है, उसकी वजह

(श्री युनुस खान)

से थोड़ा उस पर फर्क पड़ा है। उसके साथ-साथ, पिछले 20 वर्षों का जो अनुभव है, उनको आधार मानकर और उन सब बातों को सोच-समझकर यह नया अधिनियम सारी बातों को सम्मिलित करते हुए लाया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अधिनियम इसी सदन ने और पास किया था और वह भी 'दी राजस्थान रोड डवलपमेंट एक्ट, 2002', जो पी.पी.पी. माडल के सम्बन्ध में था, यह भी पास हुआ हुआ है। यह दूसरा विधेयक है, माननीय अध्यक्ष महोदय, और तीसरा विधेयक भारत की संसद ने पास किया था, 'भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' ।

ये सारे जो अधिनियम हैं, इन सारे अधिनियमों में जो बातें हैं, उनको सम्मिलित करते हुए, चूंकि एक बहुत बड़ी योजना राजस्थान सरकार, माननीया मुख्य मंत्रीजी वसुन्धरा राजे जी 20 हजार किलोमीटर की लेकर के आ रही हैं, इसलिए एक इस तरह की अथोरिटी बने, जो इस 20 हजार किलोमीटर की सड़कों को रेग्यूलेट करे, उसके लिये यह कानून बन जाए। जिससे भूमि अधिग्रहण करने का काम हो, मुआवजा देने की बात हो, सड़क की सुरक्षा की बात हो, इस तरीके की अधिकार-प्राप्त एक एजेन्सी बन जाए, इसके लिए हम एक कानून लेकर आये हैं।

इस तरीके से हाउस में सनसनी फैलाना, कि राजस्थान सरकार, पता नहीं, किसानों को लूटने के लिए; पता नहीं, मतलब राजस्थान की जनता पर अन्याय करने के लिए, इस तरह के अधिकार लेकर आ रही है। यह हाउस में इस तरीके के कानून और प्रावधान, माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले से ही मौजूद हैं। यह बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने भी मुझे कहा है कि थोड़ा बोलें, संसदीय मंत्री महोदय भी कह रहे हैं, थोड़ा बोलें, तो मैं मेरी बात को संक्षेप में कहूंगा, कोई बहुत ज्यादा लम्बी नहीं कहूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज दिखाई जा रही है ना 'भाग एम.एल.ए. भाग'।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हम तो इधर और इधर के बीच में बैठे हैं, जो आप दोनों कहोगे, वही कर लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान...(व्यवधान)...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं एप्रीहेंसिव वर्ड यूज कर रहा हूं, अगर आप उन पर कुछ प्रकाश डालें। बाकी तो पास होना है ये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मौका मिलेगा तो मैं इनके मन में जो भी शंकाएं हैं, और कोई बात हो, वह दूर कर दूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सड़क के क्षेत्र में एक माडल स्टेट बने, उसी को लेकर हम अगले 5 वर्ष की योजनाएं लेकर आये हैं।

लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि अभी तक एक किलोमीटर की सड़के नहीं बनी, कुछ हुआ नहीं, हम कोई क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो जब-जब भी हाउस में चर्चा हुई, तो पिछले 2003 से लेकर 2008 के बीच में सड़कों के क्षेत्र में जो काम हुए, उसकी जरूर चर्चा की और 2008 से 2013 के बीच में हुए, उनकी भी चर्चा पिछली बार आई, लेकिन आज चूंकि विधेयक है, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा।

हम हमारा यह माडल स्टेट जो बनाना चाहते हैं, इस हाउस में मैंने पहले भी कहा, वह मॉडल स्टेट, मैंने आपको कहा कि माडल का, 'MODEL' माडल का जो मैंने पिछली बार भी बताया, आज भी मैं उसको क्लियर करना चाहूंगा, Mandate Of Development, Efficiency and Least-cost-to-users.

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता ने, जैसा मैंने पहले भी सदन में चर्चा में कहा, 163 सीटों के साथ में इस भारतीय जनता पार्टी को यह सेवा का मौका दिया। इसलिए हम उस मेन्डेट को मानते हुए, राजस्थान को एक 'माडल' स्टेट बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी की शुरुआत यह हमारा विधेयक है। अब आने वाले पांच वर्षों में किस तरह की हम सड़कें दें, किस तरीके की सड़कें बनें, क्वालिटी की चिन्ता की गयी कि उन सड़कों की क्वालिटी कैसी होगी। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बेहतरीन क्वालिटी की और सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता की सड़कें देने का प्रयास हमारा रहेगा। मैं हाउस के माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात कहना चाहूंगा।

स्टेट हाइवे अथोरिटी के इस मामले में, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम चर्चा करें तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि यह जो माननीया मुख्य मंत्रीजी ने वोट-आन-अकाउंट लिया, तब भी इन 20 हजार किलोमीटर की चर्चा की; जब 14 तारीख को उन्होंने अपना बजट पेश किया, तब भी इसकी चर्चा की; और

(श्री युनुस खान)

अभी-अभी एप्रोप्रिएशन बिल पर जब उन्होंने अपना जवाब दिया, तब भी इसकी चर्चा की और उन्होंने जोर देकर कहा कि राजस्थान सरकार के पास में आज इतने संसाधन नहीं हैं कि हम इन 20 हजार किलोमीटर सड़कों का हमारे सोर्सेज से डवलपमेंट कर सकें। इसलिए अब पी.पी.पी. माडल पर हमें काम करना होगा। यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरे हिन्दुस्तान में हो रहा है।

मैं आपको एक यह भी क्लीयर करना चाहूंगा, सरकार के पास दो विकल्प हैं, एक विकल्प तो है, जनता के ऊपर टैक्स डालकर, उससे जो पैसा आए उससे सड़कें बनाएं; और एक विकल्प है कि सड़क बनाकर और जो सड़क पर गाड़ी चलाएं, उससे पैसा वसूलकर सड़क को आपरेट करें। तो इन दोनों में से विकल्प, मेरे हिसाब से दूसरे वाला अच्छा है कि हम पहले सड़क बनाएं और उसके बाद में जो उस सड़क पर चलें, उनसे हम वसूली करें। यह पी.पी.पी. माडल को, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लेकर आये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें पी.पी.पी. माडल के बाद में, ओ.पी.आर.सी. की भी बात आई। खाली यह 20 हजार किलोमीटर सड़क बनाने की बात नहीं है, अध्यक्ष महोदय, ओ.पी.आर.सी. की, जो आउटपुट परफोर्मेंस-बेस्ड रोड कांट्रेक्ट की बात हमारे माननीय सदस्य ने कही, हम एक जिले को यूनिट मानकर, उस जिले में जो टूटी हुई सड़कें हैं, एग्जिस्टिंग रोड्स हैं, उनकी मरम्मत का काम करेंगे। उसमें भी, 8 साल तक जिससे बनवाएंगे, वह उनको मेन्टेन करेगा। तो वह एक काम भी अलग से होगा। उसकी प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन है। उसकी रीति-नीति भी हम शीघ्र तय करके राजस्थान की जनता को, माननीय अध्यक्ष महोदय, बताएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लोगों ने गांवों की चिन्ता भी की। माननीय अध्यक्ष महोदय, गांवों के अन्दर जो सड़कें टूट जाती हैं, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, आप और हम सब गांव से आते हैं, सड़कें बनती हैं लेकिन घरों के पानी की वजह से सड़कें टूट भी जाती हैं। नाली नहीं होती है, इसलिए टूट जाती हैं। ड्रेनेज नहीं होता, इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़कें टूट जाती हैं। इसलिए हमने फैसला किया है कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जो हमारी 9,177 ग्राम पंचायतें हैं, उनमें हम ग्रामीण गौरव पथ के नाम से जो सड़क बनाएंगे, वे सी.सी. रोड होंगी और उनके दोनों तरफ नालियां होंगी, प्रोपर ड्रेनेज होगा।

(श्री युनुस खान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जब ये सब घोषणाएं की थीं तो सबसे पहले यह भी कहा था कि पिछली बार हमने नोर्थ-साउथ कोरिडोर बनाया था, अब की बार हम ईस्ट-वेस्ट कोरिडोर बनाएंगे। उसकी भी घोषणा की है। वह भी हम, लगभग एक हजार किलोमीटर ईस्ट-वेस्ट कोरिडोर भी जनता की सुविधा के लिए, राजस्थान में विकास हो, राजस्थान में इंडस्ट्री आयें, राजस्थान के लोगों को लाभ मिले, उसमें भी हम निर्माण करेंगे।

अब सड़कें अच्छी हों; स्टेट हाइवेज जो हमने घोषित किये हैं, वे अच्छे हों; जैसे लगभग 87 स्टेट हाइवे हमने राजस्थान के अन्दर घोषित किये हैं, उनकी सुदृढ़ सड़कें बने, सुदृढ़ काम हो, इसके लिए यह राशि, राजमार्ग प्राधिकरण बनाकर हम काम शुरू कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब एक सवाल पैदा होता है कि हम जो ये सड़कें बना रहे हैं, इससे पहले सड़कें बनीं नहीं? एक भयावह स्थिति है, अध्यक्ष महोदय। सड़कों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे यहां पर रोड एक्सिडेंट होते हैं, वह एक खतरनाक चीज है। अध्यक्ष महोदय, अगर एक हत्या हो जाती है तो पूरा शहर बंद हो जाता है और आन्दोलन हो जाते हैं और पता नहीं कितने दिन तक कौन-कौन से समाज आपस में भिड़ जाते हैं; लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा दु:ख हो रहा है कि इस हिन्दुस्तान में खाली दुर्घटनाओं में एक साल में लगभग डेढ़ लाख लोग मर जाते हैं। हमारे इस राजस्थान में 10 हजार लोग, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो मैं आपको बताऊं, 2009 में लगभग 9,045 लोग, 2010 में 9,163 लोग, 2011 में 9,232 लोग, 2012 में 9,528 लोग और 2013 में 9,724 लोग, हर वर्ष लगभग 25 हजार दुर्घटनाएं होती हैं, उनमें मर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाद में मर जाते हैं। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए कि इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, आदमी का जीवन अमूल्य है, वह मर रहा है, उसको भी रोकने के लिए हमने अथोरिटी के माध्यम से प्रयास किया है कि दुर्घटनाएं कम हों, लोगों की मौतें कम हों। इसका हमने, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रयास किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी चर्चा आयी कि राजस्थान स्टेट रोड अथोरिटी क्या कर देगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, एन.एच.ए.आई. बना हुआ है भारत सरकार का और एन.एच.ए.आई. काम कर रहा है, उसी की तर्ज

(श्री युनुस खान)

पर हम यह लेकर आये हैं। कोई विशेष बात नहीं लेकर आये। उसके भी अपने कानून बने हुए हैं, उसके अपने प्रावधान बने हुए हैं। तो इसलिए इतनी शंका करना, इतना संशय फैलाना कि यह अथोरिटी आ जाएगी, पता नहीं, क्या हो जाएगा; मैं सोचता हूं कि यह चीज ठीक नहीं है। इसलिए राजस्थान के विकास के लिए इसकी हमने जरूरत महसूस की, इसलिए हम इसको लेकर के आये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा, एक विषय और आया और वह विषय आया लैण्ड एक्विजिशन का। अभी भारत सरकार ने 2013 का लैण्ड एक्विजिशन का जो एक्ट पास किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें जो प्रावधान थे, उन सारे प्रावधानों को हमने इसमें सम्मिलित किया है। 1995 का जो एक्ट था, उसमें तो 1894 के एक्ट के प्रावधान थे और उसके अधिकार भी दूसरों को थे। मैं इसमें थोड़ा सा और बात बताने के हिसाब से बताना चाहूंगा कि, वे सारे प्रोविजन जो हैं, वे किसान के हितों के हैं, जो लैण्ड-होल्डर हैं उसके हितों के हैं। जो कानून भारत सरकार ने बनाया है, जिसकी लोकप्रियता की बात हमारे लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे हैं, उससे भी सवाया भूमि अधिग्रहण के बाद में मुआवजा यह राजस्थान सरकार देगी। इसका प्रावधान हमने किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ किसानों को समय पर मुआवजा मिले, इस प्रक्रिया को भी थोड़ा शोर्ट किया है।

यहां सोशल इम्पैक्ट की बात कही गयी है, उसको भी हमने कम किया है। क्योंकि हम कोई बहुत बड़ी भूमि नहीं ले रहे, ये जो सड़कें हैं, चाहे एम.डी.आर. हों, स्टेट हाई-वे हों चाहे ओ.डी.आर. हों, वह जो एग्जिस्टिंग रोड हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्हीं पर बनेगी इसलिए कोई बहुत बड़ा अधिग्रहण भी नहीं होने वाला है।

इसलिए किसानों के लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगर कोई भूमि अधिग्रहण होगी तो उसको सेफिशिएंट मुआवजा, माननीय अध्यक्ष महोदय, दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था और जो इसमें नहीं की है, नियमों में करेंगे हम, वह यह है कि अभी तक जो भूमि अधिग्रहण करते हैं उसका अधिकार एस.डी.ओ., वगैरह को कलक्टर के माध्यम से दिया हुआ है। हम इसमें कानून के जरिये प्रशासनिक अधिकारी को, इसमें हमने काम्पीटेंट अथोरिटी का जिक्र किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको हम देंगे; वह

(श्री युनुस खान)

सीनियर आर.ए.एस. स्तर का अधिकारी होगा, जो जयपुर में भी बैठेगा और इस बीस हजार किलोमीटर सड़कों के लिए जो भूमि अधिग्रहीत होगी, उसका अधिकार उसको देंगे। उसके साथ में दो तहसीलदार, दस पटवारी, आदि होंगे और वे शीघ्र भूमि का अधिग्रहण करेंगे जिससे काम में देरी नहीं हो।

इसके साथ-साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, वन क्षेत्र में आने वाली भूमि या पर्यावरण की दृष्टि जो एन.ओ.सी. का मामला है, वह भी शीघ्र लें, उसके लिए इसमें प्रावधान किये गये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैंने बहुत सारी बातें आपके सामने रख दीं और अभी जो बार-बार एक इश्यू आया, माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, वह आया कंट्रोल जोन को लेकर के। जब तक यह कंट्रोल जोन के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा, पूर्ववर्ती कानूनों में सब जगह इस तरीके के प्रावधान हैं, एन.एच.ए.आई. के कानून में भी इस तरीके का प्रावधान है; हम यह आरक्षित इसलिए कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो हम यह सड़क बना रहे हैं, यह न्यूनतम सात मीटर चौड़ी बना रहे हैं और अधिकतम दस मीटर चौड़ी बना रहे हैं, लेकिन कल को आवश्यकता हुई, स्टेट के पास रिसोर्सेज आ गये और वहां व्हिकल बढ़ गये, या कोई इस तरीके की इंडस्ट्रीज आ गयीं, उस सड़क को चौड़ा करना है, तो उसको हम सिर्फ आरक्षित कर रहे हैं। उसमें भी 100 मीटर तक के, हम उनको, यह नहीं कि वह किसान काम नहीं कर सकता, किसान अपना पूरा काम कर सकता है, मुर्गी पालन कर सकता है।

जैसा कि राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी चिंता व्यक्त की कि कोई बिल्डिंग बनी हो, तो बिल्डिंग कोई तोड़ने नहीं जाएगा। जो बिल्डिंग बनी हुई है, वह बनी हुई है।

इनके अलावा, दूसरे सदस्यों ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, कहा कि वह एन.ओ.सी. लेने के लिए जयपुर आना पड़ेगा। यह अधिकार भी हम नीचे के स्तर पर दे रहे हैं और उसको यहां आने की जरूरत नहीं है और किसान को भी अपना काम करने के लिए कोई रोकने वाला नहीं है। उसकी भूमि का भी जब भी कोई उपयोग लेंगे तो उसका प्रोपर मुआवजा देंगे।

इसलिए आपने जो कंट्रोल जोन की बात कही, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मुर्गी जो है, वह मुर्गी किन तक तो पहुंचेगी नहीं। मुर्गी तो आपके पास ही रह जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हमारे पास मुर्गा रहता है, मुर्गी नहीं रहती।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, खाली मुर्गी ही नहीं है, वह किसान चाहे कृषि करे, बागवानी करे और उसकी अगर इच्छा हो, फिर वह मत्स्य पालन भी कर सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चरागाह बना सकता है, दुग्ध शाला बना सकता है, कुआं, ट्यूबवेल, कुछ भी बना सकता है। तो उसकी जो मर्जी हो, वह काम कर सकता है। इसलिए उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

कंट्रोल जोन का जो माननीय सदस्य ने इश्यू उठाया, वह हमारा सेक्शन 20(2) में है। उसको रूल्स के माध्यम से कंट्रोल जोन की अनुमति भी, मैंने जैसा कहा, लोकल स्तर पर दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वह तो रेगुलर पहले भी प्रावधान थे, अब भी वे ही प्रावधान हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा, कुछ सदस्यों ने कहा कि यह ओवरलोड का विषय आप लेकर के आये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोटर व्हिकल्स एक्ट, 1988 में पहले से ही प्रोविजन हैं। चूंकि सड़क बना रहे हैं, अगर बिजली विभाग है उसका कोई खम्भा चोर ले, उसका कोई तार चोर ले या उसके कोई हो जाए, तो उन्होंने अपने कानून बना रखे हैं। खम्भा उनका है। ऐसे थोड़ी है कि खम्भा लगा हुआ है, किसी पर मुकदमा तो नहीं लगाया; अगर कोई खम्भा चोरेगा या वहां से कोई ट्रांसफार्मर उठा कर ले जाएगा, तब जाकर के ...

मैं आपकी तरफ नहीं देखूंगा, अब मैं इधर ही देख कर भाषण करूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय की तरफ ही। मेरे को बार-बार हाथ जोड़ रहे हैं। आपको जाना है तो जावें, साहब, मैं तो बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप जारी रखिये। जारी रखिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं शोर्ट कर दूंगा। मैं शोर्ट कर दूंगा अब।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज ही नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे?

श्री अध्यक्ष: हां, मंत्री महोदय, जारी रखिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हम वैसे ही सिफारिश कर देंगे। (व्यवधान) बेगम साहिबा ने आपकी बानगी देख ली। बेगम साहिबा ने देख ली बानगी आपकी।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इस सत्र का, अभी मैं सोचता हूं, एक बहुत बड़ा विधेयक है और इसमें जो प्रोविजंस हमने किये हैं, चाहे वह लैण्ड एक्विजिशन के हों, सेफ्टी को लेकर के हों, या अन्य बातों को लेकर के हों, यह हिन्दुस्तान में पहला एक्ट बन रहा है जिसमें सारी चीजों का समावेश है। इसलिए यह एक तरीके से दूसरे प्रदेशों के लिए भी एक लैण्डमार्क है। चूंकि कानून बन रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, लोगों के मन में शंकाएं, प्रतिशंकाएं हैं, इसलिए उनका दूर होना भी जरूरी है। क्योंकि इस सदन का मुख्य काम तो कानून बनाना ही है, उस पर ही चर्चा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बोलिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि ओवरलोड की जो बात कही है, उसमें सड़क है हमारी, इसलिए उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी पी.डब्ल्यू.डी. की है। इसलिए यह कानून उसी कानून के अन्दर, ध्यान में रखते हुए, ये प्रोविजंस किये गये हैं।

अभी रीसेंटली एन.एच.ए.आई. ने भी, चाहे पांच लोगों को इकट्ठा होने वाली बात हो, पशुओं की बात हो, वैसे तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊंगा कि यह एक कंट्रोल आफ नेशनल हाई-वे लैण्ड एण्ड टैफिक एक्ट, 2002 है, इसमें ये सारे प्रोविजन हैं। अगर राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य चाहें तो मैं आपको पढ़ कर के सुनाना चाहूंगा, जितनी आशंकाएं आपने कीं, उनको लेकर के, "… The person shall have …" जितनी भी शंकाएं की हैं एनिमल्स के लिए, पर्सन के लिए, इसके लिए, अध्यक्ष महोदय, आलरैडी प्रोविजन हैं। हमने कोई ऐसा नया अन्याय नहीं किया है।

हम तो सारी इन चीजों का समावेश करते हुए, जैसा कि माननीय लक्ष्मणगढ़ से आने वाले सदस्य ने कहा कि चुरा लाये, हम चुरा कर के नहीं लाये हैं, इस पर बहुत बड़ी मेहनत करके हमने इसको तैयार किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय। यह मैं जरूर मानता हूं कि हिन्दी में कोई थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। उसके संशोधन भी हम लेकर आये हैं। बाकी बिलकुल सोच-

(श्री युनुस खान)

समझ कर के, एक-एक एक्ट को देखकर के, सारे प्रोविजंस को देखकर के, यह कानून पिछले तीन महीनों की कड़ी मेहनत के बाद में हम सब लोगों ने मिलकर के तैयार किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक पेडेस्ट्रियन के लिए, जो पैदल चलने वाले हैं, उनकी भी जान जोखिम में नहीं पड़े, इसलिए किया गया है। इसलिए नहीं किया गया है कि वह पैदल नहीं चल सकता, वह यह नहीं कर सकता। इसके प्रावधान किये हैं कि वह भी सावधानी से चले और अच्छी सड़क और अच्छे तरीके से चले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ एन्क्रोचमेंट्स के लिए भी मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। जब सड़क बन जाती है, आपको भी ध्यान है, आप भी निकलते हैं, सड़क बनते ही तुरन्त रेस्टोरेंट बना लेते हैं। उसके बीच में मिट्टी डाल कर के, ढलान इधर कर देते हैं। फिर उस पर पानी डालते हैं। उसके बाद में कई लोग आकर के सड़क वाले क्षेत्र में ही दुकानें बना लेते हैं। कोई कुछ बना लेता है, कोई निर्माण कर लेता है। तो यह जो इस तरीके के अतिक्रमण हैं, इस तरह के अतिक्रमण को हटाने का प्रोविजन हमने इसमें किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको और सबको पता है कि सड़क अच्छी हो और उस पर कोई दुर्घटनाएं नहीं हों और इस तरीके की आने-जाने वाले व्यक्तियों को असुविधा नहीं हो, उसके लिए ये प्रोविजंस डाले गये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, यहां राजमार्गों के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए भी इसमें व्यवस्था की गयी है कि वे किस तरीके से विकसित हों। इसके प्रोविजन भी amenities के लिए दिये हैं कि ट्रक के लिए बाईलेंस हों, छोटी-छोटी सुविधाएं हों, पंचर वाला हो, रेस्टोरेंट, आदि। इसके लिए जमीन अधिग्रहित करके इस तरह की व्यवस्थाएं दें, इनके लिए भी प्रोविजन इसमें किये गये हैं जिससे यात्रियों को सुविधाएं मिलें। यह नहीं है कि किसी की जमीन छीनने का हमारा इरादा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल रूप से हम इस सिद्धांत के साथ इस विधेयक को लेकर आये हैं कि इसमें बिजनेस प्रिंसिपल का विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है।

जैसा कि बार-बार चर्चा आई कि 70 हजार करोड़ रुपए, 70 हजार करोड़ रुपए; मैंने यह भी कहा कि एक विकल्प हमारे पास है कि हम टैक्स

(श्री युनुस खान)

लगाकर के यह पैसा वसूल करें, जो कि हम आम आदमी पर यह भार नहीं डालने चाहते। मैंने पहले भी चर्चा में यह कहा था कि आम आदमी पर भार नहीं हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले भी चर्चा में यह कहा था कि आम आदमी पर भार नहीं है। अगर हम पिछले 15 वर्षों में राजस्थान में चलने वाले कामर्शियल और जो फोर-व्हीलर व्हिकल्स हैं, जो टोलेबल हैं, उनकी संख्या अभी लगभग 8 लाख 86 हजार है। मैंने पिछली बार भी बताई थी। यह जो 8 लाख 86 हजार हैं, वह हमारी 7 करोड़ 20 लाख जनसंख्या का लगभग सवा प्रतिशत के करीब होता है। अगर पारिवारिक दृष्टि से देखें तो यह 5 लाख परिवारों पर इसका प्रभाव पड़ता है। वह प्रभाव भी जब वे रोड पर चलेंगे तो ही पड़ेगा। यह नहीं है कि यह 70 हजार करोड़ रुपये राजस्थान की जनता से लिये जाएंगे। बाकी जनता जब सड़क पर चलेगी ही नहीं, तो उससे हम कहां से लेने जाएंगे? यह टोल की व्यवस्था हम इसीलिए कर रहे हैं कि इस पैसे का राजस्थान की जनता पर भार नहीं पड़े और उनको अच्छी सड़कें मिलें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पी पी पी माडल में खाली यह भ्रांति भी नहीं रहे कि यह 20 हजार किलोमीटर की सड़कों पर टोल लगेगा। टोल नहीं लगायेंगे। इसमें भी कुछ सड़कें ऐसी हैं जो वाएबल नहीं हैं। क्योंकि मैंने पहले ही चर्चा में कहा कि 20 प्रतिशत की राशि वी जी एफ के रूप में राजस्थान सरकार देगी और 20 प्रतिशत की राशि भारत सरकार देगी। 40 प्रतिशत की राशि वी जी एफ के रूप में मिलेगी और 60 प्रतिशत राशि जो भी concessioner आयेगा, वह लगाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम यह निवेदन करना चाहता हूं कि टोल भी सब सड़कों पर नहीं लगाएंगे। कई सड़कें ऐसी हैं जो इसके बावजूद भी वाएबल नहीं हैं। उनको भी डवलप करने का काम करेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, सरकार के पास संसाधन आ गये तो सरकार अपने अन्य साधनों से भी उन सड़कों का निर्माण करेगी। यह नहीं है कि सारी की सारी सड़कों को हम टोल लगाकर के करेंगे। उसके लिए हमारी ई पी सी का जो माडल है, वह काम करेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी, अभी आर एस आर डी सी की बात आई, रिडकोर की भी बात आई। मैंने आपको कहा कि रिडकोर लगभग 1,100 किलोमीटर की सड़कें इस बार स्पेस कोरिडोर के रूप में डवलप करेगा। रिडकोर की यह प्रशंसा कर रहे थे हमारे लक्ष्मणगढ़ से आने वाले

(श्री युनुस खान)

सदस्य। अच्छी बात है कि रिडकोर अच्छी सड़कें बना रहा है, उनको भी हम 1,100 किलोमीटर स्पेस कोरिडोर बनाने का मौका दे रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जरूरी नहीं है कि सारी की सारी पी पी पी पर ही उठ जाएं। क्योंकि जो इन्वेस्टर आयेगा, वह यह देखेगा कि इस पर वाहन चल रहा है कि नहीं चल रहा है; वह सड़क बनाने के लिए पैसा खर्च कर रहा है तो उसका पैसा वसूल होगा कि नहीं होगा। कहीं यह नहीं हो कि वसूल नहीं हो। ऐसी सड़कें छूट जाएंगी तो वे छूटें नहीं। पिछला अनुभव, मैं आरोप नहीं लगा रहा, माननीय तत्कालीन मुख्य मंत्री गहलोत साहब ने अपना बजट रखा था तो लगभग 2 हजार किलोमीटर की पी पी पी पर उन्होंने 24-25 सड़कें डाली थीं, उनमें से 2 ही सड़कें बन पाई। उसका कारण यही था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की सड़कें जो वाएबल नहीं हैं, जिन पर ट्रैफिक नहीं है, लेकिन हमारी इस घोषणा में आ गई, उनको हम हमारी एक कम्पनी है आर एस आर डी सी, उसके माध्यम से बनायेंगे। उसको सरकार देगी। यह हो गया, ई पी सी में हो गया, रिडकोर का हो गया।

इस तरह से सड़कों का जाल हो जाएगा। 1 लाख 5 हजार किलोमीटर ओ पी आर सी में कर देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, राठौड़ साहब हमारे बाकी गांव जुड़ने से छोड़ गये थे। लगभग साढ़े 5 हजार गांव ऐसे हैं जो सड़कों से नहीं जुड़े हुए हैं। मैंने बार-बार कहा है कि यह सरकार अगले 5 वर्षों में उन साढ़े 5 हजार गांवों को भी सड़क से जोड़ने का काम करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा रोड ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट की बात भी इसमें कही गई है। तेज गति से वाहन चलाना, शराब पीकर के वाहन चलाना इसके लिए भी हम जन जागृति लाएंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): शराब पीकर के चलाने के लिए?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वे शराब पीकर के नहीं जाएं, इसके लिए जन जाग्रति लाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विस्तृत योजना बनाकर के इसमें हम काम करेंगे।

अब एक इश्यू ये आया था कि ये लूट लेंगे, ठेकेदार, concessioner लूट लेंगे। जब ये सड़कें बनेंगी, इनमें हजारों करोड़ रुपया खर्च होगा। आज हम 100 रुपये खर्च करते हैं तो यह देखते हैं कि यह आइटम ठीक है कि नहीं है। हम भी चाहते हैं कि सम्मान मिले। जो व्यक्ति 2 हजार करोड़, 3 हजार करोड़,

(श्री युनुस खान)

5 सौ करोड़, 2 सौ करोड़ रुपये खर्च करेगा, वह भी सम्मानित व्यक्ति है। वह आयेगा तो वह भी चाहता है कि राजस्थान में उसको अच्छा माहौल मिले, इंडस्ट्रियल फ्रेंडली हो, राजस्थान में कानून-व्यवस्था अच्छी हो, राजस्थान के लोगों का व्यवहार अच्छा हो, राजस्थान की सरकार उनको संरक्षण दे। तब आकर के वह 2 सौ करोड़, 5 सौ करोड़ रुपया लगायेगा, अन्यथा वह नहीं लगायेगा। इसलिए उसकी सेफ्टी के लिए भी हमने इस तरीके के प्रावधान किये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला सड़क सुरक्षा की बात आई, विशेष न्यायालयों की बात आई। वैसे मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि ये सब चीजें पहले से ही चल रही हैं।

जहां तक जन-प्रतिनिधियों की बात है, जहां जन-प्रतिनिधियों की जरूरत है, क्योंकि यह तो एक पर्टिकुलर काम के लिए अथोरिटी बना रहे हैं, उसके लिए उसकी चयन कमेटी किस तरह से हो, माननीय चीफ सेक्रेटरी और अन्य सदस्यों के माध्यम से उसका चयन होगा। फिर वह अथोरिटी बनेगी, वह काम करेगी। उसके अलावा भी, हम उसमें नियम अलग से बनाकर के जो इस तरह की चीजें हैं, जो कि क्लीयर नहीं हुई हैं, उनको क्लीयर करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बावजूद भी जब-जब जरूरत पड़ेगी, तब-तब, आपको भी पता है कि कोई भी कानून बनता है तो उसमें संशोधन होते रहते हैं, यह सरकार भी कभी जरूरत आएगी इस तरह की, जोड़ने और घटाने की, तो आवश्यकतानुसार और समय-अनुसार करने का प्रयास करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सारी चर्चा इस सदन में हुई। राजस्थान एक माडल स्टेट बने, राजस्थान एक अग्रणी प्रदेश बने, उसके लिए हम सब मिलकर के काम करें। आपको ध्यान है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप राजस्थान में खूब घूमे हैं, हमारी सुराज संकल्प यात्रा के दौरान एक नारा लगा था और वह नारा था कि 'आओ साथ चलें'; इसलिए मैं दुबारा दोहरा रहा हूं कि आओ, हम सब साथ मिलकर के चलें, राजस्थान को एक अग्रणी प्रदेश बनायें, राजस्थान को विकसित बनायें। राजस्थान की सड़कें अच्छी हों, राजस्थान में सारा माहौल अच्छा हो, राजस्थान में डवलपमेंट हो। इन सड़कों का लाभ किसान को मिलेगा, इन सड़कों का लाभ विद्यार्थियों को मिलेगा, इन सड़कों का लाभ उद्योगपतियों को मिलेगा।

आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि श्री मदन राठौड़, श्री हीरालाल नागर, श्री जोगाराम पटेल ने विधेयक को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014 को जन मत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जन मत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार ।

खण्ड 2-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-3 । प्रभारी मंत्री खण्ड 3 में संशोधन प्रस्तुत करेंगे। प्रभारी मंत्री।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जितने भी संशोधन हैं, वह लास्ट में करवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं। प्रक्रिया से ही।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक के खण्ड 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति 'राष्ट्रीय' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'राज्य' प्रतिस्थापित की जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 4 से 59 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 से 59 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड- 4 से 59 स्वीकार किये गये।

खण्ड 60। प्रभारी मंत्री खण्ड 60 में संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक के खण्ड 60 के उप-खण्ड (2) के पैराग्राफ (ड़) में विद्यमान अभिव्यक्ति 'सड़क सुख-सुविधाएं' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'मार्गस्थ सुख-सुविधाएं' प्रतिस्थापित की जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड 60 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 60 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 60 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 61 से 109 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 61 से 109 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 61 से 109 स्वीकार किये गये।

खण्ड 110 । प्रभारी मंत्री खण्ड 110 में संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक के खण्ड 110 के उप-खण्ड 2 के पैराग्राफ (ण) को विलोपित किया जाय।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड 110 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 110 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 110 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 111 से 114 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 111 से 114 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 111 से 114 स्वीकार किये गये।

अनुसूची। ...(व्यवधान) माननीय प्रभारी मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक की अनुसूची में (i) स्तम्भ (3) में, क्र.सं. 75 के सामने विद्यमान अभिव्यक्तियों 'भाटन्दा' एवं 'जादान' के स्थान पर अभिव्यक्ति क्रमश: 'भटिण्डा' एवं 'जाडण' प्रतिस्थापित की जाए।

(ii) स्तम्भ (3) में, क्र.सं. 82 के सामने विद्यमान अभिव्यक्ति 'गुढाकाकानी' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'गुडा विशनोइयॉं, काकाणी' प्रतिस्थापित की जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुसूची के क्रम संख्या 75 एवं क्रम संख्या 82 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि अनुसूची संशोधित रूप में स्वीकार की जाय?

(स्वीकार)

अनुसूची संशोधित रूप में स्वीकार की गयी।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री युनुस खान, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य ...(व्यवधान) अब आप विराजिये। (व्यवधान) अब आप विराजिये। बहुत बोल चुके।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): केवल कानूनी महत्व का एक प्रश्न रख रहा हूं। बस, एक मिनट में रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: बहुत बोल लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): इसमें क्लाज 104 में, बहुत लम्बी-चौड़ी बहस नहीं कर रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्लाज 104 स्वीकार किया जा चुका है, आप विराजिये। स्वीकार किया जा चुका है। (व्यवधान) आप बैठिये। अब नहीं। अब नहीं हो सकता 104 के बारे में। इस पर अब कुछ मत बोलिये। (व्यवधान) वह स्वीकार हो चुका है, यह मैं कह रहा हूं। (व्यवधान) आप बैठिये, 104 स्वीकार हो चुका है सदन से।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014 को संशोधित रूप में पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014 संशोधित रूप में पारित किया गया।

अब मैं माननीय सदस्यों को एक निवेदन करना चाहता हूं। जिस समय कार्य सलाहकार समिति में यहां विषय लेने की चर्चा चल रही थी, उस समय सूखे पर विचार-विमर्श के लिए भी रखा गया था। उस समय यह आशंका भी थी कि शायद सूखा पड़ जाये। लेकिन जैसा दिख रहा है, सूखे की संभावनाएं धीरे-धीरे कम हो रही हैं। इसलिए ...(व्यवधान) बरसात आ रही है।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान) बरसात आ रही है। (व्यवधान) क्यों भगाना चाह रहे हो बरसात को? कृपा करके, इसलिए मैं चाहता हूं कि 15 मिनट हैं हमारे पास। 5 मिनट में आप अपना विषय व्यक्त कीजिये, माननीय प्रतिपक्ष के नेता और 10 मिनट में हमारे गुलाब चन्द जी कटारिया इसका जवाब दे देंगे। उसके बाद सदन स्थगित कर देंगे। (व्यवधान)

माननीय गुलाब जी, आप प्रस्ताव रख दीजिये। (व्यवधान) प्रतिपक्ष के माननीय वरिष्ठ नेता, आज जरा टाइट है मामला। प्रतिपक्ष के नेता भी बोल लेंगे, वे भी बोल लेंगे। सदन की नेता बड़े अच्छे स्वादिष्ट व्यंजनों से अपने को दावत दे रही हैं। वहां अपन मिठास के साथ सब इकट्ठे होंगे। इसलिए जल्दी खतम कर दें। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट निवेदन करूं?

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव आने दो, फिर।

विभिन्न विषयों पर विचार

राज्य में सूखे की स्थिति पर विचार

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राज्य में सूखे की स्थिति पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: डोटासरा जी। (व्यवधान) आप भी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, ईश्वर से प्रार्थना है कि बारिश आये, हम कोई बाधा नहीं चाहते...

श्री अध्यक्ष: आ रही है धीरे-धीरे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष: आप सूखा-सूखा करके बारिश को भगा देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हम तो चाहते हैं कि यहां पर राजस्थान में सूखा नहीं हो, ईमानदारी से। लेकिन ऐसा है, यह मैंने सुबह ही माननीय पंचायती राज मंत्रीजी से, जो आपदा प्रबन्धन का काम भी देख रहे हैं, मैंने निवेदन किया था कि आप सारे राजस्थान की वर्षा की स्थिति मंगवा लें; उन्होंने मंगवा भी ली होगी, निश्चित रूप से मंगवा ली होगी, बहुत संवेदनशील

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मंत्री हैं, लेकिन यह बात भी निश्चित है, अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़े हिस्से में, राजस्थान के, आज 1 अगस्त हो गया, सूखा है। आप खाली यहां पर अखबारों में आ गया कि झमाझम हो रही है, आज वाइडस्प्रेड नहीं है। (व्यवधान) मैं अपने इलाके की कह रहा हूं, हमारे इलाके में पानी नहीं है; कुछ गांवों में है, कुछ गांव सूखे पड़े हुए हैं, ऐसा बहुत सारा इलाका है।

तो हम यहां केवल आलोचना के लिए नहीं खड़े हुए हैं, हम तो आपको कुछ सुझाव...। अगर आधा घण्टा आप और बढ़ा दें, आप यह तय कर लें कि प्रतिपक्ष के लोग कुछ बोल लें, सत्ता पक्ष के लोग त्याग दें अपना बोलना, तो हम अपनी बात कह देंगे। ये तो बाद में भी मंत्रीजी को बात बता देंगे, जाकर के। अगर आप कहना चाहें, अगर आपकी अनुमति हो तो। पन्द्रह मिनट में तो चर्चा हो नहीं पायेगी, इससे अच्छा तो हम बोलें नहीं। यह बेहतर रहेगा।

श्री अध्यक्ष: साढ़े छह बजे तक।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्यों ने यह तय कर लिया कि लिखित में अपनी बात माननीय मंत्री महोदय को कह देंगे। अभी पन्द्रह मिनट का समय है, अभी पन्द्रह मिनट और बढ़ा देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आधा घण्टा चर्चा हो जाए। मैं फिल्म वालों से निवेदन कर देता हूं कि थोड़ा-सा समय और बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष: साढ़े छह तक सदन।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय पन्द्रह मिनट के लिए और बढ़ाया जाए?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय पन्द्रह मिनट के लिए और बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय पन्द्रह मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

डोटासरा जी। हां, बोलिये।

राज्य में सूखे की स्थिति पर विचार

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इतना गम्भीर विषय है। सूखा, आज पूरे प्रदेश में 40 परसेंट जगह पर भी बरसात नहीं हुई है और इतने इम्पोर्टेंट विषय पर हम चर्चा ही नहीं करें। केवल पिक्चर देखना है और खाने की जल्दी है। इसलिए तो मैं समझता हूं कि चर्चा नहीं करें तो ही ठीक है।

श्री अध्यक्ष: आपको समय दे दिया है चर्चा करने का। प्रतिपक्ष के नेता को 15 मिनट दे दिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कहां दे दिया? 15 मिनट में क्या होता है? 9 माननीय सदस्य हैं, 9 सदस्य बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमारे लिए यह इम्पोर्टेंट नहीं है खाना और पिक्चर। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ...(व्यवधान) हम किसान जो सूखे से पीड़ित है, आज उसकी नींद गायब हो गई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) मैंने प्रतिपक्ष के नेता को बोलने के लिए आमंत्रित किया है, केवल। बोलिये।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप सब इकट्ठे हो गये हो जाने के लिए। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमारे 9 सदस्यों के नाम हैं। हम चर्चा करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) सवा छह बजे तक चर्चा होगी, उससे आगे चर्चा नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कहां होगी?

श्री अध्यक्ष: नहीं होगी उससे आगे। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं कैसे होगी? (व्यवधान) नहीं कैसे होगी, माननीय अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष: आप जाइये। (व्यवधान) श्री गुलाब चन्द कटारिया, आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, ऐसे नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपसे प्रोटेक्शन चाहते हैं। हम किसान जो

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आज भूखा है, प्यासा है, उसका पशुधन मर रहा है, उसकी चर्चा करना चाहते हैं। हम सारे के सारे लोग बोलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार अपनी बात कह देता हूं। अगर उसके बाद आप कहना चाहें....(व्यवधान) मैं राजस्थान की वस्तुस्थिति आपके सामने रख देता हूं। उसके बाद अगर आपको लगे कि सूखा गम्भीर है तो आप जरूर मुझसे सवाल पूछें। मैंने जो कुछ भी आंकड़े मंगाये हैं, उसके आधार पर जो सामान्य वर्षा है उससे मात्र 24 प्रतिशत कम है। मैं प्रत्येक जिले की अभी तक की, 31 तारीख तक...(व्यवधान) पिछली बार भी जितनी बुवाई हुई...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): फसल उसकी बोयी नहीं गई और आप चर्चा ही नहीं कराना चाहते। आपके लिए खाना और पिक्चर ज्यादा महत्वपूर्ण हो गये। हमारे लिए खाना और पिक्चर महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए उस किसान की चिन्ता है जिस किसान ने हमें चुनकर भेजा है, जिस किसान ने हमें सदन में भेजा है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): किसान के लिए घड़ियाली आंसू मत बहाओ। किसानों का आपने क्या भला किया है, यह आपको पता है। घड़ियाली आंसू बहा रहे हों किसानों के नाम पर। किसानों का कितना भला किया है, यह आप भी जानते हों।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं एक बार वस्तुस्थिति राजस्थान की आपके सामने रख देता हूं। उसके बाद आपके मन में किसी जिले का कोई संदेह हो, तो आप उसके बारे में सवाल खड़े कर दीजिए। आपकी जितनी शंकाएं हैं, भगवान की कृपा से पिछला सप्ताह ऐसा अच्छा निकला है, जिसमें राजस्थान के अधिकांश जिलों में बुवाई का काम हो गया है। पिछले साल 2013 में जितने एरिया में बुवाई हुई थी, उसकी 97 परसेंट बुवाई इस बार हो गई है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं करें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक मिनट। आप बात तो सुनिए। एक मिनट रुको। मेरी बात तो सुनो। (व्यवधान) एक मिनट बैठिए आप।

अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति में जो तय हुआ था, उसके अनुसार अपन ने आज का कार्यक्रम रखा है। प्रतिपक्ष अगर इस मामले को लेकर स्कोर करना चाहे और हमारे पर यह आरोप लगाना चाहे कि पिक्चर और खाना हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किसान नहीं है। तो आप चर्चा कराइये। हम आगे का हमारा कार्यक्रम रद्द कर देंगे। क्योंकि ये स्कोर करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन की परम्परा रही है कुछ मामलों के अन्दर, जो हम आपस में बैठकर तय करते हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण है, अच्छा वातावरण है, सदन के सत्र का आखिरी दिन है, अच्छा रहता, हम अच्छे वातावरण में जाएं। इसलिए मेरा प्रतिपक्ष के नेता से निवेदन है कि इसमें कोई राजनीति नहीं हो। (व्यवधान)

एक मिनट, आप ज्यादा फुर्ती मत करो। (व्यवधान) हम एक-दूसरे पर स्कोर करने की कोशिश न करें। अगर आप पहले बोलना चाहें तो जितनी देर बोलना चाहें, बोलें। कार्यक्रम नहीं होगा तो नहीं होगा। हरेक चीज के अन्दर राजनीति करें, यह शोभाजनक थोड़े ही है।

अच्छा रहे, मंत्रीजी का वक्तव्य आ जाए। प्रतिपक्ष के नेता, आप मेरा निवेदन सुनें। पहले प्रतिपक्ष के नेता, आप बोल लो, फिर मंत्रीजी का वक्तव्य आ जाए। (व्यवधान) एक मिनट सुन लीजिए। उसके बाद कोई शंकाएं रहें तो 100 सवाल कर लेंगे। जितने सवाल करेंगे, उन एक-एक सवाल का जवाब देकर ही सरकार यहां से जाएगी।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): सम्माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, हमारे 5-6 सदस्यों का दिया हुआ है, वे 10 मिनट बोल लेंगे। उसके बाद मंत्रीजी वक्तव्य दे दें। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय मंत्रीजी का वक्तव्य आने तक और बहस होने तक समय बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

राज्य में सूखे की स्थिति पर विचार

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता अपनी बात कहें। प्रतिपक्ष के नेता अपनी बात शुरू करें। समय बढ़ गया, प्रतिपक्ष के नेता बात शुरू करें। आप अलाउ करें।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, तीन-तीन, चार-चार डिमाण्ड पर प्रतिपक्ष का एक भी आदमी नहीं बोला और आज इनको जान-बूझकर...व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रद्युम्न सिंहजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभारी हूं...(व्यवधान) आप शांत रहें तो जल्दी डिबेट खतम हो जाएगी। मैंने, अध्यक्ष महोदय, यह बार-बार, जब सदन शुरू हुआ था, जब पहली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी, उस वक्त भी मैंने निवेदन किया था कि आखिर के अन्दर इस पर चर्चा हो। तब तक वर्षा की स्थिति पूरे प्रदेश की अपनी निगाह में आ जाएगी। उस मीटिंग में कटारिया साहब भी मौजूद थे, संसदीय कार्य मंत्रीजी भी मौजूद थे और आपने कृपापूर्वक कहा था कि सूखे पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आज बदकिस्मती से, कल यहां डिबेट चल रही थी, हम लोग नहीं पहुंच पाए थे और इतना महत्वपूर्ण बिल राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक रख दिया। इस पर चर्चा होना स्वाभाविक था। अगर एक दिन सदन का समय बढ़ जाता, और आपकी तरफ के बहुत से लोग सूखे को लेकर चिंतित हैं। चूंकि वह भी आवश्यक कार्यक्रम है, उसमें थोड़ा-बहुत डिले होना तो स्वाभाविक है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अध्यक्ष महोदय, मैंने ही आपसे निवेदन किया था और आपने कृपापूर्वक स्वीकार किया था, बाद में चर्चा के लिए सब राज़ी थे।

अध्यक्ष महोदय, इसी सिलसिले में आज प्रात:काल माननीय मंत्री महोदय से मिला था उनके चैम्बर में जाकर और मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप पूरे प्रान्त की स्थिति मंगा लें। आप राजस्थान की ओवरआल रेनफाल से न जाएं कि राजस्थान में कहीं ज्यादा हो गया, कहीं कम हो गया। ज्यादा तो एकाध जगह ही हुआ है, जैसा अखबारों में पढ़ा है। तहसीलवार आपके आंकड़े आ जाएं तो बढ़िया है। सूखे की स्थिति कई जिलों में आज भी गम्भीर बनी हुई है। मैं अपने जिले की ही कहता हूं, सब जगह बारिश नहीं है, छितरायी हुई बारिश है। कहीं पानी पड़ गया, तो कहीं नहीं पड़ा। कई जगह बिजाई तक अभी तक नहीं हुई। जुलाई के बाद अगस्त शुरू हो गया। टाइम भी धीरे-धीरे निकल रहा है। यदि बाजरे, मक्का की बिजाई समय से नहीं हुई तो वह फसल भी नहीं आएगी। काफी समस्याएं खड़ी होने वाली हैं।

बारिश के लिए, मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता, बारिश से बहुत सारी खेती, अपनी इकोनोमी जुड़ी हुई है। यह राजनीति का विषय नहीं है, यह चिन्ता का विषय है। हमारे लिए भी, सत्ता पक्ष के लिए, हम सबके लिए चिन्ता का विषय है, बारिश हो जाए। क्योंकि अकाल की विभीषिका झेलना हम सबके लिए कठिन रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया था, आपने मंगा लिया होगा जिलेवार, तहसीलवार। कोई आपको सुझाव दें तो इसको अन्यथा न लें, कोई राजनीति न लें इसके अन्दर, क्योंकि जमीनी हकीकत दूसरी है और आंकड़े दूसरे हैं। मैं आपसे हकीकत कह रहा हूं, जमीनी हकीकत दूसरी है और आंकड़े दूसरे हैं। एक गांव में हो गयी, पास के गांव में बारिश ही नहीं हुई। अब की बार वाइडस्प्रेड रेन कहीं भी नहीं है, कुछ प्रान्तों को छोड़कर, नोर्थ-ईस्ट के प्रान्तों को छोड़कर। महाराष्ट्र का आधा हिस्सा खाली पड़ा हुआ है, गुजरात का खाली पड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश का भी खाली पड़ा हुआ है। सबसे बड़ी, सूखे के साथ-साथ जो स्थिति है, वह बता दें। हम यहां कुछ भी कहें कि हमारे यहां बारिश नहीं हुई और आपके आंकड़े कहते हैं, बारिश हुई है, ऐसी बात भी नहीं है क्योंकि असत्य इस मामले में यहां कोई नहीं बोलेगा।

दूसरी सबसे बड़ी बात, चारे की व्यवस्था का सवाल है। भविष्य में आपकी क्या योजना है? क्योंकि बगल के जो हमारे प्रान्त हैं, वहां भी सूखे की

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

स्थिति काफी गम्भीर है। आज आपने स्वयं स्वीकार किया है, यहां कई माननीय सदस्यों ने कहा, कृषि मंत्रीजी भी यहां विराजमान हैं, चारे का 8-9 रुपये एक किलो का भाव हो गया। ट्रांसपोर्टेशन कास्ट अलग है। आप कहीं से लेकर

(18.00 बजे)

आवो, भाड़ा बहुत लगता है आजकल। तो आज चारे का भाव यह है।

मेरी जानकारी में है कि हमारे यहां ठल मवेशी जिनको कहते हैं, जो कम दूध दे रही हैं, उनको यदि किसान अपने पास रखता है, तो कई जगह तो माथे पर तिलक लगाकर किसानों ने गाय-भैंसों को छोड़ना शुरू कर दिया है। इसमें राजनीति नहीं, हकीकत है यह। गांव में हमारे यह कायदा है कि कोई कट्टीखाने में बेचना नहीं चाहते, इसलिए तिलक लगाया और छोड़ दिया। कट्टीखाने में ही बेच रहे हैं। मैं आपको रियल्टी बता रहा हूं कि स्थिति गम्भीर है।

चारे की आप क्या व्यवस्था करेंगे? आपको दूसरे प्रांतों से अभी से ही कंटिंजेंसी प्लान बनाना पड़ेगा। अभी से आप कंटिंजेंसी प्लान नहीं बनायेंगे, चारे की व्यवस्था नहीं करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। इसके अलावा, किसान को कितना अनुदान आप देंगे? क्योंकि किसान की कैपेसिटी अब नहीं है कि इतना महंगा चारा खरीदकर मवेशी को खिला सके। मेरा आपसे अनुरोध है कि कुछ आपकी योजना हो, क्योंकि आपको योजना पहले बनानी होगी, अन्यथा भविष्य में समय पर आपके हाथ-पैर फूल जाएंगे। यह मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि समय पर आपके हाथ-पैर फूलेंगे, क्योंकि मैंने यह झेला है, यह 1998-2003 के कार्यकाल में झेला है, एक के दो दाम देने पड़े हैं अपने को। तो आपको कंटिंजेंसी प्लान सम्बन्धित विभागों से बैठकर बताना पड़ेगा। स्थिति उस समय यह हुई थी, एक दफे तो मेरठ से गन्ना मंगाया और कहा कि यही खिलाओ, यह हमें सस्ता पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, बिजली आप कैसे देंगे। बिजली का भी आपको कंटिंजेंसी प्लान बनाकर देना पड़ेगा। जहां पर पानी सफिशिएंट हैं, वहां आपको बिजली देनी पड़ेगी। क्योंकि मान लीजिये, कई जगह बिजाई हुई और उसके बाद बारिश नहीं हुई, तो लोग अपने ट्यूबवैल से पानी देना चाहेंगे। आज आप नये कनेक्शन देने की स्थिति में नहीं हैं लेकिन जो आपके एग्जिस्टिंग कनेक्शन हैं, करीब साढ़े तीन-चार लाख एग्जिस्टिंग कनेक्शन हैं, माननीय मंत्री

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

महोदय, 11 लाख कनेक्शन हैं, मैं तो फिगर्स भूल जाता हूं पर हमारे सांगानेर से आने वाले माननीय विद्वान सदस्य हैं, वे बता रहे हैं, 11 लाख कृषि कनेक्शन हैं, तो आपका क्या प्लान है? दूसरे प्रांतों से आपने इस कंटिंजेंसी के लिए बिजली के सौदे किये क्या? क्योंकि आपके पास तो इतनी बिजली है नहीं। आप घरेलू बिजली भी देना चाहेंगे और किसान को भी बिजली देना चाहेंगे तो आपको अग्रिम सौदे करने पड़ेंगे, आपकी बिजली कम्पनियों को अग्रिम सौदा करना पड़ेगा बिजली खरीदने के लिए, अन्यथा 15 रुपये, 16 रुपये यूनिट राज्य सरकार के ऊपर बिजली कम्पनियों पर भार आएगा। इसलिए इसकी आप पहले से तैयारी कर लें, अग्रिम बिजली खरीदने की। तो यह मैं आपसे कहना चाहूंगा।

ईश्वर करे, बारिश आ जाए, अन्यथा अगर बारिश नहीं हुई, क्योंकि आप सूखा डिक्लेयर करेंगे सितम्बर-अक्टूबर, क्यों, कृषि मंत्रीजी, तभी करेंगे आप? क्या आप अगस्त के आखिर में गिरदावरी करवाना चाहेंगे जिससे सारी स्थिति आपके सामने आ जाए? या तो आप यह आदेश जारी करें कि आप अगस्त के आखिर में ही गिरदावरी करा लें जिससे कि आपको राहत कार्य शुरू करने में, नरेगा के फण्ड्स आज की तारीख में आपके पास अवेलेबल हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट फण्ड के करीब 1,100 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं, आप उसको किस प्रकार से खर्च करेंगे? अध्यक्ष महोदय, जो को-आपरेटिव के आपके लोन हैं, क्या आप इनको लोंग टर्म में कन्वर्ट करने की बात सोचेंगे?

तो ये सारे मुद्दे आपके सामने मैंने संक्षेप में रखने की कोशिश की है, अध्यक्ष महोदय। क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत अनुभव भी है और फेस भी किया है। वह कार्यकाल ऐसा था कि जिसमें दो-तीन साल अकाल पड़ा था। मैंने 1969 का अकाल भी देखा है, अध्यक्ष महोदय, 1969 का अकाल मैंने देखा है, जब स्वर्गीय सुखाड़ियाजी मुख्य मंत्री थे। तो हम लोगों ने बाड़मेर में तीन मंत्री ड्यूटी पर लगाये थे और तहसील बांट दी थीं। मुझे सिरोही जिले का दिया था। उस समय बड़ा मंत्रिमण्डल था, सारे मंत्रियों को उन्होंने जिला, तहसील स्तर पर, जहां जैसी विभीषिका थी, उस हिसाब से लगाया था।

मेरा आपसे निवेदन है, क्या कंटिंजेंसी प्लान आप अभी से सोच रहे हैं? आपकी सरकार है, सोचा जरूर होगा। तो कुछ लोगों की बात और सुन लें और उसके बाद आपका वक्तव्य आ जाए। आपने सारी सूचना मंगा ली है। जो

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मेरी चिंता के मुद्दे थे, जो पाइंट्स थे, उनको मैंने आपके समक्ष संक्षेप में रख दिये हैं, समय को ध्यान में रखते हुए। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे यही बात निवेदन करनी है।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख।

(अनुपस्थित)

श्री बाबू सिंह। बोलिये। अब डिबेट चालू हुई है तो फिर दोनों तरफ से बोलेंगे। बाबू सिंह जी, बोलिये। संक्षेप में।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल पर चर्चा हो रही है...

श्री अध्यक्ष: सूखे पर है, अकाल पर नहीं।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): सूखे पर चर्चा हो रही है, उसमें मैं अपने आपको शामिल कर रहा हूं। हमारा पश्चिमी राजस्थान मरुस्थलीय इलाका है, जिस इलाके में पांच में से चार साल अकाल पड़ता है और एक साल में भी आधा-अधूरा जमाना आता है। इस बार भी जो समय पर बारिश होनी चाहिए थी, वह बारिश हुई नहीं है। अब बारिश आई है, एक-दो बारिश अभी हुई है, जिसमें आधे गांवों में हुई है, आधे गांवों में बारिश नहीं हुई है, जिससे अकाल की स्थिति हमारे सामने हैं।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पहले से ही सारी व्यवस्थाएं, जिस प्रकार से हमेशा अकाल के समय करते आये हैं, वे इस बार भी करें। विशेष तौर से कंटिंजेंसी प्लान बनाकर, हमारे वहां पर मैटेरियल कम्पोनेंट, लेबर, नरेगा में डोवटेल करके, सारे काम बहुत अच्छी तरीके से कराये जाएं। इसकी व्यवस्था पहले से ही करें। यही निवेदन कर मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: खेतड़ी के माननीय विधायक, सैनीजी।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सूखे की चर्चा में बोलने के अनुमति दी, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में इस प्रदेश में पहले भी हमारे साथ ऐसा होता रहा है कि जिलों को यूनिट मानकर सर्वे कर लिया जाता है। उससे कांस्टिट्यूएंसी बच जाती हैं, पंचायतें बच जाती हैं, रेवेन्यू विलेज बच जाते हैं। बारिश जब होती है तो एक खेत की मेड़ को छोड़कर,

(श्री पूरणमल सैनी)

दूसरे खेत को सूखा छोड़ते हुए निकल जाती है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा समय खराब नहीं करते हुए, यह निवेदन करना चाहूंगा कि सर्वे में यूनिट राजस्व गांवों को बनाया जाना चाहिए। जब भी सूखे का सर्वे किया जाता है तो यूनिट के लिए रेवेन्यू विलेज को यूनिट हैड रखा जाना चाहिए।

दूसरा, अभी माननीय मंत्री महोदय सदन में बता रहे थे कि काफी जिलों में बुवाई, जोत का कार्य हो चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जुताई हो जाना मात्र सूखे से निपटना नहीं है, क्योंकि सूखे से निपटने के लिए चारे की आवश्यकता होगी, सूखे से निपटने के लिए सर्वप्रथम पानी की जरूरत है। विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी की अगर मैं बात करूं, तो सूखा तो कब तक घोषित होगा, अकाल कब तक घोषित होगा, यह तो बाद की बात है लेकिन आज की तारीख में ही, पिछले 8 महीने से जब क्षेत्र में जाता हूं तो मुझे तो बार-बार सुनने को भी मिलता है कि पहले 5 दिन से पानी मिल जाया करता था और आपके विधायक बनने के बाद 8-8, 9-9 दिन से नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल की सप्लाई की जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सूखे से निपटने में एक महत्वपूर्ण बिन्दु, पेयजल की व्यवस्था, जो टैंकरों की की गई थी, वह भी थोड़ी-सी छांटों के गिरते ही टैंकरों को बन्द फरमा दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़े-बहुत छांटे गिर जाने से न तो किसी बांध में पानी आया है, न किसी एनिकट में पानी आया है और हमारा तो वैसे ही पहाड़ी एरिया है, थोड़ी बहुत बूंदें जब गिरेंगी तो पानी बहकर निकल जाता है। किसी बांध में पानी नहीं आया है तो रिचार्ज की भी स्थिति नहीं बन पाई है। पूरे हैण्डपम्प सूख चुके हैं।

इसलिए मैं आपके माध्यम से, सदन का समय खराब नहीं करते हुए, निवेदन करना चाहूंगा कि सर्वप्रथम सूखे की सर्वे यूनिट रेवेन्यू विलेज हैड को रखते हुए सर्वप्रथम पेयजल की व्यवस्था करवाई जाए। उसके बाद सरकार जो भी तय करेगी।

आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद, आभार। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री मानसिंह। (व्यवधान) एक मिनट नहीं, दोनों तरफ से बोलेंगे। इधर 4-5 बोलेंगे, फिर इधर दो बोलेंगे। दो बोल लिये, अब चार आदमी इधर से बोलेंगे।

(श्री अध्यक्ष)

श्री मानसिंह।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा बताया गया है, सर्वे राजस्व विलेज के हिसाब से हो जाए।

एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जालौर जिले में पिछली सरकार के समय गिरदावरी में जो बदमाशियां हुई, उसके कारण से जिस प्रकार से चारे की जो कमी आई है, वह आपके इस बार के प्लान में कम से कम ले लिया जाये।

सर्वे का काम बीमा कम्पनियों को दिया जा रहा है। वह मौसम आधारित न देकर, क्रोप कटिंग के हिसाब से, जैसा 2003 में हमने दिया था। पिछली सरकार में मौसम आधारित कर देने से बीमा कम्पनियों ने करोड़ों रुपयों का फायदा लिया और किसान मरा है।

सबसे बड़ी बात, जालौर में, आपने मंत्री महोदय खुद ने स्वीकारा है, वहां पर जिन-जिन गौशालाओं में चारे की कमी है, अभी चारा नहीं है। खाली छुटमुट बारिश होने से चारा नहीं होगा। तो मवेशियों के चारे की व्यवस्था कैसे भी करके, अपन अभी कंटिंजेंसी प्रोग्राम में लें।

पीने के पानी का जो विषय है, जब तक कुओं में पानी नहीं आयेगा, तालाब में पानी नहीं आयेगा, नदियां नहीं चलेंगी, तब तक पानी की व्यवस्था गांवों में नहीं होगी। इसलिए हमारे प्रोग्राम को उसी हिसाब से चलाते रहें।

अध्यक्ष महोदय, इस मामले में हमको चिंता करके, सबसे पहले चारे की व्यवस्था और यह जो मौसम आधारित बीमा है, उसको चेंज करके क्रोप कटिंग के हिसाब से हम करें, तो आगे सारा ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष: श्री चौधरीजी।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़े कवि थे रैदासजी...(व्यवधान) एक मिनट सुन लें। रैदासजी बहुत महान संत हुए हैं। एक दिन रैदासजी के घर में पूजा के लिए गंगा जल नहीं था, उन्होंने अपने बच्चे रजब को भेजा। मंत्रीजी, चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छी बात कह रहा हूं। जाओ, गांव में से जाकर गंगा जल मंदिर में से, कहीं से ले आओ, ताकि मैं पूजा कर लूं। उसके बेटे का नाम रजब था। रजब जब गांव में गया तो देखा कि किसी की शादी हो रही है, दूल्हा घोड़े पर सजा हुआ बैठा है और

(श्री शुभकरण चौधरी)

लोग ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं। तो उसका मन रुका नहीं, वह भी जाकर नाचने लगा। जाकर किसी ने कहा, महाराज, आपका बेटा रजब तो गांव में नाच रहा है, आप तो उससे गंगा जल मंगवा रहे थे। रैदासजी आये और कहने लगे, ''रजब तें ही गजब करयो, सर पर बांध्यो मोर, आयो हो हरि भजन को, करी नरक की ठोर।''

अध्यक्षजी, आये तो थे यहां राजस्थान का भला करने और यहां नाच-गाने करने लग गये, ढोल-तमाशे बजा रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। इनसे निवेदन करना चाहता हूं, किसानों की चिंता करना चाहते हो तो तरीके से करो। भगवान ने खूब बरसात बरसाई है। आज आनंद का समय था, वह लेते, ताकि सबका भला होता।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री जीतमल खांट।

श्री जीतमल खांट (गढ़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे तो पूरे बांसवाड़ा जिले में अब तक 400 एम एम बारिश हो चुकी है। हमारे इन्द्र देवता से हम प्रार्थना करते हैं कि मेवाड़ और वागड़ में, भगवान करे, इन्द्र देवता बहुत ज्यादा बरसें। हमारी जो भी समस्या होगी, माननीय मंत्रीजी को हम लिखकर प्रस्तुत कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): कम ही बोलेंगे, चिंता मत करो। (व्यवधान) अपनी बात सूखे की चल रही है कि पूरे राजस्थान में सूखा है या नहीं है, लेकिन अलवर जिले में जरूर सूखा है।

एक कहावत है कि ''बिन पानी सब सून'' और बिना महिला मंत्री विधान सभा में सब सून। (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी की बात नहीं हो रही है। आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, महिला मंत्री बनाने की बात आई तो कितनी जल्दी बोले। आप मंत्री बन रहे हों इतने सारे, तो अगली बार जब विस्तार हो तो यह भी सूखा हमें महसूस हो रहा है, कि एक हमारी महिला भी कोई मंत्री होनी चाहिए..(व्यवधान) आपको कितना दु:ख हो रहा है। क्यों दु:ख हो रहा है? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। वह अलग बात है, मंत्री भी बनेंगी। फिर आप रह जाओगे तो क्या होगा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप इधर सम्बोधित कीजिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, इतना ही मैं कहना चाहूंगी कि कोई भी आपदा हो, किसान ही प्रभावित होता है, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, सूखा पड़े, ओले पड़े। तो किसानों का, ग्रामीणों का भला करने के लिए चारदीवार हैं, ग्राम सेवक, पटवारी, बी डी ओ और एस डी एम। इन चीजों को सुधार कर, इनको निर्देशित करें कि किसी भी तरीके का कोई सर्वे हो, उसमें ओले की तरह से दुर्व्यवहार नहीं हो कि कुछ गांवों में हो गया और कुछ गांवों में नहीं रहा। किसान रोता ही रह गया।

सूखे के कारण चारे का अभाव है। तो क्या आप, जैसे चारा डिपो खोलने की कोई व्यवस्था करेंगे, पशु चिकित्सा शिविर लगाने की कोई व्यवस्था करेंगे?

जिन गांवों में, जिन पंचायतों में डार्क जोन है, वहां पर पीने के पानी के लिए सिंगल फेज बोरिंग पर यह प्रतिबंध हटायें जिससे कि गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था सुचारु रूप से हो सके। उसमें जो प्रशासनिक स्वीकृति ली जाती है, उस अनुमति को हटायें, जिससे मिल सके।

क्या आप किसानों के थ्री फेज बिजली के बिल माफ करेंगे, या फसली ऋणों में छूट देंगे? गरीब और छोटे किसानों को चारे की व्यवस्था करायेंगे?

धन्यवाद। राम राम सा।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र सिंहजी भादू। बोलिये। बोलिये।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, हमारे खूब बारिश हो गई। हमारे जिले में सारी बिजाई हो गई। बहुत-बहुत धन्यवाद। ईश्वर का भला हो।

श्री अध्यक्ष: श्री पब्बारामजी।

श्री पब्बाराम (फलौदी): अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, फलौदी, वह पोकरण और जैसलमेर से लगता हुआ क्षेत्र है, साथ ही बीकानेर से। वहां पर बरसात की स्थिति कुछ कम है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुल 43 पंचायतें हैं, जिनमें से 7-8 में पर्याप्त वर्षा हुई है, परन्तु बाकी जितनी भी पंचायतें हैं वहां पर तालाबों में पानी नहीं आया है। थोड़ी-थोड़ी ऊपर से बरसात हुई है जिससे तालाबों में पानी नहीं आया है। पीने के पानी की बड़ी समस्या है। तो इस हेतु एक तो बिजली की पूर्ण आपूर्ति रहे, तो वहां के ट्यूबवेल और वहां पर जो भी जलदाय व्यवस्था है, वह सही रहे।

इसी प्रकार से, फसली ऋण में जो बीमा पालिसी है, मैंने मंत्री महोदय

(श्री पब्बाराम)

से भी कहा है, वह 31 जुलाई तक रखी गई है। अब जब फसली ऋण दिया जा रहा है, उसमें बीमा नहीं किया जा रहा है। तो यह ठीक नहीं है। इसको भी जब तक फसली ऋण दिया जाये, तब तक इसको जारी रखा जाना चाहिए। मेरा आग्रह है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। श्री हमीरसिंह भायल। नहीं, आपको भी मौका दूंगा। पहले इधर से ले लूं, फिर आपको।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर में चौहटन से लगाकर बोर्डर साइड में बारिश नहीं हुई है और सिवाना में भी कई गांव रह गये हैं। वहां पीने के पानी के टैंकर चालू रहें, गौशालाओं में अनुदान शीघ्र पहुंचे, गायों के लिए चारे की व्यवस्था हो। भगवान करे, बारिश आई हुई है, आगे और ज्यादा हो और जब तक बारिश नहीं हो, तब तक पीने के पानी के टैंकर चालू रहें। यही निवेदन और प्रार्थना है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, मैं तो एक लाइन ही बोलूंगा। आप सुनने को तैयार हों, तो मैं तो एक ही लाइन बोलूंगा। माननीय अध्यक्षजी, मेरे यहां लूणी का बेसिन आया हुआ है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, इनका नाम तो वैसे ही सूखारामजी है, वैसे ही सूखा है। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): अध्यक्षजी, मेरे लूणी बेसिन आया हुआ है, उसमें सरकारी जमीन आई हुई है। जून में बरसात होने के बाद में गायों की चराई वहां होती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है, वे गायें लूणी बेसिन में घास चरती हैं। अब लेट बारिश हुई है। चारा नहीं होने से गौशाला में चारा नहीं है। माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि अप्रैल, मई और जून में जो पिछली सरकार ने दिया, उस अनुदान की व्यवस्था करायें। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री नवनीत लाल निनामा।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल और बारिश, यह अकाल पड़ता क्यों है? मान्यवर, मेरा आग्रह है कि हमारे देश में सन् 1959 से वन विभाग द्वारा पेड़ लगाना शुरू किया गया। अभी जब जंगल बरबाद हो गये, इसलिए बारिश की कमी के कारण से अकाल का पड़ना है।

(श्री नवनीत लाल)

इसलिए मेरा ऐसा आग्रह है कि अभी वन विभाग के द्वारा जो पेड़ लगाये जा रहे हैं, वे पालेदार बड़े पत्तों के पेड़ लगाये जायें ताकि उससे हवा रुके और बारिश हो। यह हमारे देश में जब पेड़ लगाने का काम शुरू हुआ था तो पालेदार, बड़े पत्ते के पेड़ नहीं लगाकर बबूल बोये। यह बबूल बोने से, हमारे देश में बारिश की कमी का कारण हुआ है। हमारे देश के माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी प्रधान मंत्री थे, उस समय आदेश हुआ है कि देश के अन्दर जो बबूल लगाया गया है, उसको वापस निकाल दो। तो इन बबूलों को निकाल दिया जाये और पालेदार पेड़ लगाये जायें देश में ताकि अकाल का मुकाबला बना रहे।

श्री अध्यक्ष: श्री रामपाल।

(अनुपस्थित)

श्री डोटासराजी। बस, अब इधर से नहीं लूंगा मैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल राठौड़ साहब की दिल की धड़कन को देखते हुए, दो-तीन मिनट में ही अपनी बात समाप्त करता हूं।

तीन-चार चीज़ें पूछना चाहूंगा। 40 परसेंट से ज्यादा बुआई नहीं हुई है, किसान परेशान है, पशुधन को लेकर परेशान है। इसलिए चार-पांच चीज़ें मैं सरकार से, अध्यक्ष महोदय के माध्यम से, मांग करता हूं कि इनको ठीक किया जाए जिससे किसान सूखे से निपट सके।

किसानों को इस बजट में 4 परसेंट ब्याज के ऊपर ऋण देने की बात की है, उस 4 परसेंट इंटरेस्ट को बिलकुल समाप्त किया जाए।

दूसरा, फसल बीमा कम्पनियों ने फसल बीमा की प्रीमियम की राशि तो ले ली, लेकिन किसान को भुगतान नहीं कर रहे हैं, उसका शीघ्र भुगतान किया जाए।

तीसरा, जो जयपुर की रिंग रोड बन रही है उसमें केवल 20 परसेंट लोगों से ही कब्जा लिया गया है। शेष को नया जो यू.पी.ए. सरकार का एक्ट है, उसके तहत उनको मुआवजा दिया जाए।

गौ-शालाओं को अनुदान शीघ्र से शीघ्र दिया जाए।

चौथी बात, जो किसान ने चना और मूंगफली बेची थी क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से, उसको पैसा शीघ्र दिया जाए। चाहे राज्य

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सरकार अपनी मद से दे, चाहे और कोई व्यवस्था करे, लेकिन किसान को दो महीने से पैसा नहीं मिल रहा है। वह परेशान है। नये किसानों को जी.एस.एस के माध्यम से ऋण नहीं दे रहे हैं। सरकार द्वारा उनको ऋण दिलाया जाए।

एक हमारे सीकर जिले में किसानों को डिमांड नोट जारी हो गये, लेकिन कुओं के कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। यह कह रहे हैं कि सर्वे सूची में नाम नहीं है। जबकि न तो बिजली विभाग की तरफ से ऐसे कोई निर्देश सर्वे सूची के हैं, न कोई और जिला कलक्टरों को निर्देश हैं। केवल मात्र मनमर्जी से सर्वे सूची बनाकर उनको नहीं दिया जा रहा है। उनके डिमाण्ड नोटिस जमा कराये जाएं, सर्वे सूची का कोई आधार नहीं रखा जाए।

चौथा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने बजट में जो डार्क जोन में पूंजीगत लागत लेकर और विद्युत नियामक आयोग के आधार पर जो पैसा लेने की बात की है, वह नहीं ली जाए। जिस प्रकार से पहले हमारी सरकार किसानों को बिजली का कनेक्शन देती थी, उसी प्रकार से कनेक्शन दिए जाए। डार्क जोन के आधार पर बजट में जो प्रावधान है, उसको बिलकुल समाप्त किया जाए।

यह चार-पांच चीज़ें अगर आप करेंगे तो मैं समझता हूं कि किसान को इस सूखे से निपटने में राहत महसूस होगी।

आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। नहीं, बिलकुल नहीं। चार आदमी इधर से बुला चुका हूं। यह नहीं होगा अब। प्रतिपक्ष के नेता, चार आदमी बोल चुके हैं इधर से। नहीं, अब नहीं।

माननीय मंत्रीजी।

श्री रमेश (सपोटरा): मैं एक ही बात कहूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। माननीय प्रतिपक्ष के नेता। अंकित नहीं हो। किसी का अंकित नहीं हो। नहीं दूंगा टाइम। आपके चार बोल चुके हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): ×××

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप सभी माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कर रहा हूं, अगर कोई स्थिति ऐसी बनी, आपको लगेगा कि 15 अगस्त तक भी हमारी बुआई ठीक तरह से जितनी होनी थी, नहीं हुई, तो निश्चित रूप से इस आपदा राहत प्रबंधन विभाग की तरफ से मैं आपको पूर्णत: आश्वस्त कर रहा हूं कि जो भी काम हमें चलाने हैं, जो भी छूट देनी है, वह हम निश्चित रूप से देंगे। किसी को कोई संदेह करने का कारण नहीं हो सकता है।

राजस्थान का कुछ भाग्य ही ऐसा है कि देश की आजादी से लेकर अब तक केवल छह वर्ष ऐसे निकले हैं जब इस राजस्थान के किसी न किसी जिले में अकाल राहत काम नहीं चले। यह राजस्थान के साथ जुड़ा हुआ है। यहां पिछले वर्षों में आपकी अच्छी वर्षा हो गई, तो भी किसी न किसी जिले में, किसी न किसी एरिया में हमको अकाल राहत कार्य खोलने पड़े। आप चाहें तो मैं सारे आंकड़े आपके सामने रख सकता हूं। जो वर्षा की स्थिति है इस समय, वह मैं आपके सामने रख देता हूं। आज जिले के अनुसार चाहें, तो मेरे पास सारे आंकड़े हैं, अब तक, 31 तारीख तक के, कल तक के, और अगर आप चाहें तो सम्भाग के अनुसार भी हैं। पिछले सप्ताह तक तो वर्षा की जो कमी थी राजस्थान में, वह 72 प्रतिशत थी, लेकिन पिछला सप्ताह अच्छा निकला। इसलिए आज राजस्थान में एवरेज वर्षा, मतलब जो एक अगस्त तक होती है, उसमें 24 प्रतिशत की कमी है, पूरे राजस्थान में। कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें इससे कम है, किसी में इससे भी ज्यादा है।

तो सामान्यत: इस तरह से वर्षा जो है, पिछले पांच वर्षों में वर्षा एवरेज से भी ज्यादा हुई। चाहे अपन 2010 ले लें, 2011 ले लें, 2012 ले लें और 2013 ले लें, एवरेज से भी अधिक वर्षा हुई। उसके बाद भी कई जिले अकाल में आए और अकाल के काम चालू करने पड़े और वह सारी जो सुविधाएं अकाल में आपदा राहत प्रबंधन से जो दी जा सकती हैं, वे सब दी हैं। कारण यह है कि अकाल राहत और आपदा प्रबंधन का लाभ किसान को तभी मिलता है, जब खराबा व्यक्तिगत भी 50 परसेंट हो, या अपने क्षेत्र का भी 50 परसेंट हो। अगर 50 परसेंट से नीचा है तो आपदा राहत प्रबंध का कोई पैसा न किसान को मिल सकता है और न उस क्षेत्र को मिल सकता है। यह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। यह विषय मानवीय दृष्टिकोण से है, बहस का विषय नहीं है।

मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि कोई कमी नहीं रखेंगे। हम

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

लोगों ने जिस प्रकार की तैयारी की है, आप चाहें तो मैं आपके सामने उन सब बातों की डिटेल भी रख सकता हूं।

अभी आपके यह जो वर्षा के, हमारे जिस प्रकार से तालाबों की स्थिति है, उसके बारे में भी कहना चाहूंगा। तालाबों में पानी की आवक निश्चित रूप से अभी तक जो है, वह हमारी कम है। केवल कुछ ही तालाबों में पानी आया है। मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप पूरा विस्तार से बताइए क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): राजस्थान में 724 बांध हैं, उनमें से 425 बांध आज की तारीख में रिक्त हैं, 282 बांध हैं जिनमें आंशिक भराव हुआ है। 17 बांध केवल ऐसे हैं जो ओवर-फ्लो हुए हैं। टोटल जितनी भराव क्षमता है, अब तक इस बारिश से 45 प्रतिशत भाग में पानी की आवक हुई है। (व्यवधान) आपको पहले एक बार इस आंकड़े से संतुष्ट कर दूं ताकि आपके दिमाग में जो वर्षा कम हुई, वर्षा कम हुई, इसकी जो ग़लतफ़हमी है यह किसी तरह से निकल जाए।

मैं आपको वस्तुस्थिति 31 तारीख तक के जो आंकड़े हैं, अगर आप सम्भाग के अनुसार सुनना चाहे, तो बीकानेर डिविजन में जो हमारा एवरेज है 132, उसकी जगह 139 मिलीमीटर अर्थात 5.06 इस डिविजन में अधिक वर्षा हुई है। जोधपुर डिविजन में हमारी जो एवरेज वर्षा है, इन सभी जिलों का अगर टोटल जोधपुर मिला दूं, तो (-)38 परसेंट है, जो एवरेज वर्षा से कम है। अगर आप अजमेर डिविजन ले तो (-)25। जैसा मैंने पूरे स्टेट का कहा, जो एवरेज अब तक का आना चाहिए था, उसमें 24 प्रतिशत की कमी है। उसके बाद भरतपुर में (-)31 है, उसके बाद जयपुर में (-)29 है और उसके बाद कोटा डिविजन में (-)26 है और उदयपुर डिविजन में (-)34 है। यह वर्षा का प्रत्येक जिले का भी चाहें तो मेरे पास पूरे हैं। हर जिले के हिसाब से भी आप चाहेंगे तो मैं आपको यह सारी उपलब्ध करा दूंगा।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): बाड़मेर जिले का बता दो आप।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): बाड़मेर में 118 का अपना एवरेज है, उसकी जगह 82 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो आपके (-)30 प्रतिशत है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): ...(व्यवधान) रामसर तहसील, चौहटन और आधे बाड़मेर में तो एक बूंद नहीं पड़ी है, न गत साल और न इस साल।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): देखिए, गांव का तो मेरे पास, अगर आप चाहें तो वह आंकड़ा भी मेरे पास है। मेरे पास अपने गेज नापने के जितने यंत्र राजस्थान में लगे हुए हैं, जहां-जहां भी, पांच सौ से अधिक, मेरे पास उन पांच सौ से अधिक, जहां गेज लगा हुआ है, उसका रिकार्ड भी मेरे पास है। आप चाहें तो वह भी मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूं।

श्री अध्यक्ष: कृपया बाधा मत डालिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): बुआई की स्थिति है, जो हमारे राजस्थान की टोटल औसत बुआई होती है खरीफ की बुआई में, उसका लक्ष्य 157 लाख हैक्टेयर है, उसके अगेंस्ट में अभी हमारे हुआ 97 लाख हैक्टेयर, अर्थात् जितनी बुआई हमारे होती है, उसका केवल 62 प्रतिशत अभी तक बुआई हो पाई है। कोई चीज इसमें न मैंने छुपाई है, यह 62 परसेंट हुई है। यह जो पिछले साले थी, सामान्यत: हमारी वर्षा एक महीना आगे-पीछे हो गई, पिछली बार भी इसी तरह से थे 15 जुलाई के बाद ही बारिश शुरू हुई, और उसके कारण से डिले है। वर्षा पिछली बार जो हमारी बुआई थी 30 जुलाई तक, पिछले साल, 2013 में, वह 1 लाख हैक्टेयर की बुआई थी और इस बार हुई 97; मात्र तीन लाख हैक्टेयर में कम बुआई हुई, पिछले साल की तुलना में।

ऐसा कोई बहुत बड़ा भूकम्प नहीं आया। सामान्यत: जो बरसात डिले चल रही है, राजस्थान में पिछले कई वर्षों से वर्षा का जो क्रम है, वो थोड़ा-सा आगे खिसका है, उसके कारण से, और हमें इसकी उम्मीद है कि..। इस बुआई में केवल इतना ही कम है। अगर आप चाहो तो किस एरिया में कितनी बुआई कम हुई, किस-किस फसल की हुई, उसका भी सारा मेरे पास आंकड़ा है।

यह जो चारे के बारे में एक विशेष अपने को लगता है कि वास्तव में, अगर 15 अगस्त तक हमारी बुआई का काम पूरा नहीं हुआ, तो हम निश्चित रूप से चारे की व्यवस्था के लिए, जो भी जमीन रह जाएगी, उसमें चारा बो कर के कम से कम पशुधन को बचाने के लिए, जो भी हमको बीज उपलब्ध कराना है वह निश्चित रूप से करायेंगे। 15 अगस्त हमारी लास्ट, एक तरह से, डेट है, उस तारीख तक अगर बुआई में कोई कमी-खामी रही और यह संदेह हुआ कि चारे का अभाव होगा, तो हम उस चारे की पूर्ति को पहली प्रायोरिटी पर करेंगे। चारे के लिए हमने कई और भी इंतजाम किये है जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

एक आप यह सोच लीजिये कि जो भी क्षेत्र अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं, उन सब की मैंने 15 अगस्त तक के लिए, अकाल के लिए उनकी डेट अपने आप बढ़ा दी। उनकी वो सारी सुविधाएं जो अकाल के समय उनको मिलती हों, 15 अगस्त तक उन्हें मिलती रहेंगी। 15 अगस्त पर वर्षा की स्थिति देखने के बाद ही, फिर उसके बारे में आगे के बारे में विचार करेंगे कि इसमें क्या हम कर सकते हैं।

पिछली बार का जो अकाल का अपना जो राजस्थान में, मैंने कहा न, पिछली बार वर्षा हमारे राजस्थान में एवरेज से 31 प्रतिशत अधिक थी, लेकिन उसके बाद भी राजस्थान के कई जिलों में अकाल की स्थिति थी। 28.1.14 को राज्य के 17 जिलों में खरीफ की फसल में 10,225 गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये थे और रबी की फसल में ओलावृष्टि और इसके कारण से 22 जिलों में 2,876 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया था।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आंकड़े छोड़ो, आप तो उपाय बताओ। मंत्रीजी, आप तो आंकड़े छोड़ो और उपाय बता दो कि आप क्या करोगे। आंकड़ों में आपका भी टाइम खराब हो रहा है। वैसे भी जो एवरेज अपने यहां वर्षा का है, उस एवरेज से पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं होती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: टाइम खराब नहीं होता है। आप बैठिये। अंकित नहीं हो। टाइम खराब नहीं हो रहा है अभी। महत्वपूर्ण विषय पर वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): ×××

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं आपको, जिस प्रकार की भी समस्या के बारे में आपको लगता है कि अकाल राहत और यह आपदा प्रबन्धन विभाग जो-जो व्यवस्था कर सकते हैं, उन सबके बारे में, क्योंकि आपको भी लग रहा है कि अब आप घबरा गये हैं। तो मैं सोचता हूं कि ...(व्यवधान) इसके बारे में हमने सारी व्यवस्था, जो कुछ भी हम कर सकते थे, यह समझकर के हमने किया है।

12 जून को ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, उस समिति की बैठक हो गई। विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं, अपने-अपने विभाग का प्लान बनाकर तैयार करें। कृषि विभाग में क्रोप कंटिंजेंसी प्लान बनाकर सभी जिलों में भिजवा दिया गया है। मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं ने 8 जुलाई को आपदा प्रबन्धन की पूरी बैठक ली, जिसमें सारे अधिकारी और सब मौजूद थे। इसमें मौसम विभाग का प्रस्तुतीकरण किया

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

गया। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिणी-पश्चिमी मानसून के कारण इस वर्ष कम वर्षा होने की सम्भावना है। माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने इस बैठक में सभी सम्बन्धित मंत्रीगण को एवं सभी विभागों के उच्च अधिकारियों को आगामी अकाल अगर पड़ता है, तो उसे पूरे तरीके से निपटने के लिए पूर्व तैयारी करने के निर्देश जारी किये।

उसके बाद भारत सरकार को 28 नवम्बर को, मैं आपकी आलोचना इसलिए नहीं करता, मेरी आदत में नहीं है कि मैं आपको बुरा बताकर के अपने आपको अच्छा बताऊं, लेकिन कई बार जब आप बहुत ज्यादा परेशान करते हैं न, मन में आता है कि अब चुटकी भरना इनके लिए जरूरी हो गया है, तब पढ़ता हूं। सरकार ने 28 नवम्बर, 2013 को आपदा प्रबंधन में दी जाने वाली सहायता के जो नोर्म्स थे, यह किसकी सरकार थी? पिछली सरकार यू पी ए, उन्होंने अब तक जो नोर्म्स थे, उन नोर्म्स में जो बदलाव किया, उसके कारण से अब गौशाला और पशु शिविरों के संचालन की अवधि केवल मात्र नब्बे दिन तक ही सीमित कर दी है। पहले यह जब तक अकाल की स्थिति रहती थी, तब तक यह प्रबंधन, इस पैसे से हम पशु की व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन अब जो 28 नवम्बर, 2013 का आपदा प्रबंधन का निर्णय किया पिछली यू पी ए सरकार ने, उसके कारण से हमको बांध दिया है, इस फंड को केवल हम नब्बे दिन तक ही काम में ले सकते हैं। इसी तरह, पेयजल के लिए टैंकर के पानी के लिए भी जो आपूर्ति हम कर सकते हैं, इसी के कारण नब्बे दिन तक ही कर सकते हैं। इस बात के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने गृह मंत्री, भारत सरकार को जून माह में पत्र लिख कर निवेदन किया कि इस अवधि को नब्बे दिन से बढ़ा कर अकाल अवधि तक किया जाए और यह अधिकार पुन: राज्य सरकार को दिया जाए कि राज्य सरकार इसके बारे में निर्णय करे।

अकाल में रोजगार की समस्या उत्पन्न होती है। वर्तमान में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को सौ दिन का रोजगार देने का हमको अधिकार है। हालांकि भारत सरकार ने इसको डेढ़ सौ दिन तक किया, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने चिट्ठी लिख कर कहा कि इस अकाल के समय इस अवधि को डेढ़ सौ दिन से बढ़ा कर के दो सौ दिन किया जाए ताकि हम लोगों को काम दे सकें।

अगर 15 अगस्त तक पर्याप्त बरसात नहीं होती है तो हम जल्दी ही गिरदावरी करायेंगे। अब तक गिरदावरी होती है आपकी सितम्बर के महीने में,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

अगर 15 अगस्त तक बरसात नहीं हुई तो अगस्त लास्ट में ही गिरदावरी करके और उसमें जहां-जहां भी अभाव आएगा, उसको हम तुरन्त करेंगे। वैसे हमेशा खरीफ की फसल की गिरदावरी के समय सजग रहें, ताकि जो जिस प्रकार से जालौर से और कुछ समस्या हमारे सामने आई; आप माननीय सदस्यों को मेरी तरफ से विशेष आग्रह है कि अगर कोई ऐसा दुर्भाग्यशाली रहता है कि 15 अगस्त तक भी राजस्थान की बुआई और उसका जो कुछ होना चाहिए, उतना नहीं हुआ, तो हम 31 अगस्त से गिरदावरी शुरू करेंगे, उस समय आप लोग मौजूद रह करके हमारी उसमें मदद करें। इतना आपसे निवेदन है।

हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जो चिट्ठी लिखी, क्योंकि आपदा प्रबंधन में पचास प्रतिशत से अधिक खराबे के बाद ही किसान को व्यक्तिगत लाभ होता है। उन्होंने पत्र लिखा है कि जितना उसका खराबा है, उस अनुपात में उसके खराबे की उस किसान को भरपाई की जाए। अगर उसके तीस प्रतिशत खराबा है तो तीस को भी किया जाए और चालीस है तो चालीस को भी किया जाए, ताकि किसान को वास्तव में हम जिस मात्रा में उसको मदद पहुंचाना चाहते हैं...। यह पत्र भी उन्होंने लिखा है।

अब यह जो पूर्व में 2009 में, अब आपने यहां से यहां अकाल के कारण से भारत सरकार को 14,927 करोड़ रुपये की राशि मांग का मेमोरेण्डम भिजवाया। यू पी ए सरकार आपकी थी और यहां भी सरकार आपकी थी, लेकिन सहायता के रूप में केवल 115 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। 14 हजार करोड़ रुपये का मेमोरेण्डम भेजा और हमें...। उससे भी आगे, 2012 के वर्ष में आपने मेमोरेण्डम भेजा है, 2,183.61 करोड़ का मेमोरेण्डम भिजवाया था और उस सरकार से एक नया पैसा भी प्राप्त नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत रहें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं आप सभी को बताना चाहता हूं चारे के बारे में, जिसके बारे में सबसे ज्यादा आपको और मुझको, सबको चिन्ता है। बाकी व्यवस्थाएं तो फिर भी हो सकती हैं लेकिन पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था किस प्रकार से हो? तो चारे की समस्या से निपटने के लिए, अगर पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में पड़ोसी राज्यों से भी चारा मंगाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए विभाग की ओर से पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के अधिकारियों को पत्र लिख दिया गया है। ये काम भी हमने पहले से ही कर दिया। चारे को ढोने के लिए हमने रेलवे को भी एडवांस में सूचना दे दी। अगर

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हमें आवश्यकता पड़ेगी तो नि:शुल्क रेल परिवहन के लिए रेलवे वैगन उपलब्ध कराने के लिए रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को विभाग द्वारा लिखा जा चुका है, ताकि उसकी तैयारी हो।

आगामी सूखे की सम्भावना को देखते हुए, एक सूखा संकट प्रबंधन योजना भी तैयार की है। इसके तहत, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई हुई है जो अगर ऐसी स्थिति आएगी तो उसकी लगातार मानिटरिंग करेगी।

मैं सदन में विश्वास दिलाता हूं कि यदि अकाल पड़ता है तो राज्य सरकार की ओर से, चाहे पशुओं के लिए चारे-पानी की व्यवस्था हो, या मनुष्यों के लिए रोजगार की व्यवस्था हो या पीने के पानी की व्यवस्था हो, हमारी सरकार किसानों के हित के लिए पीछे नहीं हटेगी और अधिक से अधिक संवेदनशीलता के साथ संकट की इस घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। यानी, सरकार का कमिटमेंट है।

केवल हम लोग जो बहस करते हैं, वह बहस के लिए बहस करते हैं। वास्तव में, राजस्थान का जो अकाल का संकट है, इसका स्थायी हल करने के लिए जो-जो काम किये जा सकते हैं, अगर आप और हम मिल करके प्रयास करें तो हमारे पास लाखों-करोड़ों रुपये आते हैं लेकिन हम कोई स्थायी व्यवस्था के लिए नहीं करते कि उनके लिए कोई टैंक बनायें, उनके पानी के लिए कोई फाल बनायें, या कोई बारिश के पानी को रोकने की व्यवस्था करें। उसके बारे में ज्यादा चिन्तित नहीं हैं। अकाल पड़े, अकाल पड़े, इसकी भगवान से प्रार्थना कुछ लोग करते हैं, ताकि अकाल पड़ना उनके लिए सुकाल बन जाता है। इसके कारण से, हम इतने पैसे खर्च के बाद भी इस काम को ठीक प्रकार से कर नहीं पाये।

मैं आपको फिर आश्वस्त करता हूं कि न चारे की कमी पड़ेगी, न रोजगार की कमी पड़ेगी। किसी को भी अकाल की अगर 50 परसेंट से अधिक खराबी आती है तो आपदा प्रबंध में मुझे अधिकार प्राप्त है। जो मेरे पास पैसा है, मैं किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखूंगा और आवश्यकता पड़ेगी तो मैं और मुख्य मंत्रीजी दिल्ली जाकर, विशेष आग्रह करके भी, राजस्थान के बारे में जो व्यवस्था की जा सकती है, उसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। रहा सवाल यह कि प्रभु हमारी मदद करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि लगातार मौसम का जिस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है, वर्षा लेट जरूर चल रही है लेकिन वर्षा की पूर्ति निश्चित रूप से होगी।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आप लोगों ने भी जो सुझाव दिये, मैं उन सुझावों पर बिलकुल अक्षरश: पालन करने का प्रयास करूंगा।

मैं आपके माध्यम से राजस्थान की सात करोड़ जनता को यह आश्वस्त करता हूं कि किसी भी प्रकार का संकट आएगा, उस संकट में जनता को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। जितना हमसे हो सकता है, वह हम पूरा करके जनता को सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेश सिंह रावत और श्री छोटूसिंह भाटी ने अपने वक्तव्य लिखित में रखे हैं। एडिट करके रिकार्ड में सम्मिलित किया जाएगा।

(माननीय सदस्य श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) व श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) द्वारा राज्य में सूखे के स्थिति के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया) (लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

आप सबको सुस्वाद भोजन के लिए, मुख्य मंत्रीजी ने भोजन का आयोजन किया है, उसमें पधारना है।

राष्ट्र गान। सब खड़े हो जाइये।

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता।
पंजाब, सिन्धु, गुजरात, मराठा,
द्राविड़ उत्कल बंगा
विन्ध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशीष मांगे
गाहे तव जय गाथा।
जन गण मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।

सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.42 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

प्राकृतिक आपदाओं में सहायता के मानदण्ड

290. श्री गोरधन (धोद) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में रबी की फसल (गेहूं, जौ, चना व सरसों) के समय माह फरवरी 2014 में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई थी? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को कोई सहायता प्रदान की गई है? यदि हां, तो उसके लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र धोद में फरवरी एवं मई माह में ओलावृष्टि से किसानों की फसल नष्ट हो गई थी? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को आर्थिक सहायता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) सरकार प्राकृतिक आपदा सहायता देने के लिए एक गांव या ग्राम पंचायत को इकाई मानती है या इस हेतु अन्य कोई मानदण्ड अपनाया जाता है? क्या सरकार इसमें एक व्यक्ति या किसान को आधार मानकर मुआवजे का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार द्वारा निर्धारित एस डी आर एफ मानदण्डों के अनुसार प्रभावित क्षेत्र के किसानों को सहायता प्रदान की गई है। मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र धोद में 50 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा नहीं होने के कारण आर्थिक सहायता नहीं दी गई है।

(3) भारत सरकार द्वारा निर्धारित एस डी आर एफ मानदण्डों के अनुसार काश्तकारों की बोई गई भूमि को आधार मानकर 50 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबे पर आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रभावित क्षेत्र/गांव के एक व्यक्ति/किसान को भी सहायता दी जा सकती है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

देवनारायण योजना में निजी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राओं को स्कूटी वितरण

291. श्री दर्शन सिंह (करौली) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2011-12 से छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जिलों में अनुरक्षण भत्ता कितने माह का वितरण किया गया? नियमानुसार 10 माह के भुगतान की स्थिति को देखते हुए सरकार वर्ष 2011-12 से 2014 तक बकाया अनुरक्षण भत्ते का भुगतान कब तक करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा विशेष पिछड़ा वर्ग का पिछले सत्रों के बकाया का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत सत्र में सरकार द्वारा विशेष आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) के उच्च शिक्षा में भरवाये गये छात्रवृत्ति आवेदन के अन्तर्गत प्रत्येक जिले को कितना बजट आबंटन किया गया एवं कितने-कितने आवेदन जिलेवार जमा हुये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार निर्धन सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को उत्तर-मैट्रिक/पोस्ट-मैट्रिक योजना के अन्तर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त कर अध्ययन हेतु पूर्व में प्रारम्भ की गई योजना को चलाने का विचार रखती है व पूर्व में उक्त योजनाओं में कितना बजट व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) वर्ष 2013-14 में कितने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्राप्त हुए तथा कितनी राशि का वितरण किया गया एवं कितने आवेदन लम्बित हैं? अनुसूचित जाति/जनजाति/विशेष पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग का वर्गवार/जिलेवार संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार का देवनारायण योजना में स्कूटी वितरण के लिए बजट में वृद्धि करने का विचार है? क्या यह सही है कि स्कूटी वितरण योजना का लाभ केवल सरकारी कालेजों में अध्ययनरत छात्राओं को मिल रहा है, निजी विश्वविद्यालय/कालेज में यह लाभ नहीं मिल रहा है? क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र में जहां सरकारी कालेज दूरस्थ हैं, के कारण निजी कालेज में अध्ययनरत छात्राओं को उक्त योजना का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत नियमानुसार 10 माह की ही छात्रवृत्ति राशि दिये जाने का प्रावधान है, लेकिन कई महाविद्यालयों में देरी से प्रवेश होने के कारण जिस माह में प्रवेश होता है, उस माह से माह मार्च तक की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जा रहा है।

(2) विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत पिछले सत्रों की बकाया छात्रवृत्ति का छात्र-छात्राओं द्वारा आक्षेप पूर्ति के उपरान्त नियमानुसार स्वीकृतियां जारी कर भुगतान कर दिया जायेगा।

(3) गत सत्र में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत जिलेवार आबंटित बजट एवं जमा आवेदन पत्रों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(4) वर्ष 2013-14 में आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना प्रारम्भ की गई। मंत्री परिषद् की आज्ञा संख्या 90/2014 के द्वारा आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में प्राप्त आवेदन पत्रों में भुगतान किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए वर्ष 2014-15 में सम्पूर्ण योजना की समीक्षा किये जाने का निर्णय लिया गया।

वर्ष 2013-14 में आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 8.49 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

(5) वर्ष 2013-14 में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों तथा वितरण की गई छात्रवृत्ति राशि एवं लम्बित आवेदन पत्रों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(6) जी हां। देवनारायण योजना में स्कूटी वितरण योजना के लिए वर्ष 2014-15 में 480.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है। देवनारायण योजना में स्कूटी वितरण योजना के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष सीनियर सेकण्डरी परीक्षा में 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाली एवं राजकीय महाविद्यालयों में नियमित अध्ययन हेतु प्रवेश लेने वाली छात्राओं की वरीयता सूची में प्रथम एक हजार छात्राओं को पात्रतानुसार निदेशक, कालेज शिक्षा द्वारा योजनान्तर्गत स्कूटियों का वितरण किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बड़ी सादड़ी के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

292. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने विद्यालय संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में कितने-कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) जयपुर जिले में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने विद्यालय संचालित हैं?

(5) उक्त विद्यालयों में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में कितने-कितने पद रिक्त हैं?

(6) जयपुर जिले के किस-किस विद्यालय में स्वीकृत पदों से अधिक पदों पर पदस्थापन किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में 346 राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 135 उच्च प्राथमिक, 28 उच्च माध्यमिक तथा 62 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं।

(2) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में संचालित रा प्रा वि एवं उ प्रा वि में स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	रिक्त
1	अध्यापक-II	123	46
2	अध्यापक-III	1,391	407
3	शा. शिक्षक-III	41	9
4	प्रबोधक	150	4
5	च. श्रे. कर्मचारी	15	5

(शिक्षा मंत्री)

विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी माध्यमिक शिक्षा में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) जी हां। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पद पंचायती राज विभाग द्वारा भरे जाने हैं, जो न्यायिक विवाद निर्णय उपरान्त भरे जा सकेंगे। द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही भरे जा सकेंगे।

(4) प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत जयपुर जिले में 2,584 राजकीय प्राथमिक, 1,312 उच्च प्राथमिक, 334 उच्च माध्यमिक एवं 500 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं।

(5) प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत जयपुर जिले में संचालित रा प्रा वि एवं उ प्रा वि में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	**पदनाम**	**स्वीकृत**	**रिक्त**
1	अध्यापक-II	1,666	548
2	अध्यापक-III	14,149	2,226
3	शा. शिक्षक-III	501	0
4	प्रबोधक	1,488	289
5	च. श्रे. कर्मचारी	109	21

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला जयपुर के विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(6) प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला जयपुर के विद्यालयों में स्वीकृत पदों से अधिक संख्या में शिक्षक लगे हुए उन विद्यालयों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला जयपुर के विद्यालयों में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापित है, का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के उप नियमों में परिवर्तन

293. श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कितनी क्रय-विक्रय सहकारी समितियां कृषकों को खाद-बीज वितरण का कार्य कर रही हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 को क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के संचालक मण्डल में कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों के साथ-साथ अन्य प्राथमिक सहकारी समितियों को भी सदस्य बनाने हेतु संशोधित उप नियम जारी किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां राजस्थान, जयपुर को सहकारी समितियों का स्वरूप बदलने का अधिकार है? यदि हां, तो यह अधिकार किसने व कब दिया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के नये उपनियम वापस लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार ऐसे अनियमित उपनियम जारी करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में कुल 225 क्रय-विक्रय सहकारी समितियां एवं 40 फल सब्जी क्रय-विक्रय सहकारी समितियां पंजीकृत हैं, जिनमें से 16 समितियां बन्द अथवा अवसायनाधीन हैं। शेष 249 समितियों के द्वारा खाद-बीज वितरण का कार्य किया जा रहा है। सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। 97वें संविधान संशोधन के अनुरूप राज्य के सहकारिता अधिनियम में हुए संशोधनों से राज्य की क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के उपनियमों को सुसंगत किये जाने की दृष्टि से 31 अक्टूबर, 2013 को उक्त समितियों के आदर्श उपनियम जारी किये गये थे। राज्य में नवीन क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के गठन के फलस्वरूप अधिकांश क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के कार्यक्षेत्र में प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों की संख्या कम हो जाने के कारण क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के उपनियम संख्या 10(1)(क) में सोसाइटी के 12 निर्वाचित संचालकों में से सात संचालक

(सहकारिता राज्य मंत्री)

कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों, प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार व अन्य प्राथमिक सहकारी समितियों के अध्यक्षों में से निर्वाचित किये जाने का प्रावधान किया गया था।

तत्पश्चात् प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों का क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के संचालक मण्डल में समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से दिनांक 21.04.14 को क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के उपनियम संख्या 10(1)(क) में पुन: संशोधन कर संचालक मण्डल में प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों हेतु 6 तथा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डारों व अन्य प्राथमिक सहकारी समितियों हेतु एक स्थान रखे जाने सम्बन्धी संशोधन किया गया है। दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 को जारी क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के आदर्श उपनियमों की प्रति परिशिष्ट-2 पर तथा पुन: दिनांक 21 अप्रैल, 2014 को क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के उपनियमों में किये गये संशोधनों की प्रति परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। 97वें संविधान संशोधन के अनुरूप राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 में हुए संशोधनों से राज्य की सहकारी समितियों के उपनियमों को सुसंगत किये जाने की दृष्टि से क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के उपनियमों में भी संशोधन अन्तरित किये गये हैं, जो पूर्णत: विधिसम्मत हैं।

(5) जी नहीं। प्रकरण में कोई अनियमितता नहीं की गई है।

(सूची व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रश्न संख्या-294

(स्थगित)

(स्थगित प्रश्न)

(दिनांक 17 जुलाई, 2014)

प्रदेश में माड विकास बोर्ड का गठन

57. **श्री घनश्याम** (टोडाभीम) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को मध्य नजर रखते हुए माड विकास बोर्ड का गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

माड विकास बोर्ड का गठन करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है।

जोधपुर जिले में प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों को सहायता

295. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा आकस्मिक आगजनी एवं अन्य प्राकृतिक दुर्घटनाओं से हुई हानि का मुआवजा देने सम्बन्धी मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर जिले में विगत 3 वर्षों में भीषण आगजनी एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं की कितनी घटनाएं घटित हुईं एवं इनसे कितनी जानमाल की क्षति हुई? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त आगजनी की घटनाओं में पीड़ितों को क्या-क्या राहत पैकेज एवं मुआवजा राशि स्वीकृत की गई? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार आगजनी एवं अन्य प्राकृतिक आपदा पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले के जन-प्रतिनिधियों द्वारा आगजनी एवं अन्य प्राकृतिक आपदा पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए समय-समय पर जिला कलक्टर को अनुशंसा पत्र भेजे गये हैं? यदि हां, तो गत 3 वर्ष में जिला कलक्टर को जन प्रतिनिधियों ने कितने पत्र लिखे एवं इस आधार पर कितनी-कितनी सहायता राशि जारी की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त आपदा पीड़ित परिवारों को विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत पुन: आवास निर्माण हेतु राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार द्वारा निर्धारित एस डी आर एफ मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) जोधपुर जिले में पिछले 3 वर्षों में भीषण आगजनी एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं की 968 घटनाएं घटित हुई है एवं 7,42,60,020 राशि का नुकसान हुआ। तहसीलवार विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(3) उक्त घटनाओं में पीडितों को स्वीकृत की गई राशि का तहसीलवार विवरण परिशिष्ट स पर संलग्न है।

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री)

(4) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर मानदण्डों की समीक्षा कर राशि में वृद्धि की जाती है। वर्ष 2013 में राशि में वृद्धि की गई है। राज्य सरकार के स्तर पर वृद्धि करने का विचार नहीं है।

(5) जी हां। जोधपुर जिले के जन-प्रतिनिधियों द्वारा आगजनी एवं अन्य प्राकृतिक आपदा पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए जिला कलक्टर को 8 अनुशंसा पत्र भेजे गये, जिनमें जारी की गई सहायता राशि की वर्षवार सूची परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(6) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(प्रति, विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में अपात्रों को भुगतान की गई राशि

296. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में गत 5 वर्षों में पेंशन योजनाएं चालू की गई हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी व कब से?

(2) उक्त योजनाओं में अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गई?

(3) क्या यह सही है कि योजनाओं में अपात्र लोगों को भी पेंशन दी जा रही है? यदि हां, तो अपात्र लोगों को अब तक कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम, 1974 (दिनांक 1.6.1974 से प्रभावी) को अतिष्ठित कर राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा पेंशन नियम, 2013 एवं राजस्थान अपाहिज, अपंग एवं अंधे व्यक्तियों को पेंशन नियम, 1965 (दिनांक 29.11.1965 से प्रभावी) को अतिष्ठित कर राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम, 2013 लागू किये गये हैं। उक्त नये पेंशन नियम दिनांक 1.4.2013 से प्रभावी हैं।

राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत निम्नांकित (राष्ट्रीय एवं राज्य) पेंशन योजनाएं संचालित हैं :

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री)

1. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (दिनांक 6.11.2007);
2. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (दिनांक 7.10.2009);
3. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना (दिनांक 24.11.2009);
4. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना (दिनांक 1.4.2013);
5. मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना (दिनांक 1.4.2013); , एवं
6. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना (दिनांक 1.4.2013)

(2) उक्त पेंशन योजनाओं में गत 5 वर्षों में व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों में आवेदक की पात्रता की जांच कर पेंशन स्वीकृति करने का प्रावधान है। कुछ प्रकरणों में अपात्र लोगों को पेंशन स्वीकृत किये जाने के मामले सामने आये हैं, जिन पर कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में सभी पेंशनरों का वार्षिक भौतिक सत्यापन कर पात्रता की जांच की जा रही है।

परिशिष्ट-1

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत वृद्धावस्था, विधवा एवं विशेष योग्यजन (राष्ट्रीय एवं राज्य) पेंशन योजनान्तर्गत व्यय राशि का विवरण

(राशि रु. लाखों में)

वर्ष	राष्ट्रीय पेंशन योजनाएं	राज्य पेंशन योजनाएं	कुल व्यय राशि (राष्ट्रीय एवं राज्य पेंशन योजनाएं)
2009-10	13715.34	27975.02	41690.36
2010-11	14330.77	44541.17	58871.94
2011-12	20385.85	60644.98	81030.83
2012-13	22730.49	65980.28	88710.77
2013-14	30545.61	250033.82	280579.43
2014-15 Exp. Up to 24 July, 14	8121.22	84938.17	93059.39

डूंगरपुर जिले में प्रतिनियुक्ति पर लगे अध्यापक

297. श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में अध्यापकों की प्रतिनियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं एवं सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (प्रा.शि.) से प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिये गये हैं? यदि हां, तो डूंगरपुर जिले में प्रतिनियुक्ति पर लगे अध्यापकों एवं प्रतिनियुक्ति निरस्त करने के आदेश की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) डूंगरपुर जिले में कितने राजकीय प्राथमिक विद्यालय गत पांच वर्ष से लगातार बन्द रहे हैं, परन्तु रिकार्ड में नियमित स्कूल चलना, मिड-डे-मील की राशि व अध्यापकों का वेतन नियमित आहरित हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा विद्यालय बन्द रहने के उपरान्त भी नियमित वेतन-भत्ते एवं मिड-डे-मील बिल उठाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला डूंगरपुर के प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए अध्यापकों का विवरण परिशिष्ट क पर संलग्न है। जिन शिक्षकों की प्रतिनियुक्तियां समाप्त की गई हैं, के आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट ख 1 व 2 पर संलग्न हैं।

(2) डूंगरपुर जिले में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत कोई भी संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालय पिछले पांच वर्षों से लगातार बन्द नहीं है । नियमित रूप से संचालित विद्यालयों के ही मिड-डे-मील एवं अध्यापकों का वेतन आहरित किया गया है।

(3) जिला डूंगरपुर में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत विद्यालय बन्द रहने पर भी नियमित वेतन भत्ते एवं मिड-डे-मील बिल उठाने का कोई प्रकरण नहीं है।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

गंगापुर स्पिन फेड सहकारी मिल को लाभ में लाने की कार्य योजना

298. श्री बालू राम चौधरी (सहाड़ा) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बालू राम चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि गंगापुर स्पिन फेड सहकारी मिल जो वर्षों से लाभ में चल रही थी, वर्तमान में घाटे में चल रही है? यदि हां, तो क्यों व किन कारणों से? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) सरकार द्वारा उक्त मिल को लाभ में लाने के लिए क्या-क्या प्रयास किये गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) स्पिनफेड की स्पिनिंग इकाई, गंगापुर वर्षों से निरन्तर लाभ में नहीं चलकर कभी लाभ तो कभी हानि में रही है। दस वर्षों के इकाई के लाभ/हानि का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

यह सही है कि वर्तमान में यह इकाई घाटे में चल रही है। चालू वर्ष की प्रथम तिमाही में इकाई को 94.96 लाख रु. की नकद हानि हो चुकी है।

इकाई गंगापुर वर्तमान में जिन कारणों से घाटे में चल रही है, उनका विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(2) इकाई गंगापुर को लाभदायकता में लाने हेतु किये गये प्रयासों का विवरण परिशिष्ट स पर उपलब्ध है।

यद्यपि राज्य सरकार द्वारा मिल को लाभ में लाने के प्रयास किये जा रहे हैं, परन्तु यह एक वाणिज्यिक/उत्पादक इकाई है, जिसका लाभ/हानि में रहना प्रमुखतः मार्केट परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में जमाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही

299. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्यच मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में जिला स्तर पर जमाखोरी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का दायित्व किस अधिकारी का है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में 1 जनवरी, 2014 से अब तक किस-किस जिले में कितने-कितने छापे किस-किस स्थान पर कब-कब डाले गये एवं उन छापों में कितनी मात्रा में क्या-क्या खाद्य वस्तुएं पाई गईं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश में महंगाई रोकने हेतु जमाखोरों के विरुद्ध

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

निरन्तर कठोर कार्यवाही करने के लिए कोई ठोस नीति लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में जिला स्तर पर जमाखोरी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1980 के नियम 80 के अनुसार अनुज्ञापन प्राधिकारी (जिला रसद अधिकारी), कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उप पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार एवं प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक को प्रदत्त है।

(2) प्रदेश में दिनांक 01 जनवरी, 2014 से अब तक डाले गये छापों एवं जब्त की गई सामग्री का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी, हां। राज्य में महंगाई रोके जाने हेतु नीति निर्धारण के लिए राज्य सरकार द्वारा सचिव स्तरीय अधिकारियों के समूह का गठन किया गया है। सचिव स्तरीय समूह आवश्यक खाद्य वस्तुओं के उत्पादन, खपत एवं आवक के पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए अपने सुझाव एवं कंटिंजेंसी प्लान प्रस्तुत करेगा। इस सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक 17(3)खवि./न्याय/1994-पार्ट 2 दिनांक 08.07.2014 की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

गंगापुर सिटी में फसल खराबे के मुआवजे से वंचित किसान

300. श्री मान सिंह (गंगापुर) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में वर्ष 2014 में हुई अतिवृष्टि में फसल के खराबे के कारण सरकार द्वारा किस-किस काश्तकार को कितनी-कितनी राशि मुआवजे के रूप में दी गई? ग्राम पंचायतवार, काश्तकार के नाम एवं मुआवजा राशि सहित, विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या अतिवृष्टि से फसल के खराबे के पश्चात् भी पटवारियों तथा तहसीलदार, वजीरपुर की हठधर्मिता के कारण कई काश्तकार मुआवजे से वंचित रह गये हैं? यदि हां, तो अब काश्तकारों को मुआवजे का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री मान सिंह)

(3) क्या सरकार पटवारियों तथा तहसीलदार, वजीरपुर की हठधर्मिता के कारण मुआवजे से वंचित किसानों के प्रकरणों की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में वर्ष 2014 में अतिवृष्टि नहीं हुई है। अतः काश्तकारों को मुआवजा देय नहीं है।

(2) तहसील क्षेत्र वजीरपुर में अतिवृष्टि नहीं हुई है, ना ही फसल में खराबा सूचित हुआ है। अतः मुआवजा देय नहीं है।

(3) बिन्दु संख्या 2 के जवाब के अनुरूप।

विराटनगर में विशेष पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाएं

301. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विराटनगर विधान सभा क्षेत्र में विशेष पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम वर्तमान में संचालित हैं तथा इस हेतु वर्ष 2007-08 से 2013-14 तक वर्षवार विभिन्न मदों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी?

(2) जयपुर जिले में उक्त वर्ग के लिए कौन-कौनसी योजनाएं चल रही हैं तथा विराटनगर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2007-08 से 2013-14 तक उक्त वर्ग के उत्थान के लिए कितनी राशि व्यय की गयी?

उत्तर

(1) जी हां। विराटनगर विधान सभा क्षेत्र में विशेष पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए राज्य में संचालित कार्यक्रम चल रहे हैं। कार्यक्रमों एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जयपुर जिले में उक्त वर्ग के लिए राज्य में संचालित सभी स्कीमें चल रही हैं। व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

परिशिष्ट–अ

विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए संचालित निम्न योजनायें विराट नगर विधान सभा क्षेत्र सहित पूरे राज्य में संचालित हैं-

(राशि करोड़ों में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	योजना प्रारम्भ का वर्ष	योजना प्रारम्भ से जून 2014 तक कुल व्यय राशि
1.	विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	2010-11	113.93
2.	विशेष पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	2011-12	17.61
3.	देवनारायण गुरूकुल योजना	2011-12	13.44
4.	देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना	2011-12	10.42
5.	देवनारायण छात्रा साइकिल वितरण योजना	2011-12	0.08
6.	विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु अनुप्रति योजना	2011-12	0.64
7.	देवनारायण आदर्श छात्रावास निर्माण एवं संचालन	2011-12	39.42
8.	देवनारायण प्रतिभावान छात्र प्रोत्साहन योजना	2011-12	0.05
9.	देवनारायण छात्रा उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता योजना	2011-12	0.03
10.	देवनारायण आवासीय विद्यालय निर्माण	2011-12	30.58
	योग		**343.79**

विराटनगर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा छात्रावास भवन का निर्माण (छात्र क्षमता-50) स्वीकृत लागत राशि 96.00 लाख

परिशिष्ट–ब

जयपुर जिले में विराटनगर विधान सभा क्षेत्र में विशेष पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए संचालित योजनायें-

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	योजना प्रारम्भ वर्ष	योजना प्रारम्भ से जून 2014 तक कुल व्यय राशि (लाखों में)
1.	विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	2010-11	17.62
2.	विशेष पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	2011-12	5.00
3.	देवनारायण गुरूकुल योजना	2011-12	1.50
4.	देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना	2011-12	19.72
5.	देवनारायण छात्रा साइकिल वितरण योजना	2011-12	0.05
6.	विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु अनुप्रति योजना	2010-11	1.25
7.	देवनारायण छात्रावास निर्माण एवं संचालन	2011-12	110.92
8.	देवनारायण प्रतिभावान छात्र प्रोत्साहन योजना	2011-12	0.00
9.	देवनारायण छात्रा उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता योजना	2011-12	0.00

विधि महाविद्यालय, अजमेर के व्याख्याताओं की प्रतिनियुक्ति

302. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधि महाविद्यालय, अजमेर के दो व्याख्याता गत पांच वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती अनिता भदेल)

(2) क्या यह सही है कि विधि महाविद्यालय, अजमेर को बार काउंसिल आफ इण्डिया से स्थायी मान्यता नहीं मिली है एवं मान्यता नहीं मिलने के प्रमुख कारणों मे से एक कारण व्याख्याताओं की कमी होना है? यदि हां, तो लम्बे समय से प्रतिनियुक्ति पर चल रहे व्याख्याताओं की प्रतिनियुक्ति निरस्त नहीं करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

1. विधि महाविद्यालय, अजमेर में कोई व्याख्याता प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत नहीं है।

2. विधि महाविद्यालय, अजमेर के मात्र एक व्याख्याता श्री आर.एस. पाराशर, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर में दिनांक 25.02.05 से प्रतिनियुक्ति पर हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त महाविद्यालय में व्याख्याताओं की कमी, मान्यता नहीं मिलने का प्रमुख कारण नहीं है, अपितु बार काउंसिल आफ इण्डिया ने विधिक शिक्षा नियम, 2008 की अनुपालना में 30.04.10 की मीटिंग में एक प्रस्ताव पारित कर स्थायी या डीम्ड मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों को भी पुन: निरीक्षण करवाने हेतु निर्देशित किया। इन्हीं नियमों द्वारा पूर्व की स्थायी मान्यता को समाप्त कर दिया गया। उपरोक्त नियमानुसार अस्थायी व नियमित मान्यता, दो श्रेणियां सृजित की गई हैं। अस्थायी मान्यता 3 वर्षो के लिए व नियमित मान्यता अधिकतम 5 वर्षो के लिये है।

श्री सुनील कुमार की पोस्ट-डाक्टरल फेलोशिप की अवधि माह मार्च, 2015 में समाप्त हो जायेगी एवं श्री आर.एस.पाराशर की सेवाएं विभाग मे ही शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग में ली जा रही हैं।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

जोधपुर जिले में खरीफ फसल के लिए किसानों को सहकारी संस्थाओं द्वारा ऋण

303. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अर्जुन लाल)

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले में वर्ष 2013-14 की रबी एवं खरीफ की फसल हेतु जोधपुर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक द्वारा एल एस एस/जी एस एस/के वी एस एस एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से अल्पकालीन/मध्यकालीन/दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया गया था? यदि हां, तो किन-किन संस्थाओं द्वारा कितने सदस्यों को कितना-कितना ऋण किस ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि काश्तकारों/सदस्यों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है? यदि हां, तो कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जिन सदस्यों/काश्तकारों की भूमि कामर्शियल बैंक/संस्थाओं से ट्रैक्टर, ट्रोली, फेन्सिंग, भूमि लेवलिंग, ट्यूबवैल खुदाई एवं स्थापना हेतु लिये गये ऋण के कारण रहन हैं, उन्हें अल्पकालीन ऋण नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों एवं किस नियम के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2013-14 में जोधपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा रबी एवं खरीफ की फसल हेतु एल एस एस/पैक्स के माध्यम से अल्पकालीन फसली ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध करवाये गये थे। के वी एस एस के माध्यम से फसल हेतु ऋण नहीं दिये जाते हैं। मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण फसल हेतु उपलब्ध नहीं करवाये जाते हैं। उक्त ब्याज-मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण की राशि और संस्थाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। एल एस एस/पैक्स के माध्यम से पात्र कृषक सदस्यों को अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।

(3) वाणिज्यिक बैंकों अथवा अन्य बैंकों से ट्रैक्टर, ट्रोली, फेन्सिंग, भूमि लेवलिंग, ट्यूबवैल खुदाई एवं स्थापना हेतु भूमि रहन कर ऋण लेने वाले कृषक सदस्यों को अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध करवाने पर जोधपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा कोई रोक नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में कुष्ठ रोगियों को रियायती दर पर गेहूं का वितरण

304. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री केसाराम चौधरी)

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में कुष्ठ रोगियों को भी रियायती दर पर गेहूं वितरित किया जाता है? यदि हां, तो कब से किस दर पर व कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) प्रदेश में ऐसे रोगियों की संख्या कितनी है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में ऐसे कुष्ठ रोगी कितने हैं, जिनको गेहूं दिया जा रहा है? नाम, पिता का नाम, प्रत्येक ग्राम पंचायत वार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत पात्र व्यक्तियों के चयन हेतु निर्धारित समावेशन मापदण्ड में कुष्ठ रोगियों की अलग श्रेणी निर्धारित नहीं है, लेकिन ऐसे कुष्ठ रोगी जो निर्धारित समावेशन मापदण्डों की अन्य श्रेणी की पात्रता रखते हुए, अन्त्योदय श्रेणी या अन्य पात्र यूनिट में अगर चयनित हैं, तो उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है। राज्य में उक्त योजना 02 अक्टूबर, 2013 से लागू हुई है, जिसमें 5 किग्रा. प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 2/- रुपये प्रति किग्रा. की दर से गेहूं दिया जा रहा है।

(2) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं से प्राप्त सूचना अनुसार, प्रदेश में कुष्ठ रोग से मुक्त विशेष योग्यजन की संख्या 34,717 तथा कुष्ठ रोगियों की संख्या 1,217 है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में ऐसे कुष्ठ रोगी 36 हैं जिनको गेहूं दिया जा रहा है। नाम, पिता का नाम, प्रत्येक ग्राम पंचायत वार सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम

क्र. सं.	जिले का नाम	कुष्ठ रोग से मुक्त विशेष योग्यजनों की संख्या	कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या (नवम्बर, 2012 तक)
1.	Ajmer	1552	28

क्र. सं.	जिले का नाम	कुष्ठ रोग से मुक्त विशेष योग्यजनों की संख्या	कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या (नवम्बर, 2012 तक)
2.	Alwar	2267	76
3.	Banswara	537	31
4.	Baran	1587	43
5.	Barmer	153	5
6.	Bharatpur	1071	21
7.	Bhilwara	730	34
8.	Bikaner	763	40
9.	Bundi	734	18
10.	Chittorgarh	756	28
11.	Churu	513	15
12.	Dausa	676	7
13.	Dholpur	476	15
14.	Dungarpur	724	15
15.	Ganganagar	660	17
16.	Hanumangarh	305	8
17.	Jaipur	7471	292
18.	Jaisalmar	53	5
19.	Jalore	152	3
20.	Jhalawar	1455	76
21.	Jhunjhunu	627	9
22.	Jodhpur	2157	95
23.	Karauli	246	25
24.	Kota	2280	90
25.	Nagaur	1072	30
26.	Pali	633	18
27.	Rajsamand	365	31
28.	Sawai Madhopur	701	10
29.	Sikar	693	14
30.	Sirohi	354	5
31.	Tonk	511	13
32.	Udaipur	2399	80
33.	Pratapgarh	44	20
	Total	**34717**	**1217**

परिशिष्ट-2

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, पाली

कुष्ठ रोगियों की सूची, जिनको गेहूं उपलब्ध कराया गया

विधान सभा क्षेत्र : मा.जं.

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	क्र.सं.	नाम कुष्ठ रोगी
1	बोरीमादा	1	घीसाराम मानाराम
2	देवली	2	धनपुरी गुलाबपुरी
3	ईसाली	3	जुगराज दलाजी
4	वौपारी	4	हनकी रजाकखां
5	जाडन	5	गोकल वेनाराम
		6	मनोहर बाबूसिंह
6	गादाणा	7	बाबूलाल जवानसिंह
7	धामली	8	कमला दौलतराम
8	सिरियारी	9	पानी खीवाराम
9	बिजोवा	10	देवारराम दलाराम
		11	भीकाराम खेताराम
10	वरकाणा	12	केशरसिंह मानसिंह
		13	सजाराम/रूगाराम बिंगरला
11	किशनपुरा	14	शोभाराम दौलाजी
12	सालरिया	15	मनोहरसिंह कानसिंह आकड़ावास
		16	मानाराम गुलाबजी गुडा महाराज
13	जवाली	17	हिरसिंह समरथसिंह
		18	टीकमराम सवाजी
		19	श्रीमती चम्पा पत्नि सुल्तानजी
		20	पूनाराम दीपाराम
14	इट, मेडतियान	21	श्रीमती हंसकी खंगारजी
15	रानी स्टेशन	22	श्रीमती कन्या मोतीलाल
16	देवली पाबूजी	23	लच्छाराम पुखाराम
		24	गीता सुरेशजी
17	सिवास	25	श्रीमती संतोष कांतिलाल
18	रानीगांव	26	मूलाराम रूपाराम

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	क्र.सं.	नाम कुष्ठ रोगी
19	केसूली	27	श्रीमती पिन्टुकंवर रामसिंह
		28	हरिराम चुनाराम गुडा अखेराज
20	भादरलाउ	29	नेनाराम हेमाराम
		30	प्रकाश नेनाराम
21	बागोल	31	मोहनलाल खुमाराम
22	मगरतलाव	32	सरदारखां ईसेखां
		33	अकबरखां नन्नेखां
23	कोलर	34	उमादेवी भेराराम
24	कोटसौलंकिया	35	तीजाबाई वेलाराम
25	सांसरी	36	कालूदास नारायणदास

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में बढ़ती महंगाई पर रोकथाम हेतु कार्य-योजना

384. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में बढ़ती महंगाई पर रोकथाम हेतु सरकार ने कोई ठोस कारगर कदम उठाये हैं? यदि हां, तो क्या-क्या एवं नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि महंगाई का मुख्य कारण जमाखोरी है? यदि हां, तो जमाखोरी रोकने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है, एवं नहीं, तो किन-किन कारणों से महंगाई बढ़ रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा जमाखोरी रोकने हेतु नियम बनाये गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से, कब-कब, तथा नियम बनाने के पश्चात् भी जमाखोरी नहीं रुकने के क्या कारण हैं?

(4) क्या यह भी सही है कि राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम/ यानी रेस्मा लागू करने के बाद भी अधिकारियों द्वारा जमाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों एवं नहीं, तो गत 5 वर्षों में जमाखोरों के विरुद्ध कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में महंगाई रोके जाने पर नीति निर्धारण हेतु राज्य सरकार द्वारा सचिव स्तरीय अधिकारियों के समूह गठित कर प्रयास जारी हैं। इस सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक एफ 17(3)खा.वि./न्याय/1994-II दिनांक 08.07.2014 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। महंगाई बढ़ने का एक मात्र कारण जमाखोरी नहीं है। प्रदेश में मांग की तुलना में उपलब्धता कम होना, थोक एवं खुदरा भावों की कीमतों में अधिक अन्तर होना, उत्पादन का अनुपात उपभोग से कम होना एवं बरसात का न होना, इत्यादि कारणों से भी महंगाई बढ़ रही है।

(3) जी हां। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 03 जुलाई, 2014 से राज्य सरकार को प्राप्त छूट की अनुपालना में राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1980 की अनुसूची-2 में संशोधन कर

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

जमाखोरी रोके जाने हेतु नियम बनाये जा रहे हैं। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत गत पांच वर्षो में की गई कार्यवाही की सूचना परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(प्रतियां व सूचना पुस्तकालय में रखी गयीं)

अलवर जिले में अन्त्योदय/बी.पी.एल./सामान्य वर्ग को देय सामग्री

385. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वर्तमान में किन-किन खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति की जा रही है? प्रत्येक कार्ड पर अन्त्योदय, बी.पी.एल. एवं सामान्य वर्ग में कितनी-कितनी सामग्री देय है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इन उचित मूल्य की दुकानों पर लम्बे समय से चीनी, चावल एवं अन्य उत्पादों की आपूर्ति नहीं की जा रही है? यदि हां, तो क्यों एवं नहीं, तो कितनी-कितनी चीनी व चावल किस-किस उचित मूल्य की दुकान पर दिनांक 1 जनवरी, 2014 से वर्तमान तक अलवर जिले में आबंटित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा राशन आबंटन में धांधली की जा रही है, जिसके चलते अलवर जिले में ही अनेक राशन डीलरों को निलम्बित किया गया है? यदि हां, तो दिनांक 1 जनवरी, 2014 से वर्तमान तक कितने एवं कौन-कौन से राशन डीलरों के विरुद्ध ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा उचित मूल्यों की दुकानों में खाद्य सामग्रियों में हो रही कालाबाजारी एवं भ्रष्टाचार को रोकने हेतु क्या कार्य योजना है? क्या सरकार इन उचित मूल्य की दुकानों के सामग्री आबंटन को जनता के सामने पारदर्शी प्रणाली के अन्तर्गत सार्वजनिक करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वर्तमान में आपूर्ति की जा रही खाद्य सामग्रियों का विवरण निम्न प्रकार है :-

सामग्री	पात्रता	मात्रा	दर (रुपये)
गेहूं	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थी	5 किग्रा. प्रति यूनिट	2.00 प्रति किग्रा.
	अन्त्योदय परिवार	35 किग्रा. प्रति परिवार	
चीनी	बी पी एल एवं अन्त्योदय परिवार	500 ग्राम प्रति यूनिट	10.00 प्रति किग्रा.

(2) अलवर जिले में राज्य सरकार से प्राप्त आबंटन अनुसार लेवी चीनी एवं अन्य उत्पादों की आपूर्ति कार्यरत उचित मूल्य दुकानों पर की जा रही है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को चावल का आबंटन नहीं किया जा रहा है। अलवर जिले में 01 जनवरी, 2014 से वर्तमान तक कार्यरत उचित मूल्य दुकानों पर आपूर्ति की गई लेवी चीनी का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) अलवर जिले में उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा राशन वितरण में बरती गई अनियमितताओं बाबत प्रवर्तन स्टाफ की जांच रिपोर्ट के आधार पर विभागीय कार्यवाही के तहत प्रस्तुत दर्ज प्रकरणों में कारण बताओ नोटिस जारी किये जाते हैं। गम्भीर अनियमितताओं के दृष्टिगत 34 उचित मूल्य दुकानदारों के प्राधिकार पत्र निलम्बित किये गये। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

जनवरी, 2014 से अब तक 127 उचित मूल्य दुकानदारों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के तहत प्रकरण दर्ज किये गये। इनमें से 31 उचित मूल्य दुकानदारों के विरुद्ध विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने एवं कालाबाजारी-भ्रष्टाचार रोकने हेतु राज्य सरकार के स्तर पर छत्तीसगढ़, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश माडल का अध्ययन किया जा रहा है। राजस्थान की परिस्थितियों के

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

मद्देनजर उपयुक्त माडल को वितरण व्यवस्था में कम्प्यूटरीकरण हेतु लागू किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सांगोद में संचालित उचित मूल्य दुकानें

386. श्री हीरालाल नागर (सांगोद) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सांगोद में उचित मूल्य की दुकानें कहां-कहां संचालित की जा रही हैं व किन दुकानदारों/जी. एस. एस. के द्वारा कब से संचालित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सांगोद विधान सभा क्षेत्र में कुछ उचित मूल्य की दुकानों को अन्य दुकानों से अटैच किया हुआ है? यदि हां, तो कहां-कहां पर और क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र सांगोद में वर्ष 2008 से वर्ष 2013 तक उचित मूल्य की दुकानों में गबन/अनियमितताओं के कुल कितने मामले पाये गये तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार निरस्त उचित मूल्य की दुकानों को नये आबंटियों को आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि सरकार को अधिकृत राशन डीलरों द्वारा समय पर राशन आबंटन नहीं करने, गेहूं को ब्लैक करने, उपभोक्ताओं को परेशान करने जैसी कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं? यदि हां, तो क्या सरकार राशन वितरण हेतु कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सांगोद में संचालित की जा रहीं उचित मूल्य की दुकानों/जी.एस.एस. का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) सांगोद विधान सभा क्षेत्र में 12 उचित मूल्य की दुकानों को अन्य दुकानों से अटैच किया हुआ है। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

(3) विधान सभा क्षेत्र सांगोद में वर्ष 2008 से 2013 तक 2 उचित मूल्य की दुकानों पर गबन/अनियमितताओं के मामले पाये गये, जिनमें धारा 6ए की कार्यवाही कर जिला कलक्टर द्वारा जारी निर्णय की पालना में माल को पक्ष सरकार जब्त किया गया। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	नाम डीलर	पाई गई अनियमितता	निस्तारण
1.	धनराज बैरागी, एफ पी एस डीलर, खजूरना, सांगोद	01 ड्रम केरोसीन	जब्त केरोसीन राजसात किया।
2.	मुकेश रघुवंशी, एफ पी एस डीलर, जालिमपुरा, दीगोद	32.57 क्विंटल गेहूं	गेहूं जब्त कर राजसात किया। डीलर के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज

(4) जी हां। राज्य में निरस्त उचित मूल्य दुकानों को रिक्त मानते हुए नये आवंटियों को आबंटन करने की प्रक्रिया विचाराधीन है।

(5) जी हां। सरकार को अधिकृत राशन डीलरों द्वारा समय पर राशन आबंटन नहीं करने, गेहूं को ब्लैक करने, उपभोक्ताओं को परेशान करने जैसी कई शिकायतें प्राप्त होती हैं। उक्त शिकायतों को जांच हेतु सम्बन्धित जिला रसद अधिकारी/जिला कलक्टर को भेज दिया जाता है। समय-समय पर विशेष सतर्कता जांच दल गठित कर प्राप्त शिकायतों की जांच की जाती है। जांच में अनियमितता पाये जाने पर विभागीय प्रकरण दर्ज कर प्राधिकार पत्र निरस्त/निलम्बन/प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने सम्बन्धी विधिक कार्यवाही सम्पादित की जाती है। इस सम्बन्ध में जारी परिपत्र दिनांक 11.01.2012 की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

शाला क्रीड़ा संगम, गौशाला मैदान, जोधपुर में शारीरिक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति

387. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि शाला क्रीड़ा संगम, गौशाला मैदान, जोधपुर

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित है? यदि हां, तो उक्त मैदान में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के शारीरिक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति किस आधार पर की गई? क्या उक्त आदेशों से पूर्व अन्तर-विभागीय बैठक कर सक्षम अनापत्ति प्राप्त की गई थी? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में की गई बैठक का कार्यवाही विवरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति और प्रतिनियुक्ति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उप जिला शिक्षा अधिकारी (शा.शि.), शाला क्रीड़ा संगम, गौशाला मैदान, जोधपुर को अन्तर-विभागीय प्रतिनियुक्ति का अधिकार है? यदि नहीं, तो उनके द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के शारीरिक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति किस अधिकार से की गई और प्रतिनियुक्त प्रारम्भिक शिक्षा के शारीरिक शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), जोधपुर ने किस आधार पर कार्यमुक्त किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त मैदान से प्रारम्भिक शिक्षा के समस्त शारीरिक शिक्षकों को उनके पैतृक विभाग में भेजने और माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्पर्द्धा वार विशेषज्ञ शारीरिक शिक्षकों को नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। शाला क्रीड़ा संगम केन्द्र, गौशाला मैदान, जोधपुर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन चलता है। उक्त मैदान में शारीरिक शिक्षक की प्रतिनियुक्ति अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा आयोजित विकास समिति की बैठक दिनांक 27.08.2007 के निर्णय के क्रम में कार्य व्यवस्थार्थ शारीरिक शिक्षक प्रतिनियुक्त किये गये हैं। बैठक का विवरण एवं प्रतिनियुक्ति आदेश की प्रति परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत शारीरिक शिक्षक की प्रतिनियुक्ति अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा आयोजित विकास समिति की बैठक दिनांक 27.08.2007 के निर्देशानुसार की गई थी।

प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत उप जिला शिक्षा अधिकारी (शा.शि.) द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के शारीरिक शिक्षकों को शाला क्रीड़ा संगम, गौशाला मैदान में लगाने के जारी आदेशों की पालना में जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर द्वारा किसी भी शारीरिक शिक्षक को कार्यमुक्त नहीं

(शिक्षा मंत्री)

किया गया। सम्बन्धित संस्था प्रधानों द्वारा सीधे ही शारीरिक शिक्षकों को कार्यमुक्त किया गया।

(3) प्रारम्भिक शिक्षा के शारीरिक शिक्षकों को आदेश क्रमांक 24 दिनांक 29.07.2014 (परिशिष्ट-'ख') के द्वारा कार्यमुक्त कर मूल पदस्थापन पर उपस्थिति देने हेतु निर्देश दिये गये हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्पर्द्धावार विशेषज्ञ शारीरिक शिक्षकों का पैनल तैयार कर रोटेशन प्रणाली से माध्यमिक शिक्षा के शारीरिक शिक्षकों को स्वीकृत पदों पर नियमानुसार लगाया जा सकेगा।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

अलवर शहर के विद्यालयों में प्रदत्त सुविधाएं

388. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र में सरकार द्वारा संचालित सभी विद्यालयों में भवन, पेयजल, बिजली एवं शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो किन-किन विद्यालयों में उपरोक्त कौन-कौनसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार समयबद्ध योजनानुसार उक्त सुविधाओं को सभी विद्यालयों में उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित सभी राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल एवं शौचालय की सुविधा उपलब्ध है, परन्तु 17 विद्यालयों में स्वयं के भवन एवं 8 विद्यालयों में बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है। विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र अलवर के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जिनमें भवन, पेयजल, बिजली एवं शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनका विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां। उपयुक्त भूमि आबंटित किये जाने पर सर्व शिक्षा अभियान की आगामी वर्ष की कार्य योजना में अनुमोदित लक्ष्यों की सीमा में इन स्वयं के भवन-रहित विद्यालयों हेतु विद्यालय भवन बनाये जाने का प्रयास किया जावेगा।

सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2014-15 में भारत सरकार द्वारा विद्यालयों में विद्युतीकरण के कार्य अनुमोदित नहीं किये गये हैं।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत भारत सरकार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (नवीन/सुदृढ़ीकरण) अन्तर्गत वर्ष 2011-12 एवं 2013-14 में अलवर विधान सभा क्षेत्र जिन विद्यालयों में निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है, उनका विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न हैं। उक्त निविदाएं आमंत्रित कर निर्माण हेतु कार्यवाही की जा रही है। शेष अपर्याप्त सुविधा वाले विद्यालयों में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उपलब्ध बजट के अनुसार आगामी पी.ए.बी. मीटिंग में भारत सरकार को प्रेषित किये जाने प्रस्तावित हैं। भारत सरकार द्वारा स्वीकृति पश्चात् निर्माण कार्य करवाये जायेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के निजी विद्यालयों में फीस संग्रहण/वसूली

389. श्री अमराराम (पचपदरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में निजी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय द्वारा प्रति वर्ष किस-किस मद में फीस विद्यार्थियों से संग्रहण/वसूल की जाती है?

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर की सेंट्रल-एकेडमी, सेंट ऐन्स एवं डी.पी.एस, सेंट जैवियर एवं सेंट पैट्रिक्स स्कूल द्वारा प्रति वर्ष अध्ययनरत विद्यार्थियों से प्रवेश शुल्क लिया जाता है? यदि हां, तो अध्ययनरत विद्यार्थियों का प्रति वर्ष प्रवेश शुल्क लिये जाने का क्या आधार है? जबकि विद्यार्थी का प्रवेश एक बार हो चुका होता है एवं उसका प्रवेश शुल्क प्रथम बार प्रवेश के समय जमा करवा दिया जाता है।

(3) जोधपुर शहर की सेंट्रल एकेडमी, सेंट ऐन्स, डी.पी.एस, सेंट जेवियर, सेंट पैट्रिक्स, राजमाता कृष्णा कुमारी विद्यालय, विद्याश्रम, इत्यादि विद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों की सूची, मय उनकी

(श्री अमराराम)

योग्यता, उनका वेतनमान एवं उनकी जोइनिंग तिथि, इत्यादि, सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभिन्न मदों में फीस विद्यार्थियों से संग्रहित की जाती है। विद्यालयवार सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) विद्यालयों से प्राप्त सूचनानुसार विद्यालयों में विद्यार्थियों से प्रवेश शुल्क, प्रवेश के समय ही एक बार लिया जाता है।

(3) जोधपुर शहर की सैंट्रल एकेडमी, ऐन्स डी.पी.एस, सेंट जेवियर, सेंट पैट्रिकस, राजमाता कृष्णा कुमारी विद्यालय, विद्याश्रम, इत्यादि विद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों की सूची, मय उनकी योग्यता, उनका वेतनमान, उनकी जोइनिंग तिथि, इत्यादि परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

झालावाड़ जिले के विद्यालयों का एकीकरण

390. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ऐसे विद्यालय जहां विद्यार्थी की संख्या कम है, का अन्य विद्यालयों में एकीकरण किया जा रहा है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज़ पर रखें।

(2) जिला झालावाड़ में किन-किन विद्यालयों का किस-किस विद्यालयों में एकीकरण किया जा रहा है? सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कौन-कौन से विषय के अध्यापकों के पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा बजट भाषण 2014-15 में विद्यालयों के आवश्यकतानुसार एकीकरण की घोषणा की गई है। उक्त घोषणा की क्रियान्विति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) विद्यालयों के आवश्यकतानुसार एकीकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) विधान सभा क्षेत्र खानपुर के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त विषय अध्यापकों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(4) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित विषय अध्यापक मिलने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

फुलेरा के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

391. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2013 तक किन-किन विद्यालयों को कब-कब किस स्तर में क्रमोन्नत किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में कितने नवीन पद किस-किस श्रेणी के कहां-कहां पर सृजित किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में उक्त विद्यालयों में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2013 तक राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर में क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2013 तक क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची परिशिष्ट ख पर संलग्न हैं।

(2) उक्त विद्यालयों में नवीन सृजित पदों का श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट, क में सम्मिलित हैं। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में जनवरी, 2009 तक नवक्रमोन्नत विद्यालयों में नवीन पदों के सृजन का विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(3) उक्त विद्यालयों में रिक्त पदों की श्रेणीवार एवं विद्यालयवार सूची परिशिष्ट क में सम्मिलित हैं। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में जनवरी, 2009 से दिसम्बर,2013 में क्रमोन्नत विद्यालयों में रिक्त पदों की विद्यालयवार सूची परिशिष्ट घ पर संलग्न है।

(सूचियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

केशोरायपाटन के विद्यालयों में रिक्त पद

392. श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) केशवरायपाटन विधान सभा क्षेत्र में कितने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं? विद्यालयों की सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं एवं उनमें कितने-कितने पद रिक्त हैं? विषयवार सूची सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन में संचालित विद्यालयों की सूची परिशिष्ट क पर संलग्न हैं।

(2) केशवरायपाटन विधान सभा क्षेत्र में संचालित रा प्रा वि एवं रा उ प्रा वि में अध्यापकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट क में सम्मिलित है तथा माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत वियालयों में अध्यापकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विषयवार विवरण परिशिष्ट ख पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बायतू तहसील मुख्यालय (बाड़मेर) में आवासीय विद्यालय का संचालन

393. श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नवोदय विद्यालय की तर्ज पर प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर एक सम्पूर्ण आवासीय विद्यालय स्थापित

(श्री कैलाश चौधरी)

किया जा रहा है? यदि हां, तो बाड़मेर जिले में ऐसे विद्यालय कहां-कहां स्थापित किये जाएंगे?

(2) उक्त विद्यालय प्रारम्भ करने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं तथा जिला स्तर पर ऐसे विद्यालयों की देखरेख की जिम्मेदारी किसकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपखण्ड, पंचायत समिति और तहसील मुख्यालय होने के उपरान्त भी बायतू (बाड़मेर) में ऐसे आवासीय विद्यालय स्थापित नहीं करने के क्या कारण हैं?

(4) क्या सरकार बायतू (बाड़मेर) में ऐसे आवासीय विद्यालय को स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) विभाग द्वारा वर्तमान में संचालित 16 आवासीय विद्यालय समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा की गई बजट घोषणाओं के तहत खोले गये हैं। इन आवासीय विद्यालयों की देख-रेख जिला स्तर पर पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से एवं राज्य स्तर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राईस (RREIS) के द्वारा किया जाता है।

(3) सरकार द्वारा किसी तरह की स्वीकृति नहीं दी है।

(4) जी नहीं। क्योंकि आवासीय विद्यालय खोले जाने सम्बन्धी कोई बजट घोषणा नहीं की गई है।

लालसोट में वृद्धावस्था/विकलांग/विधवा को देय पेंशन

394. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र लालसोट में विगत तीन वर्षों में वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा एवं अन्य पेंशन हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए एवं कितने व्यक्तियों को किस-किस श्रेणी में पेंशन जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. किरोड़ी लाल)

(2) क्या सरकार जिन आवेदकों के पुत्र-पुत्रियां 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं, किन्तु बेरोजगार अथवा गम्भीर रोगी या अस्वस्थावश कमाने में असमर्थ हैं, उन्हें भी पेंशन प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने आवेदकों को किस कारण वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा एवं अन्य पेंशन जारी नहीं की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लालसोट में विगत तीन वर्षों में प्राप्त एवं जारी किये गये आवेदन पत्रों का संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है :

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या			पेंशन जारी किये गये आवेदनों की संख्या		
	वृद्धावस्था	विधवा	विशेष योग्यजन	वृद्धावस्था	विधवा	विशेष योग्यजन
2011-12	554	187	72	548	187	72
2012-13	209	75	65	202	75	65
2013-14	12729	1247	648	12709	1241	644

(2) राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा पेंशन नियम, 2013 एवं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम, 2013 के अन्तर्गत 25 वर्ष व अधिक आयु के पुत्र-पुत्री की शर्त लागू नहीं है। ऐसे आवेदक जिनके पुत्र राज्य की राजकीय सेवा या राजकीय उपक्रम में सेवारत हैं या राजकीय पेंशनर हैं, तो उन्हें पेंशन देय नहीं है।

(3) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लालसोट में विगत तीन वर्षों में पेंशन जारी नहीं किये गये आवेदन पत्रों का संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है, जिनको पेंशन की पात्रता पूर्ण नहीं करने के कारण पेंशन जारी नहीं की गयी :-

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री)

वर्ष	पेंशन जारी नहीं किये गये आवेदनों की संख्या		
	वृद्धावस्था	विधवा	विशेष योग्यजन
2011-12	6	0	0
2012-13	7	0	0
2013-14	20	6	4

सिकराय में बेरोजगारों को स्वरोजगार हेतु ऋण सुविधा

395. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास निगम, दौसा द्वारा बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन-कौनसी योजनाए संचालित हैं? ऋण लेने के लिए पात्र व्यक्ति किस-किस श्रेणी, वर्ग के व्यक्ति होते हैं? ऋण कितने वर्षों के लिए कितने प्रतिशत ब्याज पर दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण देने की सुविधा में सुधार करने एवं कापर्स फण्ड राशि का सदुपयोग जमा कराने वाले ऋणधारी व्यक्तियों के लिए करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. (राज्य सरकार की चैनेलाइजिंग एजेन्सी) द्वारा भारत सरकार के राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम यथा-

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम;
2. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम;
3. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम; एवं
4. राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए विधान सभा क्षेत्र सिकराय में भी समान रूप से योजनाएं संचालित की जा रही हैं। संचालित योजनाओं में योजना

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री)

विवरण, पात्रता, ब्याज दर एवं पुनर्भुगतान राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट अ, ब, स एवं द पर तथा विशेष केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत संचालित योजना में परिशिष्ट-य के अनुसार निगम द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

(2) राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगमों द्वारा बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण हेतु संचालित योजनाओं में तथा निगम स्तर पर वर्तमान में कापर्स फण्ड का प्रावधान व प्रस्ताव नहीं है। योजनाओं में ऋण देने की सुविधा में सुधार व कापर्स फण्ड के सृजन बाबत वर्तमान में राज्य सरकार के स्तर पर निगम का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फुलेरा में मुख्य मंत्री असहाय पुनर्वास योजनान्तर्गत सामाजिक सुरक्षा

396. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में मुख्य मंत्री असहाय पुनर्वास योजना कब प्रारम्भ की गई थी और इसके क्या उद्देश्य हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत प्रदेश में जनवरी, 2011 से मार्च, 2014 तक कितने व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में उक्त योजना के तहत जनवरी, 2011 से मार्च, 2014 तक किन-किन व्यक्तियों को क्या-क्या सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में (निराश्रित सम्बल योजना) मुख्य मंत्री असहाय पुनर्वास योजना वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रारम्भ की गई थी और ऐसे बेसहारा लोग जो अत्यन्त दयनीय परिस्थितियों में आ जाते हैं तथा उनकी देखभाल करने वाले कोई नहीं होता, ऐसी विशेष परिस्थितियों के लिए बेसहारा व्यक्तियों को सहायता देने हेतु (निराश्रित सम्बल) मुख्यमंत्री असहाय पुनर्वास योजना में सिर्फ एक बार अधिकतम राशि 2,000 रुपये दिये जाने का प्रावधान है। विभाग द्वारा आदेश दिनांक 3.8.2012 एवं 28.3.2013 की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री)

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य में जनवरी, 2011 से मार्च, 2014 तक 5,889 व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गयी। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में उक्त योजना के तहत जनवरी, 2011 से मार्च, 2014 तक 26 व्यक्तियों को प्रति व्यक्ति राशि रुपये 2,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी। लाभान्वित व्यक्तियों की सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(प्रति, विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

बाड़मेर जिला मुख्यालय पर असहाय बच्चों हेतु पालना गृह का संचालन

397. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार बाड़मेर जिला मुख्यालय पर अनाथ एवं बेसहारा (असहाय) बच्चों की शिक्षा एवं पालन-पोषण हेतु पालना गृह संचालन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले 6-18 आयु वर्ग के बालकों को आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा एवं शिक्षण प्रशिक्षण की नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु बाड़मेर जिला मुख्यालय पर बालक गृह का पूर्व से ही संचालन किया जा रहा है।

मालपुरा में को-आपरेटिव बैंक द्वारा किसानों को स्वीकृत ऋण

398. श्री कन्हैयालाल (मालपुरा) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में को-आपरेटिव बैंक द्वारा किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाये गये हैं? यदि हां, तो कितने किसानों के? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मालपुरा क्षेत्र के किसानों के मृत्युपरान्त भी बैंक द्वारा खाते में पैनल्टी या ब्याज लगाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(श्री कन्हैयालाल)

क्या सरकार ऋण में छूट देने का विचार रखती है? यदि हां, तो उपरोक्त किसानों को कब तक छूट दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा मालपुरा विधान सभा क्षेत्र में ऋण मेला लगाया जाकर किसानों को ऋण स्वीकृत किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मालपुरा विधान सभा क्षेत्र में जून 2014 तक 33,185 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं।

(2) जी हां। ऋणी सदस्य के खाते में पूर्ण राशि वापस जमा हो जाने तक ब्याज लगाये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में मृतक ऋणी के खाते में मृत्यु उपरांत ब्याज में छूट देने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। केन्द्रीय सहकारी बैंक, टोंक द्वारा मालपुरा में ऋण मेला आयोजित नहीं किया गया है। उक्त बैंक द्वारा भविष्य में ऋण मेला आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का आकलन कर निर्णय किया जा सकेगा।

सवाई माधोपुर जिले में सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंकों द्वारा किसानों को अधिकतम साख सीमा तक ऋण स्वीकृति

399. श्री घनश्याम (टोडाभीम) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंकों द्वारा किसानों को अधिकतम साख सीमा स्वीकृति के अनुरूप ऋण राशि का भुगतान किये जाने के नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो क्या व अधिकतम कितनी राशि के? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में सवाई माधोपुर जिले में उक्त बैंक द्वारा कितने किसानों को कब-कब कितनी-कितनी राशि का किस-किस उपयोगार्थ ऋण स्वीकृत किया गया? नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सवाई माधोपुर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक द्वारा गरीब किसानों को अधिकतम साख सीमा के अनुरूप ऋण राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(श्री घनश्याम)

(4) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में उक्त बैंकों द्वारा अधिकांश ऋणी सदस्य किसानों से जमाबंदी मांगकर जमीन नहीं होने के आधार पर ऋण स्वीकृत नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों व किन नियमों के अन्तर्गत? नाम वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार अब ऋण से वंचित रहे ऐसे किसानों को नियमानुसार अधिकतम साख सीमा में ऋण उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर कृषकों को फसली ऋण हेतु अधिकतम साख सीमा निर्धारित करने के प्रावधान हैं। बैंकों के द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक के फसली ऋण उपलब्ध करवाये जाते हैं। ऋण वितरण हेतु वित्तीय मापदण्ड की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) गत 3 वर्षों में सवाई माधोपुर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा निम्नानुसार अल्पकालीन फसली ऋण स्वीकृत किये गये हैं:-

(राशि लाखों में)

वर्ष	संख्या	राशि
2011-12	85,642	20,243.62
2012-13	1,02,071	33,229.49
2013-14	1,04,462	49,398.32

(3) केन्द्रीय सहकारी बैंक सवाई माधोपुर के पास उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधनों के मध्यनजर कृषक सदस्यों को स्वीकृत साख सीमा के अन्तर्गत फसली ऋण उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

(4) भारत सरकार द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत कृषि और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऐसे पात्र किसानों को ऋण उपलब्ध करवाया जाता है जो व्यक्तिश:/संयुक्त ऋणकर्ता मालिक कृषक, टेनेन्ट किसान, मौखिक पट्टा धारक और बंटाईदार, टेनेन्ट किसानों, बंटाईदारों आदि सहित किसानों के स्वयं सहायता समूह अथवा संयुक्त देयता समूह हों। उक्त के अनुसार भूमि पर बोई जाने वाली फसल के लिए जिला

(सहकारिता राज्य मंत्री)

स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों अनुसार साख सीमा स्वीकृत की जाती है उसके बाद ऋण अग्रिम किया जाता है। अत: उक्त वर्णित श्रेणी के अतिरिक्त भूमिहीनों को अल्पकालीन फसली ऋण नहीं दिया जाता है।

(5) बैंक द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर किसानों को अधिकतम सीमा तक फसली ऋण वितरित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

परिशिष्ट-1

कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-फा.46(16) सविरा/बैंक-2/93 पार्ट-5 दिनांक 25-4-2013

प्रबन्ध निदेशक

केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.

..............समस्त

विषय :- अल्पकालीन फसली ऋण वितरण हेतु वित्तीय मापदण्ड (स्केल आफ फाइनेंस) में संशोधन बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 05.04.2013 में लिये गये निर्णय के संदर्भ में अल्पकालीन फसली ऋण वितरण हेतु वित्तीय मापदण्ड (स्केल आफ फाइनेंस) को संशोधित करने के सम्बन्ध में निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. प्रत्येक सदस्य की अधिकतम साख सीमा कृषक द्वारा भूमि में बोई जाने वाली खरीफ एवं रबी फसल के वित्तीय मापदण्ड या अधिकतम रुपये 1.50 लाख (रुपये एक लाख पचास हजार) होगी। जिसके आदेश पूर्व में जारी किये जा चुके है, के सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि अधिकतम साख सीमा रुपये 1.50 लाख तक के फसली ऋणों हेतु कृषक की भूमि को रहन नहीं रखा जावे। इस हेतु केन्द्रीय सहकारी बैंक जिला स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक 15 मई, 2013 तक आयोजित कर खरीफ, 2013 की फसल से ही काश्तकारों को नवीन साख सीमा के आधार पर ऋण वितरण सुनिश्चित किया जावे।
2. केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा जिला स्तरीय तकनीकी समिति की बैठकों में निर्धारित फसलवार/मापदण्डों/लागत के निर्धारण के सम्बन्ध में कतिपय फसलों के फसलवार औसत लागत की प्रति संलग्न कर भिजवाते हुए निर्देशित किया जाता है कि फिलहाल सभी बैंक

फसलवार औसत लागतों के आधार पर जिला स्तरीय तकनीकी समिति जिले में बोई जाने वाली फसलों के लिए 10 प्रतिशत की कमी/वृद्धि के साथ मापदण्ड निर्धारण करना सुनिश्चित करें।

3. इस सम्बन्ध में कृषि/उद्यान विभाग के राज्य स्तरीय फसलवार लागत की सूचनाएं चाही गई हैं जो प्राप्त होने पर सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों को तदानुसार फसलवार लागत निर्धारण किये जाने बाबत् दिशा-निर्देश जारी कर दिये जावेंगे। इस सम्बन्ध में यह भी निदेशित किया जाता है कि कृषि/उद्यान विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई फसलवार लागतों में 5 से 10 प्रतिशत की कमी/वृद्धि के लिए जिला स्तरीय तकनीकी समिति को अधिकृत किया जाता है।

4. बागवानी आदि हेतु ऐसी फसलें जिनकी फसलवार उत्पादन की लागत का विवरण कृषि/उद्यान विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने की स्थिति में जिला स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक को ऐसी फसलों की फसलवार लागतें निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

5. भविष्य में जिला स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 फरवरी तक आहूत किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार (एक)

ह.

(पवन कुमार गोयल)

रजिस्ट्रार

कोटा सम्भाग की ग्राम सेवा सहकारी समिति में गबन/भ्रष्टाचार

400. श्री अशोक डोगरा (बूंदी) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

गत दो वित्तीय वर्षों में कोटा सम्भाग में कौन-कौनसी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गबन/भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं तथा उनमें सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

गत 2 वित्तीय वर्षों में कोटा सम्भाग में स्थित ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गबन/भ्रष्टाचार के मामले एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हाड़ौती सम्भाग की ग्राम सेवा सहकारी समिति में भ्रष्टाचार के प्रकरण

401. श्री ललित कुमार (किशनगंज) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) हाड़ौती सम्भाग में गत पांच वर्षों में कौन-कौनसी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गबन/भ्रष्टाचार के मामले उजागर/प्रकाशित हुए हैं? समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त सम्भाग में अब तक प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर कितनी समितियों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करवाई गई? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) हाड़ौती सम्भाग में गत 5 वर्षों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार/गबन के उजागर/प्रकाशित मामलों का समितिवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त जांच रिपोर्टस के आधार पर जिन समिति कर्मचारियों/ व्यक्तियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवायी गयी है, उनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नवलगढ़ में अल्पकालीन फसली सहकारी ऋणों का वितरण

402. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्ष 2014 में रबी के लिए कितने काश्तकारों को अल्पकालीन फसली सहकारी ऋणों का वितरण किया जाना निर्धारित था और उसके मुकाबले कितने किसानों को कितना अल्पकालीन फसली सहकारी ऋणों का वितरण किया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वर्ष में विधान सभा क्षेत्र नलवगढ़ के किन-किन काश्तकारों को अल्पकालीन फसली सहकारी ऋणों का वितरण किया गया और ऋण के रूप में कितनी राशि वितरित की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य के 33 जिलों में कार्यरत 29 केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा रबी के लिए 3,53,647 सदस्यों को राशि 6,01,800.00 लाख रुपये के ऋण वितरित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित था जिसके विरुद्ध 4,69,304 सदस्यों को राशि 6,84,839.31 लाख रुपये का ऋण वितरण किया गया। उक्त ऋण वितरण का बैंकवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त वर्ष में नवलगढ विधान सभा क्षेत्र के 11,941 काश्तकार सदस्यों को राशि रुपये 90.31 करोड़ का अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया गया है। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीलवाड़ा जिले की सहकारी समितियों का अंकेक्षण

403. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भीलवाड़ा जिले में संचालित कितनी क्रय-विक्रय सहकारी समितियां वर्तमान में सक्रिय, निष्क्रिय व अवसायन में हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सहकारी समितियों का नियमानुसार अंकेक्षण कराया जाता रहा है? यदि हां, तो अंतिम बार अंकेक्षण कब कराया गया और उस रिपोर्ट में उठाये गये आक्षेपों का निस्तारण कब किया गया? अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) भीलवाड़ा जिले में भूमि विकास बैंक की कितनी शाखाएं हैं और इन शाखाओं द्वारा वर्ष 2013 में कितना-कितना ऋण बांटा गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या भूमि विकास बैंक सहित इसकी शाखाओं का वार्षिक अंकेक्षण कराया गया है? यदि हां, तो अंकेक्षण में उठाये गये आर्थिक अनियमितताओं, गबन एवं भ्रष्टाचार के आक्षेपों पर क्या कार्यवाही की गई? अंकेक्षण प्रतिवेदन सहित, की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में संचालित समस्त 11 क्रय-विक्रय सहकारी समितियां सक्रिय हैं। एक भी क्रय-विक्रय सहकारी समिति निष्क्रिय व

(सहकारिता राज्य मंत्री)

अवसायन में नहीं है। भीलवाड़ा जिले में संचालित क्रय-विक्रय सहकारी समितियों की सूची निम्न प्रकार है-

क्र. सं.	नाम सोसायटी	पंजीयन क्रमांक/ दिनांक
1	भीलवाड़ा क्रय-विक्रय सह. स. लि. भीलवाड़ा	295ई/30.09.1958
2	माण्डल क्रय-विक्रय सह. स. लि., माण्डल	237ई/16.12.1957
3	शाहपुरा क्रय-विक्रय सह. स. लि., शाहपुरा	1048ई/29.03.1978
4	जहाजपुर क्रय-विक्रय सह. स.लि., जहाजपुर	503ई/01.08.1960
5	बनेडा क्रय-विक्रय सह. स. लि., बनेडा	1138ई/05.04.1981
6	गुलाबपुरा क्रय-विक्रय सह. स.लि., गुलाबपुरा	793ई/29.06.1965
7	गंगापुर क्रय-विक्रय सह. स. लि., गंगापुर	502ई/30.06.1960
8	रायपुर क्रय-विक्रय सह. स. लि., रायपुर	1149ई/02.09.1981
9	कोटड़ी क्रय-विक्रय सह. स. लि., कोटड़ी	1154ई/17.11.1981
10	आसीन्द क्रय-विक्रय सह. स. लि., आसीन्द	874ई/27.08.1974
11	बिजौलिया क्रय-विक्रय सह. स. लि., माण्डलगढ	680ई/10.04.1962

(2) उक्त सहकारी समितियों में से 8 समितियों का आडिट सोसायटी द्वारा नियमानुसार कराया जाता रहा है। जिन सोसायटियों का आडिट वर्ष 2012 -13 तक पूर्ण हो चुका है, का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र. सं.	नाम सोसायटी
1	भीलवाड़ा क्रय-विक्रय सह. स. लि. भीलवाड़ा
2	शाहपुरा क्रय-विक्रय सह. स. लि., शाहपुरा
3	जहाजपुर क्रय-विक्रय सह. स. लि., जहाजपुर
4	बनेड़ा क्रय-विक्रय सह. स. लि., बनेड़ा
5	गंगापुर क्रय-विक्रय सह. स. लि., गंगापुर
6	कोटड़ी क्रय-विक्रय सह. स. लि., कोटड़ी
7	आसीन्द क्रय-विक्रय सह. स. लि., आसीन्द
8	बिजौलिया क्रय-विक्रय सह. स. लि., माण्डलगढ़

(सहकारिता राज्य मंत्री)

उक्त 8 सहकारी समितियों के अलावा निम्न 3 समितियों का आडिट सोसायटी द्वारा नियमानुसार नहीं कराया जा रहा है। इन सोसायटियों के अंतिम आडिट वर्ष का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	नाम सोसायटी	अंतिम आडिट वर्ष
1	माण्डल क्रय-विक्रय सह. स. लि., माण्डल	2010-11
2	गुलाबपुरा क्रय-विक्रय सह. स. लि., गुलाबपुरा	2011-12
3	रायपुर क्रय-विक्रय सह. स. लि., रायपुर	2011-12

भीलवाड़ा क्रय-विक्रय सह. स. लि., भीलवाड़ा की आम सभा दिनांक 23.08.13, माण्डल क्रय-विक्रय सह. स. लि., माण्डल की आम सभा दिनांक 30.08.13, शाहपुरा क्रय-विक्रय सह. स. लि., शाहपुरा की आम सभा दिनांक 04.09.13, जहाजपुर क्रय-विक्रय सह. स. लि., जहाजपुर की आम सभा दिनांक 05.06.13, बनेड़ा क्रय-विक्रय सह. स. लि., बनेडा की आम सभा दिनांक 27.08.13, गुलाबपुरा क्रय-विक्रय सह. स. लि., गुलाबपुरा की आम सभा दिनांक 29.09.13, गंगापुर क्रय-विक्रय सह. स. लि., गंगापुर की आम सभा दिनांक 12.09.13, रायपुर क्रय-विक्रय सह. स. लि., रायपुर की आम सभा दिनांक 31.08.13, कोटड़ी क्रय-विक्रय सह. स. लि., कोटडी की आम सभा दिनांक 07.08.13, आसीन्द क्रय-विक्रय सह. स. लि., आसीन्द की आम सभा दिनांक 19.02.14 व बिजौलिया क्रय-विक्रय सह. स. लि., माण्डलगढ़ की आम सभा दिनांक 06.09.13 में गत वर्ष की आडिट रिपोर्ट में दर्शाये गये आक्षेपों की पूर्ति कर दी गई है। वर्ष 2012-13 की आडिट रिपोर्ट में दर्शाये गये आडिट आक्षेपों की पूर्ति सम्बन्धित सोसायटियों द्वारा आगामी आम सभा में की जायेगी।

उक्त 11 क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के उक्तानुसार अंतिम अंकेक्षण प्रतिवेदनों की प्रतियां संलग्न हैं। (परिशिष्ट-1)

(3) भीलवाड़ा जिले में भूमि विकास बैंक की 7 शाखाएं हैं और इन शाखाओं द्वारा वर्ष 2013 (01.01.2013 से 31.12.2013) में बांटे गये ऋण का शाखावार विवरण निम्न प्रकार है-

(सहकारिता राज्य मंत्री)

क्र. सं.	नाम शाखा	वितरित ऋण राशि (लाख रु. में)
1	सुवाणा	706.90
2	माण्डल	230.61
3	गंगापुर	109.41
4	माण्डलगढ़	88.63
5	आसीन्द	377.79
6	शाहपुरा	9.58
7	जहाजपुर	8.77
	योग	**1531.69**

(4) जी हां। भूमि विकास बैंक सहित इसकी शाखाओं का वार्षिक आडिट वर्ष 2012-13 तक कराया गया है। इस आडिट रिपोर्ट में आर्थिक अनियमितताओं, गबन एवं भ्रष्टाचार के आक्षेपों का कोई विवरण अंकित नहीं होने के कारण कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। भीलवाडा भूमि विकास बैंक के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-2)

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

जयपुर जिले की बृज वाटिका (जगतपुरा) योजना का नियमन

404. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर में सुभाष सिंधी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना बृज वाटिका जगतपुरा में कितने भूखण्ड सृजन किये गये हैं? भूखण्ड धारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के नियमन के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को सदस्यों की सूची कब सौंपी गई व उक्त योजना के नियमन न किये जाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सुभाष सिंधी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना बृज वाटिका, जगतपुरा में समिति द्वारा 218 आवासीय एवं 76 व्यावसायिक भूखण्ड सृजन किया जाना बताया गया है, जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर तथा नक्शा परिशिष्ट-2 पर संलग्न है, किन्तु समिति द्वारा उक्त सूची जयपुर विकास प्राधिकरण को सौंपी नहीं गई है।

(सहकारिता राज्य मंत्री)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त योजना का रिकार्ड वर्ष 2002 के उपरांत योजना की विकास समिति द्वारा ज.वि.प्रा. में प्रस्तुत हुआ है। उक्त असत्यापित रिकार्ड के अनुसार इस योजना में 204 आवासीय एवं 52 दुकानों के भूखण्ड दर्शाए गये हैं, जिनकी सूची क्रमश: परिशिष्ट 03 व 04 पर तथा नक्शा परिशिष्ट 5 पर संलग्न है।

(2) सुभाष सिंधी गृह निर्माण सहकारी समिति के अनुसार उक्त योजना के सदस्यों की सूची समिति द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण को नहीं सौंपी गई।

इस सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि समिति द्वारा ज.वि.प्रा. को सदस्यों की सूची सौंपने की तिथि के सम्बन्ध में अस्पष्टता है, लेकिन रिकार्ड के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह रिकार्ड वर्ष 2002 के उपरांत प्रस्तुत किया गया है।

उक्त योजना के नियमन नहीं किये जाने के मुख्य कारण निम्नांकित हैं:-

1. योजना से सम्बन्धित भूमि के लिए 90बी का आदेश दिनांक 03.05.2002 को तथा रिव्यू आदेश दिनांक 27.07.2002 को पारित किया गया था, लेकिन 90बी के निर्णय की अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त के यहां विचाराधीन है।
2. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर के यहां इस भूमि से सम्बन्धित प्रकरण राजू बनाम गंगा सहाय वगैरह बनाम जविप्रा जयपुर में भूमि के बेचान नहीं करने एवं रिकार्ड सम्बन्धी स्थगन आदेश दिया गया था। प्रकरण अभी विचाराधीन है।

(सूचियां व प्रति पुस्तकालय में रखी गयीं)

चित्तौड़गढ़ जिले में जलग्रहण योजनान्तर्गत घटिया निर्माण की प्राप्त शिकायतें

405. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विगत तीन वर्षों में जिला चित्तौड़गढ़ की किस-किस ग्राम पंचायत को जलग्रहण योजनान्तर्गत चयनित किया गया एवं किस-किस

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

ग्राम पंचायत में जलग्रहण समितियों का गठन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला चित्तौड़गढ़ में वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक किस-किस ग्राम पंचायत में कितने-कितने कार्य जलग्रहण योजना के तहत स्वीकृत किये गये? स्वीकृत कार्यों पर वर्षवार कितनी राशि का आबंटन एवं व्यय किया गया? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) ग्राम पंचायतों में कार्य स्वीकृति एवं राशि आबंटन के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों में कार्य स्वीकृति और राशि आबंटन में असमानता है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या जलग्रहण कार्यों में मानदण्डों के अनुसार निर्माण नहीं होने एवं घटिया निर्माण की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर?

(6) क्या सरकार द्वारा इन सभी कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया गया था? यदि हां, तो निम्नस्तरीय निर्माण हेतु कौन-कौन दोषी पाये गये एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विगत तीन वर्षों में जिला चित्तौड़गढ़ में जलग्रहण योजनान्तर्गत चयनित ग्राम पंचायत एवं जलग्रहण समितियों के गठन का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जिला चित्तौड़गढ़ में वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक जलग्रहण योजना के तहत ग्राम पंचायतवार स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट-2 (अ) पर संलग्न है तथा ग्राम पंचायतवार आबंटन एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट-2 (ब) पर संलग्न है।

(3) भारत सरकार द्वारा जारी समान मार्गदर्शी सिद्धान्त, 2008 यथा संशोधित, 2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत जलग्रहण विकास कार्यों के लिए चयनित ग्राम पंचायतों में क्षेत्र की आवश्यकतानुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी पी आर) के आधार पर कार्य स्वीकृत किये जाते हैं। परियोजना की स्वीकृति प्राथमिकता सूची के अनुसार की जाती है तथा डेजर्ट एवं नान-डेजर्ट क्षेत्रों में परियोजना के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के उपचार-

(पंचायती राज मंत्री)

योग्य क्षेत्रफल के अनुसार क्रमशः राशि रुपये 15,000 एवं 12,000 प्रति हैक्टेयर से स्वीकृत की जाती है तथा कार्य सम्पादन हेतु राशि का आबंटन रिवोल्विंग फण्ड के रूप में 5.00 लाख रुपये उपसमिति को किया जाता है। उसमें से 60 प्रतिशत से अधिक व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर समायोजन के पश्चात् तदनुसार राशि आबंटित की जाती है।

(4) जी हां। ग्राम पंचायतों में कार्य स्वीकृति और राशि आबंटन में असमानता रहती है।

परियोजना में स्वीकृत उपचार-योग्य भूमि के क्षेत्रफल की ग्राम पंचायतों में भिन्नता के कारण स्वीकृत राशि व आबंटन राशि में असमानता रहती है।

(5) जी नहीं। जलग्रहण कार्यों में मापदण्डों के अनुसार निर्माण नहीं होने एवं घटिया निर्माण की शिकायतें सरकार को प्राप्त नहीं हुई हैं।

(6) जी हां। राज्य सरकार के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार समय-समय पर कार्यों का निरीक्षण किया जा रहा है। निम्नस्तरीय निर्माण की अब तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

वल्लभनगर की भटेवर पंचायत द्वारा जारी पट्टे

406. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर की भटेवर पंचायत में खसरा नं 1175/2 आबादी में एक ही परिवार को 3 पट्टे जारी किये गये हैं? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार नियम-विरुद्ध जारी पट्टों की जांच करवाकर आबंटन निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर की पंचायत में खसरा नं. 1175/2 में जारी किये गये पट्टों के दस्तावेज से सम्बन्धित पत्रावली ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं हुई है। शिकायत पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार दिनांक 26.08.1992 का पट्टा संख्या 383 की पत्रावली में प्रतिलिपि है, जो

(पंचायती राज मंत्री)

कि श्री हीरालाल/देवीलाल सालवी भटेवर के नाम जारी है एवं उक्त प्राप्त पट्टे में वर्णित पड़ोस के अनुसार पूर्व में गोपाल लाल सालवी एवं पश्चिम दिशा में किशन सालवी निवासी भटेवर के नाम दर्ज हैं। उक्त पट्टे में वर्णित पंचायती राज एक्ट 1953 की धारा 71 की प्रदत्त शक्तियों का उल्लेख किया गया है । नियमों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

(2) उक्त जारी किये गये पट्टे की जांच अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर से करवाये जाने के लिए विभागीय पत्र क्रमांक 848 दिनांक 25.07.2014 के द्वारा निर्देशित किया जा चुका है, पत्र की छाया प्रति संलग्न है (परिशिष्ट-ब) । अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

परिशिष्ट–अ

पंचायती राज अधिनियम, 1953 की धारा-71

71. पंचायतों द्वारा कर्त्तव्यों को न करने पर उनके लिए किये जाने की व्यवस्था करने की शक्ति-(1) इस शिकायत के करने पर अथवा अन्यथा की, पंचायत ने इस अधिनियम द्वारा या इसके अन्तर्गत उस पर आरोपित किसी कर्त्तव्य को करने में त्रुटि की है और उचित जांच के पश्चात यदि यह संतोष हो जाय कि पंचायत कथित त्रुटि की दोषी रही है तो पंचायतों के प्रभारी अधिकारी लिखित आज्ञा द्वारा उस कर्त्तव्य को करने के लिए कोई अवधि नियत कर सकता है। ऐसी आज्ञा फौरन पंचायतों को पहुंचा दी जायेगी और उसकी एक प्रतिलिपि पंचायत समिति के पास भेजी जाएगी।

(2) यदि वह कर्त्तव्य इस प्रकार निर्धारित अवधि के भीतर पूरा नहीं किया गया है तो पंचायतों के प्रभारी अधिकारी किसी व्यक्ति को, उसे पूरा करने के लिए नियुक्त कर सकता है और निर्देश दे सकता है कि ऐसे कर्तव्यों को पूरा करने में होने वाला खर्च उसको पूरा करने के लिए नियुक्त किये गये व्यक्ति के उपयुक्त पारिश्रमिक के साथ, पंचायत द्वारा फौरन चुका दिया जाये।

(3) यदि खर्च और पारिश्रमिक इस प्रकार नहीं चुकाए जावें तो पंचायतों के प्रभारी अधिकारी ऐसे व्यक्ति को, निर्देश देते हुए, जिसके पास पंचायत कोष की रोकड़ हो, आज्ञा दे सकता है कि उस रोकड़ में से खर्च या पारिश्रमिक या उनका ऐसा भाग, जितना सम्भव हो, दे देवे।

परिशिष्ट–ब

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.(41)(30)14वीं/द्वितीय सत्र/विसप्र/पंरावि/14/848

जयपुर, दिनांक 25/07/14

अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

जिला परिषद, उदयपुर।

विषय : चौदहवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र का अतारांकित प्रश्न संख्या 1818/पंचायती राज/अता द्वारा श्री म. रणधीर सिंह भीण्डर, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये प्रश्न से सम्बन्धित जारी हुए पट्टों की जांच करने बाबत।

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक 2301 दिनांक 08.07.2014

उपरोक्त विषय वर्णित विधान सभा के प्रश्न बिन्दु संख्या 02 में विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर की ग्राम पंचायत भटेवर के खसरा नं. 1175/2 की आबादी भूमि में जारी किये गये अवैध पट्टों के सम्बन्ध में आप द्वारा संदर्भित पत्र में लिखे गये बिन्दु संख्या 2 के उत्तर में जांच किये जाने का आश्वासन दिया गया है।

अत: आप उक्त खसरा नं. में जारी किये गये अवैध पट्टों की सम्पूर्ण जांच कर जांच रिपोर्ट मय आपकी टिप्पणी के अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सात दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

उप शासन सचिव (विधि)

दौसा जिले की जिला परिषद को आबंटित बजट

407. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत पांच वर्षों में दौसा जिले में जिला परिषद को कितना बजट आबंटित हुआ? यह बजट कहां-कहां व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती अलका सिंह)

(2) जिला परिषद में बजट व्यय करने के मानदंड क्या हैं? क्या इन मानदंडों का पालन किया गया है? क्या व्यय की गई राशि की उपयोगिता की जांच की गई? यदि हां, तो कब-कब व कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत पांच वर्षो में जिला परिषद को विभिन्न योजना अन्तर्गत राशि रु. 54,084.14 लाख का बजट आबंटन हुआ। विवरण परिशिष्ट-अ पर है। उक्त बजट में से जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में विकास कार्य स्वीकृत कर राशि रु. 51,635.23 लाख का व्यय किया गया। विवरण परिशिष्ट-ब पर है।

(2) जी हां। जिला परिषद की साधारण सभा में वार्षिक प्लान अनुमोदित कर कार्य स्वीकृत किये जाकर उन पर व्यय किया जाता है एवं जिला परिषद के ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ में व्यय करने के मानदण्ड विभिन्न योजनाओं के दिशा-निर्देशानुसार हैं। मानदंडों का पालन किया गया है। व्यय की गई राशि की उपयोगिता की जांच समय समय पर निर्धारित मानदण्डों एवं ग्रामीण कार्य निर्देशिका अनुसार सक्षम अधिकारियों/तकनीकी अधिकारियों द्वारा की गई है। विवरण परिशिष्ट-स पर है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खानपुर (झालावाड़) में बरसात के पानी की निकासी का समाधान

408. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में खानपुर कस्बे की जनसंख्या कितनी है?

(2) क्या यह सही है कि खानपुर कस्बे में बरसात के पानी की निकासी की सुविधा सही नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उसका स्थायी समाधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में खानपुर कस्बे की जनसंख्या 17,617 है ।

(पंचायती राज मंत्री)

(2) जी हां । खानपुर कस्बे में बरसात के पानी की निकासी की सुविधा नहीं है । ग्राम पंचायत क्षेत्र में जहां नालियों की समस्या है व नालियां बन्द हैं, वहां पर टी.एफ.सी./एस.एफ.सी./अनटाइड फण्ड द्वारा इस समस्या का समाधान करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं तथा ग्राम पंचायत, खानपुर को वित्तीय वर्ष 2011-12 में टी एफ सी में 14,46,425/- रुपये, एस एफ सी में 13,19,521/- रुपये व निर्बन्ध राशि योजना में 21,85,387/- रुपये; 2012-13 में टी एफ सी में 14,71,350/- रुपये, एस एफ सी में 27,70,337/-रुपये व निर्बन्ध राशि योजना में 19,77,258/- रुपये; 2013-14 में टी एफ सी में 22,70,916/- रुपये, एस एफ सी में 13,85,168/- रुपये व निर्बन्ध राशि योजना में 21,75,790/- रुपये तथा 2014-15 में टी एफ सी में 4,69,190/-रुपयों का आबंटन किया गया है । इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल राशि में से अब तक 3 लाख 92 हजार रुपये (अनटाइड फण्ड से 2,00,000 तथा एस.एफ.सी. से 1,92,000 रुपये) का व्यय किया जा चुका है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है। ग्राम पंचायत इस समस्या का समाधान करने के लिए सक्षम है।

खोराश्यामदास (जयपुर) में जारी पट्टों में अनियमितताएं

409. श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खोराश्यामदास पटवार हल्का खोरा श्यामदास भू-अभिलेख क्षेत्र हरमाडा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित नई खाता संख्या 307 व पुरानी खाता संख्या 299 खसरा नम्बर 220 व खसरा नम्बर 225 के आगे व सड़क से पहले आबादी की सरकारी भूमि स्थित है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किया हुआ है तथा दो अतिक्रमियों ने एक-दूसरे के विरुद्ध न्यायालय में वाद भी दाखिल किये हुए हैं? यदि हां, तो किन-किन के विरुद्ध किस-किस न्यायालय में किस स्तर पर वाद चल रहा है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त आबादी भूमि के फर्जी पट्टे जारी करने का प्रकरण भी सरकार के ध्यान में आया है? यदि हां, तो पट्टे किसके द्वारा किस-किसके नाम जारी किये गये तथा किन-किन के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

(4) क्या यह सही है कि न्यायालय द्वारा सभी फर्जी पट्टों के प्रकरण में पट्टे बनाने वाले व जिनके नाम पट्टे बनाये गये, उन्हें दोषी मानकर सजा दी गई थी? यदि हां, तो किस-किस को कितनी-कितनी सजा कब दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त फर्जी पट्टों को निरस्त कर आबादी की उक्त भूमि का आबंटन/विक्रय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम खोराश्यामदास पटवार हल्का खोराश्यामदास (बदनपुरा) भू-अभिलेख क्षेत्र हरमाडा तहसील आमेर जिला जयपुर में खसरा नं. 307 जो बदनपुरा में न होकर खोराश्यामदास में स्थित है व पुराना खाता संख्या 299 खसरा नं. 225 के आगे व सडक से पहले आबादी की सरकारी भूमि स्थित है। उक्त सरकारी आबादी भूमि के खसरा नं. 545 में 0.19 हैक्टेयर व खसरा नं. 546 में 0.48 हैक्टेयर सरकारी आबादी भूमि है ।

(2) जी नहीं। उक्त भूमि पर किसी भी भू-माफिया द्वारा कब्जा नहीं किया हुआ है। वर्तमान में यह आबादी भूमि खाली है तथा इस भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय में कोई वाद लम्बित नहीं है ।

(3) जी हां। उक्त आबादी भूमि में प्रशासन काल में श्री बृजमोहन प्रशासक द्वारा दिनांक 04.06.1994 को श्रीमती माली देवी पत्नी श्री बाबूलाल माली, श्रीमती ग्यारसी देवी पत्नी श्री राजकुमार माली, श्री प्रभाती देवी पत्नी श्री सीताराम माली व श्रीमती भगवती देवी पत्नी श्री राधेश्याम माली निवासी बदनपुरा को पट्टे जारी किये गये थे, जिन्हें अतिरिक्त कलक्टर तृतीय, जयपुर द्वारा निगरानी संख्या 102/2008 दिनांक 23.12.2009 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। प्रस्तुत निगरानी एवं पारित आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-क)

(4) जी नहीं। अतिरिक्त कलक्टर तृतीय द्वारा अपने फैसले में किसी को भी दोषी मानकर सजा दिये जाने का निर्णय नहीं दिया गया है।

(5) जी हां। ग्राम पंचायत द्वारा नक्शा नवीस से नक्शा तैयार कर उक्त भूमि नियमानुसार आबंटन/विक्रय किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में आपदा घटनाओं से निपटने हेतु आपदा दल का गठन

410. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में आपदा घटनाओं से निपटने के लिए आपदा कार्रवाई दल का गठन किया गया है? यदि हां, तो कब एवं किस आदेश से? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में आज तक सरकार द्वारा आपदा घटनाओं से निपटने की कोई प्लानिंग नहीं की गई एवं न ही किसी प्रकार के कोई उपकरण खरीदे गये हैं? यदि हां, तो क्यों एवं इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में पुलिसकर्मियों को आपदा कार्रवाई दल में पदस्थापित किया गया है? यदि हां, तो कितने कर्मियों को कब से एवं उनकी क्या जिम्मेदारी तय की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि केवल मात्र पुलिसकर्मियों के भरोसे आपदाओं से निपटना मुश्किल है? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में होने वाली आपदाओं से त्वरित निपटने हेतु आपदा प्रबंधन में पूरी टीम एवं अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में आपदा घटनाओं से निपटने के लिए आर.ए.सी. के 25 प्रशिक्षित एवं अनुभवी कर्मियों के सहयोग से दिनांक 25.11.2010 को 'राज्य आपदा प्रतिसाद दल' का गठन किया गया है। दिनांक 25.11.2010 को जारी आदेश की निरन्तरता में दिनांक 30.03.2011 को आदेश जारी कर 125 कार्मिकों का पदस्थापन उक्त दल में किया गया तथा इनका मुख्यालय कोटा रखा गया। तत्पश्चात् दिनांक 13.05.2011 के आदेश द्वारा जयपुर, जोधपुर एवं कोटा मुख्यालय पर 50-50 कार्मिकों का पदस्थापन किया गया। आदेशों की प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न हैं।

(2) जी नहीं। राज्य की आपदा प्रबन्धन योजना एवं राज्य आपदा प्रबन्धन नीति तैयार की जा चुकी है। सभी जिलों की भी आपदा प्रबन्धन योजना तैयार हो चुकी है तथा उनका अद्यतन किया जा रहा है। समस्त

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री)

तहसीलों की योजना व प्रत्येक जिले के संवेदनशील ग्रामों की योजना भी तैयार करने बाबत निर्देश दिये जा चुके हैं। विभिन्न नोडल विभागों यथा पुलिस, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा, स्काउट एण्ड गाइड, राज्य आर्म्ड बटालियन (राज्य आपदा प्रतिसाद दल), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, स्थानीय निकाय, जल संसाधन को आपदाओं से निपटने हेतु खोज एवं बचाव उपकरण क्रय हेतु राशि उनकी मांग अनुसार उपलब्ध करवाई जा चुकी है तथा भविष्य में भी उनका क्षमता संर्वधन जारी रहेगा।

(3) राज्य में आपदाओं से निपटने के लिए राज्य आपदा प्रतिसाद दल का गठन किया जा चुका है, जो कि वर्तमान में जयपुर, कोटा, भरतपुर में आर.ए.सी. यूनिट में कार्यरत हैं। प्रत्येक यूनिट में 50-50 कार्मिकों की तैनातगी की गई है, जो उपकरणों से सुसज्जित हैं। राज्य में 'राज्य आपदा प्रतिसाद दल' को अधिक प्रभावशील बनाने हेतु 746 कार्मिकों की नवनियुक्ति की गई है, जिनकी प्रशिक्षण प्रक्रिया जारी है। प्रशिक्षण उपरान्त इन कार्मिकों की आपदाओं से निपटने हेतु तैनातगी कर दी जावेगी। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा प्रतिसाद दल की छठी बटालियन की एक कम्पनी नारेली, किशनगढ़ (अजमेर) में तैनात की गई है, जो आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है।

(4) पुलिस कर्मियों के अतिरिक्त विभिन्न आपदाओं के लिए नोडल विभाग बनाये गये हैं। सभी नोडल विभाग यथा गृह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि, खान, वन, राजस्व, नगरीय विकास, पशुपालन, उर्जा, जल संसाधन व सार्वजनिक निर्माण का क्षमता संवर्धन किया गया है एवं भविष्य में भी क्षमता संवर्धन जारी रहेगा। आपदाओं से त्वरित निपटने हेतु खोज एवं बचाव उपकरण क्रय हेतु राशि भी उनकी मांग अनुसार उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रदेश में अधिकतम कृषि उपज हेतु किसानों को मार्गदर्शन/ प्रशिक्षण

411. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) इस वर्ष प्रदेश में मानसून की स्थिति एवं वर्षा के अनुमान क्या हैं?

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(2) प्रदेश में अल्प वर्षा एवं वर्षा में विलम्ब के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति का सामना करने की क्या तैयारियां की गई हैं?

(3) उक्त स्थिति में अधिकतम कृषि उपज के लिए किसानों को सामयिक सलाह, मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण की क्या योजना बनाई गई है?

उत्तर

(1) राज्य सरकार को भारतीय मौसम विभाग ने अवगत कराया है कि राज्य में 1 जून, 2014 से लेकर 16 जुलाई तक 52.54 मि.मी. वर्षा हुई है तथा इस वर्ष अल नीनो का हल्का प्रभाव होने के कारण औसत से कम वर्षा हो सकती है। मानसून में देरी के कारण वर्षा में जो कमी रही है, वह वर्तमान में बनी हुई है। किन्तु आगामी महीनों में उसमें परिवर्तन आ सकता है।

(2) राज्य सरकार ने सूखे की सम्भावना को देखते हुए सभी सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिये हैं कि कंटिंजेंसी प्लान के तहत पूर्ण रूप से तैयारी सुनिश्चित करें। लोगों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा के तहत अकाल से प्रभावित परिवारों के लिए लोगों को 100 दिवस से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिये प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार के स्तर पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा अकाल राहत के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के राहत कार्य, जो एस डी आर एफ नोर्म्स के अन्तर्गत संचालित किये जाते है, उनकी सीमा अवधि बढ़ाने हेतु आवश्यक प्रयास किये जाये। सूखे की सम्भावना की मध्यनजर राज्य में कंटिंजेंसी प्लान तैयार किये जा चुके हैं। वर्षा देरी से आने की स्थिति में प्रत्येक जिले में कौनसी फसले बोई जानी चाहिए, यह स्पष्ट कर दिया गया है। कम अवधि में पकने वाली फसलो के बीजों की उपलब्धता का भी आकलन कर लिया गया है। आवश्यकतानुसार विभाग हरे चारे के बीजों के मिनी किट्स वितरण हेतु भी तैयारी कर रहा है।

(3) प्रदेश में वर्षा में विलम्ब के कारण उत्पन्न स्थिति में अधिकतम कृषि उपज प्राप्त करने के लिए वर्षा की विषम परिस्थितियों के अनुरूप कार्य योजना तैयार की गई है। कृषकों को कृषि विभाग के प्रसार कार्यक्रमों से एवं विभिन्न योजनान्तर्गत आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षणों तथा प्रचार-प्रसार कार्यक्रमों के माध्यम से सामयिक सलाह प्रदान की जा रही है, ताकि कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े।

सामाजिक छात्रावासों/सामुदायिक भवनों में विधायक कोष की राशि का आबंटन

412. श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विधायक कोष से सामाजिक छात्रावासों एवं समाज के सामुदायिक भवनों में राशि स्वीकृत करने का प्रावधान नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उपरोक्त कार्यों को विधायक मद से कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां । विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत सामाजिक छात्रावासों का निर्माण स्वीकृत करने का प्रावधान नहीं है एवं समाज के सामुदायिक भवन का निर्माण केवल राजकीय भूमि पर ही किये जाने का प्रावधान है। किसी व्यक्ति/संस्था या समुदाय द्वारा समर्पित भूमि पर निर्माण नहीं कराया जायेगा।

(2) उक्त कार्यों को विधायक मद से कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

नवलगढ़ में 60 दिवसीय कार्य योजना में व्यय राशि

413. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार की 60 दिवसीय कार्य योजना में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्या-क्या कार्य कराये जाने प्रस्तावित थे और उसके मुकाबले कितनी राशि व्यय कर किस-किस प्रकार के कितने कार्य कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में उक्त कार्य योजना में क्या-क्या कार्य, कहां-कहां और कितनी राशि व्यय कर कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में उक्त कार्य योजना में कराये

(डा. राजकुमार शर्मा)

जाने वाले सभी कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं और इन्हें कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार की 60 दिवसीय कार्य योजना में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्य एवं उनकी प्रगति की सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में 60 दिवसीय कार्य योजना में निम्नांकित कार्य स्वीकृत एवं पूर्ण करवाये गये:-

1. निर्मल भारत अभियान में शौचालय निर्माण - इस योजना में प्रति शौचालय एन बी ए में 4,600/- रुपये एवं नरेगा योजना में 4,500/- रुपये, कुल 9,100/- रुपये स्वीकृत किये गये। ग्राम पंचायतवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	नाम ग्रा. पं.	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	व्यय राशि
1	सोटवारा	124	47	4,27,700
2	लोहार्गल	83	6	54,600
3	बडवासी	134	88	8,00,800
4	देवगांव नुआ	43	28	2,54,800
5	डुण्डलोद	20	17	1,54,700
6	चिराना	477	30	2,73,000
7	कसेरू	317	34	3,09,400
	योग	**1,198**	**250**	**22,75,000**

पूर्ण किये गये शौचालयों की ग्राम पंचायतवार लाभार्थियों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

2. पंचायत घर निर्माण:- ग्राम पंचायत ढिगाल में राशि रुपये 10.00 लाख स्वीकृत हुई जिस पर 7.50 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं एवं कार्य प्रगतिरत है।

(3) निर्मल भारत अभियान+नरेगा योजनान्तर्गत बिन्दु संख्या 2 में अंकित तालिका में 7 ग्राम पंचायतों में स्वीकृत 1,198 शौचालयों में से 250

(ग्रामीण विकास मंत्री)

पूर्ण करा दिये गये हैं एवं शेष 948 शौचालय यथासम्भव दिनांक 31.3.2015 तक पूर्ण करा दिये जायेंगे।

ग्राम पंचायत ढिगाल में पंचायत घर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ग्राम पंचायत के अनुसार यह कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करा दिया जायेगा।

(सूचना व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर) में ग्राम पंचायत के फण्ड राशि का विकास अधिकारी आवास पर व्यय

414. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विकास अधिकारी द्वारा अपने सरकारी आवास पर मरम्मत हेतु किसी ग्राम पंचायत के फण्ड से राशि उठाई जा सकती है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या गत पांच वर्षों में जिला श्रीगंगानगर की पंचायत समिति श्रीकरणपुर में पदस्थापित विकास अधिकारी द्वारा अपने सरकारी आवास पर मरम्मत कार्य करवाए गये थे? यदि हां, तो उक्त मरम्मत कार्यों की राशि किस-किस फण्ड से कब-कब एवं कितनी-कितनी उठाई गई थी? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उक्त मरम्मत कार्यों हेतु मरम्मत राशि उक्त विकास अधिकारी द्वारा नियम विरुद्ध किसी ग्राम पंचायत के फण्ड से उठाई गई थी? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या उक्त मरम्मत कार्य पब्लिक फण्ड के दुरुपयोग एवं गबन की श्रेणी में आते हैं? यदि हां, तो सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। पंचायत समिति, श्रीकरणपुर में विकास अधिकारी आवास

(पंचायती राज मंत्री)

मरम्मत राज्य वित्त आयोग, पंचायत समिति मद से स्वीकृति दिनांक 12.05.2011 स्वीकृत राशि रुपये 24,600/- के विरुद्ध प्रथम किस्त रु. 22100/- चैक दिनांक 18.05.2011 को जारी की गयी व अन्तिम किस्त की राशि रु. 2,395/- दिनांक 18.07.2011 को जारी की गयी।

विकास अधिकारी आवास विस्तार कार्य राज्य वित्त आयोग, पंचायत समिति मद से स्वीकृति दिनांक 24.1.2012, स्वीकृत राशि रुपये 61,000/- के विरुद्ध प्रथम किस्त का भुगतान रु. 50,000/-चैक दिनांक 6.2.2012 को किया गया व अन्तिम किस्त की राशि रु. 10,893/-चैक दिनांक 25.06.2013 द्वारा किया गया।

विकास अधिकारी आवास में गेट व फर्श निर्माण निर्बन्ध राशि योजना पंचायत समिति मद से स्वीकृति दिनांक 16.1.2014, स्वीकृत राशि रु. 15,522/- विरुद्ध प्रथम किस्त रु. 12,000/- एवं दिनांक 10.4.2014 को हस्तान्तरित की गई व अन्तिम किस्त रु. 3,434/-दिनांक 10.4.2014 को जारी की गई।

विकास अधिकारी आवास विस्तार मय रंगरोगन निर्माण निर्बन्ध राशि योजना पंचायत समिति मद से स्वीकृति दिनांक 14.2.2014, स्वीकृत राशि रु. 5,00,000/- के विरुद्ध कार्य की प्रथम किस्त रु. 4,00,000/- जारी किया गयी।

(3) जी हां। दिनांक 14.02.2014 को ग्राम पंचायत 50 एफ से विकास अधिकारी आवास मरम्मत हेतु राशि रुपये 5.00 लाख ली गयी थी, जिसे दिनांक 26.05.2014 को ग्राम पंचायत 50 एफ को वापस लौटा दी गई। इस प्रकरण में राज्य स्तर से जांच करवाई जावेगी।

(4) जी नहीं। राजकीय सम्पत्तियों के रखरखाव पर होने वाला व्यय दुरुपयोग एवं गबन की श्रेणी में नहीं आता है।

प्रदेश में महाविद्यालयों में प्राचार्य/उपाचार्य पद पर कार्यरत पति-पत्नी

415. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि नियमानुसार प्रदेश में किसी महाविद्यालय में पति-पत्नी एक साथ प्राचार्य एवं उपाचार्य के पदों पर कार्यरत रह सकते हैं? यदि हां, तो प्रदेश के किस-किस महाविद्यालय में पति, पत्नी एक साथ प्राचार्य एवं उपाचार्य के पदों पर कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

महाविद्यालय में पति-पत्नी एक साथ प्राचार्य एवं उपाचार्य के पदों पर कार्यरत रह सकते हैं या नहीं, के सम्बन्ध में विभाग के कोई नियम या नीति बनी हुई नहीं है, किन्तु सामान्यत: एक ही शिक्षण संस्था में दोनों को प्राचार्य एवं उपाचार्य रखना व्यावहारिक नहीं है।

राजकीय महा़विद्यालय, कोटा में पति प्राचार्य के पद पर एवं पत्नी उपाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। इनके पदस्थापन आदेश की प्रतियां परिशिष्ट -'अ' पर संलग्न हैं।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

राजकीय धर्मचन्द गांधी महाविद्यालय, बहरोड़ में विज्ञान संकाय का संचालन

416. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय धर्मचन्द गांधी महाविद्यालय, बहरोड़ में कौन-कौन से संकाय संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त महाविद्यालय में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान की प्रयोगशालाएं तैयार हैं, परन्तु अभी तक विज्ञान संकाय संचालित नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में विज्ञान संकाय संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राजकीय धर्मचन्द गांधी महाविद्यालय, बहरोड़ में स्नातक स्तर पर कला एवं वाणिज्य संकाय तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में राजनीति विज्ञान विषय संचालित है। विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) राजकीय महाविद्यालय, बहरोड़ में रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान की प्रयोगशालाएं तैयार हैं एवं आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध हैं।

राजकीय महाविद्यालय, बहरोड़ में वर्ष 2002-03 से स्ववित्तपोषी योजना में विज्ञान संकाय संचालित था। वर्ष 2011-12 के बाद छात्रों की अनुपलब्धता के कारण यह संकाय संचालित नहीं है। (परिशिष्ट '2' पर सूचना संलग्न है।)

(उच्च शिक्षा मंत्री)

वर्तमान में विभाग की वार्षिक योजना में बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं होने एवं राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण राजकीय क्षेत्र में विज्ञान संकाय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

परिशिष्ट-1

राजकीय महाविद्यालय, बहरोड़ में संचालित संकाय/विषय

स्तर	**कला संकाय**	**वाणिज्य संकाय**	**स्ववित्त पोषित विषय**
स्नातक स्तर	राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, समाजशास्त्र	एबीएसटी, ईएफएम, व्यवसाय प्रशासन	भूगोल, राज. विज्ञान, इतिहास
स्नातकोत्तर	राजनीति विज्ञान		

परिशिष्ट-2

कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय बहरोड़ (अलवर)

क्रमांक एफ 1( ) संस्था/रामब/14/685 दिनांक 29/7/14

श्रीमान आयुक्त महोदय

पदेन शासन सचिव उच्च शिक्षा राजस्थान

आयुक्तालय कालेज शिक्षा राजस्थान

शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग

जयपुर।

विषय :- विधान सभा प्रश्न संख्या 2448/उच्च शिक्षा/डा. जसवन्त सिंह यादव (64) सदस्य विधान सभा।

संदर्भ:- संख्या 2527/सत्र-2/प्र.शा/वि.स./2014 दिनांक 13.07.2014

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत आप द्वारा दूरभाष पर दिये गये निर्देशानुसार बिन्दुवार सूचना इस प्रकार है-

1. इस महाविद्यालय में स्ववित्तपोषी योजना में विज्ञान संकाय रसायन

शास्त्र, प्राणी शास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र के विषय संयोजन से वर्ष 2002-03 से 2011-12 तक संचालित रहा।

2. महाविद्यालय के पास रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र की प्रयोगशालाएं एवं आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं।

3. वर्तमान में शुल्क अधिक्य एवं योग्य संकाय सदस्यों की उपलब्धता के अभाव में विज्ञान संकाय संचालित नहीं है।

4. स्ववित्तपोषी योजना में विज्ञान संकाय में जब यह संचालित थी, विद्यार्थियों की संख्या निम्न प्रकार रही-

वर्ष	**प्रतिवर्ष विद्यार्थियों की संख्या**		
	B.Sc. Part-I	**B.Sc. Part-II**	**B.Sc. Part-III**
2002-03	22	-	-
2003-04	59	16	-
2004-05	62	35	11
2005-06	48	47	27
2006-07	59	35	45
2007-08	28	43	36
2008-09	36	18	34
2009-10	04	25	21
2010-11	-	18	24
2011-12	-	-	13

ह.

(डा. ओ.पी. गुप्ता)

राजकीय महाविद्यालय, बहरोड

अलवर, राज.

कुशलगढ़ में नरेगा योजना में कार्यरत कार्मिकों का नियमितीकरण

417. श्री भीमा भाई (कुशलगढ़) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कितने कार्मिकों को नियमित किया गया एवं इनमें से पूर्व में कार्यरत संविदा कार्मिक कितने थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भीमा भाई)

(2) क्या सरकार वंचित संविदा कार्मिकों एवं प्लेसमेंट एजेन्सियों द्वारा नियुक्त कार्मिकों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त नियुक्ति में आयु पार हो चुके अभ्यर्थियों को शामिल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(4) वर्तमान में प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा नियुक्त नरेगा कर्मियों को मात्र रु. 4,250/- प्रति माह मानदेय प्राप्त होता है? क्या सरकार उक्त कार्मिकों की मानदेय वृद्धि का भी विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार प्लेसमेंट पर कार्यरत कार्मिकों को संविदा पर नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कुल 83 संविदा कार्मिक कार्यरत थे। योजनान्तर्गत किसी भी कार्मिक को नियमित नहीं किया गया है, अपितु पंचायती राज विभाग द्वारा शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया में 41 कार्मिकों का नियमित चयन हुआ है।

(2) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत पदों पर प्रतिनियुक्ति/संविदा के माध्यम से ही कार्मिकों का पदस्थापन किये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत नियोजित संविदा कार्मिक अथवा प्लेसमेंट ऐजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को नियमित किये जाने का प्रावधान नहीं है।

(3) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नियोजित संविदा कार्मिक अथवा प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को नियमित किये जाने का प्रावधान नहीं है।

(4) प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत नरेगा कार्मिकों का मानदेय पद के अनुरूप अलग-अलग है एवं इन कार्मिकों को वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदेय दिया जाता है।

(5) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से नियोजित कार्मिकों को संविदा आधार पर नियोजित किया जा सके। योजनान्तर्गत कार्य की आवश्यकतानुसार प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से कार्मिकों का नियोजन किया जाता है।

प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण

418. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मनरेगा योजनान्तर्गत निर्मित किये जाने वाले सड़क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश बने हुए हैं? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? दिशा-निर्देशों के की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत डामरीकृत सड़क निर्माण पर रोक है? यदि हां, तो क्या सरकार अब चिह्नित स्थानों पर उक्त प्रकार की सड़कों का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत डामरीकृत सड़कें बनाने पर रोक नहीं है, परन्तु यह कार्य विशेष प्रकृति का होने के कारण, जिसमें विशेष कुशल श्रमिकों की आवश्यकता रहती है एवं सामग्री प्रधान भी है, अत: महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नहीं कराये जा रहे हैं।

विशेष चिह्नित स्थानों पर उक्त प्रकार के कार्य अन्य योजना से कंवर्जेन्स के माध्यम से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराये जा सकते हैं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

मालपुरा (टोंक) में चांदसेन की खिड़की से श्मशान घाट तक ग्रेवल सड़क का निर्माण

419. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक में चांदसेन की खिड़की से श्मशान घाट व जुझारजी मंदिर तक ग्रेवल सड़क स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो कब एवं सड़क निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई थी? स्वीकृति आदेश की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

(2) उक्त सड़क निर्माण के लिए निविदा प्रक्रियान्तर्गत किस संवेदक को टेण्डर दिया गया? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त सड़क का पूर्ण निर्माण किया जा चुका है? यदि हां, तो संवेदक को कब-कब, कितना-कितना भुगतान किया गया? यदि नहीं, तो सड़क निर्माण पूर्ण नहीं होने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि वर्तमान में चांदसेन की खिड़की से शमशान घाट व जुझार मंदिर तक ग्रेवल सड़क का निर्माण अधूरा है? यदि हां, तो अब कब तक सड़क का निर्माण करा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। चांदसेन खिड़की के पास से सत्यनारायण माली के मकान की ओर ग्रेवल मिट्टी कार्य डिग्गी के नाम से "निर्बन्ध राशि योजना" के तहत राशि रुपये 4.00 लाख की स्वीकृति पंचायत समिति मालपुरा, जिला टोंक द्वारा दिनांक 04.06.2014 को जारी की गई है। स्वीकृत आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

(2) उक्त कार्य हेतु पृथक से निविदा आमंत्रित नहीं की गई, क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2014-15 तक सामग्री की आपूर्ति के लिए निविदा मै. पटेल कन्स्ट्रक्शन कंपनी की निविदा स्वीकृत है। संवेदक के नाम जारी आदेश की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। सम्बन्धित अभियन्ता के मूल्यांकन के अनुसार कार्य पूर्ण कर दिया गया है। कार्य के विरुद्ध किया गया भुगतान निम्नानुसार है :-

दिनांक 23.06.2014 - रुपये 29,831/- का भुगतान मै. पटेल कन्स्ट्रक्शन कंपनी,

दिनांक 30.06.2014 - रुपये 1,13,667/- का भुगतान मै. पटेल कंस्ट्रक्शन कंपनी एवं श्रमिकों को,

दिनांक 11.07.2014 - रुपये 19,110/- श्रमिकों को,

श्रमिकों का रुपये 36,750/- का भुगतान बकाया है।

कुल भुगतान रुपये 1,99,358/-

(4) वर्तमान में जुझार मंदिर व शमशान घाट के पास तक ग्रेवल सड़क उक्त स्वीकृति अनुसार कार्य पूर्ण करा दिया गया है एवं कोई कार्य शेष नहीं है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या-288 के विवरण व प्रति

परिशिष्ट-1

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	लैम्पस का नाम	कार्य क्षेत्र में ग्राम पंचायतों का नाम	ग्राम पंचायत का नाम जिसमें लैम्पस नहीं हैं
1	सज्जनगढ़	बिलडी चनावला	बिलडी, शक्करवाडा	शक्करवाडा
2		छोटा डूंगरा	छोटा डूंगरा, बड़ा डूंगरा, बावड़ीपाड़ा	बड़ा डूंगरा, बावड़ीपाड़ा
3		हिम्मतगढ़	हिम्मगढ़, टाण्डी बड़ी, बावड़ीपाड़ा	टाण्डी बडी, सातसेरा
4		जालिमपुरा	जालिमपुरा	
5		कसारवाडी	कसारवाडी, मस्का बड़ा, मुनियाखुंटा	मस्का बड़ा, मुनियाखुंटा
6		राठधनराज	राठधनराज, जीवाखुंटा, टाण्डा मंगला	जीवाखुंटा, टाण्डा मंगला
7		सागवा	सागवा, ईटावा, मह्हुडी	ईटावा, मह्हुडी
8		सज्जनगढ़	सज्जनगढ़, टाण्डा रतना, गोवावडा, नारेंग, अन्देश्वर	टाण्डा रतना, गोदावडा नारेंग, अन्देश्वर
9		ताम्बेसरा	ताम्बेसरा, मगरदा, पाली बड़ी, मछारा साथ	मगरदा, पाली बड़ी, मछारा साथ
10		खुन्दनी हाला	खुन्दनी हाला, खुटा चतरा	खुटा चतरा
11		रोहनीया राम सिंह	रोहनीया राम सिंह, भुरा कुंआ	भुरा कुंआ
1	कुशलगढ़	बड़ी सरवा	बड़ी सरवा, मह्हुडा	मह्हुडा,
2		बडवास छोटी	बडवास छोटी, झिकली, बडवास बड़ी	झिकली, बडवास बड़ी
3		छोटी सरवा	छोटी सरवा	

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	लैम्पस का नाम	कार्य क्षेत्र में ग्राम पंचायतों का नाम	ग्राम पंचायत का नाम जिसमें लैम्पस नहीं हैं
4		कोटडा राणगा	कोटडा राणगा, बिंजोरी बड़ी	बिजोरी बड़ी
5		लोहारिया बड़ा	लोहारिया, डुंगरिया, ठुम्मठ	डूंगरिया, ठुम्मठ
6		मोहकमपुरा	मोहकमपुरा, बस्सी, वालीयापाडा	बस्सी, वालीयापाडा
7		मुन्दडी	मुन्दडी, भगतपुरा	भगतपुरा
8		पाटन	पाटन, चोखवाडा	चोखवाडा
9		रामगढ़	कलिंजरा, रामगढ़, काकनवाडी, पोटलिया	कलिंजरा, काकनवाडी, पोटलिया
10		आमलीपाड़ा (टिमेडाबड़ा)	आमलीपाड़ा, चरकनी, सब्बलपुरा, सारण, टिमेडा	चरकनी, सब्बलपुरा, सारण टिमेडा
11		ठंकाला	ठंकाला, वसूनी	वसूनी
12		कुशलगढ़ (नगरपालिका क्षेत्र)	कुशलपाडा	कुशलपाडा

प्रबनध निदेशक

बैंक

परिशिष्ट-2

कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-प.82(1)सविरा/योजना-II/2008/पार्ट-II दिनांक 26/09/2011

आदेश

मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या डी. 124/मं.मं./2011 दिनांक 21.9.11 के अनुसरण में मंत्रिमण्डल की आज्ञा 183/2008 दिनांक 6.10.2008 तथा मंत्रिमंडल की आज्ञा 113/2009 दिनांक 31 नवम्बर/1 दिसम्बर, 2009 का अतिक्रमण कर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के निम्नांकित नये मानदण्ड निर्धारित किये जाते हैं :-

1. ग्राम सेवा सहकारी समिति का कार्यक्षेत्र कम से कम एक सम्पूर्ण ग्राम पंचायत होगा।
2. नव गठित समिति की न्यूनतम सदस्य संख्या 500 होगी।
3. न्यूनतम हिस्सा राशि रुपये 5.00 लाख होगी।
4. सामान्य क्षेत्रों में सदस्यों से न्यूनतम अमानत 1.00 लाख रुपये तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में अमानत राशि 75000.00 रुपये होगी।
5. किसी भी एक ग्राम पंचायत में दो ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं होगी।
6. नई समितियों में फर्नीचर व फिक्सचर्स हेतु 50,000/- रुपये पैक्स विकास कोष से दिया जायेगा।

उपरोक्त मानदण्डों के अनुसर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में निम्नानुसर अधिकारियों की समिति विचार कर प्रस्ताव स्वीकृति हेतु पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर को प्रेषित करेगी :

1. जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2. प्रबंध संचालक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.	सदस्य
3. मुख्य कार्यकारी, जिला परिषद	सदस्य
4. उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	सदस्य सचिव

इन समितियों के सृजन एवं संचालन के लिए राज्य सरकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी जायेगी।

रजिस्ट्रार

परिशिष्ट-2

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं

जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

उदयपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर टोलनाके को मोतली से बिछीवाड़ा के मध्य स्थापित किया जाना

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि नेशनल हाइवे 8 पर खैरवाड़ा में टोल टैक्स की वसूली हेतु केन्द्र स्थापित कर रखा है। उक्त कर-संग्रहण-केन्द्र पर रतनपुर गुजरात सीमा से खैरवाड़ा तक की 27 किमी. दूरी का कर संग्रहण किया जाता है। खैरवाड़ा से 3 किमी. दूरी पर मोतली मोड़ से डूंगरपुर अलग सड़क जाती है। नेशनल हाइवे 8 पर उक्त संग्रहण केन्द्र से मोतली मोड़ तक मात्र 3 किमी. वाहन डूंगरूपुर जिले में जाने के लिये चलते हैं, परन्तु शुल्क संग्रहण केन्द्र 27 किमी. दूरी का पूरा कर जब से कर-संग्रहण-केन्द्र स्थापित हुआ है, तब से डूंगरपुर जिले के वाहनधारियों एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन विभाग से वसूला जा रहा है।

डूंगरपुर जिला मुख्यालय से खैरवाड़ा होते हुए प्रतिदिन चार पहिया एवं चार पहियों से अधिक पहियों के करीब 800 से 1,000 तक वाहन आते-जाते हैं। प्रति माह एक करोड़ से अधिक राशि डूंगरपुर जिले की जनता से बिना नेशनल हाइवे 8 पर चले वसूली जा रही है, जिससे डूंगरपुर जिले की जनता का शोषण हो रहा है। अभी तक डूंगरपुर जिले की जनता से करीब डेढ़ अरब रुपया अवैध रूप से वसूल लिया गया है। डूंगरपुर जिले की जनता आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है। पिछड़ी जनता को और पिछड़ा बनाने का कृत्य कर-संग्रहण-केन्द्र द्वारा किया जा रहा है, जो बिलकुल ही बरदाश्त-योग्य नहीं है।

अत: माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि नेशनल हाइवे 8 पर खैरवाड़ा में स्थापित कर-संग्रहण-केन्द्र तुरन्त प्रभाव से हटवा कर मोतली मोड़ से रतनपुर के मध्य स्थापित किया जावे, जिससे कि डूंगरपुर जिले की जनता का शोषण रोका जाकर राहत मिले।

देवेन्द्र कटारा
(डूंगरपुर)

गंगापुर सिटी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय व भूगोल विषय खोले जाना

मेरे विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में संचालित पी.जी. कालेज 1977 में माननीय भैरोसिंहजी शेखावत द्वारा शुरू किया गया था। उस समय कालेज में आर्टस के साथ-साथ कामर्स संकाय भी खोला गया था, जिसमें दोनों संकाय चल रहे थे। पिछले कांग्रेस शासन में जब महाविद्यालय को पी.जी. का दर्जा दिया गया, तब केवल आर्टस का ही संकाय रखा गया एवं उसमें भी भूगोल विषय नहीं रखा गया।

महोदय, गंगापुर में 50 किलोमीटर के अन्दर करौली, लालसोट, हिन्डौन में कामर्स संकाय नहीं होने से बच्चों को भी भारी परेशानी हो रही है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि गंगापुर पी.जी. कालेज में कामर्स संकाय एवं भूगोल विषय खोला जावे। साथ ही, कालेज की जमीन को अतिक्रमण-मुक्त करवाया जावे, जिस पर चारों तरफ कब्जा कर लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, गंगापुर सिटी का हायर सेकण्डरी स्कूल जो 1942 का बना हुआ है व गर्ल्स सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, दोनों के भवन जर्जर हो चुके हैं। उनमें रिपेयर की व्यवस्था की जावे तथा विद्यालय की जमीन को भी अतिक्रमण से बचाने के लिए चार दीवारी पुख्ता की जावे।

महोदय, मेरे क्षेत्र में 13 सीनियर सैकण्डरी स्कूलों, 14 सैकण्डरी स्कूलों में प्रिंसिपल, हैडमास्टर, अंग्रेजी, गणित, सभी महत्वपूर्ण फैकल्टियां खाली हैं। साथ ही, सैकण्ड ग्रेड के भी पद बड़ी संख्या में खाली हैं। ज्यादातर विद्यालयों में टायलेट व पेयजल की अच्छी सुविधा नहीं है। अत: मेरा माननीय मंत्रीजी से अनुरोध है कि सरकारी स्कूलों का वातावरण अच्छा बने, इस हेतु स्टाफ व्यवस्था, भवनों एवं जन-सुविधाओं का विकास किया जावे।

मान सिंह

(गंगापुर)

पिण्डवाड़ा-आबू में चुनाई पत्थर के खनन पर रोक को हटाया जाना

मेरे विधान सभा पिण्डवाड़ा-आबू क्षेत्र के पूरे क्षेत्र को लाइमस्टोन क्षेत्र घोषित किया हुआ है। आपके माध्यम से मंत्री महोदय व सरकार से कहना

चाहता हूं कि यह मामला क्षेत्र की गरीब जनता से जुड़ा हुआ है। यदि किसी गरीब व्यक्ति द्वारा अपना मकान बनाने के लिए पत्थरों से भरा ट्रैक्टर लाया जावे तो उसे सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाता है और रुपये 25,000 से 51,000 हजार तक का चालान किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि चुनाई पत्थरों पर लगी रोक को हटाया जावे ताकि क्षेत्र की गरीब जनता को राहत मिल सके। पूरे क्षेत्र में लाइमस्टोन पत्थर ही नहीं, चुनाई पत्थर भी है। अत: पुन: जांचकर कोर्ट द्वारा लगी रोक हटाने का कष्ट करें।

समाराम गरासिया

(पिण्डवाड़ा-आबू)

नवजीवन योजना में आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से अति-पिछड़ी कतिपय जातियों को शामिल किया जाना

मैं माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की जानकारी में लाना चाहता हूं कि नवजीवन योजना के माध्यम से ऐसी जातियां जो अवैध शराब के निर्यात व व्यापार में लिप्त हैं, को अन्य रोजगार हेतु प्रशिक्षण एवं बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा हेतु प्रावधान है। इन कार्यों हेतु आबकारी की आय की 1 प्रतिशत राशि का बजट प्रावधान रखा गया है। पर्याप्त बजट होने के बावजूद भी विभाग द्वारा प्रशिक्षण शिक्षा एवं रोजगार हेतु जितने परिवारों को लाभान्वित किया जा सकता है, उतने परिवारों को लाभान्वित नहीं किया जा रहा है। मेरा माननीय मंत्री महोदयजी से निवेदन है, जितना बजट प्रावधान है, उसका पूरा उपयोग किया जाये एवं इसके लिए नवजीवन योजना में आने वाले परिवारों के छात्रों को तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा दिलाने हेतु प्रावधान जोड़ा जाये।

साथ ही, कुछ ऐसी जातियां हैं जो अभी भी आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से बहुत पिछड़ी हुई हैं उन्हें भी नवजीवन योजना में जोड़ा जाये:-

1. बावरी (चौकीदार), जो अंग्रेजी बबूल की कटाई कर कोयला बना कर अपना रोजगार करते हैं;
2. साठिया जाति, जिसके कई परिवार अभी भी देहव्यापार द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं; एवं

3. शहरी क्षेत्र के भील जाति के परिवार, जो कचरा बीनने का कार्य कर आजीविका चलाते हैं।

चूंकि विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में बजट है, अत: इन जातियों को भी इस योजना में जोड़ कर इनके उत्थान एवं कल्याण का कार्य किया जा सकता है।

साथ ही, इस योजना में आने वाले परिवारों की बस्तियों में विकास कार्य करवाने का प्रावधान है। बस्तियों में विकास कार्य स्थानीय निकाय, विधायक एवं सांसद कोष से किया जा सकता है। इस योजना की राशि का पूरा उपयोग शिक्षा, प्रशिक्षण एवं रोजगार हेतु ही किया जावे।

साथ ही, इस योजना के बजट का पूरा उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

ज्ञानचन्द पारख

(पाली)

चित्तौड़गढ़ नगर परिषद की अनियमितताओं की जांच पश्चात् कार्यवाही

निवेदन है कि जिला चित्तौड़गढ़ की नगर परिषद एक ऐसा भ्रष्ट निकाय होने के कगार पर है जहां पर अनियमितताओं की सभी सीमाएं समाप्त होने को हैं, किन्तु फिर भी प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। उक्त नगर परिषद में गत 2 वर्षों से कोई भी बैठक नहीं हुई है एवं लगातार वार्षिक बजट भी राज्य सरकार द्वारा कराया जाता रहा है। वर्तमान में चित्तौड़गढ़ लगी नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बहुमत से विराजमान है। ऐसे गत 5 वर्ष में उक्त बोर्ड द्वारा सैकडों घोटाले किये गये, जिनकी गिनती कराने में सदन का पूरा एक दिन का समय व्यतीत होगा किन्तु घोटालों की सूची समाप्त नहीं हो पायेगी। उक्त परिषद के खिलाफ 42 जांचें विभिन्न विभागों में विचाराधीन हैं एवं 5 जांचों में तो सभापति एवं अधिकारी व कर्मचारियों को दोषी भी पाया गया है, लेकिन कार्यवाही आज दिवस तक नहीं हुई है। गत वित्तीय वर्ष में परिषद द्वारा 38 करोड़ 68 लाख रुपये का भुगतान ठेकेदारों को विभिन्न कार्यों बाबत करना बताया गया है, किन्तु परिषद के कार्यों से सभी परिचित हैं कि जिले में कितना कार्य परिषद द्वारा सम्पन्न कराया गया है।

विगत सरकार द्वारा पुराने कब्जेधारियों को फायदा पहुंचाने के लिए

1990 से पूर्व के कब्जों के लिए अलग से आदेश जारी किया गया था, लेकिन इसका दुरुपयोग करते हुए सैकड़ों पत्रावलियों में उक्त आदेश का हवाला देकर परिषद को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाकर, व्यक्तिगत लोगों को फायदा पहुंचाया गया है। इसमें उपखण्ड अधिकारी द्वारा की गई जांच में सम्पूर्ण एम्पावर्ड कमेटी को दोषी पाया गया है एवं यह रिपोर्ट राज्य सरकार को भी प्रेषित की गई है। कच्ची बस्ती रामदेवजी का चन्देरिया एवं भीलों की झोंपड़ी गांधीनगर में 47 पट्टे फर्जी जारी कर दिये गये एवं परिषद को करोड़ों का चूना लगाया गया। सार्वजनिक मार्ग पर एवं राजीव गांधी पाठशाला की सरकारी भूमि पर भी पट्टे जारी कर दिये गये, जिसमें उपखण्ड अधिकारी द्वारा दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाने की अनुशंसा भी की गई है।

सभापति एवं पूर्व अध्यक्ष द्वारा अधिकारियों से मिलकर घोटालों से सम्बन्धित 228 पत्रावलियां परिषद कार्यालय से गायब करवा दी गईं तथा औपचारिकता के लिए उक्त गायब की गईं पत्रावलियों की गुमशुदगी की प्राथमिकी पुलिस में दर्ज करवा दी गई। ठेका पद्धति में, लेबर सप्लाई में, सफाई, उद्यान, अतिक्रमण, फायर, राज्य सरकार के किसी आदेश की पालना नहीं की गई तथा लेबर का शोषण करते हुए परिषद को भी करोड़ों का नुकसान किया गया। 90-ए के अन्तर्गत निजी कालोनाइजर्स को फायदा पहुंचाने के लिए राजकीय भूमि का दुरुपयोग कर खुर्द-बुर्द कर दिया गया, जिससे परिषद को सैकड़ों बीघा भूमि का नुकसान हुआ। इनमें नगर परिषद की भूमि एवं नाले की जमीन को खुर्द-बुर्द कर निजी कालोनाइजर को फायदा पहुंचाने में परिषद की सभापति, अधिकारी व कर्मचारी एवं टाउन प्लानर की मिलीभगत होने की जांच रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा एस डी एम चित्तौड़गढ़ को प्रेषित की गई है।

अत: मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उक्त परिषद में अभी भी घोटाले-पर-घोटाले निरन्तर हो रहे हैं, जिनको तुरन्त रुकवाये जाने हेतु भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम द्वारा निष्पक्ष जांच होकर, दोषी सभापति एवं अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जावें एवं उक्त भ्रष्टतम बोर्ड को भंग किया जावे ताकि जिला चित्तौड़गढ़ का विकास हो सके एवं जनता को राहत मिल सके।

चन्द्रभान सिंह 'आक्या'

(चित्तौड़गढ़)

कपासन की पेयजल समस्या का समाधान एवं राशमी में सहायक अभियंता कार्यालय खोला जाना

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कपासन में पिछले कई वर्षों से पेयजल का संकट होने लगा है। जल उपलब्ध है, लेकिन फ्लोराइड-युक्त पानी है। मेरे क्षेत्र के सभी गांवों व कस्बों में उपलब्ध पानी की जांच करवाकर फ्लोराइड-युक्त पानी जहां-जहां भी है, वहां के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराने का आग्रह करता हूं।

सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कपासन नगरपालिका क्षेत्र में शुद्ध पानी की व्यवस्था के लिए पेयजल योजना का विस्तार करावें, फिल्टर प्लांट लगावें तथा पुरानी पाइप लाइनों को हटाकर नई पाइप लाइन लगाने की आवश्यकता है। घोसुण्डा डैम का पानी कपासन होकर दरिबा जिंक प्लांट में जा रहा है। कपासन कस्बे को घोसुण्डा डैम का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

मैं साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के निम्न गांवों में पेयजल समस्या समाधान कराया जाना अतिआवश्यक है- 1. भादसोडा, 2. लेसवा, 3. रेवलिया, 4. भूपालसागर, 5. कंकरवा 6. आकोला, 7. लांगच, 8. हिंगोरिया, 9. लूणेरा, 10. राशमी, 11. पहुंना, 12. सूरपुर, 13. रेवाड़ा, 14. रूद, 15. जाडाना, 16. मुरोली, 17. सिंहपुर, 18. पारी, 19. निलोद, 20. धामाना, 21. हथियाना, 22. बानसेन, आदि।

मैं सदन के माध्यम से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि उपखण्ड मुख्यालय राशमी में सहायक अभियन्ता कार्यालय खुलवाने की महती कृपा करें।

अर्जुन लाल जीनगर

(कपासन)

मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2014 में जनजाति क्षेत्र के निवासियों को आरक्षण का लाभ दिया जाना

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों व प्रवेश परीक्षाओं में जनजाति उपयोजना क्षेत्र में निवास करने वाले SC, ST व सामान्य वर्ग को उस क्षेत्र में निकाली जाने वाली रिक्तियों/प्रवेश पर नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान किया हुआ है।

उदयपुर सम्भाग के एक मात्र मेडिकल कालेज, उदयपुर में वर्ष 2014 की MBBS की प्रवेश परीक्षा में SC, ST व सामान्य वर्ग हेतु आरक्षण सीटों की कोई व्यवस्था नहीं दर्शाई गई है, जबकि उक्त कालेज उदयपुर सम्भाग का जनजाति क्षेत्र में आता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व में भी RAS-2013 की परीक्षा का परिणाम जो कुछ दिनों पहले जारी किया गया था, उसमें भी पहले की गई भूल को सुधारते हुये TSP क्षेत्र के आवेदकों को नये सिरे से Online फार्म Submit करवाये गये थे।

अत: माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2014 दिनांक 27.07.14 को होनी है। इससे पूर्व उदयपुर मेडिकल कालेज की प्रवेश प्रक्रिया में TSP क्षेत्र के लोगों को राहत दिलाई जावे ताकि किसी तरह का विवाद नहीं रहे।

अमृतलाल

(सलूम्बर)

बिलाड़ा की ग्राम सहकारी समितियों के सदस्यों को बकाया (Overdue) से बचाने हेतु किस्तों में भुगतान की अनुमति

मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के अन्तर्गत आने वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियां/लैम्पस पैक्स/एल एस एस/बिलाड़ा भूमि विकास बैंक, इत्यादि सहकारी बैंकों के माध्यम से समितियों के काश्तकार सदस्यों को जोधपुर सैन्टल को-आपरेटिव बैंकों से अल्पकालीन कृषि ऋण प्रतिवर्ष की भांति दिया जाने वाला ऋण एवं अन्य लेनदेन रोक दिया गया है तथा बैंक के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि जिस किसी काश्तकार सदस्य की भूमि किसी भी व्यावसायिक बैंक अथवा संस्था के अधीन रहनयुक्त होने पर सहकारी समितियों द्वारा अल्पकालीन कृषि ऋण नहीं दिया जायेगा तथा नेशनल शेयर-होल्डर्स को भी कृषि ऋण नहीं देंगे।

जितने भी काश्तकार सदस्यों ने किसी भी बैंक से किसी प्रकार का ऋण ले रखा है, उसके नाम की भूमि के खसरे रहन-युक्त हैं। तो उस काश्तकार सदस्य को अल्पकालीन कृषि ऋण नहीं दिया जायेगा। इस प्रकार बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र के 90 प्रतिशत काश्तकार सदस्य किसान क्रेडिट कार्डधारक हैं, उनहें भी अल्पकालीन कृषि ऋण से वंचित होना पड़ रहा है।

वर्ष 2013 में रबी एवं खरीफ की फसल पर बेमौसम की बरसात एवं ओलावृष्टि से किसानों की फसलें नष्ट हो गई थीं एवं भारी नुकसान उठाना पड़ा था। खरीफ की फसलें जो अकाल पड़ने के कारण नष्ट हो गईं, उसका तो राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया गया लेकिन रबी की फसल नष्ट हुई, उसका सरकार द्वारा खराबे का आकलन नहीं करवाने के कारण काश्तकार सदस्यों की हालत दयनीय हो गई। इसके साथ रबी की फसल बोने हेतु अल्पकालीन ऋण की अदायगी भी नहीं कर सके तथा 30 जून, 2014 को विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के अस्सी प्रतिशत किसानों का ग्राम सेवा सहकारी समितियों में ओवरड्यू हो गया। इसके कारण आने वाली रबी की फसल हेतु न तो बीमा हो सका और न ही ओवरड्यू रकम की अदायगी हो सकी।

अत:, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश के सहकारिता क्षेत्र में अग्रणी बिलाड़ा क्षेत्र की समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सदस्यों को ओवरड्यू से बचाने हेतु तीन किश्तों में भुगतान अदायगी (रियायती जमा समयावधि बढ़ाने कन्वजर्न) के आदेश करवायें ताकि किसानों को पुन: पटरी पर लाया जा सके।

अर्जुन लाल

(बिलाड़ा)

राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, राजसमन्द के अधिकारियों द्वारा देवगढ़ में कैम्प आयोजित कर कल्याण मण्डल के हिताधिकार श्रमिकों को प्रदान किया जाना

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम में राजस्थान सरकार द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की ओर से भवन निर्माण, बिजली उत्पादन, जल वितरण, बांध, नहर, तालाब, सुरंग, इत्यादि क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का शुभारम्भ किया गया था। इन योजनाओं में सर्वप्रथम हितकारी के रूप में विभाग में श्रमिक का पंजीयन आवश्यक माना गया है। सप्ताह में प्रति शुक्रवार को ही राजसमन्द जिला मुख्यालय पर इस कार्य को किया जाता है। पंजीयन हेतु श्रमिकों का वहां आना-जाना काफी महंगा होकर, लाभ प्राप्त होना भविष्य के गर्भ में है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विभाग के सक्षम अधिकारी देवगढ़ मुख्यालय पर सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अपना कैम्प निर्धारित कर जो वास्तविक श्रमिक हैं तथा जो नरेगा में कार्य करते हैं, उन सभी का पंजीयन देवगढ मुख्यालय पर कराये जाने का कार्यक्रम निर्धारित कराने हेतु श्रम विभाग के अधिकारियों को विभाग की ओर से आवश्यक निर्देश प्रदान कर अनुग्रहीत करें ताकि जनता जनार्दन को इस बहुआयामी योजना का लाभ मिल सके।

हरिसिंह रावत

(भीम)

बगरू के वार्ड सं. 36 की आवासीय कालोनियों का नियमन

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विधान सभा क्षेत्र बगरू (जयपुर) के वार्ड नं. 36 में आवासीय कालोनियों में 20 से 25 हजार लोग निवास कर रहे हैं। उक्त वार्ड की आवासीय कालोनियों के नियमन नहीं होने से यहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। पेयजल, सड़क, सीवरेज लाइन, रोड लाइट, इत्यादि सुविधाओं का अभाव है। लम्बे समय से यहां के बाशिन्दों की यह पुरजोर मांग रही है कि उनकी आवासीय कालोनी का नियमन कर यहां मूलभूत सुविधाएं आम जनता को मुहैया कराई जाएं।

यहां उल्लेख किया जाना प्रासंगिक है कि वार्ड नं. 36 के स्थानीय लोग कई बार मूलभूत सुविधाओं के लिए आक्रोशित होकर कालोनियों का नियमन करने की मांग के लिए धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं।

अत: सदन के माध्यम से नगरीय विकास एवं आवासन मंत्रीजी से विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन है कि बगरू विधान सभा क्षेत्र के वार्ड नं. 36 की आवासीय कालोनियों का नियमन करने का श्रम करें।

कैलाश वर्मा

(बगरू)

करवर ग्राम पंचायत (बूंदी) में गैर-मुमकिन तालाब की भूमि पर नियम-विरुद्ध पट्टे जारी किया जाना

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत ग्राम पंचायत करवर, पंचायत समिति नैनवा, जिला बूंदी के तालाब की पाल गैर-मुमकिन तालाब की भूमि पर तत्कालीन सरपंच श्रीमती औकारी देवी एवं तत्कालीन सचिव वेद प्रकाश द्वारा नियम विरुद्ध पंचायत के पट्टे जारी किये जाने से

उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय पंचायती राज मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

ग्राम पंचायत करवर पं.स. नैनवा, जिला बूंदी के तत्कालीन सरपंच ने ग्राम पंचायत सचिव के साथ मिलकर ग्राम में स्थित गैर-मुमकिन तालाब की सरकारी भूमि खसरा नं. 816 में फर्जी पट्टे काटकर आबादी के पट्टे जारी कर दिये। गैर-मुमकिन तालाब की भूमि में फर्जी पट्टे जारी करने की जांच जिला परिषद के पत्र क्रमांक जिपबू/पंचायत जांच/पी.ई.ओ./09/8354 दिनांक 28.08.2009 के द्वारा की गई, जिसमें जांच में उक्त सभी पट्टे पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से 156 तक की अनदेखी करते हुए नियम विरुद्ध जारी किये गये हैं तथा तत्कालीन सरपंच व तत्कालीन सचिव को जांच में उत्तरदायी माना गया। उपरोक्त जांच रिपोर्ट में अंकित सभी अनियमित पट्टों को पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत निरस्त किये जाने के लिए कलक्टर, बूंदी ने जिला परिषद बूंदी को लिखा गया था लेकिन अभी तक पट्टे निरस्त नहीं किये गये। पट्टे निरस्त नहीं होने के कारण अवैधानिक रूप से जारी पट्टों पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण किया जा रहा है।

ग्राम पंचायत करवर के खसरा नं. 816 तालाब की पाल गैर-मुमकिन तालाब की भूमि पर तत्कालीन सरपंचों ने लगभग 30 अवैधानिक पट्टे उक्त खसरा नं. में काटे हैं, जबकि अवैधानिक पट्टों की जांच मात्र 6 व्यक्तियों को जारी पट्टे पर की गई।

राजस्व रिकार्ड में दर्ज गैर-मुमकिन तालाब की भूमि पर अवैधानिक रूप से किये गये अतिक्रमण को ध्वस्त कर तालाब की भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त करवाने हेतु इस सदन के मार्फत मैं पंचायती राज मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

बाबूलाल वर्मा

(केशोरायपाटन)

मावली स्थित उदयसागर बांध से बागोलिया तालाब को भरा जाना

मेरे विधान सभा क्षेत्र मावली की ग्राम पंचायत बडियार स्थित बागोलिया तालाब सिंचाई हेतु एक अति महत्वपूर्ण तालाब है। यह विगत 25 वर्षों में केवल एक बार भरा है।

1. बागोलिया बांध के लगातार खाली रहने से गरीब किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिलने से उनमें निराशा का भाव है।

2. वे चाहते हैं कि यह तालाब भरे, ताकि उनके जीवन स्तर में आर्थिक उत्थान हो सके।

3. इस बांध को भरे जाने का उपाय यही है कि इसे उदयसागर बांध से भरा जावे।

4. 35 मीटर ऊंचाई वाला उदयसागर बांध हमेशा भरा रहता है। वर्तमान में मोहनलाल सुखाड़िया जल अपवर्तन परियोजना के कारण उदयसागर बांध के पूर्ण भराव की पूर्ण सम्भावना हमेशा रहेगी।

5. वर्तमान में उदयसागर बांध का ओवर-फ्लो पानी वल्लभनगर एरिया, आदि में व्यर्थ बहकर चला जाता है।

6. उक्त बांध उदयसागर से हिन्दुस्तान जिंक को भी 180 एम. सी. एफ. टी. पानी दिया जा रहा है।

7. मोहनलाल सुखाड़िया जल अपवर्तन योजना के कारण उदयसागर बांध में पानी की कोई कमी नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मावली के गरीब किसान, जिनका कि जीवनयापन खेती पर निर्भर है, के लिए बागोलिया बांध का भरा जाना अत्यावश्यक है। इससे 165 गांव लाभान्वित होंगे। वर्तमान में भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार नदियों को जोड़ने वाली योजना पर कार्य कर रही है। यह कार्य भी इसी का एक हिस्सा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयसागर बांध के अतिरिक्त पानी का बागोलिया बांध में फीडर और सुरंग के माध्यम से जल अपवर्तन सम्भव है। अतः इस हेतु फीडर और सुरंग बनाने एवं वैकल्पिक मार्ग खोजने हेतु विस्तृत सर्वे करवाकर प्रोजेक्ट बनाकर बागोलिया बांध को भरने का प्रस्ताव स्वीकृत करावें ताकि किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध हो सके तथा मेरे क्षेत्र की इस ज्वलंत समस्या का समाधान हो सके।

दलीचन्द डांगी

(मावली)

परिशिष्ट-3

लिखित वक्तव्य

(राज्य में सूखे की स्थिति पर विचार पर माननीय सदस्य श्री सुरेश सिंह रावत द्वारा सदन पटल पर रखा गया वक्तव्य जो पढ़ा हुआ माना गया)

मैं आपकी अनुमति से बिजली, पानी और अकाल पर चल रही चर्चा में अपने विचार प्रकट कर रहा हूं।

संकट चाहे देश के किसी भी कोने में आये, लेकिन हमारे देश की जनता संकट के समय एक साथ खड़ी रहती है। चाहे वह उत्तराखण्ड की प्राकृतिक आपदा हो, गुजरात के भुज का भूकम्प हो या फिर हमारे दक्षिण भारत के राज्यों में सुनामी का कहर हो, हमारे देश की जनता सहयोग के लिए हर समय तत्पर रही है।

यह सच है कि पानी और ब्लड दोनों किसी भी फैक्टरी द्वारा निर्मित नहीं होता है और न ही किसी पेट से उसकी उत्पत्ति होती है। पानी प्रकृति द्वारा दिया गया उपहार है जिसका हम किस प्रकार से पूरे देश और प्रदेश में उपभोग करें यह चिंतन और मनन का विषय है। गिरते हुए भूजल स्तर और दूषित हो रहे जल से विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के साथ-साथ सम्पूर्ण देश चिंतित है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए यह कहा गया है कि देश के, प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकार का होता है। पानी की समस्या से निपटने के लिए हमें व्यापक प्रयत्न करने की आवश्यकता है। खराब पड़े हैण्डपम्पों और ट्यूबवैलों को एक व्यापक अभियान चलाकर ठीक करने की आवश्यकता है।

हर साल अजमेर जिले में 550 मिलीमीटर औसतन वर्षा होती है और 30 जुलाई तक 256 मिलीमीटर वर्षा होती है परन्तु इस वर्ष 30 जुलाई तक सिर्फ 151 मिलीमीटर बारिश हुई है। अजमेर जिले में 53 बांध व अन्य सिंचाई परियोजनाएं हैं लेकिन 53 में से एक दर्जन बांधों में ही कुछ मात्रा में पानी है। अजमेर जिले में साढ़े चार लाख हैक्टेयर भूमि की बुवाई होती है लेकिन अभी तक साढ़े तीन लाख हैक्टेयर भूमि की ही बुवाई हुई है, जिसमें 18840 हैक्टेयर में कपास, 6700 हैक्टेयर में बाजरा, 102000 हैक्टेयर में ज्वार, 28000 हैक्टेयर में मक्का, 8950 हैक्टेयर में तिल, 32000 हैक्टेयर में मूंग, 9750

हैक्टेयर में मोठ, 11275 हैक्टेयर में उड़द, 900 हेक्टेयर में चावल आदि फसलों की बुवाई हुई है।

हमें पानी के अधिकतम सदुपयोग हेतु जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट वाटर मैनेजमेंट प्लान की योजना प्रदेश के प्रत्येक जिले में बनाने की आवश्यकता है। हमें जिले में उपलब्ध पानी के स्रोतों का पता लगाकर अकाल के हालात में हम कैसे उसको बेहतर उपयोग कर सकें, उसकी कार्य योजना बनानी होगी।

हमारे यहां पर पशुधन काफी मात्रा में है और लोगों का पेशा भी है। हमें अकाल के समय में पशुधन को बचाने के लिए चारे की समस्या का समाधान भी करना होगा। मेरा निवेदन है कि हमें अभी से ही योजनाबद्ध तरीके से जहां दूसरे राज्यों में चारा प्रचुर मात्रा में हो रहा है वहां से अभी से ही उस सारे को खरीदने की योजना बनानी होगी क्योंकि दो माह बाद तो चारा कटने लगेगा और हमारी योजना अभी से ही उसे खरीदने की होगी तो वह जल्दी ही हमारे पशुधन को उपलब्ध हो पायेगा। हमें चारा खरीद केन्द्र और चारा वितरण केन्द्र का खाका भी अभी से तैयार करना होगा। इसके अलावा प्रदेश की जनता के खाद्यान्न के लिए भी उचित भण्डारण की योजना पर भी विचार करना होगा।

(राज्य में सूखे की स्थिति पर विचार पर माननीय सदस्य श्री छोटू सिंह द्वारा सदन पटल पर रखा गया वक्तव्य जो पढ़ा हुआ माना गया)

अकाल के लिए राहत हेतुः-

1. जैसलमेर जिले पूर्व में अनाथ गायों के पशु शिविर वर्तमान में चल रहे हैं करीब 80 हजार गायों के जब तक बरसात नहीं होती है तब तक शिविर चालू रखें।
2. पेयजल ट्यूबवैल को विद्युत से 24 घन्टे जोड़ा जाये।
3. नहरी पानी वर्तमान जिलों में कम आ रहा है उसे हिस्से का पानी पूरा मिलने की व्यवस्था की जाये। मानेटरी बटवारा कमजोर उसें सुव्यवस्थित किया जाये।
4. बिना अवधि 31 जुलाई 15 अगस्त तक बढ़ाई जाये ताकि